रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/95

REGISTERED No. DL—33001/95

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVERNMENT OF INDIA

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 30] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 29, 1995 (श्रावण 7, 1917)
No. 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 29, 1995 (SRAVANA 7, 1917)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं . 615

भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं 675

भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं . . . 9

भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं 945

भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . *

भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . . *

भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . . . *

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिसमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) . . . . *

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (ii) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . . *

भाग II—खण्ड 3-उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपलब्धियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) . *

भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश *

भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 695

भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . . . 685

भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं —

भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं। 1231

भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस 101

भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को बताने वाला अनुपूरक *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए

CONTENTS

	PAGE
PART I— SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	615
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	675
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	9
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	945
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
RT II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)— Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories).	*
PART II—SECTION 3—SUB SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	695
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	685
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1231
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	101
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई, 1995

सं० 108-प्रेस/95—राष्ट्रपति, आंध्र प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद :

श्री के० वेंकट स्वामी गौड (मरणोपरांत)
एसाल्ट कमांडर
एस० एस० एफ० यूनिट
हैदराबाद।

श्री एम० मदन मोहन,
जूनियर कमांडो
एस० एस० एफ० यूनिट,
हैदराबाद।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

30 मई, 1991 को श्री के० वेंकट स्वामी गौड, एसाल्ट कमांडर के नेतृत्व में स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स की यूनिट, जिसमें सर्वश्री एम० मदन मोहन जूनियर कमांडो और एन० पी० रामप्पा, चालक सम्मिलित थे, स्थानीय पुलिस बल के साथ किसी जांच-पड़ताल के लिए लगराई गांव के लिए चले। पुलिस बल की मौजूदगी के बारे में जानकर, स्वचालित हथियारों से लैस उग्रवादियों ने गांव की बाहरी सीमा पर विस्फोटक लगा दिए और स्वयं छिप गए। दोपहर 12.30 बजे लगराई गांव से वापस लौटते समय जब एसाल्ट कमांडेंट श्री गौड़ की जीप नेलिमेता पहाड़ी के मोड़ के निकट पहुंची तो उग्रवादियों ने बारूदी सुरंग में विस्फोट कर दिया और पुलिस दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। धमाके के प्रभाव से श्री एन० पी० रामप्पा, चालक की मौके पर ही मृत्यु हो गई और एसाल्ट कमांडर श्री गौड़ की दोनों टांगें उड़ गईं साथ ही बाकी पांच अन्य पुलिस-कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। घातक रूप से घायल होने के बावजूद श्री गौड़ अंतिम समय तक अपने दल को जवाबी गोलीबारी के लिए प्रेरित करते रहे। गंभीर रूप से घायल जूनियर कमांडो श्री एम० मदन मोहन ने कुमुक आने तक, टी० एस० एम० सी० से 10 गोलियां चलाकर और ए० के० 47 राइफल से 50 गोलियां चलाकर उग्रवादियों को उलझाकर रखा और इस प्रकार अन्य सदस्यों की जान बचाई तथा उग्रवादियों को, इनके हथियार ले जाने से रोका।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री के० वी० स्वामी गौड़, एसाल्ट कमांडर और एम० मदन मोहन, जूनियर कमांडो ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 30 मई, 1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 109-प्रेस/95—राष्ट्रपति, गुजरात पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद :

श्री एच० जी० झाला,
पुलिस उप निरीक्षक,
स्थानीय अपराध शाखा,
मेहसाणा, गुजरात।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

14 जून, 1992 को, हत्या के अनेक मामलों में संलिप्त कुछ कट्टर अपराधियों ने श्री रघुनाथ यादव नामक व्यक्ति को गोली मार दी जिससे उसकी वहीं मृत्यु हो गई।

तत्पश्चात, वे बदमाश अपनी मारूती कारों में बैठकर भाग निकले । पुलिस उप निरीक्षक श्री एच० जी० झाला जोकि यातायात उप निरीक्षक का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाले हुए थे, विसनगर की ओर जा रहे थे तथा रास्ते में उन्हें यह संदेश प्राप्त हुआ कि सभी मारूति कारों को रोककर उनकी जांच की जाए । संदिग्ध कारों को अपनी ओर आते देखकर श्री झाला ने स्वयं अपनी जीप से बाधा बनाते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुए अपने प्रयास में असफल रहने पर उन्होंने मारूति कारों का पीछा किया अपराधियों ने उन पर चार गोलियां चलाईं और भाग गए । अपनी मारूति कारों को पहचान लिए जाने पर अपराधियों ने उनमें से एक कार को सड़क के किनारे छोड़ दिया और एक प्राइवेट पब्लिक कैरियर पर चढ़ गए । इस तथ्य के बावजूद कि श्री झाला निशस्त्र थे, उन्होंने पीछा करना जारी रखा और अपराधियों को ले जा रहे पब्लिक कैरियर से आगे निकलकर उसे रोकने में सफल हो गए तथा अपराधियों को पकड़ने का प्रयास किया । अपराधियों ने पुनः उन पर गोली चलाई जिससे उनकी बांह और गले के पास घाव हुए तथा बदमाश बचकर भाग निकलने में सफल हो गए । गोली के घाव से श्री झाला की रीढ़ की हड्डी क्षतिग्रस्त हो गई जिससे उनके शरीर का निचला हिस्सा (कमर से नीचे) स्थाई रूप से बेकार हो गया ।

सामुठ भेड़ में श्री एच० जी० झाला, उप निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 14 जून 1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 110-प्रेस/95-राष्ट्रपति, गुजरात पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद :

श्री ए० ए० चौहान,
पुलिस उप निरीक्षक,
सूरत ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है ।

22 अक्तूबर, 1991 को सूरत में न्यायालय में पेशी के बाद उप निरीक्षक चौहान, किसी अन्य आपराधिक मामले की जांच के सम्बन्ध में बस द्वारा अहमदाबाद जा रहे थे । लगभग 2.30 बजे जब बस, हलदरवा के पास भड़ोंच राजमार्ग पर पहुंची तो सहयात्रियों में से 4 आदमी उठे और उनमें से एक, चालक के पास पिस्तौल लेकर पहुंचा और उससे बस रोकने को कहा । बाकी तीन बदमाशों के हाथों में भी चाकू और पिस्तौल थे । सड़क के किनारे बस को रोक कर उन्होंने यात्रियों को बलपूर्वक लूटना शुरू कर दिया । तत्पश्चात् उनमें से दो बदमाशों ने अगले दरवाजे से होकर बस से उतरने का प्रयास किया तभी अगले दरवाजे के पास बैठे श्री चौहान ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन लुटेरों में से एक को पकड़ लिया, इस आपाधापी में दोनों ही बदमाश बस की सीढ़ियों से नीचे जमीन पर गिर पड़े । लुटेरों ने तुरंत श्री चौहान पर गोली चलाई लेकिन गोली श्री चौहान को नहीं लगी । इस पर, एक सहयात्री श्री चौहान के बचाव के लिए सामने आया । लुटेरों ने फिर से श्री चौहान पर चाकुओं से हमला किया जिससे उनकी बाईं जांघ पर और माथे पर अनेक घाव लगे तथा उनके घावों से खून बहने लगा । दूसरे सहयात्री श्री गज्जर को भी बाईं टांग पर चाकुओं के घाव लगे । जब श्री चौहान और श्री गज्जर घायलावस्था में जमीन पर पड़े थे तभी लुटेरे बचकर भागने में सफल हो गए ।

इस मुठभेड़ में श्री ए० ए० चौहान, उप निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 22 अक्तूबर, 1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 111-प्रेस/95-राष्ट्रपति, हरियाणा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद :

श्री पाले राम (मरणोपरान्त)
सहायक पुलिस उप निरीक्षक,
थाना गुहला,
जिला-कैथल ।

श्री गुलजार सिंह (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
थाना गुहला,
जिला-कैथल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

दिनांक 23 अक्तूबर, 1992 को जिला कैथल के थाना गुहला की आई०/सी० चौकी महमूद पुर के सहायक उप निरीक्षक श्री पाले राम गुलजार सिंह सहित छह कांस्टेबल के बल के साथ आतंकवाद ग्रस्त क्षेत्र में एक जीप में सघन गश्त की ड्यूटी पर थे। ए० के०-47 राईफल से लैस श्री पालेराम और एस० एल० आर० से लैस कांस्टेबल एक जीप से गश्त लगाकर लौट रहे थे। यह लगभग, 7.15 शाम का समय था और अंधेरा घिर आया था, उस समय पुलिस दल ने गांव महमूद पुर पार किया और वे जैसे ही पुलिस चौकी पहुंचे तो वहां धान के खेत में दाईं तरफ छुपकर बैठे आतंकवादियों ने उन पर स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी शुरू कर दी। ड्राईवर के साथ सामने वाली सीट पर बैठे श्री पाले राम के पेट में गोली लगने से जख्मी हो गए। जख्मी होने के बावजूद श्री पाले राम ने साहस नहीं खोया और होश हवास कायम रखते हुए इस घटना के बारे में थाना गुहला को सूचित कर दिया और कुमक की मांग की। अचानक हुई गोलियों की बौछार से जीप क्षतिग्रस्त हो गई तथा आगे नहीं बढ़ सकी। श्री पाले राम ने, पुलिस दल को जीप से कूद कर दूसरी दिशा में आड़ लेकर जवाबी गोलीबारी करने का निर्देश दिया। इस गोलीबारी में गुलजार सिंह गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गए और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया। अचानक हुए हमले से श्री पाले राम शिथिल हो गए और उनके पेट से अधिक रक्तस्राव (बाद में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई थी) होने के बावजूद उन्होंने अपनी ए० के० 47 राईफल से गोलियां चलाईं और अपने कर्मियों को जवाबी गोलीबारी करने के लिए ललकारते रहे। करीब आधा घंटे तक दोनों ओर से गोली बारी होती रही और आतंकवादी अंधेरे की आड़ लेकर भाग गए।

मुठ भेड़ में सर्वश्री पाले राम सहायक पुलिस उप-निरीक्षक तथा (स्वर्गीय) गुलजार सिंह कांस्टेबल अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यतपरायणत का परिचय दिया।

यह पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता दिनांक 23 अक्तूबर, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 112–प्रेस/95–राष्ट्रपति जम्मु और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए सहर्ष राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री मोहम्मद अली,
कांस्टेबल,
3 बटालियन,
जम्मू और कश्मीर सशस्त्र पुलिस।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया जाता है :

13 मई, 1992 को कांस्टेबल मोहम्मद अली अन्य कार्मिकों सहित अनंतनाग से कोकरनाग तक कोष ले जाने के लिए उसकी अनुरक्षण ड्यूटी पर तैनात थे। पांच लाख रुपये की धनराशि को बैंक में कुछ बैंक अधिकारियों और चार सुरक्षा गार्डों सहित (जिनमें कांस्टेबल अली भी शामिल थे) ले जाना था, इसके पीछे-पीछे एक टैक्सी में शेष तीन गार्डों को चलना था। बोना-दयालगाम गांव के निकट एक मिनी बस से कुछ अज्ञात बंदूकधारी बाहर निकले, और बैंक के वाहन को रोककर उन्होंने उसे घेर लिया। अपराधियों ने सुरक्षा गार्डों से धनराशि उनके हवाले कर देने को कहा, परन्तु धन सौंपने के बजाए सरकारी सम्पत्ति की सुरक्षा करने के उद्देश्य से, अपराधियों की ओर से की जा रही अंधाधुंध गोलीबारी के जवाब में गार्डों ने भी गोलियां चलाईं, फलस्वरूप अपराधियों का सरगना मारा गया। कांस्टेबल मोहम्मद अली ने गोलीबारी करना जारी रखा तथा दो और अपराधियों को जख्मी कर दिया। कांस्टेबल मोहम्मद को गोलीबारी करने से रोकने के लिए उनमें से एक अपराधी ने कांस्टेबल पर धमाका किया जिससे वह गम्भीर रूप में घायल हो गए परन्तु अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बिना, आखिरी सांस तक वे गोलीबारी करते रहे। जिससे शेष अपराधी भयभीत हो गए और भाग खड़े हुए। तथापि, भागते समय वे अपने सरदार की लाश उठाकर साथ ले गये।

इस मुठभेड़ में श्री मोहम्मद अली, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

वीरता के लिए पुरस्कार, राष्ट्रपति का पदक प्रदान करने के लिए मौजूद नियमों के नियम 4(i) के तहत प्रदान किया जाता है तथा इसके साथ नियम-5 के तहत, स्वीकार्य विशेष भत्ता भी 13–5–1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 113–प्रेस/95–राष्ट्रपति, जम्मू एवं कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम और पद :

श्री अमरजीत सिंह, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
8वीं बटालियन,
जे० के० ए० पी०।

श्री बशीर अहमद, (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
8वीं बटालियन,
जे० के० ए० पी० ।

श्री राज कुमार,
कांस्टेबल,
6वीं बटालियन,
जे० के० ए० पी० ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

21-9-1991 को लगभग 1350 बजे जम्मू के पुलिस नियंत्रण कक्ष में सूचना प्राप्त हुई कि तालाब खटीकन के पास एक और उस्ताद मुहल्ला स्थित एक मस्जिद के पास एक अन्य संदेहास्पद वस्तु पड़ी हुई है । नियंत्रण कक्ष से इन स्थलों की ओर बम निस्तारण दस्ता भेजा गया । उस्ताद मोहल्ले में जांच के बाद दस्ते ने यह पाया कि संदेहास्पद दिखाई देने वाली, वह वस्तु एक जीवित बम थी, जिसके विस्फोट से मानव जीवन की हानि होने के साथ-साथ मस्जिद को नुकसान पहुंच सकता था और परिणामतः साम्प्रदायिक गड़बड़ी फैल सकती थी ।

यह महसूस करके कि बम कभी भी फट सकता है, बम निस्तारण दस्ते में शामिल कांस्टेबल अमरजीत सिंह, बशीर अहमद और राजकुमार, बम को निष्क्रिय करने के काम में जुट गए । इस प्रक्रिया में बम फट गया जिससे कांस्टेबल अमरजीत सिंह की मृत्यु हो गई और कांस्टेबल बशीर अहमद एवं राज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए । बाद में घायलावस्था में ही कांस्टेबल बशीर अहमद ने अस्पताल में दम तोड़ दिया । अपने जीवन को गंभीर खतरे में डालकर इन अधिकारियों द्वारा की गई त्वरित कार्रवाई ने न केवल जान-माल की क्षति होने से बचायी बल्कि साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखने में भी भारी योगदान दिया ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री अमरजीत सिंह, कांस्टेबल, (स्वर्गीय) बशीर अहमद, कांस्टेबल और राज कुमार, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 21-9-1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 114-प्रेस/95—राष्ट्रपति जम्मू और कश्मीर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम और पद

श्री मो० अमीन अंजुम
पुलिस अधीक्षक
बारामूला

श्री ए० आर० खान (मरणोपरान्त)
पुलिस उप अधीक्षक
बारामूला

जन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है ।

19-7-1992 को श्री एम० ए० अंजुम पुलिस अधीक्षक बारामूला श्री मुश्ताक अहमद गनाई डी० सी० बारामूला और पार्टी (जिसमें स्वर्गीय ए० आर० खान, पुलिस उप अधीक्षक भी थे) स्वर्गीय श्री शीतल सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक के शव-दाह संस्कार में भाग लेने के बाद, पुराना बारामूला में गुरुद्वारा, छठी पादशाही से वापस आ रहे थे । गुरुद्वारा से 60/70 मीटर के लगभग, उन्हें 15/20 युवकों ने रोका जिन्होंने अपने पास हथियार छुपा रखे थे । उनकी मंशा, पुलिस अधीक्षक और डी० सी० का अपहरण करने की थी, ताकि वे अपने मांग मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डाल सकें । एक जग्रवादी ने पुलिस अधीक्षक की तरफ से, कार का दरवाजा खोला और कार के अन्दर कूद पड़ा अपनी पिस्तौल की नोक पुलिस उप अधीक्षक की छाती पर रखकर उसने पुलिस अधीक्षक और डी० सी० को अपने साथ चलने के लिए कहा पुलिस अधीक्षक ने बुद्धिमत्ता और ठंडे दिमाग का परिचय दिया और उग्रवादियों का कहना मानने का अभिनय करते हुए तेजी से कार्रवाई की और साहस का परिचय दिया और एक हाथ से उग्रवादी की गन पकड़ी और दूसरे हाथ से उसकी कलाई पकड़ी और अपने ड्राईवर को गाड़ी चलाने का आदेश दिया । उग्रवादियों ने हथगोले फैंके और काफिले पर भारी गोलीबारी की । श्री अंजुम, चलते वाहन में जग्रवादी से भिड़ते रहे । उप-आयुक्त और पुलिस अधीक्षक के० पी० एस० ओ०, जो उसी वाहन में थे, ने भी हाथापाई में हिस्सा लिया । उग्रवादी जिसका शरीर हट्टा-कट्टा था, ने पुलिस अधीक्षक की गिरफ्त से छूटने का अथक प्रयास किया । अन्ततः पुलिस अधीक्षक उससे पिस्तौल छीनने में सफल हो गए और उस पर काबू पाने के लिए उन्होंने उसके सिर पर कई चोटें कीं । आखिरकार श्री अंजुम ने उसको दबोच लिया और उसे घात वाले स्थान पर लाए । दूसरी तरफ दूसरे उग्रवादी, जिसकी शिनाख्त बाद में नजीर अहमद के रूप में की गयी, ने अपनी ए० के०-47 राईफल निकाली और

राईफल के बट से कुछ चोटें की और उस कार के तिकोनी (रिक्टेंगलर) खिड़की के शीशों को तोड़ दिया जिसमें ए० आर० खान, पुलिस उप अधीक्षक और नूर-ऊ-दीन, सहायक आयुक्त, बारामूला यात्रा कर रहे थे। श्री खान ने अपने व्यक्तिगत जीवन की परवाह किए बगैर और बड़े साहस और फुर्ती से राईफल के बेरेल को पकड़ा और जैसे पीछे धकेल दिया। उसी समय उसने अपने शरीर को इस प्रकार से मोड़ा कि गोली सीट के पीछे के रेस्ट से आर-पार हो गयी। श्री खान उग्रवादियों के साथ भिड़ पड़े और पूरी की पूरी मेगजीन हवा में दाग कर खाली करने में सफल हो गए। यह देखने पर मेगजीन खाली हो गयी है, उग्रवादी ने अपने आपको श्री खान की पकड़ से छुड़ा लिया और भागना शुरू कर दिया। इस समय पर, दूसरे उग्रवादी ने श्री खान पर भवन के प्रथम तल की खिड़की से गोलियां चलायी और श्री खान गिर पड़े और घटनास्थल पर ही उनका देहान्त हो गया। इस प्रकार श्री खान ने अपना अमूल्य जीवन सेवा की बेहतर परम्परा को बनाए रखने के लिए कुर्बान कर दिया।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री एम० ए० अंजुम पुलिस अधीक्षक और ए० आर० खान पुलिस उप-अधीक्षक, ने अदम्य वीरता साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 19-7-1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 115-प्रेस/95—राष्ट्रपति, कर्नाटक पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री एन० हनुमंथप्पा
पुलिस उप निरीक्षक
बंगलौर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

14-10-1993 को, कुख्यात उपद्रवी बल्ली के कावल बाइरासान्द्रा में मौजूद होने की सूचना मिली। एक ए० एस० आई० और तीन कांस्टेबलों वाले एक पुलिस दल के साथ उपनिरीक्षक हनुमंथप्पा अपराधी को पकड़ने के लिए निकल पड़े। लगभग 4.30 बजे अपराह्न पुलिस दल उस घर के पास पहुंच गया जहां पर बल्ली ने शरण ली हुई थी और उसकी मौजूदगी का सत्यापन करने के बाद उसे आवाज लगाई जिसका उत्तर नकारात्मक मिला। लेकिन भेदिये ने बल्ली की आवाज पहचान ली। उप निरीक्षक हनुमंथप्पा ने घर की घेराबन्दी करने का निर्देश दिया और बल्ली से दरवाजा खोलने के लिए कहा। यह पाया गया कि मकान के अन्दर बल्ल. के साथ-साथ 5-6 अन्य बदमाश भी मौजूद हैं। उनके बचकर भाग जाने को रोकने के लिए उप निरीक्षक हनुमंथप्पा ने निकटवर्ती पुलिस स्टेशन से और अधिक पुलिस बल मांगा जोकि तुरन्त ही वहां पहुंच गया। प्रभावाधेर.बदी के बाद, बल्ली से बार-बार आत्म समर्पण करने के लिए कहा गया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उप निरीक्षक हनुमंथप्पा ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। बल्ली और उसके गिरोह के आदमी खतरनाक हथियार लेकर बाहर निकल आए और उन्होंने पुलिस दल पर हमला करना शुरू कर दिया। बल्ली ने उप निरीक्षक हनुमंथपा पर हमला कर दिया और उनके सिर पर चोट मारा जिससे उनका हेलमेट क्षतिग्रस्त हो गया। उप निरीक्षक हनुमंथप्पा ने बल्ली पर गोली चलाई जोकि उसकी छाती में लगी और बाद में घायलावस्था में ही अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस कर्मियों ने अन्य अपराधियों में से भी एक को गिरफ्तार कर लिया जबकि दूसरा बचकर भाग गया।

इस मुठभेड़ में श्री हनुमंथप्पा, उप निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 14-10-1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 116/प्रेस/95—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री एम० एस० अरोरा
पुलिस उप-अधीक्षक
एस० डी० पी० ओ० शिवपुरी।

श्री एस० एस० सिकरवार
पुलिस उप-निरीक्षक
जिला शिवपुरी।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

दिनांक 16/17 जुलाई 1991के बीच की रात को, "आपरेशन विश्वास" के एक भाग के रूप में एक तलाश अभियान आयोजित किया गया था। करेरा रोड पर निरीक्षण कार्य पूरा करने के बाद श्री एम० एस० अरोरा, एस० डी० पी० ओ० शिवपुरी तथा एस० एस० सकरवार, उप-निरीक्षक अन्यों सहित 9 बजे रात को ए० बी० रोड पहुंचे और वाहनों का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। रात को लगभग 12.00 बजे एक ट्रक ड्राइवर ने सूचित किया कि कुछ डकैत सड़क को बन्द करके ट्रकों और बसों को लूट रहे हैं। इस पर श्री अरोरा और श्री सिकरवार उपलब्ध बल को साथ लेकर उसी ट्रक से तत्काल घटना स्थल की ओर रवाना हो गए जैसे ही वे वहां पहुंचे तो डकैत लाईट बन्द करने के लिए चिल्लाए, श्री अरोरा जो ड्राईवर के पास वाली सीट पर बैठे थे ने ड्राईवर से लाइट बन्द न करने को कहा और बल को नीचे उतर कर डकैतों को तीन दिशाओं से घेर लेने का निर्देश दिया। पुलिस को देखते ही डकैतों ने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। पुलिस कार्मिकों ने आत्म रक्षा में जवाबी गोलीबारी की। डकैत गोलियां चलाते हुए दूर भागते जा रहे थे परन्तु उन्होंने अचानक एक पेड़ की आड़ लेकर गोलियां चलाई। श्री अरोरा और उप-निरीक्षक सिकरवार बच गए। उसके बाद लगभग 20 मिनट तक दोनों ओर से गोलीबारी होती रही। इस दो तरफा गोलीबारी में तीन डकैत घटना स्थल पर ही मार गिराए गए तथा एक जख्मी हो गया, अगले दिन उसका शव बरामद किया गया। मारे गए डकैतों की बाद में, वृखभान सिंह, गोविन्द दास, सुरेश तथा सोबरन सिंह के रूप में शिनाख्त की गयी। वे झांसी टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर तथा भान्दर जिलों में बड़ी संख्या में अपराधों में शामिल थे। मुठभेड़ स्थल की तलाशी के दौरान एक .12 बोर की एस० बी० बी० एल० बन्दूक एक .315 बोर, की रिवाल्वर के साथ ही गोली-बारूद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री एम० एस० अरोरा, पुलिस उप-अधीक्षक तथा एस० एस० सिकरवार, उपनिरीक्षक, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहें हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 16–7–1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 117/प्रेस/95—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री विजय यादव
पुलिस अधीक्षक
भिण्ड

श्री के० डी० सोनकिया,
पुलिस निरीक्षक
थाना प्रभारी लहर,
जिला भिण्ड।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

दिनांक 7–8–1993 की रात भिण्ड के पुलिस अधीक्षक श्री विजय यादव को, गांव पियोली के नजदीक कुंवारी नदी के खड्डों में मक्खन सिंह डकैत के गिरोह की मौजूदगी के बारे में सूचना मिली। उन्होंने तत्काल उपलब्ध बल के द्वारा छानबीन अभियान की योजना बनाई। पुलिस बल को, सर्वश्री विजय यादव, पुलिस अधीक्षक, के० डी० सोनकिया, पुलिस निरीक्षक एम० ओ० उपरी, राजेन्द्र प्रसाद, एस० डी० पी० ओ० भिण्ड, तथा निरीक्षक एस० एस० चहल के नेतृत्व में चार भागों में विभाजित किया गया।

पुलिस दल बनाई गई जगहों पर पहुंच गए और छानबीन अभियान शुरू कर दिया। अगले दिन तड़के, उप-निरीक्षक के० डी० सोनकिया ने कुछ डकैतों को धान के सूखे खेत की चारदीवारी के पास छिपे हुए देखा। उन्होंने तत्काल उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा। उन डकैतों ने, जिनकी संख्या 3–4 थी, कीकर के पेड़ों के झुरमुट के पीछे सुरक्षात्मक मोर्चा ले लिया और गोलीबारी शुरू कर दी। श्री सोनकिया और उनके दल ने डकैतों का पीछा किया और अपनी आत्म रक्षा में डकैतों पर गोलियां चलाई। इसी बीच श्री यादव गोलियों की आवाज सुनकर, डकैतों को घेरने और श्री सोनकिया के नेतृत्व वाले दल पर पड़े दबाव को कम करने के लिए तत्काल आगे बढ़े। डकैतों ने पुलिस दलों पर गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और उन्हें बेबस कर दिया। दोनों पुलिस दल खुले में पड़ गए जबकि डकैतों ने ऊंची मेड़ पर सुरक्षित मोर्चा संभाला हुआ था। इस पर, अन्य कर्मियों सहित निरीक्षक श्री सोनकिया, डकैतों को घेरने के लिए आगे बढ़े। श्री यादव अपने दल के साथियों सहित अपनी जान की परवाह न करते हुए भारी गोलीबारी के सामने आगे बढ़े और डकैतों पर नजदीक से गोली चलाई। निरीक्षक सोनकिया तथा उनके दल ने भी डकैतों पर नजदीक से गोलियां बरसाई। दोनों दलों ने बाएं तथा दाएं किनारों से डकैतों का घेरा डालने के साथ

ही श्री यादव तथा उप-निरीक्षक सोनकिया द्वारा दागी गई गोलियों से पप्पू मिश्रा डकैत मारा गया। तथापि अन्य डकैत गहरे खड्डों का लाभ उठाते हुए भागने में सफल हो गए।

तलाशी के दौरान, मारे गए डकैत से गोली बारूद सहित एक .12 बोर की एस० बी० बी० एल० बन्दूक बरामद की गयी। मारा गया डकैत भिण्ड इटावा और जालौन जिलों में हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और अपहरण के बहुत से मामलों में तलाशयाफ्ता था।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री विजय यादव, पुलिस अधीक्षक तथा के० डी० सोनकिया, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि का कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 7-8-1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 118/प्रेस/95—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम और पद

श्री सुदर्शन कुमार,
पुलिस अधीक्षक,
बस्तर,
जिला जगदलपुर।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

दिनांक 24-11-1992 को थाना नारायणपुर में सूचना मिली कि "केशकाल दलम" से संबद्ध नक्सलवादियों का एक गिरोह एदका साप्ताहिक पैंठ में नारायणपुर के एक व्यापारी का अपहरण करने के लिए आने वाला है। इस गिरोह ने दिनांक 17-8-1992 को इसी पैंठ से नारायणपुर के एक व्यापारी की हत्या करके पहले ही से इस इलाके में आतंक फैलाया हुआ था। श्री सुदर्शन कुमार ने तत्काल एक कार्रवाई की रूप-रेखा बनाई। तदनुसार पैंठ की ओर जाने वाले मार्ग को कवर करने के लिए लगभग 1500 बजे एदका-कुचाड़ी के जंगल में एक घात लगाई गयी।

लगभग 17-30 बजे जैतूनी हरी वर्दी पहने और शस्त्रों से लैस दो नक्सलवादी कुचाड़ी गांव की तरफ से घात स्थल की ओर बढ़ते हुए दिखाई पड़े। नक्सलवादी जैसे ही नजदीक आए तो श्री सुदर्शन कुमार ने उन्हें आत्मसमर्पण के लिए ललकारा। किन्तु नक्सलवादियों ने पुलिस कार्मिकों पर गोली चलाना शुरू कर दिया। इस पर, श्री सुदर्शन कुमार ने आत्म रक्षा में एकदम गोली चलाई जिसके परिणामस्वरूप एक नक्सलवादी को एक गोली लगी और वह गिर पड़ा। जख्मी होने के बावजूद, नक्सलवादी कोहनियों के बल रेंगते हुए आगे बढ़ा और गोली चलाने की पोजीशन ले ली। नक्सलवादी की हलचल को भांपकर सुदर्शन कुमार उसके नजदीक पहुंचने में सफल हो गए और नक्सलवादी पर गोली चला कर उसे वहीं मार डाला। इसी बीच घने पेड़ों के पीछे छिपे हुए दूसरे नक्सलवादी ने गोलीबारी शुरू कर दी। श्री खरे ने यह देख कर उस पर गोली चला दी। किन्तु उसके सुरक्षित जगह में होने के कारण उसे श्री खरे द्वारा चलाई गोली नहीं लग सकी। वह पेड़ों और अंधेरे का लाभ उठाकर भाग निकला।

तलाशी के दौरान, मारे गए नक्सलवादी से भिन्न चले 13 कारतूसों सहित एक .12 बोर की राइफल बरामद की गयी। मारे गए नक्सलवादी की, कुसन्ना उर्फ अजीत उर्फ श्रीनिवास के रूप में पहचान की गई। "केशकाल दलम" का यह डिप्टी कमांडेंट बड़ी संख्या में विशिष्ट व्यक्तियों/व्यापारियों की हत्या करने और बम विस्फोटों (दिनांक 20-5-1991 को हुए बम विस्फोट में 5 पुलिस कर्मी तथा तीन सिविलियन मारे गए थे) में अन्तर्ग्रस्त था।

इस मुठभेड़ में श्री सुदर्शन कुमार, पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 24-11-92 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 119-प्रेस/95—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम और पद

श्री आर के दुबे
पुलिस उप अधीक्षक
एस डी पी ओ घाटी गांव
जिला ग्वालियर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

दिनांक 10-6-1993 को, श्री आर० के० दुबे, एस० डी० पी० ओ० घाटी गांव को सूचना मिली कि डकैत जागन काछी अपने साथियों के साथ थाना घाटी गांव के इलाके के कन्हेर और जंगल में ठहरा हुआ है और गुडावाल से अपहृत किए गए व्यक्ति की रिहाई के लिए फिरौती की रकम तय करने के लिए बातचीत कर रहा है। श्री दुबे ने तत्काल यह सूचना ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (देहात) को दी। इसके बाद एक योजना की रूप रेखा तैयार की गई और श्री दुबे, घाटी गांव तब

डिवीजन के थाना मोहना के प्रभारी के साथ डकैतों के छिने के ठिकाने की ओर चल दिए। इसी बीच ग्वालियर (देहात) के पुलिस अधीक्षक भी बल बल सहित घटना स्थल पर पहुंच गए। दो महत्वपूर्ण स्थानों पर घात लगाने के लिए पुलिस कर्मियों के दो दल बनाए गए, एक तो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अधीन तथा दूसरा श्री दूबे के अधीन।

आधी रात के करीब, श्री दूबे ने कुछ व्यक्तियों को अपनी ओर आते हुए देखा। श्री दूबे ने उन व्यक्तियों को अपना परिचय देने के लिए ललकारा। इस पर, उनमें से एक चिल्लाया और पुलिस दल पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया परन्तु वे बच गए। लगभग 15 मिनट तक दोनों ओर से गोलियां चलती रहीं। इसके बाद श्री दूबे अपनी जान की परवाह न करते हुए डकैतों की तरफ भाग बढ़े और अपनी एस० एल० आर० से गोलियां चलाकर डकैतों में से एक को मार गिराया। बाकी डकैत अंधकार और ऊबड़ खाबड़ जमीन का लाभ उठाकर भाग निकले। तथापि आगे उनकी मुठभेड़ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (देहात) की अगुवाई वाले दल से हो गयी और दो तरफा गोलीबारी में एक अन्य डकैत मारा गया। तलाशी के दौरान डकैतों के दो शव बरामद हुए। उनकी पहचान, पुलिस उप अधीक्षक की वर्दी पहने हुए को आगत वाछी तथा खाकी वर्दी पहने हुए को आवेद सहरिया के रूप में की गई। 8 संक्रिय कारतूसों सहित .315 बोर की एक राईफल; एक डी० बी० एम० एल० बन्दूक तथा बारूद, बारूदी टोपियां, 30 गोलियां भरी एक बोतल से युक्त एक थैला भी बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री आर० के० दुबे, पुलिस उप अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक, नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है। तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 10-6-1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 120-प्रेस/95—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं।

अधिकारी का नाम और पद

श्री सुशोवन बैनर्जी
पुलिस अपर अधीक्षक
भिण्ड

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

7 अप्रैल, 1994 को श्री सुशोवन बैनर्जी, पुलिस अपर अधीक्षक, भिण्ड को सूचना मिली कि डकैत जबर सिंह उर्फ जाबरा अपने साथियों के साथ, सियोन्धा (दतिया) से चोराई होते हुए नवीगांव जिला जालोन उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। इस सूचना पर श्री बैनर्जी लाहर पुलिस स्टेशन पहुंचे और निरीक्षक के० बी० सोनकिया, एस० एच० ओ० लाहर से परामर्श करके डकैत को गिरफ्तार करने की योजना बनायी। नवीगांव को जाने वाले सभी संभावित रास्तों के बारे में सोचा गया और सूचना के आधार पर घात लगाने के लिए बकरेवा गांव के नजदीक स्थान को चुना गया।

2. उपलब्ध बल को तीन पार्टियों में विभाजित किया गया। श्री बैनर्जी के नेतृत्व वाली पार्टी सं० 1 ने गांव बकरेवा के बाहरी क्षेत्र में कंहाई नाले के दक्षिण में मोर्चा संभाला जबकि, निरीक्षक के० बी० सोनकिया के नेतृत्व वाली पार्टी को नाले की पूर्वी दिशा पर निगरानी रखने का कार्य सौंपा गया और डी० एस० यादव, एस० ओ० रोन के नेतृत्व वाली पार्टी सं० 3 को लगभग 400 मीटर दूर नाले के उत्तरी क्षेत्र पर पहरा देने के लिए तैनात किया गया।

3. पार्टियों ने 8 अप्रैल को लगभग 1.30 बजे पूर्वाह्न को मोर्चा संभाला और रात भर घात लगाने के बाद, प्रातः काल पार्टी सं० 2 को कुछ हलचल दिखायी दी। निरीक्षक सोनकिया ने उन लोगों को अपनी पहचान बताने के लिए ललकारा जो संख्या में 3 या 4 थे। तथापि उन्होंने पुलिस पार्टी पर गोलियों की बौछार करके जवाब दिया। के० बी० सोनकिया ने नेतृत्व वाली पुलिस पार्टी ने आत्म रक्षा में डकैतों के पीछे से गोलियां चलायीं जिससे डकैत दक्षिण दिशा को भाग गए।

4. श्री बैनर्जी ने नेतृत्व वाली पार्टी, जिसने नाले के किनारे पर मोर्चा ले रखा था देखा कि कुछ व्यक्ति उनके तरफ दौड़ते आ रहे हैं। श्री बैनर्जी ने उनसे गोलियां चलाना बंद करने और आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा लेकिन डकैतों ने आत्म समर्पण करने की ललकार पर कोई ध्यान नहीं दिया और पूर्वी दिशा की तरफ भागना शुरू कर दिया, अंधेरे और कम दिखाई पड़ने का फायदा उठाकर श्री बैनर्जी ने उनका पीछा किया। जैसे ही वे डकैतों के नजदीक आए, उन पर उत्तरी दिशा से गोलियां चलायी गयी। यह देखने पर कि श्री बैनर्जी गोलीबारी में फंस गए हैं कांस्टेबल अतुल सिंह और देवेन्द्र मिश्रा अपने मोर्चा से बाहर आए और जिस दिशा से गोलियां चलायी जा रही थी उस दिशा की तरफ को गोलियां चलाते हुए श्री बैनर्जी की तरफ आगे बढ़े। श्री बैनर्जी ने जमीन पर मोर्चा संभाला और भाग रहे डकैतों को रुकने के लिए और हथियार डालने के लिए पुनः ललकारा। ऊबड़-खाबड़ क्षेत्र और गहरे नदी तटीय क्षेत्र का फायदा उठाते हुए, डकैत श्री बैनर्जी पर लगातार गोलियां चलाते रहे और भागते रहे। श्री बैनर्जी, कांस्टेबल अतुल सिंह और देवेन्द्र मिश्रा के साथ उनकी तरफ बढ़े और बेहद खतरनाक स्थिति में उनके नजदीक पहुंच गए और एक डकैत को मार गिराया। दूसरा डकैत अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकलने में सफल रहा।

5. डकैत की शिनाख्त बाद में रघुवर धोबी, जिला बलिया के रूप में की गयी। उसके पास से जिंदा कारतूसों सहित एक .315 बोर को रायफल बरामद हुई। डकैत के सिर पर 1000 रु० का इनाम था। पार्टी नं० 2 के साथ भीषण गोलीबारी में डकैत जबर सिंह यादव उर्फ जाबरा जिस पर 5000 रु० का इनाम था, मारा गया। उससे एक एस० बी० बी० एल० गन और 10 राऊंड बरामद हुए।

इस मुठभेड़ में श्री सुशोवन बैनर्जी, पुलिस अपर अधीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 7-4-94 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 121-प्रेस/95—राष्ट्रपति मध्य प्रदेश के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :

अधिकारी का नाम और पद

श्री अरविन्द कुमार खरे
पुलिस निरीक्षक
थाना झाँसी रोड, ग्वालियर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

दिनांक 22-23/5/1993 के बीच की रात को ग्वालियर के थाना झांसी रोड के प्रभारी निरीक्षक को सूचना मिली कि कुछ अपराधियों ने रिवाल्वर की नोक पर कैंसर अस्पताल, ग्वालियर के अधीक्षक डा० एस० एम० श्रीवास्तव का अपहरण कर लिया है और एक मारुति वैन में भाग निकले हैं। ग्वालियर के पुलिस ने तत्काल एक कार्रवाई योजना की रूप रेखा बनाकर अपहरणकर्ताओं की खोज करने के लिए एक दल भेज दिया और शेष दल को तीन भागों में बांट दिया गया। इस अभियान में दो दलों को दो विभिन्न दिशाओं से लगाया गया। एक पुलिस दल ने देखा कि अपहृत व्यक्ति को ले जा रही मारुति वैन जिकी फैक्टरी काम्पलैक्स के पास रुकी और फिर वापिस शहर की तरफ मुड़ गयी। पुलिस दल ने मारुति वैन का पीछा किया। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर ने इस तरह से जाल बिछाया कि डकैतों को घेर कर उन्हें आत्म समर्पण के लिए बाध्य किया जा सके। पुलिस दल ने डकैतों को आत्म-समर्पण के लिए कहा किन्तु बदले में उन्होंने भारी गोलीबारी की। नगर पुलिस अधीक्षक तथा दल ने मोर्चा ले लिया और डकैतों पर गोलियां चलाई। परिणामस्वरूप एक डकैत मारा गया। पुलिस अधीक्षक ग्वालियर ने पुलिस दलों से उस संदिग्ध स्थान पर विभिन्न दिशाओं से गोलीबारी जारी रखने का निर्देश दिया क्योंकि अंधकार के कारण डकैतों के छिपने की सही जगह पता लगाना मुश्किल था। वे डकैतों के छिपने के स्थान के पास पहुंचे और यहां डा० श्रीवास्तव को पाया जिन्हें उन्होंने अपने साथ लिया और पेड़ों के पीछे मोर्चा ले लिया। जिस समय यह बंदूक युद्ध चल रहा था तो निरीक्षक ए० के० खरे ने देखा कि उनके पुलिस अधीक्षक तथा डा० श्रीवास्तव पर गोलियां बरस रही हैं। वह तत्काल गोलियों की बौछार का सामना करते हुए डकैतों से नजदीक से लड़ने के लिए आगे बढ़े। इस नजदीकी लड़ाई में खरे और उनके दल ने एक डकैत को मार गिराया। इस भीषण मुठभेड़ के परिणामस्वरूप दो डकैतों को भून डाला गया जिनकी बाद में घन श्याम सिंह और उसके चीफ लेफ्टीनेंट सुरेन्द्र सिंह के रूप में शिनाख्त की गयी। तलाशी के दौरान घटना स्थल से .315 बोर की राइफल तथा गोली बारूद सहित एक .12 बोर की बंदूक बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में श्री ए० के० खरे, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 22-5-1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 122-प्रेस 95/—राष्ट्रपति नागालैंड पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान करते हैं :

अधिकारी का नाम और पद

श्री वेद प्रकाश आई० पी० एस० (मरणोपरान्त)
पुलिस अधीक्षक
मोकोकचुंग
नागालैंड

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :—

(स्वर्गीय) श्री वेद प्रकाश आई० पी० एस० (एन० जी० 89) पुलिस अधीक्षक, मोकोकचुंग को नागालैंड में विद्रोहियों के खिलाफ अपनी कार्रवाई की वजह से एन० एस० सी० एन० (के) से लगातार धमकियां मिल रही थीं। इन धमकियों से विचलित हुए बिना श्री प्रकाश ने उपद्रवियों के नापाक इरादों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। 9 जून 1994 को उन्हें टेलीफोन पर उपद्रवियों द्वारा धमकी दी गई कि अगर उन्होंने विद्रोहियों के खिलाफ अपनी योजनाओं पर अमल जारी रखा तो इसके लिए गम्भीर परिणाम भुगतने होंगे। अपनी चारित्रिक निडरता के अनुरूप धमकी को नजर अंदाज करके उन्होंने मोकोकचुंग में सशस्त्र उग्रवादियों के छिपने के ठिकानों पर छापे मारना शुरू कर दिया। उन्होंने भूमिगत विद्रोहियों के खिलाफ स्वयं बल का नेतृत्व करते हुए और अपने अधीनस्थों को प्रोत्साहित करते हुए अभियानों की रूपरेखा बनाकर अभियान चलाए।

4 अगस्त 1994 को, मोकोकचुंग-मरियानी मार्ग पर विम्पू कम्पाउण्ड के पास तेनसांग से दीमापुर जाने वाली बस से तेनसांग जिले के गिर्माहन चांग का अपहरण एन० एस० सी० एन० (के) गुट के चांग मंडल के विद्रोहियों द्वारा कर लिया गया। यह जानकारी मिलते ही श्री प्रकाश ने छिपने के ठिकानों पर छापे मारे और न केवल यिमडिंग चांग को मुक्त करा लिया अपितु एन० एस० सी० एन० (के) एस० एस० कैप्टन तकालुबा को भी पकड़ लिया जो कि यिमडिंग चांग की रखवाली कर रहा था। 7-8-94 को उन्हें गुप्त सूचना मिली कि सशस्त्र उग्रवादी तेनसांग जिले को जा रहे वाहनों की अनधिकृत जांच में संलिप्त थे उन्हें आगे जानकारी मिली कि विद्रोहियों ने तेनसांग जा रही एक रात्रि-बस चांग से नामक व्यक्ति का अपहरण कर लिया है। इस पर उन्होंने स्वयं ही 7-8-94 की रात को एक राजमार्ग-गश्ती दल का नेतृत्व करने का निश्चय किया। उनके स्वयं के नेतृत्व वाले राजमार्ग गश्ती दल का सामना, मोकोकचुंग मरियानी मार्ग पर मोकोकचुंग शहर से 5 कि० मी० दूर स्थित यिम्पू कस्बे के बाहरी ओर एक घनी आबादी वाले स्थान पर विद्रोहियों के एक गिरोह से हुआ—जनता को होने वाली किसी क्षति से बचाने के लिए उन्होंने आदेश दिया कि सब द्रा विद्रोहियों पर, बिना गोली चलाए काबू पाया जाए। विद्रोही अंधेरे का फायदा उठाकर बचकर भागने में कामयाब हो गए। श्री प्रकाश ने स्वयं एस० एस० पी० ओ० टी० यागरतुंगसांग पर छलांग लगाकर उसे दबोच लिया और उसके पास से .32 बोर की पिस्तौल बरामद की गई। बाद में एस० एस० पी० ओ० टी० यागरतुंगसांग को प्रतिबंधित एन० एस० सी० एन० (के) गुट के आदमी के रूप में की गई। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप बाद में 8-8-94 को उन्हें धमकी मिली कि वे पकड़ी गई .32 बोर की पिस्तौल लौटा दें ऐसा न करने पर उन्हें गम्भीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। श्री प्रकाश ने अपने जीवन को जोखिम और खतरे की चिंता किए बिना विद्रोहियों के खिलाफ अपने अभियान जारी रखे और उन्हें टेलीफोन पर धमकियां मिलना भी जारी रहा।

28-8-94 श्री प्रकाश को कस्बे में छिपने के लिए ठिकाने पर थोड़े से कुछ विद्रोहियों की उपस्थिति की जानकारी मिली। रात्रि कालीन अभियान के लिए अपने अधिकारियों और कार्मिकों को ब्रीफ करने के बाद वे अपने कार्यालय से घर के लिए 1500 बजे रवाना हुए ताकि उस आपरेशन के लिए स्वयं को तैयार कर सकें। अपने कार्यालय से लगभग 200 मी० दूर जाने पर एन० एस० सी० एन० (के०) विद्रोहियों द्वारा उन पर घात लगाकर हमला किया गया। इस हमले में अपने चालक और दो अंगरक्षकों सहित लगभग तुरन्त ही उनकी मृत्यु हो गई।

श्री प्रकाश इस तथ्य के प्रति अत्यधिक सचेत थे कि उनका खात्मा कर दिया जाएगा लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए असुलनीय साहस का प्रदर्शन किया, विद्रोह के खिलाफ अपना संघर्ष अनवरत जारी रखा और इस प्रक्रिया में अपनी सेवा की उच्चतम परम्परा को कायम रखते हुए उन्होंने बलिदान कर दिया।

इस मुठभेड़ में श्री वेद प्रकाश आई० पी० एस० पुलिस अधीक्षक मोकोकचुंग ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

वीरता के लिए यह पुरस्कार वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान करने के लिए मौजूद नियमों के नियम 4(i) के तहत प्रदान किया जाता है तथा इसके साथ नियम-5 के तहत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी 4-8-1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 123-प्रेस/95—राष्ट्रपति मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री होम बहादुर
रायफल मेन सं० 7411
7 वीं बटालियन मणिपुर रायफल्स,
मणिपुर ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया ।

7 सितम्बर 1993 के कमांडेंट पी० दौंगेल की कमान में तीन जीपों में 17 कार्मिकों वाला एक पुलिस दल यूनिट चौकियों की जांच की ड्यूटी पर था यह दल जब इम्फाल उखरूल मार्ग पर स्थित चरेवर पहुंचा तो सड़क के पूर्वी तथांग की ओर पहले से ही घात लगाए बैठे व्यक्तियों के एक ग्रुप ने दल पर हमला किया । पहले वाहन में मौजूद एस्कार्ट दल ने तुरन्त जवाबी कार्रवाई की। वाहन मे बैठे रायफल मैन होम बहादुर ने जवाबी गोलीबारी में दो हमलावरों को गोली मार दी एक हमलावर घटना स्थल पर ही मारा गया जबकि दूसरा गम्भीर रूप से घायल हो गया । एक अन्य हमलावर पर कमांडेंट ने गोली चलाई और उसे घायल कर दिया ।

पुलिस दल ने भी अपने वाहनों को रोका और अधिक प्रभावी ढंग से गोलियों का जवाब देने के लिए पोजीशन ले ली पांच मिनट तक दोनों ओर से गोलियां चलते रहने के बाद अंततोगत्वा हमलावर वहां से भाग गए। रायफल मेन होम बहादुर ने फिर से अपनी जान जोंव पर लगाते हुए एक अन्य घायल व्यक्ति को मार डाला जोकि बचकर भाग रहे अन्य हमलावरों को बचाव (कवर) देते हुए अपनी कारबाइन से गोलियां चलाना जारी रखते हुए था ।

मुठभेड़ में मारे गए तीनों व्यक्तियों की पहचान बाद में नाउसेकपम पांमी सिंह, यामबेम मुहिन्द्रो सिंह और लेशराम इबोम्चा सिंह के रूप में की गई जो कि यू० एन० एल० एफ० के कट्टर सदस्य थे । पुलिस दल ने मुठभेड़ स्थल से एक .38 रिवाल्वर एक कारबाइन एक, स्कूटर और खाली कारतूस बरामद किए ।

इस मुठभेड़ में श्री होम बहादुर, रायफल मेन ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन किया ।

वीरता के लिए यह पुरस्कार वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान करने संबंधी मौजूदा नियमों के नियम 4(i) के तहत प्रदान किया जाता है तथा इसके साथ नियम 5 के तहत स्वीकार्य भत्ता भी 7-9-1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 124-प्रेस/95—राष्ट्रपति मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री अकोईजम बायरन अंगोमचा
पुलिस उप निरीक्षक
जिला-इम्फाल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है ।

दिनांक 28-10-1993 को पी०एल०एफ० के 8 अज्ञात उग्रवादियों ने हैड कांस्टेबल एस० बृजी बिधु सिंह के नेतृत्व वाले 6 पुलिस कार्मिकों पर काबू पाकर उनसे 2 मैग्जीनों सहित दो स्टेनगन गोलियों सहित .303 की 4 राइफलें और एक वाकी-टाकी सेट को लूटकर, एक मारुति जिप्सी में भाग गए । इम्फाल कस्बे में एक पैट्रोल पम्प की कुल बिक्री की राशि के अनुरक्षण के लिए एक पुलिस दल ड्यूटी कर रहा था । पी०एल०एफ० उग्रवादियों को पकड़ने के लिए 5 कांस्टेबलों सहित उप-निरीक्षक अंगोमचा को तैनात किया गया था । शाम को लगभग चार बजे, उप-निरीक्षक अंगोमचा और उनके दल ने मारुति जिप्सी को अपनी ओर आते देखा पी० एल० एफ० उग्रवादियों ने अपने आपको पुलिस के सामने पाकर विभिन्न दिशाओं में भागना शुरू कर दिया । उप-निरीक्षक अंगोमचा तत्काल अपनी दौड़ती हुई जीप से कूद पड़े और भाग रहे उग्रवादियों पर निरन्तर गोलियां चलाते हुए उनकी ओर बढ़े । उग्रवादियों को पकड़ने के लिए अन्य कांस्टेबलों ने भी उनका अनुसरण किया पी०एल०एफ० उग्रवादियों ने अंगोमचा की ओर भारी गोलीबारी शुरू कर दी । श्री अंगोमचा ने तत्काल मोर्चा लिया और जवाबी गोलियां चलाई । इससे भाग रहे उग्रवादी दबोच लिए गए और वे हड़बड़ा गए तथा पस्त हो गए ।

2. इस मुठभेड़ में तीन पी०एस०एफ० उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया । इसके साथ ही पुलिस दल ने गिरफ्तार किये गये उग्रवादियों से स्टेनगन के अतिरिक्त लूटे गए सभी हथियार और गोलाबारूद तथा वाकी-टाकी सेट तथा निम्नलिखित शस्त्र और गोलाबारूद भी बरामद किया :—

(i) 132 बोर की दो पिस्तौल

(ii) 138 बोर की एक रिवाल्वर

(iii) एक नौ मि० मि० की पिस्तौल तथा अन्य सक्रिय गोलाबारूद

इस मुठभेड़ में श्री अकोईजम बायरन अंगोमचा ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 28-10-1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 125-प्रेस/95—राष्ट्रपति मणिपुर पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :

अधिकारी का नाम और पद

मो० कुतुब
राईफल मैन
7वीं बटालियन
मणिपुर राईफल्स
खबेसाई, इम्फाल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

दिनांक 30-12-1993 को राईफल मैन कुतुब, लांस नायक जंग बहादुर, राईफल मैन सोगई कुसई तथा राईफल मैन नसीमुद्दीन सहित, लुकेरा हाई स्कूल के विधायक श्री एम० देवेन सिंह के साथ ड्यूटी पर थे। माननीय विधायक तथा मार्गरक्षी दल लगभग 7.45 बजे बैठक स्थल पर पहुंचा। बैठक के दौरान लगभग 15 युवकों ने अतिविशिष्ट व्यक्ति तथा रक्षा दल पर हमला कर दिया। ड्यूटी पर तैनात चौकसे मो० कुतुब ने अपने जीवन की बिल्कुल परवाह न करते हुए तत्काल जवाब दिया। और अपनी एस०एल०आर० से गोली बरसाकर एक उग्रवादी को घटना स्थल पर ही मार डाला। रक्षा दल के अन्य सदस्यों ने भी उग्रवादियों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया और उन्हें भागने के लिए मजबूर कर दिया।

मारे गए उग्रवादी की बाद में यमनाम खेड़ासना सिंह पी०एल०ए० के कटटर सदस्य के रूप में शिनाख्त की गई। मारे गए उग्रवादी से एक एम० 21 राईफल, एम० 21 राईफल की 104 गोलियां तथा अन्य सामग्री भी बरामद की गयी।

उग्रवादियों के साथ हुई दोनों तरफ की गोलीबारी में जख्मी हुए लांस नायक जंग बहादुर को पहले ही नकद पुरस्कार दिया जा चुका है।

इस मुठभेड़ में राईफल मैन मो० कुतुब ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 30-12-1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 126-प्रेस/95—राष्ट्रपति महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :

अधिकारियों का नाम और पद

श्री धरम सिंह जेमा चव्हाण
पुलिस उप-निरीक्षक
जिला—नान्देड़

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

18-5-1993 को सूचना प्राप्त हुई कि अपराधी विजय कुमार अपने ग्रुप के साथ नवताल के जंगलों में मौजूद है। गांव में विजय कुमार के अनुयायियों की संख्या काफी थी। यह सूचना प्राप्त होने पर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक योजना बनायी गयी। पुलिस ने उसके तीन पुराने साथियों जोकि मोहन बहादुर राठौड़ जयसिंह सोमला राठौड़ और छगन धर्मा जाधव थे, को विश्वास में किया और उनसे कहा गया कि वे विजय कुमार के साथ रहें।

2. यह निर्णय लिया गया कि पुलिस कार्मिक विजय कुमार को खाना देने वाली पार्टी के रूप में जाएंगे। इस कार्य के लिए एक टीम, जिसमें उप-निरीक्षक चव्हाण और 3 कांस्टेबल थे, चुनी गयी। वे अच्छे निशानेबाज थे और बंजारा गोंड़ और तेलुगू भाषाएं जानते थे और स्थानीय निवासी लगते थे। पुलिस पार्टी के साथ स्थानीय लोगों का एक अन्य दल भी भेजा गया। प्लाईगुडा-गांव पहुंचने पर, पुलिस पार्टी के लोगों ने स्थानीय आदिवासियों की वेशभूषा पहनी। वे जूनापानी गांव में आर० एच० पवार के घर पर ठहरे।

3. उप-निरीक्षक, चव्हाण के पास रिवाल्वर थी और वे अपने सिर पर पानी का एक मटका ले गए। कांस्टेबल रोटी के छोटे छोटे थैले ले गए जिसमें उन्होंने भरी हुई कारबाईन छिपायी हुई थी, दूसरा कांस्टेबल एक थैले में कार-बाईन ले गया जिसमें मीट का बर्तन रखा हुआ था। जहां पर विजय कुमार ठहरा हुआ था। वहां तक पार्टी का मार्ग-दर्शन छगन धर्मा जाधव द्वारा किया गया। लगभग 1940 बजे घटनास्थल पर पहुंचने पर, एक पूर्व नियोजित सिगनल दिया गया। विजय कुमार आगे नहीं आया लेकिन उसके लफ्टीनेंट हुसैन और रमेश सामने आए और पार्टी को खाना नीचे रखने और उन्हें वहां से चले जाने के लिए कहा। इस पर पार्टी ने रात्री भोजन उनके साथ ही करने पर जोर दिया।

4. यह देखने पर कि विजय कुमार खाना खाने के लिए नीचे नहीं आ रहा है, छगन यादव ने खाना खाने के लिए नीचे न आने के लिए उसका मजाक उड़ाया। अन्य 5 व्यक्तियों ने भी, जो विजय कुमार के साथ ऊपर थे, उसे साथ-साथ रात्रि भोजन करने के लिए मनाया। मुखबिरों ने उसे समझाया कि यदि पहाड़ी के ऊपर इतने सारे लोग आ जाएंगे तो हर कोई उन्हें देख लेगा और यह खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने, डकैती डालने, तेंदु पत्ता गोदामों को जलाने और ठेकेदारों से धन ऐंठने के लिए कुछ योजनाएं बनाने के लिए भी कहा। अंततः विजय कुमार नीचे आने के लिए तैयार हो गया। उसके दो साथी उसके अगल-बगल थे, दोनों के पास कुल्हाड़ियां थी, जबकि विजय कुमार के पास गन थी। नीचे आने पर छगन जाधव की शिनाख्त करने के बाद विजय कुमार, उप निरीक्षक चव्हाण की पहचान करने के लिए नीचे आया और उससे बंजारी भाषा में उसका नाम पूछा। उप-निरीक्षक चव्हाण ने उसी भाषा में उत्तर दिया। तथापि नए चेहरे देखने पर विजय कुमार को संदेह हो गया और उसने अपनी बंदुक का निशाना उप-निरीक्षक चव्हाण की तरफ कर दिया। श्री चव्हाण ने अनुकरणीय साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए बंदुक को एक तरफ फक दिया उसके बाद हाथापाई हुई। विजय कुमार ने श्री चव्हाण को दबोचने की कोशिश की लेकिन उसने अद्भुत तेजी से काम लिया और खतरे को भांपते हुए अपनी रिवाल्वर निकाली और 6 गोलियां चलायी। गोलियां विजय कुमार को लगी और वह घटनास्थल पर ही मर गया। उसके साथी हुसैन और रमेश भाग खड़े हुए। कांस्टेबलों ने उनका पीछा किया। उन्होंने उन पर गोलियां चलायी लेकिन वे जंगल में भाग गए और पुलिस पार्टी उनका पता नहीं लगा सकी।

इस मुठभेड़ में श्री डी० जे० चव्हाण, पुलिस उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 18-5-1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 127-प्रेस/95 --राष्ट्रपति महाराष्ट्र पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :

अधिकारी का नाम और पद

श्री पी० एम० पाटिल
पुलिस नायक,
थाना पायधोनी,
बम्बई

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

दिनांक 8-6-1994 को एक सूचना मिली कि मुन्ना काज़ी नाम का एक वांछित अपराधी कुछ अपराध करने के लिए थाना पायधोनी के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले नाग देवी और सारंग स्ट्रीट के इलाके में आने वाला है। इस वांछित अपराधी पर नजर रखने के लिए एक अन्य पुलिस नायक सहित नायक पी० एम० पाटिल को उस इलाके में तैनात कर दिया गया। लगभग 4 घंटे की निगरानी के बाद उन्होंने सारंग स्ट्रीट पर स्थित होटल सदानंद नजदीक अपराधी को देखा। दोनों पुलिस कर्मी अपराधी को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। पुलिस की उपस्थिति का एहसास होते ही अपराधी ने भागना शुरू कर दिया। दोनों पुलिस कर्मियों ने अपराधी का पीछा किया। भाग रहे अपराधी ने कुछ देर के बाद एक रिवाल्वर निकाल लिया और चिल्लाकर बोला कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। सड़क पर भीड़ और यातायात का फायदा उठाते हुए वह वहां से चम्पत हो गया। श्री पाटिल ने देखा कि अभियुक्त मोहम्मद अली रोड, वाली तंग गली से निकल रहा है। श्री पाटिल उसका पीछा करते रहे परन्तु अभियुक्त ने लगभग तीन फीट ऊंची मुख्य दीवार के ऊपर से कूद कर मोहम्मद अली रोड पार कर लिया। अपराधी ने भागने के लिए रिवाल्वर की नोक पर एक टैक्सी को रुकवाया। इसी बीच पुलिस कर्मी को आता देखकर अभियुक्त ने श्री पाटिल पर एक गोली चलाई, परन्तु उन्होंने सिर झुका कर अपने को बचा लिया। उन्होंने तत्काल अभियुक्त पर गोली चलाई जो उसके बायें कंधे पर लगी। घायल होने के बावजूद अभियुक्त ने एक और गोली चलाई परन्तु श्री पाटिल बच गए। तब उन्होंने अभियुक्त पर दो गोलियां दागी जिनमें एक उसकी कमर में लगी और वह सड़क पर गिर पड़ा। श्री पाटिल अपराधी पर झपट पड़े और उसे निहत्था कर दिया। इस मौके पर दूसरा पुलिस कर्मी भी घटना स्थल पर पहुंच गया, फिर दोनों ने अभियुक्त को हिरासत में लिया। अभियुक्त की तलाशी लेने पर चार जिन्दा कारतूसों सहित एक देसी रिवाल्वर तथा एक रामपुरी चाकू बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में पुलिस नायक श्री पी० एम० पाटिल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 8-6-1994 से दिया जाएगा

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 128-प्रेस 95--राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री रनबीर सिंह खटरा
पुलिस अधीक्षक
गुप्तचर, बटाला

श्री जोगिन्द्र पाल सिंह
पुलिस अधीक्षक,
आपरेशन बटाला

श्री जसबीर सिंह
पुलिस सहायक उप-निरीक्षक
बटाला

श्री नरेश कुमार (मरणोपरान्त)
पुलिस सहायक उप निरीक्षक
बटाला

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया है।

7.1.1993 को बटाला के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि चार संगठनों के चोटी के आतंकवादी गांव-नाईके छिचेरवाल में एकत्र हो रहे हैं। उन्होंने श्री रनबीर सिंह खटरा, पुलिस अधीक्षक (गुप्तचर) को समन्वित कारवाई करने का निदेश दिया। श्री खटरा ने श्री जोगेन्द्र पाल सिंह, पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) बटाला कमांडेंट तृतीय कमांडो बटालियन और अन्य के साथ स्थिति का अध्ययन किया। उन्होंने अपने दल के साथ गांव छिचेरवाल को घेरा और घेरा डालने के बाद घर-घर की तलाशी शुरू की गयी। लगभग 3.00 बजे अपराह्न बसन्त सिंह और जसवन्त सिंह के घरों से भारी गोलीबारी की गयी। दोनों घरों से प्रारम्भ में की गयी गोलीबारी से पुलिस पार्टी के कुछ सदस्य जख्मी हो गए। उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता के लिए ले जाया गया। श्री खटरा और उसकी पार्टी ने मोर्चा संभाला और बसन्त सिंह के घर को घेर लिया जबकि श्री जे० पी० सिंह और उसकी पार्टी ने जसवंत सिंह के घर को घेरा। दोनों घरों से भागने के रास्तों को बंद कर दिया गया और आतंकवादी भाग न सकें। इसके लिए पुलिस कार्मिक आतंकवादियों पर गोलियां चलाते रहे। पूरी रात दोनों तरफ से गोलीबारी जारी रही।

प्रातः काल श्री खटरा ने अपनी पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ बुलेट प्रूफ ट्रैक्टरों की सहायता से बसंत सिंह के घर में छिपे आतंकवादियों का सफाया करने की योजना बनायी। आतंकवादियों ने बुलेट प्रूफ ट्रैक्टरों पर भारी गोलीबारी की। इस गोलीबारी में ट्रैक्टर का ड्राईवर और दो अन्य जख्मी हो गए। यह देखकर श्री खटरा अन्यों के साथ ट्रैक्टर के साथ नजदीक गए और आतंकवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी के बावजूद ट्रैक्टर से पुलिस पार्टी के घायल सदस्यों को निकाला। उसके बाद श्री खटरा अपने दल सहित आतंकवादियों पर गोलीबारी करते हुए पार्टी के अन्य सदस्यों को घर से बाहर निकालने के लिए पास के मकान की छत पर चढ़े। उन्होंने बसन्त सिंह के घर में हथगोले भी फेंके। श्री जे० पी० सिंह और पुलिस पार्टी के अन्य सदस्यों (सर्व श्री जसबीर सिंह और नरेश कुमार सहित। पर आतंकवादियों ने भारी गोलीबारी की) श्री जे० पी० सिंह और उसकी पार्टी ने मोर्चा सम्भाला और तुरन्त जवाबी गोलियां चलायी। उन्होंने जसवन्त सिंह के घर पर हमला किया और इसमें दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन उन पर आतंकवादियों द्वारा भारी गोलीबारी की गयी। इस कारवाई में उप-निरीक्षक रतन सिंह और हैड-कांस्टेबल नरेश कुमार गोली लगने से जख्मी हो गए और मकान के सामने जमीन पर गिर गए। इस गोलीबारी में खूंखार आतंकवादी जसविन्दर सिंह उर्फ गंडासा मारा गया। उसके बाद श्री जे० पी० सिंह जसबीर सिंह और अन्यों के साथ आगे बढ़े और घायलों को अस्पताल ले जाने में कामयाब हो गए। उप-निरीक्षक रतन सिंह की अस्पताल जाते समय मृत्यु हो गयी और श्री नरेश कुमार की भी 19-1-93 को मृत्यु हो गयी। गोलीबारी 7.00 बजे शाम तक जारी रही।

मुठभेड़ में कुल मिलाकर 10 खूनखार आतंकवादी मारे गए (पांच को श्री रनबीर सिंह खटरा के नेतृत्व वाले दल ने मारा और अन्य पांच श्री जे०पी० सिंह की अगुआई वाले दल द्वारा मारे गये) ये आतंकवादी दशमेश रेजीमेंट, बब्बर खालसा और के० एल० एफ० से संबंधित थे। पंजाब में यह एक प्रमुख मुठभेड़ थी जो 28 घंटे तक चली। इस मुठभेड़ में श्री खटरा ने अपनी एस० एल० आर० से 217 राउन्ड गोलियां चलायी। श्री जे०पी० सिंह ने अपनी ए० के० 47 असाल्ट राईफल से 147 राउंन्ड गोलियां चलायीं (स्वर्गीय) श्री नरेश

कुमार ने अपनी 9 एम० एम० कारबाईन से 40 राउन्ड गोलियां चलायी और श्री जसबीर सिंह ने ए० के०-47, एम० एम० जी० 7.62 और .38 बोर रिवाल्वर से 440 राउन्ड गोलियां चलायी। तलाशी के दौरान, मुठभेड़ के स्थान से 1 स्नाईपर राईफल, 2 जी० पी० एम० जी०, 4 ए० के०-47 राईफल, 3 ए० के०-74 राईफलें और बड़ी मात्रा में गोलीबारूद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में, सर्व श्री रनबीर सिंह खटरा, पुलिस अधीक्षक, जोगिन्द्र पाल सिंह, पुलिस अधिक्षक, जसबीर सिंह, पुलिस सहायक उप-निरीक्षक और श्री नरेश कुमार पुलिस सहायक उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 7-1-1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं 129-प्रेस/95—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:

अधिकारी का नाम और पद

श्री एस० इलेंगो
पुलिस अधीक्षक
(आपरेशन)
होशियारपुर

श्री नरेन्द्र पाल सिंह　　(मरणोपरान्त)
पुलिस अधीक्षक
होशियारपुर

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

21.6.1992 को सूचना मिली कि पी. टी. के. एफ. के स्वयं-भू ले. जनरल देवेन्द्र सिंह के नेतृत्व में आतंकवादियों का एक गिरोह लुधियाना में घुसने की कोशिश कर रहा है। श्री इलेंगो पुलिस अधीक्षक, आपरेशन, होशियारपुर की कमान्ड में 20/21-6-92 की मध्य रात्री को तेजपुर रोड, लुधियाना पर नाकेबन्दी की गयी। लगभग 2.35 बजे पूर्वाह्न को नाका दल ने देखा कि एक ट्रक तेजपुर की तरफ से आ रहा है। जैसे वाहन नाका पार्टी के नजदीक आया, उसे रुकने का सिगनल्ल दिया गया। आतंकवादियों ने ट्रक रोक दिया लेकिन ट्रक के छत पर बैठे कुछ व्यक्तियों ने पुलिस पार्टी पर गोलियां चलायी, के ट्रक से कूद पड़े और दक्षिण दिशा की तरफ भाग गए। ड्राईवर के कैबिन में बैठे एक आतंकवादी ने श्री नरेन्द्र पाल सिंह पर गोली चला दी। सर्वश्री इलेंगो और सिंह ने ट्रक के अगले पहिए पर गोली चला दी और उसे स्थिर कर दिया। एक आतंकवादी ट्रक से बाहर कूदा और अपने स्वालित हथियारों से श्री सिंह पर गोली चलायी। श्री सिंह ने भी उस पर जवाबी गोली चलायी।

इसी बीच, ट्रक के बांयी तरफ से दो व्यक्तियों ने पुलिस पार्टी पर गोलिया चलायी। पुलिस पार्टी ने जवाबी गोलियां चलायी। श्री इलेंगो ने एक बंदुकधारी की स्वचालित राइफल ली और तेजी से ट्रक के पीछे की तरफ गए। उन्होंने झाड़ियों के नजदीक मोर्चा सम्भाला, अपनी पार्टी का नेतृत्व किया गया और आतंकवादियों पर गोलिया चलायी और उनमें से दो का सफाया कर दिया। लगभग 30 मिनट तक गोलीबारी हुई। तलाशी लेने पर आतंकवादियों के 4 शव बरामद हुए, जिनकी शिनाख्त देवेन्दर सिंह उर्फ जत्थेदार, बलदेव सिंह खालसा, सरमुख सिंह और बलविन्दर सिंह उर्फ काका के रूप में की गयी। तलाशी के दौरान मुठभेड़ के स्थान से 7 ए. के. 47 राईफल 2 एस. एल. आर., 1 ड्रेगनोव राईफल, जिसमें टेलीस्कोप लगा हुआ था, 30 बोर की 2 माऊजर, 3 रिवाल्वर, 4 हथगोले बम, एक एस. बी. बी. एल. गन, 3 रोलर फायर राकेट लान्चर, 2 रिमोट कन्ट्रोल डिवाईस, 40 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री 5 लाख रु० नकद और बड़ी मात्रा में डेटोनेटर फ्यूज वायर और गोला-बारूद बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री एस. इलेंगो, पुलिस अधीक्षक और श्री नरेन्द्र पाल सिंह, उप-निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 21-6-1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 130-प्रेस/95—राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम और पद

श्री मन मोहन सिंह
पुलिस उप अधीक्षक
जिला-खन्ना

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

दिनांक 24-8-1992 को खन्ना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि बब्बर खालसा इन्टरनेशनल के उग्रवादी थाना समराला के एक गांव दिलवान में मौजूद हैं और वे खन्ना तथा समराला के इलाकों में जघन्य अपराध करने की योजना बना रहे हैं। खन्ना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तत्काल खन्ना के पुलिस उप-अधीक्षक को उग्रवादियों के छिपने के सम्भावित ठिकानों की तलाशी लेने का निर्देश दिया। श्री सिंह, अपने गनमैन तथा सी० आई० ए० स्टाफ के कार्मिकों को साथ लेकर तत्काल आतंकवादियों की तलाश में चले पड़े। जब यह पुलिस दल किसी अजमेर सिंह के नलकूप के नजदीक पहुंचा तो वहां चारपाई पर दो युवकों को बैठे देखा। पुलिस को देखते ही वे दोनों तत्काल नलकूप के कमरे में घुस गए और दीवार के बने छेदों से उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। आतंकवादियों द्वारा चलाई गई कुछ गोलियां उस जिप्सी के अगले शीशे में लगी जिसमें कि श्री सिंह बैठे हुए थे। उग्रवादियों की ओर से हो रही भारी गोलीबारी के बावजूद अन्यों के सहित श्री सिंह ने नलकूप के कमरे को चारों ओर से घेर लिया। उग्रवादियों को आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा गया, किन्तु उन्होंने पुलिस दल पर गोलियां चलाना जारी रखा। जवाब में पुलिस दल ने भी गोलियां चलाई। पुलिस द्वारा की जा रही गोलीबारी को बेअसर होते देख श्री सिंह ने सहायक उपनिरीक्षक गुरमीत सिंह और हैड कांस्टेबल रणदीप सिंह को नलकूप की छत पर चढ़ने और सुराख बनाकर कमरे में गोलीबारी करने का निर्देश दिया। श्री सिंह अपने कार्मियों सहित तत्काल ट्रैक्टर पर चढ़ गए और बुलैट प्रूफ ट्रैक्टर की सहायता से दरवाजे को तोड़कर खोल दिया। फिर उन्होंने कमरे में भारी गोलीबारी की। कमरे से हो रही गोली के रुकने के बाद कमरे की तलाशी लेने पर उग्रवादियों के दो शव बरामद किए गए जिनकी बाद में जरनैल सिंह तथा हरमेल सिंह के रूप में शिनाख्त की गई। दोनों ही भारी संख्या में जघन्य अपराधों, हत्याओं, लूट खसोट आदि मामलों में वांछित खूंखार कट्टर उग्रवादी थे। घटनास्थल की और तलाशी लेने के दौरान एक ए० के० 47 असाल्ट राईफल, एक एस० एल० आर०, ए० के० 47 की दो मैगजीन, तथा एस० एल० आर० की दो मैगजीन तथा दो हथगोले बरामद किए गए।

हम मुठभेड़ में श्री मन मोहन सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक में अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 24-8-92 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 131-प्रेस/95—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:

अधिकारी का नाम और पद

श्री भूपिन्दरजीत सिंह
पुलिस उप-अधीक्षक गोइंदवाल साहिब

श्री गुरशरण सिंह
पुलिस निरीक्षक
थाना प्रभारी गोइंदवाल साहिब

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

दिनांक 19-3-1993 को तरन तारन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि थाना गोइंदवाल के क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले गांव भोइयां में आतंकवादियों का एक गिरोह मौजूद है। उन्होंने तत्काल ही गोइंदवाल साहिब के पुलिस उप-अधीक्षक श्री भूपिन्दर जीत सिंह, थाना गोइंदवाल के प्रभारी, निरीक्षक श्री गुरशरण तथा तरन तारन के पुलिस उप अधीक्षक (गुप्तचर) को उग्रवादियों के छिपने के ठिकाने पर पहुंचने का निर्देश दिया। दिनांक 20-3-93 को लगभग 5.00 बजे सुबह सभी पुलिस दल भोइयां गांव पहुंच गए और प्रारम्भिक पूछताछ की तो उन्हें पता चला कि उग्रवादी किसी करम सिंह नामक आदमी के बाग में मौजूद हैं। पुलिस दलों ने बाग को तीन दिशाओं से घेर लिया। पुलिस को देखते ही उग्रवादियों ने उस किनारों की ओर भागना शुरू किया जिधर कि श्री भुपिन्दर जीत सिंह और निरीक्षक गुरशरण सिंह ने मोर्चा लगाया हुआ था। आतंकवादियों ने पुलिस कार्मिकों को देखकर भागने की कोशिश में पुलिस कार्मिकों पर गोलीयां चलाना शुरू कर दिया, जब उग्रवादी बाग की बाहरी दीवार के करीब पहुंचे तो श्री भूपिन्दर जीत सिंह और निरीक्षक गुरशरण सिंह ने उन्हें आत्मसमर्पण के लिए ललकारा परन्तु उग्रवादियों ने तत्काल लेट कर मोर्चा ले लिया और पुलिस कार्मिकों पर भारी गोलीबारी की। पुलिस कार्मिकों ने भी आत्म रक्षा में काफी गोलियां चलाई। सर्वश्री भुपिन्दर जीत सिंह तथा गुरशरण सिंह उग्रवादियों के मोर्चे के नजदीक पहुंचने में कामयाब हो गए और उग्रवादियों पर गोलियां चलाई किन्तु लेटी हुई अवस्था में होने के कारण उग्रवादी अच्छा निशाना नहीं बन सके। कुछ समय बाद, जिस समय उग्रवादी अपने हथियारों की मैग्जीनें बदल रहे थे तो श्री भूपिन्दर जीत सिंह और गुरशरण सिंह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए घुटनों के बल मोर्चा लिया और उग्रवादियों पर गोलियां बरसाई और वे उग्रवादियों को लगी। उग्रवादियों ने घायल होने के बावजूद पुलिस अधिकारियों पर गोलियां चलाई। दोनों अधिकारियों ने लेटी मुद्रा में मोर्चा संभाला और पुनः उग्रवादियों पर गोलीबारी की जिसके परिणामस्वरूप उग्रवादियों में से एक तो घटना स्थल पर मारा गया तथा दूसरा गंभीर रूप से जख्मी हो गया घायल उग्रवादी की अचेतनावस्था के कारण उसकी ए० के ० 47 राईफल उसके हाथ से निचे गिर पड़ी तत्काल ही दोनों अधिकारियों ने उग्रवादी का हथियार कब्जा लिया और उस पर कुछ दूरी से गोली चलाकर उसे वही मार डाला। मारे गए उग्रवादी की बाद में जगजीर सिंह उर्फ जग्गा और सरमुख सिंह उर्फ सम्मा के रूप में शिनाख्त की गई। जग्गा, एक हजार से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या तथा भारी मात्रा में धन सम्पत्ति ऐंठने/लूटने के लिए जिम्मेदार था। तलाशी के दौरान निम्नलिखित हथियार/गोलाबारूद बरामद किया गया ।

1.	ए० के० -47 राइफल	1
2.	.303 राइफल	1
3.	ए० के० -47 मैग्जीन	9
4.	ए० के ० -46 के कारतूस	3730
5.	.303 के कारतूस	25
6.	विद्युत डेटोनेटर्स	40
7.	27 नम्बर के डेटोनटर्स	

इस मुठभेड़ में सर्वश्री भूपिन्दर जीत सिंह, पुलिस उप-अधीक्षक तथा गुरशरण सिंह, निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 19-3-1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 132-प्रेस 95—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :

अधिकारी का नाम और पद

श्री परमराज सिंह
पुलिस अधीक्षक
गुप्तचर
रोपड़

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

दिनांक 9-3-1994 को रोपड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को सूचना मिली कि चमकौर साहिब थाने के इलाके में आतंकवादियों का एक गिरोह घूम रहा है। उन्होंने तत्काल रोपड़ के गुप्तचर पुलिस अधीक्षक श्री परमराज सिंह को ब्रीफ किया जिन्होंने आगे मोरिन्डा में डेरा डाले हुए रोपड़ (देहात) के पुलिस उप-अधीक्षक को 8-00 बजे सायं थाना चमकौर साहिब के इलाके में नाके लगाने का निर्देश दिया। उसके बाद श्री परमराज सिंह मोरिन्डा के पुलिस उप-अधीक्षक चमकौर साहिब के थाना प्रभारी तथा उपलब्ध बल को साथ लेकर निरीक्षण और नाकाओं का पर्यवेक्षण कराने के लिए चल दिए। जब वे बास्सी गुजरां गांव की ओर जा रहे थे तो आतंकवादियों ने एक छोटी पहाड़ी के ऊपर से उन पर गोलियां बरसाई। यह गोलीबारी बहुत तेजी से हुई थी और इसकी कई गोलियां श्री परमजीत सिंह की कार को बेध गई। उन्होंने तत्काल मांड की पहाड़ी के दाईं ओर से आतंकवादियों पर धावा बोलने की योजना बना डाली। इसके साथ ही उन्होंने कुमुक मंगाने के लिए जिला मुख्यालयों को वायरलैस संदेश भेजा। स्थिति का जायजा लेने के बाद उन्होंने आतंकवादियों को ललकारा। आतंकवादियों ने उन पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी पर संभवतः गोलियां पुलिस कार्मिकों के बचन को छूती चली गयी ।

आतंकवादियों ने पुलिस दलों पर हथगोले भी फैंके। मोरिन्डा के पुलिस उप-अधीक्षक के नेतृत्व वाले दल ने आतंकवादियों को सामने की ओर से उलझाए रखा जबकि चमकौर साहिब थाने के प्रभारी ने उन्हें बाईं ओर से घेर लिया। अपने आपको तीन दिशाओं से घिरा पाकर आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की। उन्हें भागते देख श्री परमराज सिंह ने एक आतंकवादी को दबोच लिया और उस पर पिल पड़े इस हाथपाई के दौरान श्री परमराज सिंह की ए० के० 47 राइफल नीचे गिर पड़ी परन्तु उन्होंने आतंकवादी से उसकी ए० के० 47 राईफल छीनी और भाग रहे आतंकवादी पर गोली दाग दी। गोलियां आतंकवादी के सिर और छाती में लगी और उसने वहीं दम तोड़ दिया। इसके बाद परमराज सिंह ने अपने दल को साथ लेकर अन्य आतंकवादियों का पीछा किया परन्तु वे अंधेरे में भागने में सफल हो गए। मारे गए आतंकवादी की बाद में गुरमीत सिंह उर्फ मीता के रूप में शिनाख्त की गई जो आकाशवाणी पटियाला के निदेशक सीमा-शुल्क और कराधान आयुक्त पटियाला तथा अन्य जाने माने राजनैतिक नेताओं सहित बहुत सी हत्याओं में शामिल रहा था। तलाशी के दौरान मारे गए उग्रवादी से दो मैगजीनों सहित एक ए० के० 47 राईफल भारी संख्या में बिना चले/खाली कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री परमराज सिंह पुलिस अधीक्षक ने अदम्य वीरता साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम-5 के अंतर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 9-3-94 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 133-प्रेस 95—राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :

अधिकारी का नाम और पद

श्री नछत्तर सिंह,
हैड कांस्टेबल
तरन तारन

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

दिनांक 23-4-1992 को तरन तारन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह को सूचना मिली कि आतंकवादियों का एक दल गांव बाकीपुर तथा गिल बराइच के फार्म हाउसों में मौजूद हैं। उन्होंने तत्काल झब्बल थाना के प्रभारी श्री अशोक कुमार को बल एकत्र कर घटना स्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया। झब्बल थाना के प्रभारी ने अलग-अलग दल बनाए और गिल बराइच बाकीपुर तथा कोट धरम चंद कलां गावों के फार्म हाउसों की तलाशी शुरू कर दी। तलाशी के दौरान गेहूं के एक खेत में छिपे तीन आतंकवादियों के दल ने पुलिस पार्टी पर हमला किया और कुलदीप सिंह के फार्म हाउस की ओर भाग कर गेहूं के खेतों में पोजीशन ले ली। श्री कुमार ने तत्काल श्री अजीत सिंह को स्थिति से अवगत कराया तथा कुमुक का अनुरोध किया और फार्म हाउस की घेराबंदी कर दी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह और तरन तारन के पुलिस अधीक्षक श्री कुलतार सिंह तत्काल ही दल बल सहित घटना स्थल पर जा पहुंचे। चार बुलैटप्रूफ ट्रैक्टर भी घटना स्थल पर पहुंच गए श्री अजीत सिंह श्री कुलतार सिंह और झब्बल के थाना प्रभारी को दाएं तथा बाएं किनारे को कवर करने और आतंकवादियों पर गोलियां बरसाने का निर्देश दिया। दोनों दलों ने मोर्चा संभाला और आतंकवादियों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। अपने को पुलिस के घेरे में पाकर आतंकवादियों ने घेराबंदी तोड़ कर भागने की गरज से पुलिस दलों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इसी बीच श्री अजीत सिंह ने हैड कांस्टेबल नछत्तर सिंह को अपने साथ लिया और आतंकवादियों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। पुलिस दलों के भारी दबाव के कारण आतंकवादी फार्म हाउस में घुस गए। आधे घंटे तक दोनों ओर से गोली बारी होती रही। उसके बाद श्री अजीत सिंह हैड कांस्टेबल नछत्तर सिंह के साथ श्री कुलतार सिंह और अशोक कुमार अपने बंदूकधारियों के साथ बुलैट प्रूफ ट्रैक्टरों पर चढ़ गए और फार्म हाउस के सामने आ पहुंचे। फार्म हाउस को पुलिस दलों से घिरे जाते देखकर, आतंकवादियों ने बुलैट प्रूफ ट्रैक्टरों पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। श्री अजीत सिंह के निर्देशों पर श्री कुलतार सिंह और श्री अशोक कुमार फार्म हाउस के कमरे की खिड़कियों के नजदीक पहुंचने में कामयाब हो गए और हथगोले फेंके। इसी बीच श्री अजीत सिंह ने कांस्टेबल नछत्तर सिंह के साथ फार्म हाउस के चारा स्थल के पीछे मोर्चा ले लिया। कुछ समय बाद अत्यधिक धुंए और घुटन से मजबूर आतंकवादियों ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की परन्तु सर्वश्री अजीत सिंह, कुलतार सिंह, नछत्तर सिंह और अशोक कुमार की भारी गोलीबारी के कारण सभी तीनों आतंकवादी घटना स्थल पर ही मारे गए। मारे गए आतंकवादियों की बाद में, सुरेन्द्र सिंह उर्फ शाहिद हरजिन्दर सिंह उर्फ काला तथा गुरदेव सिंह उर्फ जगदेवा के रूप में शिनाख्त की गई। तलाशी के दौरान, मुठभेड़ स्थल से एक दुरबीन वाली कुगन शोपर राइफल एक ए०के०-47 राईफल एक ए०के०-74 राईफल 6 बम तथा भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री नछत्तर सिंह हैड कांस्टेबल ने अदम्य वीरता साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 23-4-1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 134 प्रेस 95—राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम और पद

श्री हरतेज सिंह
पुलिस उपाधीक्षक
(पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) के रूप में कार्यरत
जगरांव

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया है ।

14-4-1993 को सूचना मिली कि कुछ आंतकवादी जगरांव और उसके आस पास भारी हिंसा फैलाने की योजना बना रहे थे। जगरांव के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की कमान में एक पुलिस दल [श्री हरतेज सिंह, पुलिस उपाधीक्षक जोकि पुलिस अधीक्षक (आपरेशन) जगरांव का काम देख रहे थे सहित] आंतकवादियों की तलाश में निकला यह दल जब गुरुद्वारा मेहितयाना की ओर बढ़ रहा था तो उन्होंने एक आदमी को पैदल आते देखा। उसे रुकने का इशारा किया गया किन्तु वह अचानक ही एक ओर कूदा और पुलिस दल पर गोली चलाने लगा। पुलिस दल ने आत्म रक्षा में जवाबी गोलीबारी की। गोलियां चलाते हुए वह आंतकवादी, कनुका गांव में घुसने में सफल हो गया। पुलिस दल ने पीछा करना जारी रखा। क्षेत्र को घेर लिया गया और आंतकवादी को आत्मसमर्पण के लिये ललकारा गया लेकिन उसने गोलियां चलाना जारी रखा और एक घर की छत पर चढ़ जाने में सफल हो गया जहां पर उसने सूखे कपास के डंठलों के ढेर के पीछे पोजीशन ले ली। आंतकवादी को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह पर जमा देखकर जगरांव के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री हरतेज सिंह और उसके सुरक्षाकर्मी तुरत फुरत तैयार की गई सीढ़ियों से होकर निकट-वर्ती मकानों की छतों पर चढ़ गये जबकि शेष पुलिसकर्मी आंतकवादी के मोर्चे पर गोलियां चलाते रहे और इस प्रकार उन्होंने उसके बचकर भाग निकलने के सभी रास्तों को अवरुद्ध कर दिया। सभी पुलिस कर्मियों ने निकटवर्ती छतों की एक फुट ऊंची मुंडेर की आड़ में पोजीशन ले ली। आंतकवादी के ठीक सामने की ओर होने के कारण श्री हरतेज सिंह, छिपे हुए आंतकवादी के आसान निशाने पर थे। आंतकवादी द्वारा चलाई गई एक गोली श्री हरतेज सिंह के सामने मुंडेर में जा लगी। श्री हरतेज सिंह ने तुरन्त ही अपने एक बन्दूकधारी से ए०के० 47 राइफल लेकर गोली-बारी का जवाब दिया। आंतकवादी द्वारा श्री हरतेज सिंह पर दुबारा गोली चला पाने से पहले ही उनके द्वारा चलाई गई गोली उसके कन्धे के आर-पार हो गई और इसके बाद उसकी ओर से गोलियां चलनी बन्द हो गई। तलाशी लेने पर आंतकवादी को मरा पाया गया उसकी पहचान ममजीत सिंह उर्फ भोला के रूप में हुई जोकि हत्या, हिंसा और फिरोती के 500 मामलों में वांछित था। मृत आंतकवादी के पास से .38 बोर का एक माउजर बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में श्री हरतेज सिंह पुलिस उप अधीक्षक, ने उत्कृष्ट, वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 13-4-1993 से दिया जायगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं 135-प्रेस 95--राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये सहर्ष पुलिस पदक प्रदान करते हैं :--

अधिकारी का नाम और पद

श्री जसपाल सिंह
पुलिस उपाधीक्षक
रोपड़।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया है :--

दिनांक 29-7-1994 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोपड़, को सूचना मिली कि मोरिण्डा और चमकौर साहिब तथा कुराली थाना क्षेत्रों में कुछ आंतकवादी घूम रहे हैं तथा कुछ अतिविशिष्ट व्यक्तियों पर कोई बड़ी कार्रवाई करने जैसी गतिविधि की योजना तैयार कर रहे है। इस पर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रोपड़ ने पुलिस अधीक्षक (गुप्तचर) रोपड़ तथा श्री जसपाल सिंह, पुलिस उपाधीक्षक को बुलाया और उस क्षेत्र में गश्त लगाने का आदेश दिया। अपने बन्दूकधारियों को साथ लेकर दोनों अधिकारी थाना चमकौर साहिब और मोरिण्डा क्षेत्रों में रात्रि गश्त लगाने और छापे मारने के लिये चल पड़े ।

करीब 3.15 बजे पूर्वाह्न, मोरिण्डा से गांव बुलाकी भाजरा की ओर जाते हुए, श्री जसपाल ने शस्त्रों सहित दो युक्तों को गुरुद्वारे की ओर से आते हुए देखा। वाहनों को आते देख वे झाड़ियों के पीछे छिप गये। श्री जसपाल सिंह ने वाहनों को चैकिंग के लिये रुक जाने का आदेश दिया परन्तु आंतकवादियों द्वारा उन पर भारी गोलीबारी की गई। पुलिस अधीक्षक (गुप्तचर) और उनके दल ने तुरन्त वाहन से कूदकर मोर्चा ले लिया। उन्होंने कुमुक भेजने के लिये मोरिण्डा और रोपड़ को वायरलैस सन्देश भी भेज दिये। यद्यपि, श्री जसपाल के वाहन पर आंतकवादियों द्वारा सीधी भारी गोलीबारी की गई थी, फिर भी वह चलते हुए वाहन से कूद गये और आंतवादियों के ठीक विपरीत दिशा में मोर्चा ले लिया और उनको गोलीबारी में उलझाये रखा। पुलिस अधीक्षक (गुप्तचर) और उनके दल ने एक मिट्टी के छोटे टीले के पीछे मोर्चा संभाल लिया था। दोनों पार्टियों ने आंतकवादियों पर छलांग लगा दी। आंतकवादियों ने जब देखा वे घिर गये हैं तो उन्होंने गुरुद्वारे की एक चारदीवारी की एक छोटी सी दीवार के पीछे मोर्चा ले लिया और पुलिस दलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। श्री जलपास सिंह ने अपनी ए०के०-47 राईफल से जवाबी गोलियां चलाई। फिर वह आगे की ओर दौड़े और गुरुद्वारा की चार दीवार की दाहिनी ओर कोने में पोजीशन लेकर तैयार हो गये । आंतक-वादियों ने उन पर गोलियां चलाई और उनके बायें पैर की पिण्डली में एक गोली लग गई। बहते खून और दर्द की परवाह न करते हुए श्री जसपाल सिंह आंतकवादियों पर फायरिंग करते रहे । खतरे का आभास होते ही आंतकवादियों ने बचकर भाग निकलने का प्रयास किया । श्री सिंह ने उनका पीछा किया और साथ-साथ उन पर गोलियां भी चलाते रहे फलस्वरूप, उनमें से एक आंतकवादी घायल होकर नीचे गिर गया । तथापि अन्धेरे और झाड़ियों का लाभ उठाकर एक आंतकवादी बचकर भाग निकला । घायल आंतकवादी की पहचान गुरनाम सिंह बेण्डोला, के रूप में की गई जो कि पंथक कमेटी का एक सदस्य था । वह बड़ी संख्या में जघन्य अपराध और झीना झपटी के मामलों के लए जिम्मेदार था । तलाशी लिए जाने पर एक ए० के० 47 राईफल ए० के० श्रेणी की दो मैगजीन और बड़ी मात्रा में अप्रायुक्त/प्रयुक्त कारतूस मृत आंतकवादी से बरामद किय गये।

इस मुठभेड़ में श्री जसपाल सिंह, पुलिस उपाधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

वीरता के लिए पुरस्कार, वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करने के लिए मौजूद नियमों के नियम 4(1) के तहत प्रदान किया जाता है तथा इसके साथ नियम-5 के तहत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी 29-7-1994 से दिया जायेगा ।

गिरीश प्रधान,
निदेशक,

सं 136-प्रेस 95--राष्ट्रपति पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए सहर्ष पुलिस पदक प्रदान करते हैं :--

अधिकारी का नाम और पद

श्री सामन्त कुमार गोयल,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
गुरदासपुर ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है :—

17-4-1993 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, श्री एस० के० गोयल, को सूचना प्राप्त हुई कि घातक हथियारों से लैस, दो साथियों सहित, कट्टर आतंकवादी बलवेष सिंह दोरागला, गांव मियानी झमेला क्षेत्र के अधीन एक ट्यूबवैल में छिपा हुआ है तथा कुछ घृणित अपराध करने की योजना बना रहा है। श्री गोयल ने तुरन्त थाना सिटी गुरदासपुर, के थाना प्रभारी को उपलब्ध बल सहित छिपने के स्थान पर पहुंच जाने का निर्देश दिया। पुलिस दल जब वहां पहुंचा तो आंतकवादियों ने उन पर गोलीबारी की। आत्मरक्षा में पुलिस दल ने भी जवाबी गोली चलाई। तब पश्चात्, सिटी पुलिस के थाना प्रभारी ने वायरलैस पर श्री गोयल को इसकी सूचना दी।

इस बीच पुलिस उपाधीक्षक, कमांडो, थाना प्रभारी दीनानगर और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिक भी वहां पहुंच गये। श्री गोयल ने स्थिति का जायजा लिया और पुलिस दलों को गांव रायपुर और गांव मियानी, की ओर से उस क्षेत्र का घेरा डाल लेने का आदेश दिया। अपने बल सहित श्री गोयल सिटी गुरदासपुर के थाना प्रभारी वाले दल के साथ जा मिले। क्षेत्र को घेर लेने के बाद श्री गोयल ने आंतकवादियों को आत्मसमर्पण कर देने के लिए ललकारा परन्तु आंतकवादियों ने पुलिस दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं। पुलिस दलों ने भी आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की। पांच घण्टे तक गोलीबारी होती रही परन्तु अन्धेरा होने के कारण पुलिस दल किसी आंतकवादी को पकड़ने मार डालने में सफल नहीं हो सके। अगली प्रातः करीब 5.30 बज पूर्वाह्न श्री गोयल ने पुनः स्थिति का अवलोकन किया और उन्होंने पुलिस बलों को आगे बढ़ने का निर्देश दिया और वह स्वयं अन्य कार्मिकों सहित आंतकवादियों के छिपने के ठिकाने की ओर एक साहसिक और जोखिम भरे कार्य के रूप में आगे बढ़ने लगे। वे आंतकवादियों के सामने स्पष्ट रूप में थे तथा आंतकवादियों की मारक क्षमता की दूरी के अन्दर थे। जब पुलिस दल ईदगाह पहुंचा तो आंतकवादियों ने उन पर गोलियां चलाई। पुलिस कार्मिकों ने भी पोजीशन ले ली और आत्म सुरक्षा में जवाबी गोली चलाई। पुलिस कार्मिकों द्वारा की गई भीषण गोलीबारी के कारण एक आंतकवादी ट्यूबवैल से बाहर निकल आया और बचकर भागने लगा। थाना दीनानगर के पुलिस बल के साथ बाद में हुई मुठभेड़ में वह मारा गया।

तत्पश्चात्, श्री गोयल और उनके दल ने एक बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर की मदद से ट्यूबवैल को घेर लिया, जबकि अन्य पुलिस दल उनके बचाव हेतु कवरिंग फायर करने लगे। जब वे ट्यूबवैल के निकट पहुंच गये तो श्री गोयल और सिटी गुरदासपुर थाने के थाना प्रभारी बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर से बाहर निकलकर आये और गेहूं की फसलों से होते हुए छिपने के स्थान की ओर बढ़ने लगे। श्री गोयल जब ट्यूबवैल के निकट पहुंचे तो पुलिस कार्मिकों को देखकर एक आंतकवादी ने बचकर भागने का प्रयास किया और अपनी ए०के०-47 राईफल से एक धमाका किया, जिसमें से एक गोली श्री गोयल के कान के बिल्कुल पास से होकर गुजर गई और श्री गोयल घायल होने से बाल-बाल बचे। परन्तु घुटनों के बल नीचे झुककर श्री गोयल ने अपनी ए० के० 47 राईफल से भागते हुए आंतकवादी पर गोली चलाई। गोली सीधे आंतकवादी को लगी और वह नीचे गिर पड़ा। उसके बाद एक अन्य आंतकवादी ने श्री गोयल और एक उप निरीक्षक पर, ट्यूबवैल के अन्दर से धमाका किया। उन्होंने तरन्त पानी के चैनल में मोर्चा संभाल लिया और अपने हथियारों से आंतकवादी पर फायरिंग की। कुछ देर बाद आंतकवादियों की ओर से गोलीबारी रुक गई। तलाशी लेने पर ट्यूबवैल के द्वार पर एक आंतकवादी का शव बरामद हुआ। इस मुठभेड़ में कुल मिलाकर तीन आंतकवादी मारे गये थे। जिनकी बाद में बलवेष सिंह, मनोहर सिंह उर्फ मनोहरी सैनी और मुख्तियार सिंह उर्फ जड्डा के रूप में पहचाना गया। घटना स्थल की तलाशी लेने पर वहां से तीन ए० के०-47 असाल्ट राईफलें, ए० के०-47, श्रेणी की 10 मैगजीनें तथा बड़ी मात्रा में अनुप्रयुक्त प्रयुक्त/कारतूस बरामद किये गये।

इस मुठभेड़ में श्री एस० के० गोयल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

वीरता के लिये पुरस्कार, वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करने के लिये मौजूद नियमों के नियम 4(1) के तहत प्रदान किया जाता है तथा इसके साथ नियम-5 के तहत, स्वीकार्य विशेष भत्ता भी 17-4-93 से दिया जायेगा।

निरीष प्रधान,
निदेशक

सं० 137-प्रेस 95—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों का नाम और पद

श्री जी० एस० साही (मरणोपरान्त)
कमांडेंट
तृतीय कमांडो बटालियन,
मोहाली

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

21 जनवरी 1994 को पुलिस महानिदेशक पंजाब ने तृतीय कमांडो बटालियन के कमांडेंट, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोपड़ (स्वर्गीय) श्री गुरुदीप सिंह साही (जिनकी आन्ध्र प्रदेश में नक्शलवाद विरोधी ड्यूटी के दौरान 26 नवम्बर 1994 को एक सुरंग विस्फोट में मृत्यु हो गयी) और श्री एस० पी० एस० बसरा, पुलिस अधीक्षक, आपरेशन को बुलाया और सूचित किया कि बब्बर खालसा इन्टरनेशनल के दो कुख्यात आतंकवादी जिला रोपड़, गांव धरमगढ़ के गुरभुज सिंह जाट के घर में छिपे हुए हैं और उनको उस घर पर छापा मारने का आदेश दिया। यह सूचना मिलने पर, पंजाब पुलिस के कार्मिक, पुलिस कमांडो और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिक तुरन्त उस जगह के लिए चल पड़े। क्षेत्र में पहुचने पर, श्री रनदीप दत्ता, उप-कमांडेंट के नेतृत्व में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की पार्टी को गांव का घेरा डालने के लिए तैनात किया गया और सर्वश्री एस० पी० एस० बसरा, परमराज सिंह, पुलिस अधीक्षक (जासूसी) और जी० एस० साही के नेतृत्व में हमलावर पार्टियों का गठन किया गया। पूरी ब्रीफिंग करने और घेरा डालने के बाद। लगभग 1.15 बजे अपराह्न को सर्वश्री बसरा, जी० एस० साही परमराज सिंह और रनदीप दत्ता, गांव में गए, घर की छत पर चढ़कर पोजिशन ले ली। स्थिति का जायजा लेने के बाद, सर्वश्री बसरा, साही और सिंह, सीढ़ियों से नीचे गए और घर के अन्दर रहने वालों से दरवाजा खोलने और बाहर आने के लिए कहा लेकिन ऐसा करने के बजाए उन पर स्वचालित हथियारों से गोलियों की बौछार की गयी, जो खिड़कियों और दरवाजों को छेदती हुई बाहर आयी। घर के बाहर मोर्चा सम्भाले कमान्डो ने कारगार फायरिंग से कवर प्रदान किया जिसकी आड़ लेते हुए श्री बसरा और श्री साही कुहनियों के बल रेंगते हुए कमरे के किनारे तक गए। कमान्डो द्वारा की जा रही गोलीबारी प्रभावी न होते देख छत से हमला करने का निर्णय लिया गया। सर्वश्री बसरा, साही, परमराज सिंह छत पर चढ़े और श्री दत्ता के साथ हो लिए और उन्होंने छत पर छेद करना शुरू कर दिया। इस पर आंतकवादियों ने छत की तरफ गोलीबारी शुरू कर दी, जो छत से बाहर आयी, और अधिकारियों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया। छत की तरफ को हो रही भारी गोलीबारी

से विचलित हुए बिना छत पर किए गए सुराख से अधिकारियों ने एल० एम० जी० और ए० के० 47 राइफलों द्वारा कमरे के भीतर गोलियां चलाई। कमरे के अन्दर से एक आतंकवादी ने दरवाजा खोलने और बाहर भाग निकलने की कोशिश की लेकिन बाहर तैनात कमान्डो ने भारी गोलीबारी की जिससे आतंकवादी वापस कमरे में आने के लिए बाध्य हो गए। इसी बीच एक कांस्टेबल, जिसने भाग रहे आतंकवादी पर गोली चलाई थी पर अन्य आतंकवादियों ने गोलियां चलायी, जिसके परिणामस्वरूप उसकी छाती और कन्धे पर घाव हो गए और उसे तत्काल अस्पताल ले आया गया। उसके बाद कमरे के अन्दर हथगोला फेंकने का निर्णय लिया गया, ये अधिकारी एक बार फिर रेंगते हुए छत में किए गए छेद की तरफ गए और छेद से एस० ई०–36 हथगोला अन्दर फेंका, जबकि श्री दत्ता अपने कार्मिकों के साथ, एल० एम० जी० /ए० के० 47 राईफलों से गोलीबारी करते रहे और इस प्रकार से कवरिंग फायर करते रहे, लेकिन आतंकवादी पूरे समय अन्दर से गोलियों की बौछार करते रहे, बाद में अश्रु गैस के गोले भी अन्दर डाले गए और भारी गोलीबारी में एक आतंकवादी गम्भीर रूप से जख्मी हो गया। सर्वश्री बसरा, परमराज सिंह, जी० एस० शाही और रनदीप दत्ता द्वारा की गयी प्रभावी गोलीबारी के परिणामस्वरूप आतंकवादियों का सफाया हो गया। आग बुझाने के लिए अग्नि शमन ब्रिगेड को बुलाया गया। कमरे की तलाशी ली गयी, कमरे के अन्दर से दो आतंकवादियों के मृत शरीर मिले। दो ए० के० 47 राइफलें, एक पिस्तौल और भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया। आतंकवादियों की पहचान सज्जन सिंह उर्फ हैपी और सरबुल सिंह उर्फ बुला, बी० के० आई० के ले० जनरल के रूप में की गयी, जो दोनों कुख्यात आतंकवादी थे, वे अनेक हत्याओं, अपहरणों और लूट-मार इत्यादि में अन्तर्ग्रस्त थे।

इस मुठभेड़ में श्री जी० एस० शाही, कमाण्डेन्ट ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 21 जनवरी 1994 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 138-प्रेस/95—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का भार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री अजीत सिंह,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
तरन तारन।

श्री कुलतार सिंह,
पुलिस अधीक्षक,
तरन तारन।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :—

23 अप्रैल 1992 को तरन तारन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह को सूचना मिली कि गांव बकीपुर और गिल वराइच के फार्म हाउसों में आतंकवादियों का एक ग्रुप मौजूद है। उन्होंने तुरन्त ही थाना-झब्बल के थानाध्यक्ष श्री अशोक कुमार को आदेश दिया कि वे फोर्स एकत्र करें और उस स्थान पर पहुंचें। थाना-झब्बल के थाना प्रभारी ने विभिन्न पार्टियां बनाई और गांव-गिल वराइच, बकीपुर और कोट धर्म चन्द कलां के फार्म हाउसों की तलाशी लेना शुरू कर दिया। तलाशी के दौरान, गेहूं के खेतों में छिपे तीन आतंकवादियों के एक ग्रुप ने पुलिस दल पर हमला किया और कुलदीप सिंह नामक व्यक्ति के फार्म हाउस की तरफ भागे तथा गेहूं के खेतों में पोजीशन ले ली। इस पर, श्री कुमार ने तुरन्त ही श्री अजीत सिंह को स्थिति की जानकारी दी और कुमुक की मांग की तथा फार्म हाउस को घेर लिया। तरनतारन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह और पुलिस अधीक्षक श्री कुलतार सिंह तुरन्त ही दल-बल सहित मौके पर पहुंच गए। चार बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर भी मौके पर पहुंच गए। श्री अजीत सिंह ने श्री कुलतार सिंह और थाना-झब्बल के थानाध्यक्ष को दाएं और बाएं बाजू को कवर करके आतंकवादियों पर गोली चलाने का आदेश दिया। दोनों दलों ने मोर्चे संभाले और आतंकवादियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। अपने आपको पुलिस कर्मियों की घेराबंदी में पाकर आतंकवादियों ने, घेरा तोड़ने तथा भाग जाने के इरादे से पुलिस दलों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इसी बीच श्री अजीत सिंह ने, हैड कांस्टेबल नछत्तर सिंह को अपने साथ लेकर आतंकवादियों पर गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस दलों के बढ़ते दबाव के कारण आतंकवादी फार्म हाउस में घुस गए। दोनों ओर से आधा घंटे तक गोलियां चलती रहीं। इसके बाद हैड कांस्टेबल नछत्तर सिंह श्री, कुलतार सिंह के साथ श्री अजीत सिंह तथा अपने गनमैन सहित श्री अशोक कुमार, बुलेट प्रूफ ट्रैक्टरों पर चढ़कर, फार्म हाउस की दिशा में बढ़े। पुलिस दलों को फार्म हाउसों की घेराबंदी करते देखकर आतंकवादियों ने बुलेटप्रूफ ट्रैक्टरों पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। श्री अजीत सिंह के मार्गदर्शन में श्री कुलतार सिंह और श्री अशोक कुमार फार्म हाउस के कमरे की खिड़कियों के पास पहुंचने में सफल हो गए और उन्होंने वहां से हथ गोले फेंके। इसी बीच हैड कांस्टेबल नछत्तर सिंह के साथ श्री अजीत सिंह ने, पशुचारा रखने वाले स्थान के पीछे पोजिशन ले ली। कुछ देर के बाद, गहरे धुएं और घुटन के कारण आतंकवादियों ने कमरे से बाहर आने की कोशिश की लेकिन सर्व श्री अजीत सिंह, कुलतार सिंह, नछत्तर सिंह और अशोक कुमार द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी के कारण सभी तीनों आतंकवादी घटनास्थल पर ही मारे गए। मारे गए आतंकवादियों की शिनाख्त बाद में सुरिन्दर सिंह उर्फ शाहिद, हरजिन्दर सिंह उर्फ काला और गुरुदेव सिंह उर्फ देबा के रूप में की गई। तलाशी के दौरान, टेलीस्कोप सहित एक ड्रैगन शेयर राइफल, एक ए० के०–47 राइफल, एक ए० के०–74 राइफल, 6 बम और भारी मात्रा में कारतूस, मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री अजीत सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और कुलतार सिंह, पुलिस अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया।

वीरता के लिए यह पुरस्कार, वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करने सम्बन्धी मौजूदा नियमों के नियम 4(i) के तहत प्रदान किया जाता है तथा इसके साथ नियम 5 के तहत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी 23 अप्रैल, 1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 139-प्रेस/95—राष्ट्रपति, पंजाब पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक का भार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद :

श्री एस० पी० एस० बसरा,
पुलिस अधीक्षक प्रचालन,
रोपड़।

श्री परमराज सिंह,
पुलिस अधीक्षक,
गुप्तचर,
रोपड़ ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :—

21 जनवरी, 1994 को पंजाब के पुलिस महानिदेशक ने रोपड़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (स्वर्गीय) श्री गुरदीप सिंह साही (आंध्र प्रदेश में नक्सलवादी विरोधी ड्यूटी करते समय 26 नवम्बर, 1991 को बारूदी सुरंग के एक विस्फोट में मारे गए), कमांडेंट, तीसरी कमांडो बटालियन, और श्री एस० पी० एस० बसरा, पुलिस अधीक्षक, प्रचालन, रोपड़ को बुलाया और सूचना दी कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल के दो कट्टर आतंकवादी, रोपड़ जिले के अरमगढ़ गांव के गुरमुख सिंह जाट नामक व्यक्ति के घर में शरण लिए हुए हैं तथा यह आदेश दिया कि उस मकान पर छापा मारा जाए । यह जानकारी प्राप्त होने पर पंजाब पुलिस के कार्मिक, पुलिस कमांडो और के० रि० पु० ब० उस स्थल की ओर रवाना हो गए। क्षेत्र में पहुंचने पर, उप कमांडेंट श्री रणदीप दत्ता के नेतृत्व वाली के० रि० पु० ब० की पार्टी को गांव की घेराबंदी के लिए तैनात कर दिया गया और सर्वश्री एस० पी० बसरा, परमराज सिंह, पुलिस अधीक्षक (गुप्तचर) और श्री जी० एस० साही की कमान में हमलावर दस्ते बनाए गए । पूरी ब्रीफिंग और घेरेबंदी के बाद लगभग 1.15 बजे अपराह्न सर्व श्री बसरा, जी० एस० साही, परमराज सिंह और रणदीप दत्ता गांव में घुस गए, मकान की छत पर चढ़ गए और पोजिशन ले ली । स्थिति का जायजा लेने के बाद सर्व श्री बसरा, साही और सिंह सीढ़ियों से नीचे उतरे और उस घर के बाशिन्दों से दरवाजा खोलकर बाहर आने के लिए कहा लेकिन इसके विपरीत स्वचालित हथियारों से गोलियां बरसाई गईं जो कि दरवाजों और खिड़कियों में धंस गईं । घर के बाहर मोर्चा संभाले कमांडो ने प्रभावी कवरिंग फायर दिया जिसकी आड़ में श्री बसरा और श्री साही कमरे के एक ओर सरक गए । यह देखकर कि कमांडो की गोलीबारी निष्प्रभावी साबित हो रही है, यह निर्णय लिया गया कि छत से होकर हमला किया जाए । सर्व श्री बसरा, साही, परमराज सिंह छत पर चढ़ गए और श्री दत्ता के पास पहुंचकर उन्होंने छत में छेद करना शुरू कर दिया । इस पर आतंकवादियों ने अपनी गोलीबारी का रुख छत की ओर कर दिया और गोलियां छत को भेदकर ऊपर आने लगीं जिससे अधिकारियों की जान को खतरा पैदा हो गया । छत की दिशा में की जा रही भारी गोलीबारी से विचलित हुए बिना अधिकारियों ने छेदों से होकर एल० एम० जी० और ए० के०–47 राइफलों से कमरे के अंदर गोलियां दागीं । कमरे के अन्दर मौजूद आतंकवादियों में से एक ने दरवाजा खोलकर बाहर निकल भागने का प्रयास किया परन्तु बाहर मोर्चा संभाले बैठे कमांडो कार्मिकों ने भारी गोलीबारी की जिसके कारण आतंकवादी को वापस कमरे में घुस जाना पड़ा । इसी बीच एक कांस्टेबल, जिसने कि भाग रहे आतंकवादी पर गोली चलाई थी, पर दूसरे आतंकवादी द्वारा गोली चलाई गई जिसके परिणामस्वरूप उसकी छाती और कंधों पर गोलियां लगीं और उसे तुरन्त अस्पताल ले जाया गया । बाद में, कमरे के अंदर हथगोले फेंकने का निश्चय किया गया । ये अधिकारी फिर से छत में बनाए गए सुराख के पास रेंगकर गए और उसमें से एच० ई०–36 हथगोले फेंके जबकि अपने कार्मिकों के साथ श्री दत्ता कवरिंग फायर देते हुए एल० एम० जी०/ए० के०–47 राइफलों से गोली चलाते रहे लेकिन आतंकवादी भी लगातार कमरे के अंदर से गोलियां बरसाते रहे । तत्पश्चात् आंसू गैस के गोले भी कमरे में गिराए गए और भारी गोलीबारी में एक आतंकवादी पूरी तरह घायल हो गया । सर्व श्री बसरा, परमराज सिंह, जी० एस० साही और रणदीप दत्ता की सटीक गोलीबारी के परिणामस्वरूप आतंकवादियों का सफाया हो गया । आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की सेवाएं ली गईं । कमरे की तलाशी ली गई जिसमें कमरे के अन्दर से दो आतंकवादियों के शव पाए गए । दो ए० के०–47 राइफलें, एक पिस्तौल और भारी मात्रा में गोली बारूद बरामद किया गया । आतंकवादियों की शिनाख्त सज्जन सिंह उर्फ हैप्पी और शार्दूल सिंह उर्फ दुला, ले० जनरल, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के रूप में की गई थी जो दोनों ही सूची-बद्ध कट्टर आतंकवादी थे, वे बड़ी संख्या में हत्याओं, अपहरणों और धन ऐंठने आदि की घटनाओं में संलिप्त थे ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री एस० पी० एस० बसरा में पुलिस अधीक्षक और परमराज सिंह, पुलिस अधीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 21 जनवरी, 1994 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 140–प्रेज/95—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान करते हैं :–

अधिकारी का नाम और पद :

श्री भुव लाल यादव (मरणोपरान्त)
पुलिस निरीक्षक,
थानाध्यक्ष—साहिबाबाद ।

श्री राजेश कुमार यादव (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
जिला—गाजियाबाद ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :—

31 अक्तूबर 1994 की शाम को जब थाना मसूरी के थाना प्रभारी, चोरी गई एक बिजली की मोटर बरामद करने के लिए एक संदिग्ध मकान पर गए तो उन्होंने साथ लगे मकान से एक व्यक्ति को भागते हुए देखा । उन्होंने दरवाजा खट-खटाया किन्तु जवाब नहीं आया । इस पर उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और एक व्यक्ति को कमरे में लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ पाया । पूछताछ करने पर, उसने अपना परिचय एक अमेरिकी राष्ट्रिक के रूप में दिया और खुलासा किया कि वहां, उसे आतंकवादियों द्वारा लाया गया है। इसके बाद, मसूरी थाना प्रभारी उस अमेरिकी राष्ट्रिक को गाजियाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के पास ले गए और घटनास्थल पर दो कांस्टेबलों को, अन्य बदमाशों का पता लगाने के लिए छोड़ दिया । इसी बीच तीन उग्रवादी एक मारुति वैन में आए, उनमें से दो उस मकान की तरफ आए और तीसरा व्यक्ति जिसकी पहचान बाद में अफगान राष्ट्रिक के रूप में की गई, निकटवर्ती ढाबे की ओर गया । जैसे ही दोनों उग्रवादी, मकान के पास पहुंचे, उन्होंने कांस्टेबलों पर हमला कर दिया और एक कांस्टेबल की राइफल छीन ली । दूसरे कांस्टेबल ने गोली चलाई जो कि उपद्रवकारी के कंधे पर लगी जिससे वह गिर पड़ा, परन्तु दूसरा उपद्रवी भागने में सफल हो गया । चालक और ढाबे पर गए दूसरे व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया । चालक ने सूचित किया कि अमेरिकी राष्ट्रिक, उन चार विदेशी राष्ट्रिकों में से एक है जिन्हें कि आतंकवादियों के गिरोह ने

दिल्ली से अपहृत किया था । उसने आगे बताया कि अन्य तीनों विदेशी नागरिकों को सहारनपुर शहर के एक मकान में ले जाया गया है ।

2. चूंकि मामले में अन्तर्राष्ट्रीय व्याप्ति वाले आतंकवादी संलिप्त थे, इसलिए साहिबाबाद के थानाध्यक्ष ध्रुव लाल यादव जो कि पहले भी डकैतों के अत्यधिक खतरनाक गिरोहों के साथ अनेकों मुठभेड़ों में हिस्सा ले चुके थे और दो वीरता पदक प्राप्त कर चुके थे, की सेवाएं ली गई । 31-10-1994 को लगभग 10.30 बजे रात, निरीक्षक यादव पुलिस कर्मियों की एक छोटी टुकड़ी और गिरफ्तार चालक शाहिद अहमद के साथ सहारनपुर के लिए रवाना हो गए। लगभग 3.00 बजे प्रातः (11-1-1994) सहारनपुर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ वे उस इलाके में पहुंचे जहां पर तीन ब्रितानी राष्ट्रिकों को बंधक बनाकर रखा गया था । बस को तीन ग्रुपों में बांटा गया और उन्होंने क्षेत्र को घेर लिया । इसके बाद, निरीक्षक यादव को वह मकान दिखाया गया जहां आतंकवादियों ने बंधकों को रखा था । निरीक्षक यादव ने, अपनी पिस्तौल हाथ में लेकर स्वयं ही दरवाजे को तोड़कर खोलने का निश्चय किया । कांस्टेबल आर० के० यादव ने स्वयं ही, आपरेशन में अपने नेता के ठीक पीछे रहने का निर्णय लिया । निरीक्षक यादव ने, अपने शरीर से दरवाजे को धक्का दिया, चूंकि दरवाजा बहुत मजबूत था इसलिए धक्के से दरवाजे का एक पैनल मुड़ गया और दरवाजे के पैनलों के बीच में जगह बन गई । इसके बाद श्री यादव फिर से कोशिश करने के लिए कुछ कदम पीछे हटे तभी अचानक ही पैनलों के बीच की खुली जगह से होकर आतंकवादियों ने कमरे के अंदर से गोलियों की बौछार कर दी; बड़ी तेजी से श्री यादव एक ओर को छलांग लगा गए और साथ ही उन्होंने भी गोलियों की बौछार की । तथापि, इस प्रक्रिया में एक गोली श्री यादव की छाती में लगी । इसी बीच कांस्टेबल यादव को जो कि निरीक्षक यादव के ठीक पीछे था, दो घातक गोलियां लगीं और वह वहीं मारा गया । निरीक्षक यादव द्वारा किए गए औचक हमले से आंतकवादियों में खलबली मच गई और वे अपनी जान बचाकर भागे जबकि उनके द्वारा बंधक बनाए गए व्यक्ति पीछे घर में ही सुरक्षित बने रहे । इसी बीच अन्य पुलिस दलों ने दरवाजा तोड़ लिया और वे घर में घुस गए जहां पर उन्होंने तीन विदेशी राष्ट्रिकों (जिनकी शिनाख्त बाद में ब्रितानी राष्ट्रिकों के रूप में की गई) को जंजीर में बंधा हुआ पाया । उन्हें तुरन्त ही बंधन मुक्त कराया गया । इसके बाद घायल निरीक्षक यादव को अस्पताल ले जाया गया लेकिन उन्होंने अस्पताल जाते हुए रास्ते में दम तोड़ दिया ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री डी० एल० यादव निरीक्षक और आर० के० यादव कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का प्रदर्शन किया ।

वीरता के लिए यह पुरस्कार, वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान करने संबंधी मौजूदा नियमों के नियम 4 (1) के तहत प्रदान किया जाता है तथा इसके साथ नियम 5 के तहत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी 31-10-1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 141-प्रैस/95—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए सहर्ष पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री सत्य पाल सिंह
पुलिस उप निरीक्षक
थाना गढ़मुक्तेश्वर
जिला गाजियाबाद

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है ।

13/14 मार्च 1993 के बीच की रात को कार से सवार पांच कुख्यात लुटेरों ने थाना हापुड़, जिला गाजियाबाद के कुछ पेट्रोल पम्पों को लूट लिया था । इस आशय की सूचना मिलते ही सतर्क रहने मैसेज भेज दिए गए थे तथा पुलिस गश्त को बढ़ा दिया गया था । उप-निरीक्षक सत्य पाल सिंह जो कि गश्त लगाने की ड्यूटी पर तैनात थे, सूचना को और पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के अनुदेशों को वायरलेस के माध्यम से प्राप्त किया और वाहनों को रोककर उनकी जांच और तलाशी लेना शुरू कर दिया । उसी समय पालावाड़ा चैक पोस्ट से सूचना प्राप्त हुई कि पुलिस चौकी पर गोलीबारी करने के बाद मारुति कार में सवार कुछ उपद्रवी तत्व सियाना चापोला की ओर गए हैं । श्री सिंह उस कार का पीछा करने के लिए तेजी से उस ओर चल पड़े । कार बहुत तेज रफ्तार से आते और श्री सिंह की जीप से आगे निकल जाने का प्रयास करती दिखी तो श्री सिंह ने कार चालक को जीप को सड़क के बीच में आड़ी खड़ी करने की हिदायत दी ताकि तेजी से आती कार को रोका जा सके । डाकुओं ने रास्ते में जब पुलिस की जीप को देखा तो कार को पैदल पथ पर चढ़ा दिया और बचकर भाग निकलने का प्रयास किया । जीप के चालक ने उसी क्षण एक फैसला लेकर जीप को बांई ओर घुमाया और उनके ठीक सामने जीप को इस प्रकार से खड़ा कर दिया कि वह बचकर न भाग सके । इस बीच इन डाकूओं का पीछा करते हुए बुज घाट के उप-निरीक्षक भी घटना स्थल पर पहुंच गए । अपने को घिरा हुआ पाकर डाकू कार से नीचे उतरे और पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे ताकि लूटे हुए धन सहित वे बचकर भाग सकें । गोलीबारी अचानक इस प्रकार से शुरू हुई थी कि श्री सिंह को किसी प्रकार की आड़ लेने का जरा सा भी मौका नहीं मिला था तथा इस कारण से उनके बांये बाजू में गोली लगने से घाव हो गया । घायल होने के बावजूद भी श्री सिंह ने अपना विश्वास नहीं खोया और हौसला दिखाते हुए अपने साथियों को पोजीशन लेने का निदेश दिया । श्री सिंह ने भी पुलिस पार्टी के साथ पोजीशन ले ली और अपने सर्विस रिवाल्वर से गोलीबारी शुरू कर दी । 20 मिनट तक चली इस मुठभेड़ में चार डाकूओं को मार डालने में सफलता मिली । घटनास्थल से एक एस० बी० बी० एल० बंदूक, .315 बोर दो एक सी० एम० पी०, .38 बोर की एक सी० एम० पी० तथा बड़ी मात्रा में कारतूस और एक मारुती कार बरामद की गई । बचकर भाग एक डाकू को बाद में पास के क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया । उसके पास से लूटे हुए 63,049/- रु० की नकदी बरामद की गई । गिरफ्तार किए गए डाकू की पहचान नवाब नामक व्यक्ति के रूप में की गई तथा मृत डाकुओं को बाद में असलम, सईद, अरशद और शाहिद अली के रूप में पहचाना गया जो सभी दिल्ली के रहने वाले थे ।

इस मुठभेड़ में श्री सत्य पाल सिंह, पुलिस उप निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

वीरता के लिए पुरस्कार, वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करने के लिए मौजूद नियमों के नियम 4 (1) के तहत प्रदान किया जाता है तथा इसके साथ नियम 5 के तहत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 13-3-93 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 141/प्रैस 95—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए सहर्ष पुलिस पदक प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम और पद

श्री राजबीर सिंह (मरणोपरांत)
हैड कांस्टेबल
15वीं बटालियन
पी० ए० सी०, आगरा

श्री मोती लाल तिवारी (मरणोपरांत)
कांस्टेबल,
15वीं बटालियन,
पी० ए० सी०, आगरा

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है ।

दिनांक 6-3-91 को पीलीभीत जिले के गांव हांसीपुर, भीमापुर और खाण्डेपुर में और उसके आस-पास आंतकवादियों के मौजूद होने के बारे में समाचार प्राप्त होने पर पी० ए०सी०, आगरा के सर्वश्री राजवीर सिंह, हैड कांस्टेबल, मोती लाल तिवारी, कांस्टेबल, सुभाष चन्द गौतम, कांस्टेबल तथा थाना पूरनपुर के कांस्टेबल जीतेन्द्र कुमार वाले एक पुलिस दल जिसका नेतृत्व का दायित्व एक पुलिस उपाधीक्षक को सौंपा गया था, उस स्थान की ओर छानबीन करने और तलाशी लेने के लिए तेजी से वहां गया ताकि उग्रवादियों का सफाया किया जा सके । गांव हांसीपुर और भीमापुर में झालाओं की तलाशी लेने के बाद पुलिस पार्टियां एक "मेजर सिंह" के झाला पर करीब 3.30 बजे अपराह्न पहुंची जहां आतंकवादियों के छिपने की आशंका थी ।

उपलब्ध बल को दो पार्टियों में विभाजित किया गया, पहली पार्टी जिसका नेतृत्व सर्वश्री राजवीर सिंह और मोती लाल तिवारी कर रहे थे, अन्य साथियों सहित झाला के अन्दर तलाशी लेने के लिए घुसे, जबकि पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व वाला दूसरा दल जिसमें सर्वश्री एस० सी० गौतम, कांस्टेबल और जीतेन्द्र कुमार, कांस्टेबल शामिल थे, ने झाला के बाहर कवरिंग फायर प्रदान करने के लिए मोर्चा ले लिया । पहली पार्टी तलाशी लेने के लिए जैसे ही झाला के अन्दर घुसी, तो झाला के अन्दर छिपे उग्रवादियों ने "खालिस्तान जिन्दाबाद" "छिन्ना ग्रुप जिन्दाबाद" के नारे लगाए और पुलिस दल पर अपनी ए० के०-47 राईफलों से अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी । तलाशी दल ने तुरन्त मोर्चा संभाल लिया और जवाबी गोली-बारी की । सर्वश्री राजवीर सिंह और मोती लाल तिवारी, जो सबसे आगे थे, ने जवाब में गोलियां चलाईं परन्तु इस अफरातफरी में वे बुरी तरह घायल हो गए और घावों के कारण उसकी मृत्यु हो गई । जवाब में की गई गोलीबारी के कारण ए० के०-47 राईफल से : : : : रहा एक उग्रवादी मारा गया । दूसरे उग्रवादी ने जब देखा कि उस साथी मारा गया है तो उसने उस उग्रवादी की ए० के०-47 राईफल तथा ए० के०-47 राईफल की भरी हुई मैगजीनों से भरा एक थैला उठाकर उत्तर दिशा में भागना शुरू कर दिया । उग्रवादी ने जैसे ही बच कर भाग निकलने का प्रयास किया वैसे ही सर्वश्री एस० सी० गौतम और जीतेन्द्र कुमार, कांस्टेबल जोकि बचकर भाग निकलने के रास्ते में मोर्चा लिए हुए थे, उग्रवादियों के सामने आ गये और उन पर गोलियां चला दी । इससे भागते हुए उग्रवादी हतप्रभ हो गए और गोली-बारी के दौरान एक और उग्रवादी मारा गया, जो कि कहा जाता है कि सतनाम सिंह छीना गिरोह का सरदार था । शेष उग्रवादियों ने जब अपने सरदार को मुठभेड़ में मरते देखा और पुलिस पार्टी को आगे अपनी ओर आते हुए देखा तो व घबरा गए और बचकर भाग निकलने के प्रयास में खेतों की ओर दौड़ने लगे तलाशी लेने पर एक .38 बोर का माउजर और उसकी मैगजीन, एक थैला जिस पर बी० टी० एफ० ले० जन० भाई सतनाम सिंह छीना, "छीना ग्रुप" लिखा था तीन डिटोनेटर्स, सायनाईड, ए० के०-47 राईफल के 120 कारतूसों से भरा एक थैला बरामद किया गया ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री राजवीर सिंह, हैड कांस्टेबल और मोती लाल तिवारी, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 6-3-1991 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 1995

सं० 143-प्रेस 95—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री भानु प्रताप सिंह
पुलिस अधीक्षक,
इलाहाबाद शहर

श्री ए० के० राय,
पुलिस उप अधीक्षक,
इलाहाबाद

श्री सुभाष चन्द्र त्रिपाठी
पुलिस उप अधीक्षक
इलाहाबाद

श्री बद्री नारायण सिंह,
पुलिस उप निरीक्षक
सी० पी० इलाहाबाद

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है ।

4-4-1991 को लगभग 13.45 बजे श्री बद्री नारायण सिंह, उप निरीक्षक को सूचना मिली कि एक कुख्यात अपराधी प्रमोद पासी अपने गिरोह के साथ अकबरी रोड के शमशान में उपस्थित है और एक आबकारी ठेकेदार को लूटने की योजना बना रहा है । सूचना प्राप्त होने पर श्री बी० एन० सिंह ने समय बेकार नहीं किया और वरिष्ठ अधिकारियों को आगे संदेश पहुंचाने के लिए थाना कर्नलगंज को संदेश भेजा और अपने कर्मचारियों के साथ तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हो गए और अपने आदमियों को तैनात किया और पश्चिमी दीवार को फांदकर शमशान भूमि में दाखिल हो गए । पुलिस पार्टी के पहुंचने की भनक लगने पर डकैतों ने गोलियां चलाना और बम फेंकना शुरू कर दिया और पूर्वी दीवार को फांदकर भाग निकले और मुहल्ला पाशियाना में दाखिल हुए और एक घर में शरण ली । क्षेत्र में कुछ लोगों के पहुंचने पर श्री बद्री नारायण ने क्षेत्र को प्रभावी ढंग से सील कर दिया और डकैतों को भागने से रोका ।

इसी बीच सूचना प्राप्त होने पर श्री भानु प्रताप सिंह, पुलिस अधीक्षक इलाहाबाद बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे जहां पर श्री ए० के० राय पुलिस उप अधीक्षक और सुभाष चन्द्र त्रिपाठी, पुलिस उप-अधीक्षक भी उनके साथ आ गए । उसके बाद श्री बी० पी० सिंह ने घनी बस्ती, जहां डकैतों ने शरण ले रखी थी, से बाहर जाने वाले रास्तों को कवर करने के लिए बल को फिर से तैनात किया और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए ललकारा जिसका उत्तर उन्होंने देशी बम फेंक कर दिया । तथापि श्री ए० के० राय, पुलिस उप-अधीक्षक सावधान थे और उन्होंने श्री बी०पी० सिंह को खींच लिया । गोलीबारी और देशी बमों की बौछार से विचलित न होते हुए श्री बी० पी० सिंह और श्री ए० के० राय ने नजदीक के मकान के बरामदे में मोर्चा सम्भाला जहां उन पर दूसरा बम फेंका गया जिससे श्री बी० पी० सिंह और श्री राय जख्मी हो गए, जिन्होंने फिर आत्म रक्षा में गोलियां चलायीं । गिरोह के दृढ़ निश्चय को भांपते हुए श्री बी० पी० सिंह शहर पुलिस अधीक्षक ने एक पुलिस पार्टी को नजदीक के घर की छत पर मोर्चा सम्भालने का निदेश दिया जबकि दूसरे को घेरा सख्त करने का निदेश दिया ताकि डकैत भाग न सकें । सोच-समझकर गोलीबारी करके डकैतों पर काबू पाने के लिए छत पर पुलिस पार्टी द्वारा प्रयास जारी रखे गए लेकिन डकैत पूरे साहस के साथ बम फेंकते रहे पुलिस के बढ़ते हुए दबाव के कारण डकैतों ने छत से भागने और पड़ोसी घरों में जाने की कोशिश की लेकिन मुस्तैद सुरक्षा बलों ने उनके इस प्रयास को विफल कर दिया । पूरी तरह घिर गए डकैतों ने मकान के पश्चिमी दिशा में स्थित रोशनदानों

से गोलियां चलानी शुरू की जहां पर श्री एस० सी० त्रिपाठी पुलिस उप अधीक्षक और उनके कार्मिकों ने मोर्चा सम्भाल रखा था। त्रिपाठी ने अत्यधिक साहस और आशु बुद्धिमता का परिचय देते हुए प्रभावी ढंग से जवाबी गोलियां चलायी इस अवसर पर श्री भानु प्रताप सिंह पुलिस अधीक्षक ने अश्रु गैस दस्ते को बुलाकर और इसे कार्रवाई में लगाकर आशु बुद्धिमता और दुरदर्शी कल्पनाशीलता का परिचय दिया । जिसका अपेक्षित परिणाम यह निकला कि इससे डकैतों को छत पर बाहर आने के लिए बाध्य होना पड़ा जहां गोलीबारी करने और बम फैंकने की कार्रवाई तेज हो गयी, चूंकि डकैत खुले में आ गए थे इसलिए पुलिस पार्टी ने भी उसी साहस से जवाब दिया, और 6 डकैतों को मार गिराया जिसमें उनका नेता प्रमोद पासी भी सम्मिलित था। मृतक से एक हथगोला एक .38 बोर रिवाल्वर एक .12 बोर देशी पिस्तौल सक्रिय/निष्क्रीय कारतूसों के साथ और बड़ी मात्रा में देशी बम मिले ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री बी० पी० सिंह पुलिस अधीक्षक ए० के० राय पुलिस उप–अधीक्षक, एस० सी० त्रिपाठी, पुलिस उप–अधीक्षक और बी० ए० सिंह, पुलिस उप–निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्य-परायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता, भी दिनांक 4–4–1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 144–प्रेस/95—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं।

अधिकारी का नाम और पद

श्री लखन लाल
पुलिस उप–निरीक्षक
जिला –इटावा

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है

दिनांक 27–1–92 को श्री लखन लाल उप निरीक्षक सिविल पुलिस को दोपहर 12.00 बजे सूचना प्राप्त हुई कि तुलसी मल्लाह और उसके गिरोह के खूंखार साथी गांव भवनेया में पप्पू मल्लाह नामक व्यक्ति के घर में मौजूद हैं। श्री लखन लाल ने तुरन्त इटावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से सपर्क स्थापित किया और स्थिति की जानकारी देकर अतिरिक्त पुलिस बलों को भेजने का अनुरोध किया। श्री लखन लाल ने कुछ चुनिंदा साथियों को एकत्र किया और उनकी ब्रीफिंग करके ओ० पी० अहरीपुर को रवाना हुए जहां पी० ए० सी० और सिविल पुलिस की टुकड़िया भी पहुंच गई। श्री लखन लाल ने स्थिति का जायजा लिया और पुलिस बल को तीन दलों में विभाजित कर दिया। श्री लखन लाल ने के नेतृत्वाधीन पहले दल ने उत्तरी ओर से गांव पर हमला करना था, दूसरे दल को गांव पर पश्चिमी ओर से हमला करने का निर्देश दिया गया था तथा तीसरे दल को घात लगाने के लिए सेंगुर की घाटियों में तैनात किया, जोकि बचकर भाग निकलने का संभावित रास्ता था। पुलिस दलों ने अपने वाहन वहीं पर छोड़ दिए और खाई की आड़ में वे अपनी मौजूदगी को छिपाते हुए आगे बढ़े। श्री लखन लाल के नेतृत्व वाले पहले दल और दूसरे दल ने योजनानुसार गांव को घेर लिया और डाले गए घेरे को छोटा करना शुरू कर दिया। डाकुओं को पुलिस की मौजूदगी का अहसास हो गया और उन्होंने दक्षिण की ओर से बच कर भागना शुरू कर दिया परन्तु श्री लखन लाल ने उस गिरोह का पीछा किया और आत्मसर्मण के लिए उनको ललकारा। डाकुओं ने श्री लखन लाल पर गोली चलानी शुरू कर दी परन्तु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने बल सहित आगे बढ़े और सामरिक दृष्टि से सुरक्षित एक स्थान पर पहुंच कर पुलिस दलों को निर्देश दिया कि वे गोली-बारी करें । घिरे हुए देखकर डाकुओं ने पूर्व दिशा की ओर पीछे हटना शुरू कर दिया और घाटी में पहुंच गए जहां तीसरा दल पहले ही मोर्चा संभाले हुए था। चारों तरफ से घिरा हुआ पाकर डाकुओं ने श्री लाल पर अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी परन्तु वह खरोंच लगे बिना, बचकर निकल आए । चूंकि गोली बारी का कोई प्रभाव नहीं हो रहा था। अतः श्री लाल ने अपनी जी० एफ० राईफल से हथगोले फैंके। कुछ देर रुकने के बाद, अपनी जान को उत्पन्न खतरे की परवाह किए बगैर श्री लाल नाले में कूद गए और वहां उन्होंने महिला सहित पांच डाकुओं के शव पाए। डाकुओं की पहचान तुलसी राम मल्लाह, गुड्डी उर्फ सरला, पप्पू, भूरा और हीरामन के रूप में हुई जो सभी गिरोह के खूंखार सदस्य थे । घटना स्थल से एक 303 राईफल, एक .315 राईफल, एक एस० बी० बी० एल० बंदूक, दो 315 बोर की पिस्तौलें, एक .12 बोर की पिस्तौल, हथगोले बारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री लखन लाल, पुलिस उप–निरीक्षक, ने अश्रेष्ठ वीरता साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

यह पदक, पुलिस नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 27–1–1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 145 प्रेस 95—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री आर० के० चतुर्वेदी
पुलिस उप अधीक्षक
जिला लखीमपुर–खीरी

श्री मुकेश कुमार
पुलिस उप निरीक्षक
जिला लखीमपुर –खीरी

श्री पुरुषोत्तम सारन
पुलिस उप निरीक्षक
जिला लखीमपुर–खीरी

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है ।

6.7.1992 को श्री आर० के० चतुर्वेदी, पुलिस उप–अधीक्षक को सूचना मिली कि आतंकवादियों का एक सशस्त्र गिरोह आधी रात के बाद मोटियाघाट जिला लखीमपुर खीरी, जिसकी सीमा नेपाल से मिलती है, से गुजरने वाला है । श्री चतुर्वेदी ने आतंकवादी विरोधी अभियान के लिए योजना बनाने के लिए पालिया, मीरा, चन्दन, चौकी और सम्पूर्णा नगर के थानेदारों को एकत्र होने का निदेश दिया। कार्रवाई योजना का निर्णय करने के बाद पुलिस बल मोटियाघाट गया और बल को तीन भागों में विभाजित किया गया। श्री चतुर्वेदी के नेतृत्व प्रथम पार्टी में श्री पुरुषोत्तम सारण थानेदार-मीरा और अन्य थे दुसरी पार्टी का नेतृत्व मुकेश कुमार, थानेदार, पालिया और तीसरी पार्टी का नेतृत्व श्री डी० एस० मिश्रा, थानेदार, सम्पूर्णा नगर, ने किया । तीनों पार्टियां अपने जीवन की परवाह किए बगैर लगभग 5 कि०मी० धीरे-धीरे गए और भागने की आशंका वाली तीन विभिन्न दिशाओं में सामरिक

मोर्चा सम्भाला। पहले दल ने, घात से आने वाले रास्ते पर दक्षिणी किनारे पर मोर्चा सम्भाला। दूसरे दल ने रास्ता के उत्तरी किनारे पर और तीसरे दल ने घने जंगल की आड़ में उबड़-खाबड़ जमीन पर पूर्व दिशा में मोर्चा सम्भाला। कुछ समय के बाद, नेपाल सीमा पर गतिविधि दि ी दी और जैसे वे आगे बढ़े तो पाया गया कि यह गिरोह 6 सशस्त्र आतंकवादियों का था। यह निश्चित करने पर कि ये आतंकवादी हैं, श्री चतुर्वेदी ने उन्हें आत्म-समर्पण करने के लिए ललकारा लेकिन आतंकवादियों ने ऐसा करने के बजाय "खालिस्तान जिन्दाबाद" राज करेगा खालसा" के नारे लगाए और पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। श्री चतुर्वेदी ने अपने व्यक्तियों को तत्काल मोर्चा सभालने के लिए और जवाबी गोलाबारी करने के लिए कहा और सर्वश्री मुकेश कुमार और डी० एन० मिश्रा के नेतृत्व वाली पार्टियों से भी गोलियां चलाने के लिए कहा। पुलिस कार्मिकों का दृढ़निश्चय देखकर आतंकवादी फैल गए तथा मोर्चा संभाल के गोलीबारी करते रहे। उसके बाद, आतंकवादियों की सही स्थिति का पता लगाने और उन्हें हतोत्साहित करने के लिए श्री चतुर्वेदी ने वी० एल० पी० शॉट दागने का निर्देश दिया। श्री चतुर्वेदी पुरुषोत्तम सारन, मुकेश कुमार और डी० एन० मिश्रा अपने-अपने दलों का नेतृत्व करते रहे अपने हथियारों से गोलियां चलाते रहे और आतंकवादियों के मोर्चे की तरफ आगे बढ़ते रहे-डेढ़ घंटे तक चली इस गोलाबारी के बाद आतंकवादियों की तरफ से गोली चलनी बंद हो गई। पुलिस पार्टी ने कुछ समय तक इन्तजार किया और सावधानी से आगे बढ़े और पाया कि चार आतंकवादी मरे पड़े हैं, जबकि दो आतंकवादी जंगल और अंधेरे की आड़ में भागने में कामयाब हो गए हैं। एक मृतक आतंकवादी की शिनाख्त सुखविन्दर सिंह उर्फ तोला के रूप में की गयी जो हत्या और अपहरण के अनेक मामलों में तलाश याफ्ता सेना का भगोड़ा था और उसके सिर पर नकद इनाम था। घटनास्थल से एक ए० के० 47 राईफल, एक ए० के० 56 राईफल, एक एस० एल० आर० राईफल एक .315 राईफल और एक .22 बोर पिस्तौल और भारी मात्रा में सक्रिय कारतूस और गोलाबारूद के बैग मिले।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री आर० के० चतुर्वेदी, पुलिस उप अधीक्षक मुकेश कुमार, पुलिस उप निरीक्षक और पुरुषोत्तम सारन, पुलिस उप निरीक्षक ने अदम्य वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 6-7-1992 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 146/प्रैस/95:—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :

अधिकारी का नाम और पद

श्री शिव नारायण सिंह
पुलिस अधीक्षक,
लखनऊ

श्री राजबीर सिंह त्यागी
पुलिस निरीक्षक,
लखनऊ

श्री अजय कुमार उपाध्याय,
पुलिस उप-निरीक्षक
लखनऊ

श्री नन्द कुमार सिंह
पुलिस उप-निरीक्षक
लखनऊ

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया जाता है :—

दिनांक 9-1-88 की रात्रि को सूचना प्राप्त होने पर, श्री शिव नारायण सिंह, पुलिस अधीक्षक, अपने तीन अधिकारियों, अन्य पुलिस कार्मिकों को मुखबिर को साथ लेकर राजू भटनागर और उसके साथियों को फैजाबाद जाते हुए बीच रास्ते में ही गिरफ्तार करने के लिये इलाहाबाद के लिये रवाना हो गये। इलाहाबाद पहुंचने पर श्री शिव नारायण सिंह ने मुखबिर को भगौड़ों की पहचान करने का निर्देश दिया। कुछ देर बाद जब मुखबिर वापस आया तो उसने बताया कि अपराधी फैजाबाद के लिए रवाना होने से पूर्व कार ठीक कराने के लिये गैराज जायेंगे। श्री शिव नारायण सिंह ने तुरन्त तीन दल बनाए, पहला दल, जिसमें सर्व/श्री राजबीर सिंह, एन० के० सिंह, उप निरीक्षक ए० के० उपाध्याय और मुखबिर शामिल थे, का नेतृत्व श्री शिव नारायण सिंह ने किया। दूसरे दल में सर्व/श्री एल० आर० सिंह पुलिस उपाधीक्षक, जे० के० सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक और सी० बी० पाण्डे थे तथा तीसरे दल, जिसका नेतृत्व सर्व/श्री आर० के० पाण्डे हैड-कांस्टेबल और अखिलेश सिंह कांस्टेबल कर रहे थे जैसे ही अपराधियों की कार आकर रुकी श्री शिव नारायण सिंह ने भगौड़ों को आत्मसमर्पण कर देने के लिय ललकारा परन्तु उन्होंने पुलिस दल पर फायरिंग शुरू कर दी। उनको गिरफ्तार करने के लिये अपनी जान जोखिम में डालकर श्री शिव नारायण सिंह आगे बढ़े खतरे को भांपते हुए श्री राजबीर सिंह निरीक्षक, श्री एन० के० सिंह उप-निरीक्षक और श्री ए० के० उपाध्याय, उप-निरीक्षक गोलियों की बौछारों के बीच से होते हुए जान जोखिम में डालकर आगे बढ़े और आत्म सुरक्षा में गोलियां चलाना शुरु कर दिया।

उपर्युक्त मुठभेड़ में राजू भटनागर मारा गया और ओम प्रकाश उर्फ बबलू गोलियों को घावों सहित तथा ब्रज मोहन नामक उसके दोनों साथी गिरफ्तार कर लिये गये। उनके पास से एक .32 बैब्ले स्काट रिवाल्वर, एक 9 मि० मी० की० पिस्तौल, एक .455 बोर की रिवाल्वर तथा बड़ी मात्रा में बिना चले/खाली कारतूस बरामद किय गये।

इस मुठभेड़ में सर्व/श्री एस० एन० सिंह, पुलिस अधीक्षक, आर० एस० त्यागी, निरीक्षक, ए० के० उपाध्याय, उप-निरीक्षक, और एन० के० सिंह, उप निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस, और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का रिचय दिया।

यह पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 9-1-88 से दिया जायगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

सं० 147-प्रेस/95:—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:

अधिकारी का नाम और पद

श्री दीनानाथ सिंह,
पुलिस उप निरीक्षक,
सिविल पुलिस,
जिला गढ़वाल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया है :—

दिनांक 1-8-1993 को श्री राम आसरे सिंह, पुलिस उप-निरीक्षक, सी० ओ० निधासन, पुलिस बल सहित जिसमें श्री दीना नाथ सिंह, एस०, ओ० निधासन, दो उप-निरीक्षक और 17 हैड कांस्टेबल/कांस्टेबल शामिल थे गांव बुधिया कलां में सुहेरली बैराज पर आतंकवादियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने और तलाशी अभियान चलाने में व्यस्त थे। एक मुखबिर ने आतंकवादियों की योजना के बारे में उन्हें बताया और कहा कि आतंकवादियों की फारेस्ट लेन से होते हुए ओखाड़ा—फार्म की ओर जाने की संभावना है। इस सूचना के मिलते ही, श्री सिंह ने पुलिस दल को सचेत कर दिया और उपलब्ध पुलिस दल को चार दलों में विभाजित कर दिया। श्री राम आसरे सिंह की अगुवाई वाले पहले दल, जिसमें एक हैड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल शामिल थे, ने नहर के तट पर जहां पर आतंकवादियों के आने की संभावना थी, मार्ग के उत्तर में मोर्चा संभाल लिया और दूसरा दल जिसमें श्री दीना नाथ सिंह, उप निरीक्षक और पांच कांस्टेबल शामिल थे, ने पश्चिमी ओर मोर्चा ले लिया। तीसरा दल जिसका नेतृत्व एक उप-निरीक्षक कर रहे थे और जिसमें 4 कांस्टेबल शामिल थे, ने पूर्व की ओर मोर्चा ले लिया तथा चौथा दल, जिसमें 4 कांस्टेबल थे और जिसका नेतृत्व एक उप-निरीक्षक कर रहे थे, को फारेस्ट लेन में आतंकवादियों को रोकने की हिदायत दी गई। करीब 8.15 बजे पूर्वाह्न, सभी पुलिस दलों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली और आधे घण्टे तक प्रतीक्षा करने के बाद देखा कि आतंकवादियों का एक दल दक्षिणी फारेस्ट रोड की ओर से नहर की ओर आ रहा है। जब वे पुलिस दल से करीब 50-60 कदमों की दूरी पर थे, तो एक कांस्टेबल को छींक आ गई जिससे आतंकवादी सतर्क हो गए और पुलिस दल की उपस्थिति का आभास होते ही उन्होंने पुलिस दल पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया और उनको बाहर निकल आने के लिए ललकारा। श्री राम आसरे सिंह ने घोषणा की कि उनको पुलिस द्वारा घेर लिया गया है तथा उन्हें आत्मसर्पण कर देना चाहिए, परन्तु इस पर आतंकवादियों ने श्री सिंह और पुलिस दल पर भारी गोलीबारी करनी शुरू कर दी। श्री सिंह ने पुलिस दल को गोली चलाने का संकेत किया और रेंगकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अपनी निजी जिन्दगी की परवाह न करते हुए श्री सिंह ने आतंकवादियों को उलझाए रखा और अनुकरणीय साहस और वीरता का परिचय दिया, और इस प्रक्रिया में श्री सिंह आतंकवादियों की गोलियां का निशाना बनने से बाल-बाल बचे उधर श्री दीना नाथ सिंह पश्चिमी छोर पर मोर्चा लिए हुए थे और उसके साथ साथ आतंकवादियों को उलझाए हुए थे। दोनों ओर से कुछ देर भारी गोली बारी होती रही। श्री राम आसरे सिंह और उनके साथियों ने आतंकवादियों पर लगातार दबाव बनाये रखा जिसने अन्ततः आतंकवादियों को खामोश कर दिया गया। श्री दीनानाथ सिंह सहित श्री राम आसरे सिंह ने क्षेत्र की तलाशी लेनी शुरू कर दी और तीन आतंकवादियों के शव बरामद किये। मृत आतंकवादियों, जिनकी शिनाख्त सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा, रंजीत सिंह और अमरीक सिंह के रूप में की गई, से .375 बोर की एक इंगलिश राईफल और उसके कारतूस, एक एस० बी० बी० एल, 12 बोर की बन्दूक और जिन्दा कारतूसों सहित .315 बोर की राईफल और के० सी० एफ० पैड की प्रतियां तथा अन्य वस्तुयें बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में श्री दीनानाथ सिंह, पुलिस उप निरीक्षक, ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 1-8-1993 से दिया जायगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक,

सं० 148 प्रेस 95:—राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए सहर्ष पुलिस पदक प्रदान करते हैं:—

अधिकारी का नाम और पद

श्री राजेन्द्र सिंह,
पुलिस उप-अधीक्षक,
देहरादून।

श्री ब्रह्म पाल सिंह,
पुलिस निरीक्षक,
देहरादून।

श्री जगबीर सिंह अत्री,
पुलिस उप निरीक्षक,
देहरादून।

श्री वीर पाल सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
देहरादून।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया है :—

दिनांक 15-9-90 को करीब 11.00 बजे पूर्वाह्न, पुलिस उपाधीक्षक, श्री राजेन्द्र सिंह को सूचना मिली कि स्वचालित हथियारों से लैस छह उग्रवादी डाका डालने के प्रयोजन से स्टेट बैंक आफ पटियाला, हरिद्वार रोड, देहरादून में घुसे हैं। बैंक के गार्ड ने गोली चला के उनमें से एक उग्रवादी को घायल कर दिया जबकि अन्य अपराधियों ने अन्धाधुन्ध गोलीबारी करनी शुरू कर दी और 11 व्यक्तियों को घायल कर दिया, जिनमें से 4 व्यक्ति घावों के कारण मर गये। अलार्म के बजाए जाने पर अपराधी मारुति वैन संख्या यू एम यू-8008 में बचकर भाग निकले। इस सूचना के प्राप्त होने के कारण फौरन बाद श्री ब्रह्म पाल सिंह निरीक्षक श्री सुधीर कुमार त्यागी उप-निरीक्षक वीर पाल सिंह उपनिरीक्षक जगबीर सिंह अत्री उपनिरीक्षक और कांस्टेबल गजेन्द्र सिंह सहित पुलिस उपाधीक्षक श्री राजेन्द्र सिंह अपराधियों का पीछा करने के लिये रवाना हो गये। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्होंने वह वाहन जिसमें अपराधी बचकर भाग निकले थे को कुआं वाला मन्दिर के निकट लावारिस खड़े हुए पाया, जिसका मुंह जंगल की ओर था, श्री राजेन्द्र सिंह ने पुलिस बल को दो दलों में विभाजित किया जिसमें श्री ब्रह्म पाल सिंह निरीक्षक, सुधीर कुमार त्यागी, उप-निरीक्षक, वीर पाल सिंह, उप-निरीक्षक और कांस्टेबल

गजेन्द्र सिंह शामिल थे का नेतृत्व उन्होंने स्वयं किया तथा दूसरे दल का नेतृत्व उप निरीक्षक जगबीर सिंह अन्नी कर रहे थे।

करीब 12.30 बजे अपराह्न श्री राजेन्द्र सिंह और उनकी पार्टी ने देखा कि कुछ अपराधी झाड़ियों में छिपे हुए हैं। उन्होंने आतंकवादियों को समर्पण कर देने के लिये ललकारा। उनमें से एक अपराधी ने अपने साथियों पर जोर से चिल्लाते हुए उसने पुलिस दल पर गोलियां चलाने का निर्देश दिया। अपराधियों ने तुरन्त पुलिस दल पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी। अपराधियों की भारी गोलीबारी से श्री एस के त्यागी उप-निरीक्षक और श्री गजेन्द्र सिंह कांस्टेबल, घायल हो गय। इस बीच श्री गजेन्द्र सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, निरीक्षक ब्रह्म पाल सिंह और उप-निरीक्षक वीर पाल सिंह ने मोर्चे ले लिये और अपराधियों पर भारी गोलीबारी शरू की जिसके परिणामस्वरूप अपराधियों ने भागना शुरू कर दिया। श्री जगबीर सिंह जिन्होंने उस क्षेत्र को घेर रखा था, उनमें से उग्रवादी को पकड़ने में सफल हो गये जिसने स्वयं को अमृतसर का गुरदीप सिंह बताया जो कि के० एल एफ का एक सदस्य था। गुरदीप सिंह से की गई पूछताछ से बाद में गिरोह का संरगना रवीन्द्र सिंह उर्फ भोला को गिरफ्तार किया जा सका, जो कि खालिस्तान लिब्रेशन फोर्स का एक स्वयं भू लफ्टिनेंट जनरल था।

इस मुठभड़ में सर्वश्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, ब्रह्म पाल सिंह, पुलिस निरीक्षक, जगबीर सिंह अन्नी, पुलिस उपनिरीक्षक तथा वीर पाल सिंह पुलिस उपनिरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

वीरता के लिये पुरस्कार, वीरता के लिये पुलिस पदक प्रदान करने के लिये मौजूद नियमो के नियम 4(1) के तहत प्रदान किया जाता है तथा इसके साथ नियम–5 के तहत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी 15–9–90 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान
निदेशक

सं० 149–प्रेस/95:—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक का बार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री रामा श्रय सिंह
पुलिस उप अधीक्षक
जिला खीरी;

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया है :—

दिनांक 1–8–1993 को श्री रामाश्रय सिंह पुलिस उप निरीक्षक, सी० ओ० निधासन पुलिस दल सहित जिसमें श्री दीना नाथ सिंह एस० ओ० निधासन दो उप निरीक्षक और 17 हैड कांस्टेबल/कांस्टेबल शामिल थे गांव बुधिया कलां में मुहेरनी बैराज पर आतंकवादियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने और तलाशी अभियान चलाने में व्यस्त थे। एक मुखबिर ने आतंकवादियों की योजना के बारे में उन्हें बताया और कहा कि आतंकवादियों की फारेस्ट लेन से होते हुए चौखाड़ा—फार्म की ओर जाने की संभावना है। इस सूचना के मिलते ही श्री सिंह ने पुलिस दल को सचेत कर दिया और उपलब्ध पुलिस बल को चार दलों में विभाजित कर दिया। श्री रामाश्रय सिंह की अगुवाई वाले पहले दल जिसमें एक हैड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल शामिल थे ने नहर के तट पर जहां पर आतंकवादियों के आने की संभावना थी, मार्ग के उत्तर में मोर्चा संभाल लिया और दूसरा दल जिसमें श्री दीना नाथ सिंह, उप निरीक्षक और पांच कांस्टेबल शामिल थ ने पश्चिमी ओर मोर्चा ले लिया। तीसरा दल जिसका नेतृत्व एक उप निरीक्षक कर रहे थे और जिसमें 4 कांस्टेबल शामिल थ, ने पूर्व की ओर मोर्चा ले लिया तथा चौथा दल जिसमें 4 कांस्टेबल थे और जिसका नेतृत्व एक उप निरीक्षक कर रहे थे को फारेस्ट लेन में आतंकवादियों को रोकने की हिदायत दी गई। करीब 8.15 बजे पूर्वाह्न सभी पुलिस दलों ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली और आधे घण्टे तक प्रतीक्षा करने के बाद देखा कि आतंकवादियों का एक दल दक्षिणी फारेस्ट रोड की ओर से नहर की ओर आ रहा है। जब ये पुलिस बल से करीब 50-60 कदमों की दूरी पर थे तो एक कांस्टेबल को छींक आ गई जिससे आतंकवादी सतर्क हो गये और पुलिस दल की उपस्थिति का आभास होते ही उन्होंने पुलिस दल पर गोलियां चलाना शुरूकर दिया और उनको बाहर निकल आने के लिय ललकारा। श्री रामाश्रय सिंह ने घोषणा की कि उनको पुलिस द्वारा घेर लिया गया है तथा उन्हें आत्मसर्पण कर देना चाहिये परन्तु इस पर आतंकवादियों ने श्री सिंह और पुलिस दल पर भारी गोलीबारी करनी शुरू कर दी श्री सिंह ने पुलिस दल को गोली चलाने का संकेत दिया और रेंगकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अपनी निजी जिन्दगी की परवाह न करते हुए, श्री सिंह ने आतंकवादियो को उलझाए रखा और अनुकरणीय साहस और वीरता का परिचय दिया और इस प्रक्रिया में श्री सिंह आतंकवादियों की गोलियों का निशाना बनने से बाल-बाल बचे उधर श्री दीना नाथ सिंह पश्चिमी छोर पर मोर्चा लिये हुए थे और उसके साथ साथ आंतकवादियों को उलझाय हुए थ। दोनों ओर से कुछ देर भारी गोलीबारी होती रही। श्री रामाश्रय सिंह और उसके साथियों ने आतंकवादियों पर लगातार दबाव बनाए रखा जिसने अंततः आतंकवादियों को खामोश कर दिया। श्री दीना नाथ सिंह सहित श्री राम आसरे सिंह ने क्षेत्र की तलाशी लेनी शुरू कर दी और तीन आतंकवादियों के शव बरामद किये। मृत आतंकवादियों जिनकी शिनाख्त सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा रंजीत सिंह और अमरीक सिंह के रूप में की गई से .375 बोर की एक इंगलिश राइफल और उसके कारतूस एक एस बी बी एल 12 बोर की बन्दूक और जिन्दा कारतूसों सहित .315 बोर की राइफल और के सी एफ पैड की प्रतियां तथा अन्य वस्तुयें बरामद की गईं।

इस मुठभेड़ में श्री रामाश्रय सिंह पुलिस उप अधीक्षक ने अदम्य वीरता साहस और अच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिवा जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 1–8–1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान,
निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 10 जुलाई 1995

सं० 150–प्रेस/95—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक का वार सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री दया नाथ मिश्रा,
पुलिस उप निरीक्षक,
जिला लखीमपुर–खीरी ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है ।

6–7–92 को श्री आर० के० चतुर्वेदी, पुलिस उप अधीक्षक को सूचना प्राप्त हुई कि आतंकवादियों का एक सशस्त्र गिरोह सम्भवतः आधी रात के बाद नेपाल की सीमा से लगे मोतियाघाट, जिला लखीमपुर खीरी से होकर गुजरेगा । तुरन्त ही श्री चतुर्वेदी ने पलिया, भीरा, चन्दन चौकी और सम्पूर्णनगर के थाना प्रभारियों को आतंकवादियों-विरोधी अभियान के लिए एक योजना बनाने हेतु एकत्र होने का निर्देश जारी किया । की जाने वाली कार्रवाई के बारे में निर्णय लेने के बाद पुलिस बल मोतियाघाट को रवाना हुआ और बल को तीन टुकड़ियों में विभाजित किया । पहले दल की कमान श्री चतुर्वेदी के हाथ में थी और इसमें अन्य के साथ-साथ भीरा के थाना प्रभारी श्री पुरुषोत्तम शरण थे, दूसरे दल का नेतृत्व श्री मुकेश कुमार एस० ओ० पलिया तथा तीसरे का श्री डी० एन० मिश्रा, एस० आ० सम्पूर्णानगर कर रहे थे । सभी दल, अपने जीवन पर संभावित खतरे की बिल्कुल परवाह न करते हुए लगभग 5 कि० मी० तक मार्च बनाते हुए पैदल चले और बचकर भाग निकलने के तीन विभिन्न रास्तों में रणनीतिक महत्व की जगहों पर मोर्चा ले लिया । पहले दल ने घाट से आने वाले रास्ते के दक्षिणी ओर, दूसरे दल ने रास्ते के उत्तरी ओर और तीसरे दल ने ऊंची नीची जमीन पर पूर्वी ओर, घने जंगल की आड़ में पोजीशन ली । कुछ समय के बाद, नेपाल सीमा के पास कुछ हलचल दिखाई दी और जैसे ही वे नजदीक पहुंचे तो पता चला कि यह, 6 सशस्त्र आतंकवादियों का गिरोह है । इस बात की पुष्टि करने के बाद कि वे आतंकवादी हैं, श्री चतुर्वेदी ने उन्हें आत्म-समर्पण के लिए ललकारा लेकिन आत्म-समर्पण के बजाए आतंकवादियों ने "खालिस्तान जिन्दाबाद" "राज करेगा खालसा" के नारे लगाए और पुलिस दल पर अंधाधुन्ध गोलीबारी शुरू कर दी । श्री चतुर्वेदी ने तुरन्त ही अपने आदमियों का पोजीशन लेने और गोली-बारी का जवाब देने को कहा और साथ ही सर्वश्री मुकेश कुमार एवं डी० एन० मिश्रा के नेतृत्व वाले अन्य दोनों दलों को भी गोलियां चलाने का निर्देश दिया । पुलिस कार्मिकों के दृढ़ संकल्प को देखकर, आतंकवादी फैल गए और पोजीशन लेकर गोलियां चलाते रहे । श्री चतुर्वेदी ने तब, आतंकवादियों की ठीक-ठीक अवस्थिति का पता लगाने और उन्हें हतोत्साहित करने के लिए, बी० एल० पी० शाट दागने का आदेश दिया । सर्वश्री चतुर्वेदी, पुरुषोत्तम शरण, मुकेश कुमार और डी० एन० मिश्रा ने अपने-अपने दल का नेतृत्व किया, अपने हथियारों से उन्होंने गोलियां चलाना जारी रखा और वे आतंकवादियों की पोजीशन की ओर बढ़े । डेढ़ घंटे से अधिक समय तक दोनों ओर से गोलियां चलते रहने के बाद, आतंकवादियों की ओर से गोलियां चलना बंद हो गया । पुलिस दल ने कुछ और देर तक इन्तजार किया और फिर सावधानीपूर्वक आगे बढ़ा, आगे बढ़ने पर उन्होंने चार आतंकवादियों को मरा हुआ पाया जबकि दो अन्य आतंकवादी अंधेरे और जंगल की आड़ लेकर बचकर भागने में कामयाब हो गए थे । मारे गए आतंकवादियों में से एक की पहचान सुखविन्दर सिंह उर्फ पोला के रूप में की गई जोकि सेना का भगौड़ा था और हत्याओं एवं अपहरणों के कई मामलों में उसकी तलाश थी, उसके सिर पर नकद इनाम भी था । घटनास्थल से एक ए० के०–47 राइफल, एक ए० के०–56 राइफल, एक एस० एल० आर०, .315 बोर की एक राइफल और .22 बोर की एक पिस्तौल सहित भारी मात्रा में जिन्दा कारतूस तथा गोली-बारूद के खाली बरामद किए गए ।

इस मुठभेड़ में श्री दयानाथ मिश्रा, पुलिस उप निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस तथा उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

वीरता के लिए यह पुरस्कार, वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करने के लिए मौजूद नियमों के नियम 4 (i) के तहत प्रदान किया जाता है तथा इसके साथ नियम 5 के अधीन स्वीकार्य विशेष भत्ता, 6–7–1992 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान, निदेशक

सं० 151–प्रेस/95—राष्ट्रपति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री आर० के० शर्मा,
पुलिस महानिरीक्षक,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री पी० एस० चौधरी,
सेकन्ड-इन-कमान्ड,
7वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री के० एस० नायर,
पुलिस उप अधीक्षक
7वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री ज्ञान सिंह,
हैड कांस्टेबल,
36वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री राम नरेश,
लांसनायक,
14वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

श्री राम लाल चौधरी (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल
14वीं बटालियन,
केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है ।

24–12–1990 को जब श्री के० एस० नायर पुलिस उप अधीक्षक के नेतृत्व में 7वीं बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 3 पलाटूनें गांव तलवन्डी राय डाडू और फतेहवाल में तलाशी अभियान चला रही थीं तो उन पर आतंकवादियों ने गन्ने के खेत से लगभग 1.30 बजे भारी गोलीबारी की । श्री राम लाल चौधरी, कांस्टेबल तत्काल और अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना, आतंकवादियों को उलझाए रखने के लिए खेतों से होकर आगे बढ़े और अपनी एस० एल० आर० से 20 गोलियां चलायीं । इस प्रक्रिया में वे गम्भीर रूप से जख्मी हो गए और जख्मों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया । उनके इस कारनामे से आतंकवादियों को भागने में देर हुई जो गन्ने के खेत से लगभग 600 गज की दूरी पर स्थित गांव फतेहवाल की तरफ भाग गए । आतंकवादी भाग न सकें, इसलिए श्री के० एस० नायर, पुलिस उप-निरीक्षक ने 2 पलाटूनों के साथ गांव की घेराबन्दी कर दी । मुठभेड़ की सूचना मिलने पर श्री पी० एस० चौधरी,

2आई/सी० तुरन्त घटनास्थल की तरफ पहुंचे और स्थिति का नियंत्रण उन्होंने अपने हाथ में ले लिया तथा अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना उन्होंने आतंकवादियों के भागने के सम्भावित रास्तों को बंद करने के लिए क्षेत्र के घेरे को संकुचित कर दिया, तब तक कुमुक पहुंच गई ।

लगभग 1 बजे अपराह्न श्री आर० के० शर्मा पुलिस महानिरीक्षक (आपरेशन) ने कुमुक के साथ घटनास्थल पहुंच कर स्थिति की जानकारी ली । सूचना के आधार पर, श्री शर्मा ने आतंकवादियों की शिनाख्त, कुख्यात आतंकवादी सतनाम सिंह चिधी, प्रारा और उसके गिरोह के रूप में की । सतनाम सिंह 250 से अधिक हत्याओं के लिए जिम्मेवार था और उसके सिर पर 10 लाख रु० का इनाम था, जो पुलिस और जनता के बीच इस बात के लिए गाथा बन चुका था, कि उसने बड़े दुःसाहस के साथ और अपना बचाव करते हुए बड़े से बड़े घेरों को तोड़ दिया था । इस बात को और ध्यान में रखते हुए कि सूरज छिपने वाला है, श्री शर्मा ने महसूस किया कि अब समय गंवाना व्यर्थ है अन्यथा पूरा अभियान बेकार हो जाएगा । श्री शर्मा तुरंत वाहन में बैठे और गन्ने के खेतों से होकर गए, जिनका अनुसरण श्री पी० एस० चौधरी और दूसरे पुलिस उप–अधीक्षक ने किया लेकिन कोई आतंकवादी नहीं पाया गया । इस साहसिक कदम से, खेत की व्यर्थ घेराबंदी नहीं करनी पड़ी, जबकि आतंकवादी यहां से भाग चुके थे । बाद में यह पता लगा कि आतंकवादी गांव में छिपे हुए थे और विस्तृत छानबीन के बाद उस घर की पहचान की गई जहां आतंकवादी छिपे हुए थे । चूंकि अंधेरा हो रहा था, श्री शर्मा ने एक कोने से घर-घर की तलाशी शुरू कर दी, जबकि श्री चौधरी और श्री नायर ने दूसरे सिरे से तलाशी शुरू की । जैसे दोनों तलाशी दल उस घर के नजदीक आ रहे थे, जहां पर आतंकवादी छिपे हुए थे और जो ऊंची इमारतों से घिरा हुआ था पार्टी पर दोनों मकानों की छत से गोलियां चलायी गयी । भारी गोलीबारी के बावजूद, श्री शर्मा आगे रहे और लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे । इसी बीच श्री चौधरी एक्टिंग कमांडेंट एक छत से दूसरी छत पर गए और आतंकवादियों पर प्रभावी गोलीबारी की और उन्होंने एक आतंकवादी को मार गिराया । श्री शान सिंह, हैड कांस्टेबल ने देखा कि एक आतंकवादी एक कमरे की छत से श्री शर्मा पर गोली चला रहा है । श्री शान सिंह ने आतंकवादी पर एक हथगोला फेंका और उसे निष्क्रिय कर दिया । श्री नायर जिसने गांव का प्रभावी रूप से घेरा डाला था, ने भारी गोलीबारी होने के बावजूद आतंकवादियों पर भारी गोलीबारी की और उन्हें उलझाए रखा ताकि अन्य ग्रुप अपनी कार्रवाई करते रहें । श्री राम नरेश, पुलिस महा–निरीक्षक सुरक्षा पार्टी का लांसनायक, ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना और श्री पी० एस० चौधरी के मार्ग-निर्देशन में आतंकवादी पर भारी गोलीबारी की, जो सबसे ऊंची इमारत की छत से गोलियां चला रहा था और इससे पहले कि वह बल के कार्मिकों को कोई नुकसान पहुंचाता, उसे गोली मार दी गई । अंततः लगभग 1730 बजे आतंकवादियों की तरफ से गोलीबारी बंद हो गयी । इस मुठभेड़ में तीन कुख्यात आतंकवादी मारे गए, उनमें से एक की शिनाख्त सतनाम सिंह उर्फ सत्ता उर्फ चिधिरिया के० एल० एफ० के स्वयं भू ले० जनरल के रूप में की गई ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री आर० के० शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक, पी० एस० चौधरी, 2–आई/सी०, के० एस० नायर, पुलिस उप–अधीक्षक शान सिंह, हैड कांस्टेबल राम नरेश, लांसनायक और आर० एल० चौधरी, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 24-12-1990 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान, निदेशक

सं० 152–पैस /95–राष्ट्रपति के० रि० पु० ब० के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं ।

अधिकारी का नाम और पद

श्री रनदीप दत्ता,

उप–कमांडेंट

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है ।

21-1-1994 को पुलिस महानिदेशक पंजाब ने तृतीय कमान्डो बटालियन के कमान्डेन्ट वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोपड़ (स्वर्गीय) श्री गुरूदेव सिंह साही (जिनकी आन्ध्र प्रदेश में नक्सल तथा विरोधी ड्यूटी के दौरान 26-11-94 को एक सुरंग विस्फोट में मृत्यु हो गई) और श्री एस० पी० एस० बसरा, पुलिस अधीक्षक आपरेशन को बुलाया और सूचित किया कि बब्बर खालसा इन्टरनेशनल के दो कुख्यात आतंकवादी जिला रोपड़ गांव धरमगढ़ के गुरमुख सिंह जाट के घर में छिपे हुए हैं और उनको उस घर पर छापा मारने का आदेश दिया । यह सूचना मिलने पर पंजाब पुलिस के कार्मिक, पुलिस कमान्डो और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिक तुरंत उस जगह के लिए चल पड़े । क्षेत्र में पहुंचने पर श्री रनदीप दत्ता, उप कमांडेंट के नेतृत्व में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की पार्टी को गांव का घेरा डालने के लिए तैनात किया गया और सर्वश्री एस० पी० एस० बसरा परमराज सिंह, पुलिस अधीक्षक (जासूसी) और जी० एस० साही के नेतृत्व में हमलावर पार्टियों का गठन किया गया । पूरी ब्रीफिंग करने और घेरा डालने के बाद, लगभग 1.15 बजे अपराह्न को सर्व श्री बसरा, जी० एस० साही, परमराज सिंह और रनदीप दत्ता, गांव में गए, घर की छत पर चढ़कर पोजिशन ले ली स्थिति का जायजा लेने के बाद, सर्वश्री बसरा, साही और सिंह, सीढ़ियों से नीचे गए और घर के अन्दर रहने वालों से दरवाजा खोलने और बाहर आने के लिए कहा लेकिन ऐसा करने के बजाय उन पर स्वचालित हथियारों से गोलियों की बौछार की गयी, जो खिड़कियों और दरवाजों को छेदती हुई बाहर आयी । घर के बाहर मोर्चा सम्भाले कमान्डों ने कारगर फायरिंग से कवर प्रदान किया जिसकी आड़ लेते हुए श्री बसरा और श्री साही कुहनियों के बल रेंगते हुए कमरे के किनारे तक गए । कमान्डों द्वारा की जा रही गोलीबारी प्रभावी न होते देख छत से हमला करने का निर्णय लिया गया । सर्वश्री बसरा, साही, परमराज सिंह छत पर चढ़े और श्री दत्ता के साथ हो लिए और उन्होंने छत पर छेद करना शुरू कर दिया । इस पर आतंकवादियों ने छत की तरफ गोलीबारी शुरू कर दी, जो छत से बाहर आयी, और अधिकारियों के जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया छत की तरफ की हो रही भारी गोलीबारी से विचलित हुए बिना छत पर किए गए सुराख से अधिकारियों ने एल० एम० जी० और ए० के० 47 राइफलों द्वारा कमरे के भीतर गोलियां चलायीं । कमरे के अन्दर से एक आतंकवादी ने दरवाजा खोलने और बाहर भाग निकलने की कोशिश की लेकिन बाहर तैनात कमान्डों ने भारी गोलीबारी की जिससे आतंकवादी वापस कमरे में जाने के लिए बाध्य हो गए । इसी बीच एक कांस्टेबल, जिसने भाग रहे आतंकवादी पर गोली चलायी थी पर अन्य आतंकवादियों ने गोलियां चलायीं, जिसके परिणामस्वरूप उसकी छाती और कन्धे पर घाव हो गये और उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया । उसके बाद कमरे के अन्दर हथगोला फेंकने का निर्णय लिया गया, ये अधिकारी एक बार फिर रेंगते हुए छत में किए गए छेद की तरफ गए और छेद से एम० ई–36 हथगोला अन्दर फेंका जबकि श्री दत्ता अपने कार्मिकों के साथ, एल० एम० जी०/ए० के० 47 राईफलों से गोलीबारी करते रहे और इस प्रकार से कवरिंग फायर करते रहे, लेकिन आतंकवादी पूरे समय अन्दर से गोलियों की बौछार करते रहे बाद में अश्रु गैस के गोले भी अन्दर डाले गए और भारी गोलीबारी में एक आतंकवादी गम्भीर रूप से जख्मी हो गया । सर्वश्री बसरा, परमराज सिंह, जी० एस० साही और रनदीप दत्ता द्वारा की गयी प्रभावी गोलीबारी के परिणामस्वरूप आतंकवादियों का सफाया हो गया । आग बुझाने के लिए अग्नि शमन ब्रिगेड को बुलाया गया । कमरे की तलाशी ली गयी, कमरे के अन्दर से दो आतंकवादियों के मृत

शरीर मिले । दो ए० के० 47 राइफलें, एक पिस्तौल और भारी मात्रा में गोला-बारूद बरामद किया गया । आतंकवादियों की पहचान सज्जन सिंह उर्फ हैप्पी और सरदूल सिंह उर्फ बुला, वी० के० आई० के० ले० जनरल के रूप में की गयी जो दोनों कुख्यात आतंकवादी थे, वे अनेक हत्याओं, अपहरणों और लूट-मार इत्यादि में अन्तर्ग्रस्त थे ।

इस मुठभेड़ में श्री रनदीप दत्ता, उप कमान्डेन्ट ने अदम्य वीरता साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 21 जनवरी, 1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान, निदेशक

सं० 153-प्रैस/95—राष्ट्रपति भारत तिब्बत सीमा पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री गरीब सिंह,
कांस्टेबल/ड्राइवर,
24 बटालियन, भा० ति० सी० पु०,
श्रीनगर ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

दिनांक 11-3-1994 को एक 7 टन और एक 5 टन के वाहनों और एक बस में सवार भारत तिब्बत सीमा पुलिस का एक कारवां जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हुआ । 50 सवारियों से युक्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस की बस को कांस्टेबल/ड्राइवर गरीब सिंह चला रहे थे । जिस समय बस ऊपरी मुण्डा के निकट मुड़ रही थी तो उग्रवादियों ने दाहिनी ओर से सड़क के ऊपर से ए० के०-47 राईफल का प्रयोग करके गोलीबारी अचानक शुरू कर दी जिससे पांच यात्री घायल हो गए । जिस समय सशस्त्र अनुरक्षक दल उग्रवादियों की गोलीबारी का जवाब दे रहा था, तो ड्राइवर गरीब सिंह बस को ऊंची पहाड़ी की ओर करके चलाते रहे और पहाड़ी क्षेत्र में उन्होंने बस की गति तेज कर दी और इस प्रकार उग्रवादियों के सीधे आक्रमण से बचाकर, एक यात्री जिसकी बाद में मृत्यु हो गई के सिवाय, सभी यात्रियों को बचाने में सफल हो गए । कांस्टेबल गरीब सिंह ने अपनी सैनिक पृष्ठभूमि का लाभ उठाते हुए उसके बाद में होने वाले आक्रमण को भांप लिया और सावधानी से बस को उसी गति में चलाना जारी रखा । यद्यपि वे सड़क की विपरीत दिशा में बस चला रहे थे फिर भी उन्होंने बस को उसी गति से चलाना जारी रखा । और मोड़ और विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों से बस को बचाया । जैसी आशंका थी, उग्रवादियों ने दो और आक्रमण किए जो कि अधिक भीषण और घातक थे । अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बगैर ड्राईवर गरीब सिंह ने गोलियों की बौछार के बीच वाहन चलाते हुए यात्रियों के अमूल्य जीवन और सरकारी सम्पत्ति की रक्षा की।

इस मुठभेड़ में श्री गरीब सिंह, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

वीरता के लिए पुरस्कार, वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करने के लिए मौजूद नियमों के नियम 4 (i) के तहत प्रदान किया जाता है तथा इसके साथ नियम 5 के तहत, स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11-3-1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान, निदेशक

सं० 154-प्रैस/95—राष्ट्रपति, पश्चिम बंगाल पुलिस के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री रजत कुमार मजूमदार,
पुलिस उप महा निरीक्षक,
सी० आई० डी० (आपरेशन)
पश्चिम बंगाल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है ।

दिनांक 19-1-1991 को भारी संख्या में हत्याओं (चार पुलिस कार्मिकों सहित) तथा डकैतियों में अन्तर्ग्रस्त आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री एस० जे० फिलिप, की देख रेख में तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (सी० आई० डी०) श्री आर० के० मजूमदार की अगुवाई में सी० आई० डी० के द्रुत प्रतिक्रिया दल को पुरुलिया में तैनात किया गया था। यह दल पुरुलिया में दिनांक 10-1-91 को लगभग 6.30 बजे पहुंच गया ।

लगभग 7.10 बजे, दल को रानी बांध के निकट एक आतंकवादी की गतिविधि के बारे में सूचना मिली । पथप्रदर्शक के रूप में स्थानीय उप निरीक्षक को साथ लेकर यह पुलिस दल लगभग 7.30 बजे घटना स्थल पर पहुंच गया । स्थानीय ग्रामीणों की मदद लेते हुए पुलिस ने आतंकवादी को पहचान लिया । आतंकवादी का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस दल उसके नजदीक पहुंचा और आत्म समर्पण के लिए उसे बार-बार ललकारा किन्तु सब व्यर्थ गया । बदले में आतंकवादी ने पुलिस दल पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया और एक सुरक्षात्मक कच्चे भराव के पीछे आड़ ले ली । श्री एस० जे० फिलिप ने अपनी पिस्तौल से तीन गोलियां चलाकर आतंकवादी की ओर से हो रही गोलीबारी का तत्काल जवाब दिया ।

इस स्थिति में, श्री मजूमदार ने आतंकवादी से अकेले ही उलझने के लिए खुले मैदान में रेंगकर आगे बढ़ने का निर्णय लिया । उन्होंने अपने कर्मियों से सुरक्षात्मक गोलीबारी (कवरिंग फायर) करने को कहा । श्री मजूमदार ने इस रणनीतिक स्थिति में आकर अपनी स्टेन मशीन कारबाईन से अचानक आक्रमण किया और आतंकवादी को मौत के घाट उतार दिया ।

मुठभेड़ स्थल से, हत्या किए गए पुलिस कार्मिक से छीनी गयी एक .38 बोर की सर्विस रिवाल्वर के साथ कुछ चले हुए और बिना चले कारतूस और 303 बोर की मैगजीन बरामद की गई।

इस मुठभेड़ मे श्री आर० के० मजूमदार, पुलिस उप-महानिदेशक, ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अंतर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 19-1-1991 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान, निदेशक

सं० 155-प्रैस/95—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्न-लिखित अधिकारी को वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :

अधिकारी का नाम और पद

श्री मुहम्मद अकरम
कांस्टेबल,
97वीं बटालियन, सी सु ब

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

27 जुलाई, 1994 को सूचना प्राप्त हुई कि गांव चूंदना में कुछ विद्रोही देखे गए हैं। सीमा सुरक्षा बल की 97वीं बटालियन के कमांडेंट, उपलब्ध बल के साथ दो बलों में इस सूचना की जांच के लिए निकल पड़े, पहला दल जोकि एक सहायक कमांडेंट के अधीन था, गांव गोगजीगुंड से होकर उत्तर पूर्वी दिशा से गांव के निकट पहुंचा। कमांडेंट के नेतृत्व वाला मुख्य दल गांव हाटबूड़ा से होते हुए उत्तर-पश्चिमी दिशा से गांव के पास पहुंचा। लगभग 11.30 बजे जब मुख्य टुकड़ी, गांव चूंदना की बाहरी सीमा पर पहुंची तो आगे चल रहे वाहन को अपनी गति धीमी करनी पड़ी क्योंकि गांव की ओर से एक ट्रक आ रहा था। जैसे ही ट्रक उस वाहन को पार करके आगे निकला, वाहन पर सड़क के दोनों ओर से भारी गोलीबारी शुरू हो गई। तुरन्त ही कमांडेंट अपनी जिप्सी से नीचे उतरे ताकि जवाबी आक्रमण की तैयारी की जा सके। अपने कमांडेंट को जिप्सी से बाहर देखकर कांस्टेबल मुहम्मद अकरम बाहर निकला और अपने कमांडेंट के आगे खड़ा होकर विद्रोहियों पर गोली चलाने लगा। कमांडेंट के आगे खड़े रहने के समय श्री अकरम की छाती में दाहिनी ओर एक गोली लगी लेकिन वह विचलित नहीं हुआ और जवाब में गोली चलाता रहा। इसी बीच कमांडेंट ने अपने गश्ती दल को पुनर्गठित किया और विद्रोहियों को घेरने में सफल हो गए। दोनों ओर से चली गोलियों से तीन उग्रवादी (विदेशी नागरिक) मारे गए। इसी बीच कांस्टेबल मुहम्मद अकरम गिर पड़ा और उसे वहां से उठाकर ले जाया गया परन्तु अस्पताल ले जाने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई।

तलाशी के दौरान, मृत उग्रवादियों के पास से तीन मैगजीनों सहित एक स्नाइपर राइफल, ग्रेनेड फायरिंग अटेचमेंट सहित एक ए० के०-47 राइफल, चीन निर्मित एक पिस्तौल, एक हथगोला और भारी मात्रा में गोलीबारूद बरामद किया गया।

इस मुठभेड़ में श्री मुहम्मद अकरम, कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया।

यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 27-7-94 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान, निदेशक

सं० 156-प्रैस/95—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्न-लिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :

अधिकारी का नाम और पद

श्री हीरा बहादुर छेत्री
हैड कांस्टेबल,
19वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

श्री अनिल कुमार
कांस्टेबल/ड्राइवर
19वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

श्री गुरजीत सिंह
कांस्टेबल,
19वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

19वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट को सूचना मिली कि एक खूंखार अफगानिस्तानी भाड़े के सैनिक, मो० अकबर कुरेशी उर्फ अकबर भाई के नेतृत्व में हिज्जबुल मुज्जाहिदीन गिरोह के उग्रवादी 7-8-1993 को सीमा सुरक्षा बल की एस० बी० आई० और जे० एण्ड के० बैंक चौकियों पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। मुस्लिम पीर, के० राल रंग, शालपोर और आरामपुरा के इर्द गिर्द संदिग्ध ठिकानों को घेरा गया। एक पार्टी ने, जे० एण्ड के० बैंक के नजदीक फल बाजार के सामने वाली लेन को क्लीयर करना शुरू किया। लगभग 9.15 बजे जब सीमा सुरक्षा बल पार्टी फोर्क लेन जंक्शन पर पहुंची तो इस दल पर आस-पास की लेनों से भारी गोलीबारी की गयी। सीमा सुरक्षा बल पार्टी ने आत्म रक्षा में जवाबी गोलियां चलायी। हैड कांस्टेबल हीरा बहादुर छेत्री, ने अन्य के साथ लेन के दाहिनी तरफ मोर्चा संभाला जबकि एक उप निरीक्षक और अन्य ने लेन के बायीं ओर मोर्चा संभाला। उसके बाद पार्टियों ने उग्रवादियों पर गोलीबारी शुरू की। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में एक कांस्टेबल के पेट

के नीचे हिस्से में उग्रवादियों द्वारा चलायी गयी गोली लगी। श्री छेत्री एक नायक के साथ जख्मी कांस्टेबल को तत्काल, परिसर की दीवार के पीछे ले गए। उसके बाद उन्होंने उग्रवादियों को उलझाए रखा। इस दरम्यान श्री छेत्री की सबीन कारबाईन में कुछ तकनीकी खराबी आ गयी लेकिन उन्होंने बिना समय गंवाए तत्काल जख्मी कांस्टेबल की राईफल ली और उग्रवादियों पर गोलियों की बौछार करते रहे।

इसी बीच, कांस्टेबल/ड्राईवर अनिल कुमार, अपनी बुलेट प्रूफ मोबाईल बंकर में उग्रवादियों की तरफ बढ़े और सभी दिशाओं से उग्रवादियों द्वारा की जा रही गोलीबारी के बावजूद अपने वाहन में जख्मी व्यक्तियों को हटाने के काम में सक्रिय रहे। जख्मी व्यक्तियों को हटाने के दौरान एक गोली ड्राईवर अनिल कुमार के घुटने में लगी। गम्भीर रूप से जख्मी हो जाने के बावजूद, कांस्टेबल अनिल कुमार विचलित नहीं हुए और आतंकवादियों द्वारा की जा रही भारी गोलीबारी का सामना करते हुए उन्होंने जख्मी व्यक्तियों को सुरक्षित वहां से हटाया।

कांस्टेबल गुरजीत सिंह, जो हमलावर पार्टी में थे, पर उग्रवादियों ने भारी गोलीबारी की। श्री सिंह ने एक उप निरीक्षक के साथ लेन के बायीं तरफ मोर्चा संभाला और उग्रवादियों पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। दोनों तरफ से हुई गोलीबारी में तीन कांस्टेबल गम्भीर रूप से जख्मी हो गए। पार्टी कमांडर ने कमांडेंट को जख्मी व्यक्तियों को हटाने के लिए बन्दोबस्त करने का अनुरोध किया। बुलेट प्रूफ मोबाईल बंकर में एक दल तत्काल घटनास्थल पर पहुंचा। उग्रवादियों ने बचाव दल पर भारी गोलीबारी की और उनके कार्य को ज्यादा कठिन और जोखिमपूर्ण बना दिया। यह देखते हुए कांस्टेबल गुरजीत सिंह अपनी जान को जोखिम में डालते हुए, उग्रवादियों द्वारा की जा रही गोलियों की बौछार की परवाह न करते हुए, तेजी से आगे बढ़े और भवन की पहली मंजिल पर मोर्चा संभाला। इस प्रकार से भारी गोलीबारी करके वे उग्रवादियों पर नियंत्रण पाने में कामयाब हो गए, जिससे जख्मी कार्मिकों को हटाने का कार्य आसान हो गया। उसके बाद हुई भारी गोलीबारी के दौरान तीन उग्रवादी मारे गए (खूंखार उग्रवादी अकबर भाई सहित) जिन्हें उनके साथी ले गए। कड़े मुकाबले के कारण हताश हुए उग्रवादियों ने कुछ हथगोले फैंके, जिसके परिणामस्वरूप श्री छेत्री हथगोलों के टुकड़ों से जख्मी हो गए लेकिन वे विचलित नहीं हुए और उन्होंने मोर्चा संभाले रखा।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री एल० बी० छेत्री, कांस्टेबल, अनिल कुमार, कांस्टेबल और गुरजीत सिंह कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 (1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 7-8-1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान, निदेशक

सं० 157-प्रेस/95—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री गोविन्द लाल शर्मा,
उप-कमांडेन्ट
73वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री राजेन्द्र सिंह परमार,
कांस्टेबल,
73वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

दक्षिणी सोपोर में उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में विशिष्ट सूचना मिली पर 25.2.94 को श्री जी० एल० शर्मा उप कमांडेन्ट, एक कम्पनी और कमांडो प्लाटून के साथ दक्षिणी सोपोर की गश्त पर गए। जब वे रास्ते में थे तो उग्रवादियों ने हथगोले फैंके और उसके बाद पार्टी पर भारी गोलीबारी की। श्री शर्मा ने पास की दीवार के पीछे मोर्चा सम्भाला और अपने कार्मिकों को उस घर को घेरने का आदेश दिया जहां से गोलीबारी की जा रही थी। इसी बीच श्री राज सिंह, डी० पी० कार्यकारी कमांडेंट कुमुक के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए और मकान पर धावा बोलने वाले दल में शामिल हो गए। उग्रवादियों ने उस दिशा की ओर 3 हथगोले फैंके जहां से सीमा सुरक्षा बल दल आ रहा था। श्री शर्मा और उसके साथी हथगोले के टुकड़ों से जख्मी हो गए।

मकान में पहुंचने पर, कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह परमार और कांस्टेबल तरसेम सिंह दूसरी बार अलग-अलग हुए और घर के सामने की खिड़की को तोड़ दिया और कमरे में गोलीबारी की। उसके बाद तेजी से श्री जी० एल० शर्मा, डी० सी०, उप निरीक्षक राजबीर सिंह और कांस्टेबल पी० टी० कृष्ण कुमार भी कमरे में दाखिल हुए। कांस्टेबल तरसेम सिंह और उप निरीक्षक राजबीर सिंह ने पहले कमरे को क्लीयर किया जबकि श्री जी० एल० शर्मा, डी० सी० और कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह परमार पास के कमरे को क्लीयर करने के लिए आगे बढ़े। उग्रवादियों और इस पार्टी के बीच भारी गोलीबारी हुई। श्री जी० एल० शर्मा, डी० सी० और कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह परमार, नजदीक से उग्रवादियों द्वारा की गयी गोलियों से दूसरी बार संयोगवश बच गए। इस गोलीबारी में एक उग्रवादी बुरी तरह से घायल हो गया।

श्री राजबीर सिंह, उप-निरीक्षक, ने पी० टी० कृष्ण कुमार, कांस्टेबल और कांस्टेबल तरसेम सिंह के साथ हथगोले फैंके और उग्रवादियों पर गोलीबारी करके भूतल के शेष दो कमरों को क्लीयर किया। उप-निरीक्षक राजबीर सिंह और कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह परमार, उसके बाद प्रथम तल को क्लीयर करने के लिए एक दूसरे की तरफ पीठ करके सीढ़ियों से ऊपर चढ़े, श्री राजेन्द्र सिंह परमार, कांस्टेबल ने देखा कि एक दूसरा उग्रवादी रजाईयों के चट्टे के पीछे छिपा हुआ है और उन पर निशाना साधे हुए है। राजेन्द्र सिंह ने स्वयं पहल की और अपनी स्वचालित राईफल से गोली चलाई और उग्रवादी को घटनास्थल पर ही मार गिराया। उप-निरीक्षक राजबीर सिंह और कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह परमार ने उसके बाद मकान के सम्पूर्ण प्रथम तल को क्लीयर किया।

मृतक उग्रवादियों की शिनाख्त बाद में परवेज अहमद दार कोड-लिपा पुत्र/श्री अब्दुल रहमान दार, निवासी बाबा राजा, सौपोर, एक स्वयं भू-कम्पनी कमान्डर और मंजूर अहमद नाजार, के रूप में की गयी, जो दोनों ही हिज्जुबुल मुज्जाहिद्दीन गिरोह के सेक्शन कमांडर थे। उग्रवादियों के शवों के नजदीक दो ए० के० 56 राईफलें और भारी मात्रा में गोलाबारूद बरामद हुआ।

इस मुठभेड़ में, सर्वश्री जी० एल० शर्मा, उप कमांडेंट और आर० एस० परमार, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 25-2-1994 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान, निदेशक

सं० 158-प्रेस/95—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए सहर्ष पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री जीवन तमंग
सूबेदार,
39वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है :—

दिनांक 11-6-1993 को सीमा सुरक्षा बल की 39 वीं बटालियन के जवान, सूबेदार जीवन तमंग की देखरेख में "जाब ट्रेनिंग" पर थे। करीब 9.30 बजे सशस्त्र उग्रवादियों के एक गिरोह ने सैनिक काफिले पर घात लगाकर हमला कर दिया। गोलीबारी की आवाज सुन कर सूबेदार तमंग हमले के स्थान पर तेजी से पहुंचे। वहां पहुंचने पर, उन्होंने अपने साथियों को मोर्चा संभालने का आदेश दिया। जिस समय सीमा सुरक्षा बल के जवान मोर्चा ले रहे थे तो उन पर तीन ओर से भारी गोलीबारी की गई। साथ के खेतों में बड़ी संख्या में सिविलियन खेतों में कार्यरत थे। निर्दोष लोगों की जान को क्षति न पहुंचे, इसलिए सूबेदार तमंग ने लोगों को उस स्थान से हटा दिया। इस बीच उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और फिर बचकर भाग निकलने के सभी रास्तों को बन्द करने का निर्णय लिया। कुछेक जवानों को साथ लेकर वह स्वयं क्षेत्र की दांई ओर से गए और उग्रवादियों के बचकर भाग निकलने के मुख्य मार्ग को सफलतापूर्वक बंद कर दिया। उन्होंने फिर मुख्य टुकड़ी को तीन दलों में विभाजित कर दिया, जिनमें से प्रत्येक के पास एक एल० एम० जी० थी। प्रत्येक सदस्य ने मोर्चा संभाल लिया है यह सुनिश्चित कर लेने पर सूबेदार तमंग ने अपने कार्मिकों को उग्रवादियों पर गोली चलाने का आदेश दिया। जवाब में उग्रवदियों ने भी स्वचालित शस्त्रों से सीमा सुरक्षा बल के जवानों पर अत्यधिक गोलियां चलाई। गोलीबारी की आड़ में उग्रवादियों ने बचकर भागना शुरू कर दिया। सूबेदार तमंग ने सेब के बाग की आड़ लै रखी थी उसका पूरा-पूरा लाभ उठाकर वे घात लगाए गए स्थान के निकट आते गए। जब वे काफी निकट पहुंच गए तो उन्होंने सीमा सुरक्षा बल पर फायरिंग कर रहे उग्रवादियों पर भारी आक्रमण किया। श्री तमंग को भारी गोलीबारी करते हुए दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ते देख, एक उग्रवादी ने श्री तमंग पर एक हथगोला फेंका। भीषण गोलीबारी की परवाह किए बगैर, श्री तमंग ने अपना धैर्य और संयम बनाए रखा और निकटता से उग्रवादियों पर गोलियां चलाई। इससे उग्रवादियों की ओर से हो रही गोलीबारी थम गई। फलस्वरूप तीन उग्रवादी (सभी विदेशी नागरिक) मारे गए।

तलाशी के दौरान, मुठभेड़ स्थल से एक यू० एम० जी०, एक ए०के०-56 राईफल, एक यू० एम० जी० ड्रम टाईप मैगजीन (9 जिन्दा कारतूसों से भरी हुई) बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में श्री जीवन तमंग, सूबेदार ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

वीरता के लिए पुरस्कार, वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करने के लिए मौजूद नियमों के नियम 4(1) के तहत प्रदान किया जाता है तथा इसके साथ नियम 5 के तहत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 11-6-93 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान, निदेशक

सं० 159-प्रेपं०/95—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री एस० के० त्यागी
पुलिस निरीक्षक
153 बटालियन
सी० सु० ब० ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया :—

21-11-1993 को सी०सु० ब० की एक टीम, बारामूला के पेत सीर गांव में छापा/तलाशी के लिए सैक्टर मुख्यालय से चली । लगभग 12-30 बजे जब एक घर की तलाशी चल रही थी तो एक लांस नायक एवं सफाई कर्मचारी के साथ निरीक्षक त्यागी छत पर चढ़ गए और उन्होंने पाया कि साथ लगे कमरों की दो दीवालों के बीच बनाए गए छिपने के एक स्थान का प्रवेश मार्ग वहां से था । भीतर छिपे उग्रवादियों ने अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दी और सफाई कर्मचारी को गम्भीर रूप से घायल कर दिया । निकट ही खड़े, निरीक्षक त्यागी अपनी जान की परवाह किए बिना तुरन्त ही आगे बढ़े, श्री खान को खींचा और उन्हें एक सुरक्षित स्थान पर ले गए लेकिन गम्भीर रूप से घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई । इस बीच उग्रवादियों ने सी०सु०ब० के दल पर गोलियां चलाना जारी रखा । निरीक्षक त्यागी ने मोर्चा लिया और अपनी राईफल से जवाबी गोलीबारी की । कुछ देर तक दोनों ओर से गोलियां चलती रहीं । तत्पश्चात श्री त्यागी ने छिपने के स्थान के अन्दर एक हथगोला फेंका । लेकिन उग्रवादी छिपने के स्थान के प्रवेश द्वार से गोलियां चलाते रहे । इस प्रक्रिया में कुछ गोलियां निरीक्षक त्यागी के कोट और कमीज को भेदती हुई निकल गई । इससे विचलित हुए बिना उन्होंने फिर से दो अन्य हथगोले, छिपने के ठिकाने के अन्दर फेंके और उग्रवादियों को शांत कर दिया । तब फिर, छिपने के ठिकाने/बीच से खाली स्थान को ढहा दिया गया और उन्होंने उग्रवादियों के तीन शव बरामद किए गए जिनकी पहचान मुहम्मद, खालिद मुहम्मद रमजान और खाजर मुहम्मद लोन के रूप में हुई । तलाशी के दौरान मुठभेड़ स्थल से 4 मैगजीनों सहित दो ए० के० 47/56 राइफलें 2 मैगजीनों सहित एक चीनी पिस्तौल और लगभग 40 गोलियां बरामद की गई ।

इस मुठभेड़ में श्री एस० के० त्यागी, निरीक्षक ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्य परायणता का परिचय दिया ।

वीरता के लिए यह पुरस्कार, वीरता, के लिए पुलिस पदक प्रदान करने संबंधी मौजूदा नियमों के नियम 4(1) तहत प्रदान किया जाता है तथा इसके साथ नियम 5 के तहत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी 21-11-1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान, निदेशक

सं० 160-गैस/95—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए सहर्ष पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री जगतार सिंह
उप-निरीक्षक,
73वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री बलवान सिंह (मरणोपरांत)
हैड कांस्टेबल,
73वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री ए० गुणशेखरन (मरणोपरान्त)
कांस्टेबल,
73वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है :—

दिनांक 02-12-1993 को जिस समय श्री आर० के० विर्दी, डिप्टी कमांडेंट, के नेतृत्वाधीन एक गश्ती दल अमरगढ़ गांव से गुजर रहा था तो उन्होंने कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को असामान्य रूप से एक घर की ओर भागते हुए देखा । इस घर को तुरन्त घेर लिया गया और उसके अन्दर छिपे व्यक्तियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया । संदिग्ध व्यक्तियों ने बी० एस० एफ० के गश्ती दल पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं । जवाब में गश्ती दल ने भी फायरिंग शुरू कर दी । कम रोशनी का लाभ उठा कर उनमें से एक उग्रवादी घर के अन्दर से बाहर निकल कर आया और उसने अपने स्वचालित शस्त्र से गोलियां चलाते हुए बचकर भाग निकलने का प्रयास किया । श्री बलवान सिंह ने उग्रवादी पर गोलियां चलाते हुए उसका पीछा किया और उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया । घर के अंदर छिपे एक अन्य उग्रवादी ने श्री बलवान सिंह पर गोलीबारी की और उन्हें गम्भीर रूप से घायल कर दिया । अपने गम्भीर घावों के बावजूद श्री बलवान सिंह ने अपने साथियों को निर्देश दिया कि उग्रवादी बचकर भागने न पायें । किन्तु श्री बलवान सिंह स्वयं अधिक देर तक जीवित नहीं रह सके और उनकी मृत्यु हो गयी ।

इस दौरान कांस्टेबल ए० गुणशेखरन बचकर भागते हुए उग्रवादी का सफाया करने के उद्देश्य से साहसिक कारनामे का परिचय देते हुए उग्रवादी पर झपटे और गोलियां चलाते हुए उसका रास्ता रोक लिया । उन्होंने उग्रवादी पर बहुत ही

कम दूरी से गोलियां चलाई और उसको वहीं मार गिराया। तथापि बहुत कम दूरी से दोनों ओर से गोलियां चलने के कारण कांस्टेबल गुणशेखरन भी उग्रवादियों की गोलियों से घायल हो गए तथा उन्होंने वहीं प्राण त्याग दिए।

उप-निरीक्षक जगतार सिंह, जो कि घेराबन्दी करने वाले दल में शामिल थे और पश्चिमी छोर पर तैनात थे, ने जब बचकर भागते हुए उग्रवादी को देखा तो वह खड़े हो गए ताकि उग्रवादी बचकर भाग न सकें और उन पर गोलियां चलाई। दोनों ओर से गोलीबारी होने के कारण उप-निरीक्षक जगतार सिंह की बाईं आंख में गोलियों के घाव हो गए। गोली लगने से हुए दर्दों की परवाह किए बगैर उन्होंने अपने जवानों को अपना निजी उदाहरण देते हुए भागते हुए उग्रवादियों का पीछा करने को प्रेरित किया।

एक उग्रवादी का शव, जिसकी बाद में हिज्बुल-मुजाहिद्दीन गुट का प्लाटून कमांडर, के रूप में पहचान की गई तथा जो कांस्टेबल गुणशेखरन के शव से एक हाथ की दूरी पर पड़ा था, बरामद किया गया। तलाशी के दौरान मृत उग्रवादियों के पास से ए० के०–47 राईफल, 4 मैगजीनें, ए० के०–47 श्रेणी राईफल के 37 राउण्ड तथा 2,600/– रुपये नकद बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री जगतार सिंह, उप-निरीक्षक, बलवान सिंह, हैडकांस्टेबल, और ए० गुणशेखरन, कांस्टेबल, ने अदम्य साहस, वीरता और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

वीरता के लिए पुरस्कार, वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करने के लिए मौजूद नियमों के नियम 4(1) के तहत प्रदान किया जाता है तथा इसके साथ नियम 5 के तहत, स्त्री-कार्य विशेष भत्ता भी दिनांक 2–12–1993 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान, निदेशक

सं० 161–प्रेस/95—राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए सहर्ष पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद

श्री विजय कुमार,
उप-निरीक्षक,
73वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

श्री श्रीबाबू यादव,
हैड कांस्टेबल,
73वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है :—

दिनांक 16 जून 1994 को सूचना मिली कि कुछ उग्रवादी दक्षिणी सोपोर के खांका मोहल्ले में जमा होकर सीमा सुरक्षा बल की चौकियों पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। करीब 10.20 बजे एक गश्ती दल खांका मोहल्ला में गश्त लगाने के लिए गया। दल जब वहां पहुंचा तो गश्ती दल को आता देखकर वहां से भागते एक संदिग्ध व्यक्ति को छोटी-छोटी गलियों की ओर दौड़ते हुए देखा। गश्ती दल ने तुरन्त उनका पीछा किया और संदिग्ध क्षेत्र को घेर लिया। संदिग्ध घर की तलाशी लेने पर एक संदिग्ध व्यक्ति नामतः फैज अहमद पीर को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ करने पर पकड़े गए उग्रवादी ने बताया कि कुछ उग्रवादी दक्षिण सोपोर में एक गुलाम रसूल नामक एक व्यक्ति के घर में बने ठिकाने में छिपे हुए हैं। कुछ चुने हुए कमांडो सहित उप-निरीक्षक विजय कुमार के नेतृत्व में एक तलाशी दल को संदिग्ध घर की तलाशी लेने के लिए भेजा गया। जिस समय दल घर के निकट पहुंचा तो साथ वाले घर में गाय बांधने के लिए बने खताल की छत में छिपे हुए उग्रवादियों ने तलाशी दल पर हथगोले फैंके और स्वचालित हथियारों से गोलीबारी करनी शुरू कर दी। तलाशी दल ने तुरन्त मोर्चा संभाल लिया और आत्म-सुरक्षा में जवाबी गोलीबारी की।

गोलीबारी की आवाज सुनकर 73वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट, उपलब्ध सुरक्षा बल के कार्मिक सहित घटना स्थल की ओर गए। लगभग 20 मिनट तक दोनों ओर से गोलीबारी जारी रही। उग्रवादियों को आत्म समर्पण करने के लिए भी कहा गया परन्तु उसका कोई लाभ नहीं हुआ। उसके बाद, तीन कमांडों (हैड कांस्टेबल श्री बाबू यादव सहित) को साथ लेकर उप-निरीक्षक विजय कुमार कवरिंग फायर की आड़ लेते हुए घर में घुसे। उप-निरीक्षक विजय कुमार और हेड कांस्टेबल यादव लकड़ी की सीढ़ी से ऊपर चढ़े और उन्होंने एक उग्रवादी को वहां देखा। उग्रवादी को अपने पीछे कुछ हलचल होने का आभास हुआ तो उसने कमांडों के आने की दिशा में एक धमाका किया, परन्तु सर्वश्री विजय कुमार और एच० सी० यादव, घायल होने से बच गए। अपनी निजी सुरक्षा की परवाह किए बगैर उप-निरीक्षक विजय कुमार और एच० सी० यादव ने बहुत कम दूरी से गोली चलाकर उग्रवादी को मार गिराया। मृत आतंकवादी की बाद में मोहम्मद अब्बास जाऊ, बरकत-उल-अंसार, नामक एक उग्रवादी गिरोह के स्वयं-भू जिला कमांडर के रूप में पहचान की गई। तलाशी के दौरान 12 मैगजीनों सहित 3 ए० के०-56 राईफलें एक एण्टी-पर्सनल प्लास्टिक सुरंग, एक प्लास्टिक का हथगोला तथा बड़ी संख्या में जीवित/खाली कारतूस, मृत/पकड़े गए आतंकवादियों के पास से तथा खताल से बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री विजय कुमार उप-निरीक्षक और श्री बापू यादव हैड कांस्टेबल ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

वीरता के लिए पुरस्कार वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करने के लिए मौजूद नियमों के नियम 4(i) के तहत प्रदान किया जाता है तथा इसके साथ नियम 5 के तहत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी 16 जून 1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान, निदेशक

सं० 162-प्रेस/95—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद :

श्री राजबीर सिंह,
उप निरीक्षक,
73वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री वाई० योना,
कांस्टेबल,
73वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है :

3 जुलाई 1994 को यह पता चला कि उग्रवादियों ने शेख कालोनी में 73वीं बटालियन की सीमा सुरक्षा बल चौकी पर हमला करने की योजना बनाई है । दक्षिणी सोपोर के मिगली मुहल्ले में एक विशेष घेराबंदी और तलाशी अभियान की योजना बनायी गयी । उप-निरीक्षक राजबीर सिंह के नेतृत्व में तलाशी दल जब मो० हज्जाम नामक व्यक्ति के घर की तलाशी लेने जा रहा था तो उस पर स्वचालित हथियारों से गोलीबारी की गयी । तलाशी दल के कांस्टेबल योना के बांये कन्धे पर गोली लगी । जख्मी होने के बावजूद उसने अपनी राईफल से गोलियां चलाकर उग्रवादियों को उलझाए रखा । उसके बाद मकान पर भारी गोलाबारी करने का निर्णय लिया गया । कांस्टेबल योना ने अपने जख्मों की परवाह न करते हुए धावा बोलने वाले दल में शामिल होने के लिए अपनी सेवाएं अर्पित की उप-निरीक्षक राजबीर सिंह अपने कमान्डो सेक्शन के साथ (कान्स्टेबल योना सहित) दीवार की आड़ में भूतल के कमरों में दाखिल हुए और क्षेत्र को क्लीयर किया । उसके बाद पहले तल को क्लीयर करने के लिए उप-निरीक्षक राजबीर सिंह और कान्स्टेबल योना सीढ़ियों से ऊपर आए । जब उप-निरीक्षक राजबीर सिंह पहले तल पर पहुंचे तो वहां पर छिपे एक उग्रवादी ने श्री सिंह पर गोलियों की बौछार कर दी जो भारी संख्या में उसकी बुलेट प्रुफ जैकेट पर लगीं (एक गोली मासपेशी से होते हुए उसके बाहने बाजू के ऊपरी भाग पर जा लगी) । इस पर कांस्टेबल योना, जो श्री सिंह के बिलकुल पीछे था, ने उग्रवादी पर गोली चलायी और उसे घटना स्थल पर ही मार गिराया । उसके बाद उप-निरीक्षक राजबीर सिंह और और कांस्टेबल योना तुरन्त सीढ़ियों की तरफ गए और घास के ढेर की आड़ से घेरा डालने वाली पार्टी पर गोली चला रहे, दो और उग्रवादियों को मार गिराया । क्षेत्र की की तलाशी लेने पर, 10 मेगजीन सहित 2 ए० के० 47/56 राईफलें, 3 इलैक्ट्रिक डिटोनेटर, 2 प्लास्टिक हथगोले और भारी संख्या में कारतूस बरामद हुए । मृतक उग्रवादियों की शिनाख्त बाद में मो० शोफी भाट, निसार अहमद कीमा और मो० अंजर पीर, सभी एच० एम० गिरोह के पाक प्रशिक्षित उग्रवादी के रूप में की गयी ।

इस मुठभेड़ में सर्वश्री राजबीर सिंह, उप-निरीक्षक और वाई-योना, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 3 जुलाई, 1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान, निदेशक

सं० 163-प्रेस/95—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद :

श्री सुनील कुमार नायर,
कांस्टेबल,
39वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री बलवान सिंह,
कांस्टेबल,
39वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है :

4 जनवरी, 1994 को 39वीं बटालियन, सीमा सुरक्षा बल के सहायक कमांडेन्ट के नेतृत्व में एक गश्ती दल (कांस्टेबल एस० के० नायर और बलवान सिंह सहित) गांव-बोचर, बोधेबल और नाग्री के क्षेत्र में गश्त के लिए सीमा सुरक्षा बल चौकी, मागम से चला । लगभग 10:30 बजे जब पार्टी गांव नागरी मालपोड़ा के नजदीक पहुंची तो, इस दल पर

उग्रवादियों द्वारा नजदीक की पहाड़ियों से अपने स्वचालित हथियारों से भारी गोलीबारी की गयी । इस पर कांस्टेबल नायर और कान्स्टेबल बलवान सिंह ने तुरन्त मोर्चा संभाला और उग्रवादियों पर गोलियां चलायी । गोलीबारी लगभग 30 मिनट तक जारी रही । श्री नायर और बलवान सिंह द्वारा नजदीक से सही निशाना लगाकर गोली चलाने के कारण हिजबुल मुजाहिद्दीन गिरोह के 4 कुख्यात उग्रवादी मारे गए । तलाशी के दौरान, मुठभेड़ के स्थान से 4 ए० के० 47 राईफलें, 12 ए० के० 56 मेगजीनें, 1 वायरलैस सेट और ए० के० श्रेणी की 304 गोलियां बरामद की गयी ।

इस मुठभेड में सर्वश्री एस० के० नायर और बलवान सिंह, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(i) के अंतर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अंतर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 4 जनवरी, 1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान, निदेशक

सं० 164–प्रेस/1995—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद :

श्री सुखचरन सिंह,
सूबेदार,
62वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है :

12 दिसम्बर, 1993 को, सूबेदार सुखचरन सिंह के नेतृत्व में सी० सु० ब० का एक दल गश्त के लिए लगभग 10.30 बजे कुलिगाम चौकी से रवाना हुआ । लगभग 14.30 बजे जब वह दल खुराना गांव के पास पहुंचा, तो एक घर से उग्रवादियों द्वारा इस दल पर भारी गोली-बारी की गई । श्री सिंह ने तुरन्त अपने दल को मोर्चा लेने और जबाबी गोलीबारी करने का आदेश दिया । कार्मिकों द्वारा की गई अचूक गोलीबारी के कारण चार उग्रवादीयों घर से चुपचाप निकलकर निकटवर्ती नाले की ओर बढे । भागते हुए उग्रवादियों ने, "मारो और भागो" की रणनीति अपनाई । समय गंवाए बिना श्री सिंह ने भागते हुए उग्र-वादियों का पीछा किया । सी० सु० ब० के अन्य कार्मिकों ने भी उनका अनुसरण किया । कठिनाई भरी ऊंची नीची जमीन पर लगभग 3 कि० मी० तक पीछा करने के बाद उग्रवादियों के नजदीक पहुंच गए । श्री सिंह और उनके दल ने घमासान लड़ाई लड़ी और लगभग 45 मिनट तक गोलियां चलती रहीं । दोनों ओर से हुई गोलीबारी में, हिजबुल-मुजाहिदीन से सम्बद्ध पाक प्रशिक्षित तीन उग्रवादी मारे गए । तलाशी के दौरान 4 मैगजीनों सहित 2 ए० के० 56 राइफलें, एक वी० एच० एफ० सेट, दो हथगोले और कुछ राउण्ड गोली बारूद, मुठभेड़ स्थल से बरामद किये गए । मारे गए उग्रवादियों की पहचान बाद में (1) अब्दुल राशिद (2) मुहम्मद शफी खटाना और (3) गुलाम मुहम्मद लोन के रूप में हुई ।

इस मुठभेड़ में, श्री सुखचरन सिंह, सूबेदार ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

वीरता के लिए यह पुरस्कार, वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करने संबधी मौजूदा (नियमों के नियम 4(i) के तहत प्रदान किया जाता है । तथा इसके साथ नियम 5 के तहत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी 12 दिसम्बर, 1993 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान, निदेशक

सं० 165–प्रेस/95—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद :

श्री अशोक कुमार,
कांस्टेबल,
73वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

श्री कुन्दन सिंह,
कांस्टेबल,
73वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल ।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है :

दिनांक 22 जुलाई, 1994 को करीब 11.00 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि हिज्बुल मुजाहिदीन के कुछ उग्रवादी गांव अमरगढ़ और लालाड के पूर्व में स्थित बगीचे में एकत्र हुए हैं । तुरन्त उनको घेर कर एक तलाशी अभियान चलाने की योजना बनाई गई । तलाशी दल जिस समय आगे बढ़ रहा था, तो सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों पर छिपे हुए उग्रवादियों द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी की गई । सुरक्षा बल के सैनिकों पर हथगोले भी फैंके गए । सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों ने जब जबाबी कार्रवाई की तो बचकर भाग निकलने के प्रयास में उग्रवादी धान के खेतों से होते हुए गांव वाकुब की ओर भागने लगे । इस बीच सीमा सुरक्षा बल के एक दल ने गोलियां चलाते हुए तीन उग्रवादियों को धान के खेतों में से भागते हुए देखा । उग्रवादियों ने जब

यह देखा कि उनको सुरक्षा बल द्वारा देख लिया गया है तो उग्रवादियों ने उन पर भारी गोलीबारी की। भागते हुए उग्रवादियों का काफी तेजी से पीछा किया गया। सुरक्षा दल पानी भरे धान के खेतों में होता हुआ भागता गया और पेड़ों के झुंड के पीछे से बाहर निकला और अचानक उग्रवादियों के सामने आ गया। ऐसा होने पर उग्रवादियों ने सुरक्षा दल पर हथगोले फैंके और गोलियां चलाई। अपनी निजी सुरक्षा की चिंता किए बिना कांस्टेबल अशोक कुमार ने घुटनों के बल बैठकर पोजिशन ली, एक उग्रवादी को निशाना बनाया और वहीं मार गिराया।

2. एक और उग्रवादी, जिसने धान के खेत में लेटकर पोजीशन ले ली थी, ने महसूस किया कि वह चारों ओर से घिर चुका है और बच कर भागने का कोई रास्ता न देखते हुए उसने आत्मसमर्पण कर देने की इच्छा व्यक्त की। और आत्मसमर्पण करने की मुद्रा बनाने के लिए अपने हाथ ऊपर उठा दिए लेकिन आत्मसमर्पण करने के बजाए उसने एक हथगोला फेंकने का प्रयास किया परन्तु इससे पहले कि वह ऐसा करता कांस्टेबल कुन्दन सिंह ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उग्रवादी पर भारी गोली दागते हुए उसको वहीं पर मार गिराया फिर भी तीसरा उग्रवादी घने पेड़ों के झुंड और धान के खेत में से भागता हुआ ओझल हो गया। मृत आतंकवादियों की बाद में गुलाम नबी तेली और शब्बीर अहमद भट्ट (हिज्बुल मुजाहिदीन का एक स्वयं-भू प्लाटून कमांडर) के रूप में शिनाख्त की गई। तलाशी के दौरान उनसे दो ए० के०-56 राईफलें और उनकी 6 मैगजीनें बरामद की गई।

इस मुठभेड़ में सर्व श्री अशोक कुमार और कुन्दन सिंह कांस्टेबलों ने अदम्य वीरता साहस और उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

वीरता के लिए पुरस्कार वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करने के लिए मौजूद नियमों के नियम (4) के तहत प्रदान किया जाता है तथा इसके साथ नियम-5 के तहत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी 22 जुलाई 1994 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान, निदेशक

सं० 166-प्रेस/95—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए सहर्ष पुलिस पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद :

श्री रतन लाल
लांस नायक
15वीं बटालियन
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है :

जहाद फोर्स के प्रमुख की गतिविधियों से सम्बन्धित एक विशिष्ट सूचना मिलने पर 15वीं बटालियन सीमा सुरक्षा बल के कमांडेंट ने 15 जून 1994 को करीब 02.00 बजे हज कमेटी की बिल्डिंग (निर्माणाधीन) के चारों ओर एक विशेष नाका बंदी की। करीब 5.30 बजे दल के सदस्यों ने कुछ व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियां देखी। लांस नायक रतन लाल ने तुरन्त दल के सदस्यों को सतर्क किया और अतिरिक्त कुमुक मंगाने के लिए तुरन्त कमांडेंट को संदेश भेज दिया। अन्य स्टाफ सहित कमांडेंट तुरन्त घटनास्थल पर पहुंच गए इस बीच सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों ने छिपने के स्थान को घेर लिया उग्रवादियों ने भारी गोलाबारी शुरू कर दी और सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों पर हथगोले फेंके। नाका पार्टी ने भी आत्मरक्षा में जवाबी गोलीबारी की। इस दौरान सहायक दलों द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र की घेरा बंदी कर ली गई। उग्रवादियों से आत्म समर्पण के लिए कहा गया परन्तु उन्होंने सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों पर भारी गोलीबारी करना जारी रखा। सीमा सुरक्षा बल के दल द्वारा प्रदान किए गए कवरिंग फायर के बीच एक सूबेदार और श्री रतन लाल आगे बढ़े और उग्रवादियों के छिपने के स्थान के निकट पहुंच गए। अन्ततः दो उग्रवादियों से उनका आमना-सामना हो गया। श्री रतन लाल ने देखा कि वे (उग्रवादी) उनको निशाना बनाए हुए हैं। परन्तु बिजली की फुर्ती के साथ उन्होंने गोली चलाई और दोनों उग्रवादियों को घटना स्थल पर ही मार गिराया जिनकी बाद में शिनाख्त नसीर अहमद शाह, जहाद फोर्स का प्रमुख और उसका अंगरक्षक जहूर गुड्डा उर्फ सोनू के रूप में की गई। तलाशी लेने पर घटना स्थल से पांच उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और उनकी तलाशी लेने पर 10 मैगजीनों सहित 3 ए० के०-56 राईफलें एक चीनी पिस्तौल और उसकी एक मेगजीन रूस में निर्मित 11 हथगोले तथा दो बाकी-टाकी उपकरण मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए।

इस मुठभेड़ में श्री रतन लाल लांस नायक ने उत्कृष्ट वीरता साहस और उच्च कोटि की कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

वीरता के लिए पुरस्कार वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान करने के लिए मौजूदा नियमों के नियम (4) के तहत प्रदान किया जाता है तथा इसके साथ नियम 5 के तहत स्वीकार्य विशेष भत्ता भी 15 जून 1994 से दिया जाएगा।

गिरीश प्रधान, निदेशक

सं० 167-प्रेस/95—राष्ट्रपति, सीमा सुरक्षा बल के निम्नलिखित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम और पद :

श्री एन० रवि,
कांस्टेबल.
83 वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा बल।

उन सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया है।

एक विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर, सीमा सुरक्षा बल टुकड़ियों द्वारा 22/23 सितम्बर, 1994 की मध्य रात्री को गांव-दारोश में एक दुर्गम जंगल में एक विशेष अभियान चलाया गया । 0.300 बजे (23 सितम्बर, 1994) तक भागने के सभी सम्भावित रास्तों को बंद कर दिया गया । लगभग 0.615 बजे, घने जंगल में भाग जाने के इरादे से दो उग्रवादी खेत के बाहरी किनारे पर पहुंचे । टुकड़ियां सावधान थीं लेकिन ऊंची फसल के कारण वे उग्रवादियों की गतिविधियों को भांप नहीं पाए । मक्के के खेतों का फायदा उठाकर एक उग्रवादी बाहरी किनारे पर आया और टुकड़ियों पर छड़ी-गोला (स्टिक बम) फेंका और गोलियों की बौछार कर दी । सीमा सुरक्षा बल कार्मिकों ने अपनी कारबाईनों/राईफलों से उग्रवादी पर तत्काल गोलियों की बौछार शुरू कर दी, उग्रवादी जमीन पर गिर गया। उसके बाद उग्रवादी की हालत की जांच करने के लिए सीमा सुरक्षा बल पार्टी घटनास्थल की तरफ लगभग 50 गज की दूरी तक गई । उग्रवादी होश में था और सीमा सुरक्षा बल टुकड़ी की गतिविधियों को भांप रहा था, उग्रवादी ने थैले से हथगोला निकालने की कोशिश की । श्री रवि, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह न किए बगैर उग्रवादी पर झपट पड़ा और उसे अपनी खुखरी से मार डाला । अपने सहयोगी की यह हालत होती देख मक्के के खेत में छिपे अन्य उग्रवादियों ने गोलियाँ नहीं चलायीं और गांव दारोश को लौट गए लेकिन वहां उनकी मुठभेड़ खेत की दक्षिणी दिशा में सीमा सुरक्षा बल की दूसरी पार्टी से हो गई । गोलियां उग्रवादी को लगी किन्तु वह ऊंची झाड़ियों के बीच गायब होने में कामयाब हो गया । लेकिन बाद में अपने जख्मों के कारण उसने दम तोड़ दिया । दोनों मृतक उग्रवादियों की शिनाख्त बाद में लियाकत अली और गुल मो० उर्फ खालिद के रूप में की गयी । तलाशी के दौरान मुठभेड़ के स्थान से एक ए० के० 56 राईफल 4 मेगजीन सहित, ए० के० 56 सीरीज के 105 राऊन्ड, एक हथगोला और एक कम्यूनिकेशन सेट बरामद हुआ ।

इस मुठभेड़ में श्री एन० रवि, कांस्टेबल ने अदम्य वीरता, साहस और उच्चकोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया ।

ये पदक, पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकार्य भत्ता भी दिनांक 22 सितम्बर, 1994 से दिया जाएगा ।

गिरीश प्रधान, निदेशक

योजना आयोग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 23 जून 1995

संकल्प

सं० ई–11015/1/95-हिन्दी (भाग–2)—योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के 1 जून 1992 के संकल्प सं० ई०–11015/1/91–हिन्दी के अनुक्रम में भारत सरकार ने योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का कार्यकाल 30 नवम्बर 1995 तक बढ़ाने का निर्णय किया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों सभी राज्य सरकारों संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय संसदीय राजभाषा समिति, संसद पुस्तकालय भारत के नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक का कार्यालय भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों योजना आयोग का वेतन तथा लेखा कार्यालय योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वय मंत्रालय के सभी विभागों योजना आयोग के सभी अधिकारियों/प्रभागों/अनुभागों/कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के सभी क्षेत्रीय परियोजना मूल्यांकन कार्यालयों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जन साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

गुरजीत कौर, उप सचिव

दिनांक 27 जून 1995

संकल्प

सं० ई०–11015/1/95–हिन्दी (भाग–2)—योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के 1 जून 1992 के संकल्प संख्या ई–11015/1/91–हिन्दी के अनुक्रम में भारत सरकार ने निम्नलिखित व्यक्तियों को योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय हिन्दी सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में नामित करने का निर्णय किया है :—

1. डा० मंगल त्रिपाठी
   10–बी डा० कार्तिक बोस स्ट्रीट,
   कलकत्ता–700009

2. प्रो एस० ए० सूर्यनारायण वर्मा
   प्लाट नं० 39, सेक्टर-3,
   एम०आई०जी०–1
   धर्मशक्ति नगर,
   एम० वी० पी० कालोनी,
   विशाखापतनम–530017 (आंध्र प्रदेश)

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकलप की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रीमंडल, सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसदीय राजभाषा समिति, संसद पुस्तकालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक का कार्यालय, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, योजना आयोग का वेतन तथा लेखा कार्यालय योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सभी विभागों, योजना आयोग के सभी अधिकारियो/प्रभागों/अनुभागों/कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के सभी क्षेत्रीय/परियोजना मूल्यांकन कार्यालयों को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प जन साधारण की सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

गुरजीत कौर, उप सचिव

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली–110001, दिनांक 16 जून 1995

सं० 27/5/95–सी०एल०–2 कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा कम्पनी कार्य विभाग के श्री राकेश चन्द्रा, संयुक्त, निदेशक, कानपुर को उक्त धारा 209क के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है।

आर एन वासवान
अवर सचिव

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग

उपभोक्ता उद्योग डेस्क

नई दिल्ली, दिनांक 29, जून 1995

संकल्प

सं० 9/2/95–सी० आई०–भारत सरकार ने घड़ीसाजी (होरोलॉजी) उद्योग विकास पैनल (जिसे पहले कलाई घड़ी विकास पैनल के नाम से जाना जाता था) का इस संकल्प के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित रूप में पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है :—

1. श्री के० के० तनेजा, — अध्यक्ष
जी–238, सरिता विहार,
नई दिल्ली–110044

2. निदेशक/उप सचिव, — सदस्य
उपभोक्ता उद्योग डेस्क,
औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली–11

3. निदेशक (होरा विज्ञान) — सदस्य
विकास आयुक्त (लघु उद्योग) का कार्यालय,
निर्माण भवन,
नई दिल्ली–11

4. उप महानिदेशक (अग्निम लाइसेंस), — सदस्य
महानिदेशक विदेश व्यापार कार्यालय,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली–11

5. उप सलाहकार (इंजीनियरिंग) — सदस्य
आई तथा एम प्रभाग,
योजना आयोग,
योजना भवन,
नई दिल्ली।

6. निदेशक (मैकेनिकल इंजीनियरिंग) — सदस्य
भारतीय मानक ब्यूरो,
मानक भवन, 9, बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली –2

7. श्री आई एम अमीथा, — सदस्य
वरिष्ठ उपाध्यक्ष (तकनीकी),
मै० टाइटन इण्डस्ट्रीज लि०,
गोल्डन एनक्लेव (टावर–ए),
एयरपोर्ट रोड,
बंगलौर–17

8. प्रबंध निदेशक, — सदस्य
मै० एच० एम० टी० लि०,
36, कनिंघम रोड,
बंगलौर।

9. प्रबंध निदेशक, — सदस्य
मै० हैदराबाद अलवीन लिमिटेड,
सन्त नगर,
हैदराबाद।

10. श्री के० सी० जैन, प्रबंध निदेशक, — सदस्य
मै० जायना टाइम इण्डस्ट्रीज लि०,
7/25 बरियागंज,
नई दिल्ली–2

11. श्री जी० एस० पुरेवाल, प्रबन्ध निदेशक, — सदस्य
मै० पुरेवाल एंड एसोसिएट लि०,
के–20, जंगपुरा एक्सटेंशन,
नई दिल्ली।

12. प्रबंध निदेशक, — सदस्य
मै० कर्नाटक क्राइस्टल लिमिटेड,
59, नन्दी दुर्ग रोड,
बंगलौर–46

13. प्रबंध निदेशक, — सदस्य
मै० कर्नाटक होरोलॉजिकल्स लि०,
बंगलौर

14. महाप्रबंधक — सदस्य
सेमीकंडक्टर काम्पलैक्स लि०,
फेज–8 एस० ए० एस० नगर,
(चन्डीगढ़ के समीप) पंजाब।

15. प्रबंध निदेशक, — सदस्य
मै० प्रोवेल टाइम्स लि०,
410/1, 411/2 बम्बई पुणे रोड,
पुणे–12

16. श्री अशोक खन्ना, — सदस्य
मै० खन्ना वाच लि०,
प्लाट नं० 2, सैक्टर–3, पारवानू,
जिला सोलन–173220 (हिमाचल प्रदेश)

17. श्री प्रेम गुप्ता, अध्यक्ष, — सदस्य
मै० इण्डो-स्विस टाइम लि०,
ए 23, न्यू आफिस काम्पलैक्स,
डिफेन्स कालोनी (मूलचन्द अस्पताल के सामने)
नई दिल्ली।

18. श्री ए०एम० पारीख, अध्यक्ष, — सदस्य
इंडस्ट्रियल एंड वाच जोलस मैन्यूफैक्चरर्स
एसोसिएशन
32, रणजीभाई मा कामनी मार्ग,
बम्बई–38

19. श्री अशोक साहनी अध्यक्ष, सदस्य
आल इंडिया बाच डायल मैन्यूफैक्चर्स एसोसिएशन,
डब्ल्यू–37, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज–2,
नई दिल्ली ।

20. प्रबन्ध निदेशक,
मै० टाइमेक्स वाचेज लिमिटेड,
बी–190 फेज–2, नोएडा–201305
गाजियाबाद (उ० प्र०)

21. श्री वे साबू, प्रबन्ध निदेशक, सदस्य
मै० कमला डायलस तथा डिवाइसेस लि०,
प्लाट नं० 3, सैक्टर–3, पारवानू–173220
जिला सोलन (हि० प्र०)

22. श्री भारत सी पटोदिया, सदस्य
मै० कोपूड ओरियन्ट वाचेज लि०,
5/3 चन्दनमहल, रोड नं० 11,
टी पी० एस०–3
शान्ताक्रुज (ई०),
बम्बई–55

23. श्री एस० जी० तासी प्रबंध निदेशक, सदस्य
मै० सिक्किम जवैलस लिमिटेड,
गंटोक ।

24. प्रो भुवनेश्वर प्रसाद सिंह, सदस्य
एटी कार्यानन्द नगर चितरंजन, रोड,
पी० ओ० लक्खीसराय,
जिला लक्खीसराय (बिहार)

25. श्री बी० बी० शर्मा, सदस्य सचि
सहायक विकास अधिकारी,
औद्योगिक निति एवं संवर्धन विभाग,
उद्योग भवन,
नई दिल्ली ।

2. पैनल के विचाराधीन विषय निम्नलिखित होंगे :—

(1) उद्योग की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन और इसके भावी विकास की समीक्षा करना है ।

(2) प्रौद्योगिकी की स्थिति का मूल्यांकन करना और इसके उन्नयन के लिए सुझाव देना ताकि इसे अपेक्षित स्तर प्रदान किया जा सके और आधुनिकीकरण के लिए सुझाव देना ।

(3) सामग्री और उर्जा खपत के लिए मानकों के बारे में सलाह देना इसमें कमी करने के उपाय सुझाना और कार्यकुशलता तथा उत्पादिकता में सुधार करन के उपाय सुझाना ।

(4) उत्पाद कच्चा माल और उपकरणों के आयात प्रतिस्थापन के लिए उपाय सुझाना ।

(5) निर्यात संभावना पैदा करने के लिए उपाय सुझाना ।

(6) अपेक्षित वित्तीय उपायों सहित उद्योग के विकास और संवर्धन के हित में महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना ।

(7) विश्वव्यापी और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने के लिए उद्योग के ठीक प्रकार से विकास के लिए उपायों का निर्धारण करना ।

6—171 GI/95

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित को भेजी जाए । यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

श्रीमती प्रोमिला भारद्वाज, निदेशक

सी० जी० एफ० डेस्क

दिनांक जून 1995

संकल्प

सं० ग्रेनाइट 3(5) 94–सी० जी० एफ०—ग्रेनाइट उद्योग के लिए विकास पैनल का गठन करने के बारे में दिनांक 20–12–94, 6–2–95 और 28–3–95 के समसंख्यक संकल्पों के अनुक्रम में, भारत सरकार नें उपर्युक्त संकल्प के क्रम सं० 5 पर उल्लिखित श्री वाई एस० शहरावत, उपसचिव राजस्व विभाग (टी० आर यू०) के स्थान पर श्री जे० के० बत्रा, निदेशक (सीमाशुल्क) वित्त विभाग की सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है ।

पैनल के गठन और विचारणीय विषयों में कोई और परिवर्तन नहीं हुआ है ।

प्रोमिला भारद्वाज, निदेशक

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि सभी संबंधितों को भेजी जाए यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

प्रोमिला भारद्वाज, निदेशक

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

नई दिल्ली–110016 दिनांक 18 मई 1995

(वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान विभाग)

संकल्प

सं० ई–11024/1/94–हिंदी—भारत सरकार के वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग ने विभिन्न वैज्ञानिक विषयों पर हिन्दी में लिखी गई मौलिक पुस्तकों को नकद पुरस्कार देने के लिए एक योजना लागू करने का निर्णय लिया है । इस योजना की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :—

1. योजना का नाम

इस योजना का नाम "हिन्दी में मौलिक विज्ञान लेखन पुरस्कार योजना" होगा ।

2. उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान की पांच शाखाओं नामत: उद्योग में संस्थागत अनुसंधान और विकास औद्योगिकीय आत्म-निर्भरता के उद्देश्यपूरक कार्यक्रम और प्रौद्योगिकीय औद्योगिक और प्रौद्योगिकीय का अन्तरण और व्यापार परामर्श विकास से एक राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली में हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने को प्रोत्साहित करना है ।

3. पुरस्कार की राशि

हिन्दी में मौलिक पुस्तकों के लिए निम्नलिखित पुरस्कार दिए जाएंगे :—

प्रथम पुरस्कार	20,000 रुपये
द्वितीय पुरस्कार	15,000 रुपये
तीसरा पुरस्कार	10,000 रुपये

ये पुरस्कार विज्ञान और औद्योगिक अनुसंधान की पांचों शाखाओं नामतः उद्योग में संस्थागत अनुसंधान और विकास प्रौद्योगिकीय आत्मनिर्भरता के उद्देश्यपरक कार्यक्रम, औद्योगिक प्रौद्योगिकी और प्रौद्योगिकी का अन्तरण और व्यापार, परामर्शी विकास सेवाएं व राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सूचना प्रणाली में से किसी भी शाखा में दिए जाएंगे ।

4. यह योजना वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा चलाई जाएगी ।

5. पुरस्कार 1 जनवरी सन् 1996 से आरम्भ होंगे और प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए दिए जाएंगे । वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग पुरस्कारों के लिए लेखकों के आवेदन पत्र अंग्रेजी और हिन्दी के प्रमुख समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करके आमंत्रित करेगा ।

6. लेखक अपने आवेदन पत्र निर्धारित फार्म में भरकर संयुक्त सचिव (प्रशासन), वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय), अनुसंधान भवन, रफी मार्ग, नई दिल्ली–110001 को भेजेंगे । अपने आवेदन के साथ विचारार्थ पाण्डुलिपियां/प्रकाशित पुस्तकें भी लेखकों को निर्धारित संख्या में भेजनी होंगी ।

7. पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए पात्रता

(1) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग सहित विभिन्न वैज्ञानिक विभागों तथा इलैक्ट्रानिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, महासागर विकास अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, पर्यावरण विभाग, गैर-पारम्परिक, ऊर्जा स्रोत और जैव औद्योगिकी विभागों में कार्य करने वाले अधिकारियों सहित सभी भारतीय नागरिक इस योजना में भाग ले सकते हैं ।

(2) इस योजना में प्रकाशित पुस्तकों और पाण्डुलिपियों दोनों पर विचार किया जाएगा ।

(3) पाठ्य पुस्तकों अर्थात् ऐसी पुस्तकें जिन्हें विशिष्ट रूप से कक्षाओं में पढ़ाने के लिए तैयार किया गया है तथा बच्चों के लिए लिखी गई पुस्तकों को इन प्रतियोगिताओं में शामिल नहीं किया जाएगा ।

(4) जिन लेखकों की पुस्तकों को इन प्रतियोगिताओं में शामिल किया जाएगा उनका अपनी पुस्तकों पर कापीराइट बना रहेगा ।

(5) जिन पुस्तकों को इन प्रतियोगिताओं के लिए पहले पेश किया जा चुका होगा उन्हें इन प्रतियोगिताओं के लिए दोबारा प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा । लेखकों को आवेदन-पत्र के साथ अपने प्रकाशित ग्रन्थ अथवा पाण्डुलिपि की साफ टाइप की गई प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी साफ टाइप न की गई प्रतियों को अस्वीकार किया जा सकता है ।

(6) इस विभाग को पुरस्कार के लिए पुस्तकों का चयन करने और इस प्रकार के चयन के लिए लागू होने वाले नियमों का निर्माण करने का एकमात्र अधिकार होगा ।

(7) जिन मौलिक पुस्तकों को इस पुरस्कार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, उनको पुरस्कार के वर्ष से पिछले तीन वर्षों में प्रकाशित होना चाहिए ।

(8) पाण्डुलिपियों को इस प्रतियोगिता योजना के लिए उसी सूरत में पुरस्कार प्रदान किया जाएगा यदि उनके साथ लेखक की यह लिखित वचनबद्धता आती है कि अगर उसकी पाण्डुलिपि को पुरस्कार के लिए चुन लिया जाता है तो इस प्रकार के पुरस्कार दिए जाने की सूचना मिलने के 6 मास के भीतर इसका प्रकाशन कर दिया जाएगा । ऐसे मामलों में पुरस्कार की राशि पाण्डुलिपि के प्रकाशन के बाद ही लेखक को दी जाएगी ।

(9) जिन पुस्तकों को भारत सरकार या राज्य सरकार या संघ शासित प्रदेश के प्रशासन की किसी अन्य योजना के अधीन एक बार पुरस्कार दिया जा चुका होगा उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा ।

(10) हर लेखक किसी वर्ष विशेष में प्रत्येक विषय के लिए केवल एक पुस्तक विचारार्थ प्रस्तुत कर सकता है । तथापि वह एक ही वर्ष में विभिन्न विषयों में पुरस्कार प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा ।

8. सामान्य शर्तें

(1) यदि पुरस्कार प्राप्त करने वाली किसी पुस्तक के एक से अधिक लेखक हों तो पुरस्कार की राशि को उनमें बराबर-बराबर बांट दिया जाएगा ।

(2) यदि किसी वर्ष मूल्यांकन समिति किसी भी पुस्तक/पाण्डुलिपि को पुरस्कार दिए जाने के उपयुक्त नहीं समझती है तो मूल्यांकन समिति अपने विवेक पर इस पुरस्कार को रोक सकती है ।

(3) पुरस्कार प्रदान किए जाने वाले पुरस्कार के लिए पुस्तकों के चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा ।

(4) यह पुरस्कार हर कैलेण्डर वर्ष में दिया जाएगा और यदि किसी कैलेण्डर वर्ष के लिए उपयुक्त पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं तो उस वर्ष पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे ।

9. मूल्यांकन समिति

(1) पुरस्कार प्रदान किए जाने के लिए पुस्तकों/पाण्डुलिपियों का चयन करने के लिए अंतर–मंत्रालयी समिति होगी ।

(2) इस अंतर मंत्रालयी समिति के अध्यक्ष को मिलाकर 8 सदस्य होंगे । यदि आवश्यक समझा गया तो अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित किया जा सकेगा ।

(3) अंतर मंत्रालयी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव द्वारा की जाएगी । समिति का अध्यक्ष विभिन्न विषयों में आवश्यकतानुसार विशेषज्ञों को इस समिति के साथ संबंधित कर सकता है । इस प्रकार संबंधित किए गए विशेषज्ञों की हैसियत केवल सलाहकार की होगी ।

(4) यदि अंतर–मंत्रालयी समिति का कोई सदस्य इस पुरस्कार योजना में शामिल होना चाहता है तो वह उस वर्ष के लिए समिति का सदस्य नहीं होगा । इस समिति द्वारा लिया गया फैसला अंतिम और हर लिहाज से बाध्यकारी होगा और उसके खिलाफ किसी प्राधिकारी को कोई अपील नहीं की जा सकेगी ।

(5) इस समिति के कार्यकाल इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष तक होगा । मूल्यांकन समिति के अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों को उनके द्वारा किए गए मूल्यांकन कार्य के लिए यथा-निर्धारित मानदेय दिया जाएगा ।

(6) अंतर–मंत्रालयी समिति के गैर–सरकारी सदस्यों को नियमानुसार यात्रा/दैनिक भत्ते प्रदान किए जाएंगे ।

10. अन्य शर्तें

मौलिक पुस्तकों का आशय निम्नलिखित प्रकार की पुस्तक से है :—

(1) जो प्रतियोगी/लेखक द्वारा स्वयं मूल रूप से हिन्दी में लिखी गई हो ।

(2) जो किसी लेखक द्वारा किसी अन्य भाषा में लिखी गई पुस्तक अथवा लेख का प्रतियोगी द्वारा किया गया अनुवाद न हो।

(3) जो प्रतियोगी द्वारा स्वयं किसी अन्य भाषा में लिखी गई पुस्तक का स्वयं उस प्रतियोगी द्वारा अथवा किसी व्यवसायिक अनुवादक द्वारा तैयार किया गया अनुवाद न हो।

(4) जिसे प्रतियोगी ने मूल रूप से हिन्दी में अथवा किसी अन्य भाषा में अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने सरकारी कामकाज के एक भाग के रूप में न लिखा हो।

(5) जो प्रतियोगी द्वारा स्वयं अथवा किसी व्यवसायिक अनुवादक द्वारा किया गया किसी ऐसी पुस्तक अथवा लेख का हिन्दी अनुवाद न हो जिसे लेखक ने अंग्रेजी अथवा किसी अन्य भाषा में अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने सरकारी कामकाज के एक भाग के रूप में लिखा हो।

(6) जो लेखक द्वारा स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया विस्तृत/संक्षिप्त रूप अथवा सार न हो जिसे लेखक ने अपनी शासकीय हैसियत से तथा अपने सरकारी कामकाज के एक भाग के रूप में अंग्रेजी में अथवा किसी अन्य भाषा में लिखा तथा/अथवा प्रकाशित कराया हो, तथा

(7) जो किसी सरकारी ठेके के अंतर्गत अथवा किसी सरकारी योजना के अनुसार लिखी पुस्तक न हो।

11. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को इस योजना में संशोधन करने का अधिकार रहेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों भारत के सभी विश्वविद्यालयों तथा समाचार एजेंसियों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

दिलीप कुमार,
संयुक्त सचिव

पर्यावरण और वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 23 जून, 1995

संकल्प

सं० क्यू० 18011/14/90-सी०पी० ०—जबकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1985 की रिट याचिका (सिविल) सं० 13029—एम० सी० मेहता बनाम भारत संघ तथा अन्य—में अपने 14-3-1991 के निर्णय द्वारा भारत सरकार को यह निर्देश दिया है कि न्यायमूर्ति के० एन० साइकिया (उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश) की अध्यक्षता में यानीय प्रदूषण के संबंध में एक समिति का गठन किया जाए और श्री एन० एस० सिवाना, पूर्व अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, श्री एम० सी० मेहता, एडवोकेट, उच्चतम न्यायालय तथा श्री एम० जी० शाह को इसका सदस्य और पर्यावरण और वन मंत्रालय के संयुक्त सचिव को संयोजक सचिव बनाया जाए।

केन्द्र सरकार ने दिनांक 27-3-1991 के समसंख्यक संकल्प द्वारा 18-3-1991 से समिति का गठन निम्नवत किया था :—

1.	न्यायमूर्ति के० एन० साइकिया (उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश)	अध्यक्ष
2.	श्री एन० एस० सिवाना, अध्यक्ष, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली।	सदस्य
3.	श्री एम० सी० मेहता, एडवोकेट, उच्चतम न्यायालय, भारत।	सदस्य
4.	श्री एम० जी० शाह, एसोसिएशन आफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्युफेक्चरर्ज के प्रतिनिधि।	सदस्य
5.	श्री मुकुल सनवाल, संयुक्त सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली।	संयोजक सचिव

3. बाद में, श्री मुकुल सनवाल संयुक्त सचिव ने उनके प्रभार का कार्यभार त्याग दिया था। श्री मुकुल सनवाल के बदले दिनांक 26-9-93 के संकल्प सं० क्यू० 18011/14/90—सी० पी० ए० द्वारा यानीय प्रदूषण संबंधी समिति का संयोजक सचिव श्री टी० जार्ज जोसफ संयुक्त सचिव, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को बनाया गया था। चूंकि श्री टी० जार्ज जोसफ, अब अपने मूल संवर्ग को वापस चले गए हैं अतः श्री विजय शर्मा जिन्होंने 29-05-1995 से पर्यावरण और वन मंत्रालय में संयुक्त सचिव का पदभार संभाला है, उन्हें तत्काल प्रभाव से श्री टी० जार्ज जोसफ, संयुक्त सचिव के स्थान पर यानीय प्रदूषण संबंधी समिति का संयोजक सचिव बनाया गया है।

27-3-1991 के पहले वाले संकल्प की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया जाए।

के० के० बख्शी,
अवर सचिव,

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 1995

संकल्प

सं० ई-11017/1/95-हिन्दी—भारत सरकार, गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) के 28 मई 1979 के निर्णय के अनुसरण में तत्कालीन शहरी विकास मंत्रालय (अब शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय) ने अपने कार्य क्षेत्र में समाहित विषयों पर मूल हिन्दी पुस्तक लेखन उपयोगी पुस्तकों को हिन्दी में सुलभ करने हेतु उनके अनुवाद को प्रोत्साहन देने की "निर्माण और आवास साहित्य" पुरस्कार योजना 17 नवम्बर, 1981 के संकल्प सं० ई-11017/11/83-हिन्दी द्वारा जारी की थी। योजना में पुस्तकें न मिलने पर समय-समय पर समीक्षा और संशोधन किए जाते रहे हैं, जिसमें पिछला संशोधन 13 दिसम्बर 1991 के संकल्प सं० ई-11017/3/91-हिन्दी द्वारा किया गया। अब चूंकि मंत्रालय में एक नया विभाग खुल जाने तथा नाम शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय हो जाने से हिन्दी पुस्तक लेखन योजना का नाम "शहरी कार्य और रोजगार साहित्य पुरस्कार योजना" होगा।

1.1 योजना का उद्देश्य शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय से संबंधित विषयों पर मूलतः हिन्दी पुस्तकें लिखने तथा अन्य भाषाओं में लिखी पुस्तकों का मानक हिन्दी अनुवाद करने वाले लेखकों/अनुवादकों को

प्रोत्साहित करना है। पुस्तक या साहित्य का तात्पर्य ऐसी लिपिबद्ध कृति से है, जो सुधी पाठकों को पढ़ने के लिए सुलभ हो। मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में आने वाले विषय इस प्रकार है :—

1. आवास विकास
2. नगर विकास कार्य
3. शहरी मलिन बस्तियों (स्लमों) की समस्याएं और निवारण
4. शहरी रोजगार समस्याएं और समाधान
5. शहरी निर्धनता उन्मूलन
6. शहरी जल आपूर्ति तथा सफाई प्रबंध
7. शहरी सम्पदाओं का विकास
8. बढ़ती हुई आबादी और सामाजिक आवास
9. सहकारी आवास संस्थाएं संगठन प्रबन्ध
10. निर्माण—कार्य और कारक
11. भू-उपयोग और पट्टा प्रणाली
12. सरकारी सम्पदा अनुरक्षण तथा प्रबन्ध
13. परिवेश सुधार वृक्षारोपण व उद्यान कार्य
14. सरकारी साहित्य का मुद्रण प्रकाशन एवं वितरण
15. स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था
16. भवन निर्माण प्रौद्योगिकी तथा सामग्री उत्पादन
17. शहरी किरायेदारी समस्या और समाधान
18. शहरीकरण में प्राईवेट सेक्टर का योगदान
19. मंत्रालय के कार्यक्षेत्र से संबंधित अन्य कोई विषय

2. पुरस्कार की राशि, पुरस्कार वर्ष तथा पुस्तकें भेजने की अंतिम तारीख

प्रथम पुरस्कार	10,000 रुपए (दस हजार रुपए)
द्वितीय पुरस्कार	7,000 रुपए (सात हजार रुपए)
तृतीय पुरस्कार	5,000 रुपए (पांच हजार रुपए)

2.2 प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष को "पुरस्कार वर्ष" माना जाएगा। किसी पुरस्कार वर्ष विशेष में पिछले तीन वर्षों की अवधि में लिखित मुद्रित और प्रकाशित पुस्तकों पर ही विचार किया जाएगा। तथापि इस योजना हेतु यदि कोई पांडुलिपि इस आश्वासन के साथ भेजी जाती है कि वह एक वर्ष के अन्दर पुस्तकाकार छप कर पाठकों को सुलभ हो जाएगी तो ऐसी पांडुलिपि को योजना में विचारार्थ स्वीकार किया जा सकेगा, किन्तु पुरस्कार देने बाबत अंतिम निर्णय पुस्तक के प्रकाशन वर्ष के लिए और पुस्तक की 5 प्रतियां प्रस्तुत करने की शर्त से जुड़ा होगा। यदि प्रस्तुत पुस्तक पर किसी अन्य सरकारी योजना के अन्तर्गत पुरस्कार मिल चुका है तो वह पुस्तक इस योजना के अन्तर्गत पुरस्कार योग्य पात्र नहीं मानी जाएगी।

2.3 इस योजना के अन्तर्गत पुस्तकें पुरस्कार वर्ष (1 जनवरी, से 31 दिसम्बर) की समाप्ति के बाद तीन महीने तक यानी 31 मार्च तक स्वीकार की जाएंगी। इस अंतिम तारीख को, उस समय विद्यमान विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर बढ़ाया जा सकता है।

2.4 प्रतियोगी लेखक को पुस्तक की 5 मुद्रित प्रतियां निर्धारित आवेदन पत्र के साथ भेजनी होंगी। प्रविष्टियों सहित आवेदन-पत्र विधिवत भर कर निदेशक/उप-निदेशक (राजभाषा), शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली—110011 को भेजनी होंगी।

3. पुरस्कार योजना में भाग लेने के लिए पात्रता

3.1 यह पुरस्कार प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए है। शहरी कार्य रोजगार मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय एवं सार्वजनिक उपक्रम एवं स्वायत्त निकायों तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारी/कर्मचारी भी इस योजना में भाग ले सकेंगे।

3.2 एक लेखक/अनुवादक पुरस्कार योजना के लिए एक से अधिक प्रविष्टियां भेज सकता है। किन्तु किसी वर्ष विशेष में मूलतः लिखी गयी तथा अनूदित दोनों श्रेणियों के अन्तर्गत एक लेखक/अनुवादक को केवल एक पुरस्कार दिया जाएगा।

3.3 पुस्तक सामान्यतः 100 मुद्रित पृष्ठ से कम की नहीं होनी चाहिए। तथापि इससे छोटी पुस्तकों पर निर्णायक मंडल अपने विवेकानुसार विचार कर सकता है। कहानी, गीत, कविता या नाटक आदि शुद्ध साहित्यिक रचनाएं स्वीकार्य नहीं है।

4. मूल्यांकन समिति

4.1 पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुस्तकों का चयन एक विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। मंत्रालय में राजभाषा के प्रभारी अपर सचिव/संयुक्त सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे। मंत्रालय सचिवालय में प्रशासन विंग हिन्दी प्रभागों तथा विषय से संबंधित प्रभाग के निदेशक/उप सचिव तथा मंत्रालय द्वारा मनोनीत बाह्य और गैर-सरकारी विशेषज्ञ इस समिति के सदस्य होंगे।

4.2 शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में उप-निदेशक (राजभाषा) समिति के सदस्य सचिव होंगे।

4.3 यदि मूल्यांकन समिति का कोई सदस्य पुरस्कार के लिए अपनी पुस्तक प्रस्तुत करता है तो वह उस वर्ष के लिए मूल्यांकन समिति का सदस्य नहीं रहेगा।

4.4 मूल्यांकन कार्य के लिए समिति के अध्यक्ष व प्रत्येक सदस्य को मानदेय यदि कोई हो, दिया जाएगा।

4.5 यदि मूल्यांकन समिति के सदस्यों को पुरस्कार के लिए प्राप्त प्रविष्टियों के अंतिम मूल्यांकन हेतु दिल्ली के बाहर से बुलाया जाता है तो उन्हें नियमानुसार बैठक की अवधि के लिए यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

4.6 पुरस्कार के लिए पुस्तकों का चयन मूल्यांकन समिति की बैठक में किया जाएगा।

4.7 मूल्यांकन समिति के बहुमत/ निर्णय पर ही किसी पुस्तक पर पुरस्कार दिया जाएगा। यदि पुरस्कार के लिए ऐसी पुस्तक चुनी जाती है, जिसको लिखने या अनुवाद करने वाले एक से अधिक लेखक हों तो पुरस्कार की राशि उन सब में बराबर बांट दी जाएगी।

4.8 पुरस्कारों की घोषणा मूल्यांकन समिति की सिफारिशें सरकार द्वारा मान लेने के बाद की जाएगी इस संबंध में सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

4.9. इस योजना से संबंधित सभी मामलों पर शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा।

4.10 योजना से संबंधित सभी पत्रों पर कार्यवाही उप-निदेशक (राजभाषा) सदस्य-सचिव, शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा की जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के साथ-साथ सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों प्रधान मंत्री सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय तथा विश्व विद्यालय अनुदान आयोग, सभी विश्व विद्यालयों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित कर दिया जाए।

जयबीर सिंह चौहान,
निदेशक (राजभाषा)

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 1995

नियम

सं० 10/1/95-के.से. (II)—कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 1995 में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशु-लिपिक सेवा के ग्रेड-ग, भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक के संवर्ग के ग्रेड-ग, सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग, रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "ग" और अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन (रेल मंत्रालय) आशुलिपिक सेवा के ग्रेड "ग" के लिए प्रवर सूचियों में सम्मिलित करने के लिए सिमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

2. चयन सूची में शामिल करने के लिए चयन किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण बाद में किया जाएगा जैसा कि आयोग द्वारा जारी की जाने वाली विज्ञप्ति के पैरा 2 में बताया गया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण मांगकर्ता संवर्ग कार्यालयों द्वारा आयोग को भेजी गई रिक्ति को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

अनुसूचित जाति/जनजाति का अभिप्राय उस किसी भी जाति से संविधान के आदेशों में समय-समय पर संशोधित निम्नलिखित में उल्लिखत है।

1. संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950
2. संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950
3. संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951
4. संविधान अनुसूचित जनजाति (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951
5. संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956
6. संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959
7. संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962
8. संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962
9. संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964।
10. संविधान (उत्तर प्रदेश) अनुसूचित जनजाति आदेश 1967
11. संविधान (गोवा, दमन और दीप) अनुसूचित जाति आदेश, 1968
12. संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968
13. संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश 1970
14. संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश 1978
15. संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश 1978
16. संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश 1989 तथा समय समय पर संशोधित आदेश।

3. कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित पद्धति के अनुसार ही ली जाएगी।

किस तारीख और किन-किन स्थानों पर परीक्षा की जाएगी इसका निर्धारण आयोग करेगा।

4. पात्रता की शर्तें—केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशु-लिपिकों के संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन (रेल मंत्रालय) आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "घ" या श्रेणी-III का नियमित रूप से नियुक्त कोई भी ऐसा स्थायी अथवा अस्थायी अधिकारी जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो परीक्षा में बैठने और अपनी सेवा की रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता करने का पात्र होगा अर्थात् केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ के आशुलिपिक उस सेवा के ग्रेड-ग की रिक्तियों के लिए पात्र होंगे, केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ के आशु-लिपिक उस सेवा के ग्रेड-ग की रिक्तियों के लिए पात्र होंगे और भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड-3 के आशुलिपिक भारतीय विदेश सेवा (ख) के (आशुलिपिकों) के संवर्ग के ग्रेड-II की रिक्तियों के लिए पात्र होंगे तथा सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ के आशुलिपिक सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-ग और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "घ" के आशुलिपिक, रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्रेणी "ग" की रिक्तियों के लिए पात्र होंगे और अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन (रेल मंत्रालय) आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "घ" के आशुलिपिक अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन आशुलिपिक सेवा के श्रेणी "ग" की रिक्तियों के लिए पात्र होंगे।

(क) सेवा की अवधि—सेवा के ग्रेड-घ या ग्रेड-3 में निर्णायक तारीख से अर्थात् 1-8-1995 को उसकी कम से कम तीन वर्ष की अनुमोदित और निरंतर सेवा होनी चाहिए।

टिप्पणी.—ग्रेड-घ के वे अधिकारी जो सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से सवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हों, और जिनका केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशु-लिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन आशुलिपिक सेवा के ग्रेड-घ या ग्रेड-III में धारणा-धिकार है यदि अन्यथा पात्र हों तो इस परीक्षा में बैठ सकेंगे।

परन्तु यदि वह केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "घ"/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा के श्रेणी "घ"/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "घ"/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग की श्रेणी-3/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "घ"/अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन, आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "घ" में प्रतियोगात्मक परीक्षा जिसमें सीमित विभागीय प्रतियोगात्मक परीक्षा भी शामिल है के परिणाम पर नियुक्त किया जाता है तो ऐसी परीक्षा के परिणाम निर्णायक तारीख से कम से कम तीन वर्ष पहले घोषित हुए होने चाहिए और उस श्रेणी में उनकी कम से कम दो वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा होनी चाहिए।

(ख) आयु—उसकी आयु पहली अगस्त 1995 को 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् 2 अगस्त 1995 से पहले पैदा नहीं हुआ हो।

(ग) ऊपर लिखित ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित और छूट होगी :—

(1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो, तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

(2) किसी दूसरे देश में संघर्ष के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाई करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आठ वर्ष)।

(3) 1971 में हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के कार्मिकों के मामले में अधिकतम 3 वर्ष तक (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आठ वर्ष)।

उपर्युक्त बातों के अलावा ऊपर निर्धारित आयु सीमा में और किसी हालत में छूट नहीं दी जाएगी।

(घ) आशुलिपिक परीक्षा—जब तक कि केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन आशुलिपिक सेवा के ग्रेड–3 में स्थायीकरण या बने रहने के प्रयोजन के लिए आयोग की आशुलिपिक परीक्षा उत्तीर्ण करने से छूट न मिल गई हो, उसने परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या उससे पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण कर ली होनी चाहिए।

टिप्पणी :—ग्रेड–घ या ग्रेड–3 के जो आशुलिपिक सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के संवर्ग बाह्य पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हैं और जिनका इस सेवा के ग्रेड घ या ग्रेड–3 में धारणाधिकार है यदि अन्यथा पात्र हों वे परीक्षा में सम्मिलित किए जाने के पात्र होंगे तथा यह बात ग्रेड–घ/ग्रेड–3 में उन आशुलिपिकों पर लागू नहीं होती जो स्थानांतरित रूप में संवर्ग बाह्य पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किए गए हों और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक के संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन आशुलिपिक सेवा के ग्रेड–घ/ग्रेड–3 में धारणाधिकार न रखते हों।

5. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

6. यदि किसी उम्मीदवार के पास आयोग का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) नहीं होगा तो उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया जायेगा।

7. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा अपराधी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने :—

(1) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(2) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(3) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य साधन कराया है, अथवा

(4) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए है जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(5) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(6) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(7) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाये हैं, अथवा

(8) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(9) असंगत सामग्री लिखना जिसमें पांडुलिपि में अश्लील भाषा या अश्लील सामग्री भी शामिल है, या

(10) आयोग द्वारा परीक्षा के संचालन के लिए नियुक्त स्टाफ को तंग किया है अथवा शारीरिक चोट पहुंचाई है, अथवा

(11) अपने प्रवेश पत्र के साथ जारी किए गए किसी अनुदेश का उल्लंघन किया है, अथवा

(12) उसके द्वारा परीक्षा भवन से उत्तर-पुस्तिका/आशुलिपि टिप्पणी टंकण आलेख का ले जाया जाना।

(13) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है तो उस पर अपराधिक अभियोग (क्रिमनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे :—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से जिसका वह उम्मीदवार है बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए :—

(1) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए

(2) केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

8. परीक्षा के पश्चात् प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अंतिम रूप से प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग द्वारा उनकी योग्यता क्रम से छ अलग सूचियां बनाई जायेंगी और उसी क्रम के अनुसार आयोग उस परीक्षा में जितने उम्मीदवारों को सफलता प्राप्त समझेगा, उनके नाम अपेक्षित संख्या तक केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा, केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक के संवर्ग और सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा और रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन आशुलिपिक सेवा के ग्रेड–ग की चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए सिफारिश करेगा।

परन्तु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन आशुलिपिक सेवा में रिक्तियों की संख्या तक समान मानक के आधार पर रिक्तियां न भरी जा सके तो आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के आरक्षित कोटे में कमी को पूरा करने के लिए मानक में ढील देकर सिफारिश की जा सकती है चाहे परीक्षा की योग्यता सूची में उनका कोई रैंक क्यों न हो बशर्ते कि उम्मीदवार केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन आशुलिपिक सेवा के ग्रेड–ग की चयन सूची में शामिल करने के लिए योग्य हों।

टिप्पणी :—उम्मीदवार को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह प्रतियोगिता परीक्षा है न कि अर्हक परीक्षा (क्वालीफाइंग एग्जामिनेशन)। इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग के ग्रेड–ग/ग्रेड-2 सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा / अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन आशुलिपिक सेवा के ग्रेड–ग की प्रवरण सूची में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल किए जायें। इसका निर्णय करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम है। इसलिए कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस

बात का कोई दावा नहीं कर सकेगा कि उसके द्वारा परीक्षा में दिए गए निष्पादन के आधार पर उसका नाम प्रवरण सूची में शामिल किया ही जाए ।

9. हर एक उम्मीदवार के परीक्षाफल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार से दी जाये इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा ।

10. परीक्षा में सफलता से चयन का अधिकार नहीं मिल जाता जब तक कि सबंधी प्राधिकारी ऐसी छानबीन के बाद जो आवश्यक समझी जाये, संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार सेवा के अपने चरित्र के विचार से चयन के लिए किसी प्रकार से उपयुक्त है ।

11. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन-पत्र देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग/सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन आशुलिपिक सेवा के अपने पद से त्यागपत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना संबंध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवाएं उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हों या किसी निसंवर्गीय पद या दूसरी सेवा में स्थानांतरण द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड–घ/केन्द्रीय सतर्कता आयोग आशुलिपिक सेवा के ग्रेड–घ/भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिकों के संवर्ग के ग्रेड–3 या सशस्त्र सेना मुख्यालय आशुलिपिक सेवा/रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा/अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन आशुलिपिक सेवा के ग्रेड–घ में धारणाधिकारी में हो वह इस परीक्षा में परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा तथापि वह ग्रेड–घ/ग्रेड–3 के उन आशुलिपिकों पर लागू नहीं होगा जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निसंवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति के रूप में नियुक्त किया जा चुका हो ।

करतार सिंह, अवर सचिव

परिशिष्ट

लिखित परीक्षा के विषय तथा प्रत्येक के लिए दिया गया समय तथा पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

भाग-क लिखित परीक्षा

विषय	अधिकतम अंक	समय
प्रश्न-पत्र वस्तु निष्ठ प्रकार		
(क) सामान्य जानकारी 100 प्रश्न (ख) अंग्रेजी भाषा का परिज्ञान तथा लेखन योग्यता 100 प्रश्न	200	2 घंटे

टिप्पणी — सामान्य जानकारी सम्बंधित प्रश्न हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छापे जायेंगे ।

भाग ख–हिन्दी या अंग्रेजी आशुलिपिक परीक्षा
(लिखित परीक्षा मे उत्तीर्ण होने वालों के लिए)

200 अंक

टिप्पणी — उम्मीदवारों को अपने आशुलिपिक नोट टकण मशीन स लिप्यंतरित करने होंगे और इस प्रयोजन के लिए उन्हें अपनी मशीन लानी होगी ।

भाग ग–ऐसे उम्मीदवारों के सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन जो आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार निर्णीत किये जायेंगे अधिकतम 100 अंक ।

2. लिखित परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण तथा आशुलिपिक परीक्षाओं की योजना इस परिशिष्ट की संलग्न अनुसूची मे दिये गये विवरण के अनुसार होगी ।

3. लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को अंग्रेजी अथवा हिन्दी की आशुलिपि परीक्षा देनी होगी जोकि अधिकतम 200 अंक की होगी ।

टिप्पणी 1 : उम्मीदवारों को अपने आवेदन-पत्र के कालम 6 में आशुलिपि परीक्षा देने के लिए अपना माध्यम अवश्य लिखना चाहिए । एक बार चुना गया विकल्प अंतिम समझा जाएगा तथा उक्त कालम में परिवर्तन का कोई अनुरोध सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाएगा । यदि किसी उम्मीदवार द्वारा विकल्प देने का अपेक्षित कालम खाली छोड़ दिया जाता है तो आशुलिपि परीक्षण के लिए उसका माध्यम अंग्रेजी समझा जाएगा ।

टिप्पणी 2 : ऐसे उम्मीदवारों को अपनी नियुक्ति के बाद जो आशुलिपि की परीक्षा हिन्दी में देने का विकल्प लेंगे, अंग्रेजी आशुलिपि और जो आशुलिपि की परीक्षा अंग्रेजी में देने का विकल्प लेंगे उन्हें हिन्दी आशुलिपि आवश्यक रूप में सीखनी पड़ेगी ।

टिप्पणी 3: उम्मीदवार ने जिस भाषा का विकल्प दिया है उसके अलावा अन्य किसी भाषा में आशुलिपि की परीक्षा देने पर कोई मान्यता नहीं दी जाएगी ।

4. जो उम्मीदवार 120 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे वे 100 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में वही स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के क्रम में ऊपर होंगे । प्रत्येक वर्ग में उम्मीदवारों को दिए गए कुल अंकों के अनुसार पारस्परिक प्रवरता अनुसार रखा जावेगा । [विम्नलिखित अनुसूची का भाग (ख) देखें] ।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे । किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

6. आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा में किसी या सभी विषयों में अर्हांक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित करेगा ।

7. केवल उन्हीं उम्मीदवारों को आशुलिपिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जो आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किये गये न्यूनतम अर्हांक अंक प्राप्त कर लेंगे ।

अनुसूची

लिखित परीक्षा का स्तर और पाठ्यक्रम विवरण

(भाग–क)

टिप्पणी — भाग "क" के प्रश्न पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय की "मैट्रिकुलेशन" परीक्षा का होता है ।

प्रश्नपत्र–1 (क) सामान्य जानकारी-प्रश्न उम्मीदवार के आस-पास के पर्यावरण के प्रति उसकी सामान्य जानकारी तथा समाज के प्रति उनके अनुप्रयोग के सम्बन्ध में उम्मीदवार की योग्यता की जांच करने के लिए पूछे जायेंगे । सामाजिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन पर्यवेक्षण के ऐसे मामलों और उनके वैज्ञानिक पहलुओं के सम्बन्ध में भी ज्ञान की जांच करने के लिए

प्रश्न पूछे जायेंगे जिनकी जानकारी की अपेक्षा एक शिक्षित व्यक्ति से की जाती है। इस परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों के सम्बन्ध में विशेषकर इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक दृश्य, सामान्य राज्य व्यवस्था तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से सम्बन्धित प्रश्न भी पूछे जायेंगे।

(ख) अंग्रेजी भाषा का परिज्ञान तथा लेखन योग्यता इस परीक्षा में अंग्रेजी भाषा शब्दावली, वर्तनी, व्याकरण, वाक्य संरचना, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, वाक्य पूरे करना, वाक्यांश तथा शब्दों के मुहावरेदार प्रयोग इत्यादि के सम्बन्ध में उम्मीदवार के विवेक तथा ज्ञान को आंकने के लिए प्रश्न-पत्र तैयार किये जायेंगे। इसमें अनुच्छेद परिज्ञान पर भी प्रश्न होंगे।

भाग—ख

आशुलिपिक परीक्षा की योजना

अंग्रेजी में आशुलिपिक की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन परीक्षाएं होंगी, एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिए दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिए जो उम्मीदवार को क्रमशः 45 तथा 50 मिनटों में लिप्यन्तर करनी होंगी।

हिन्दी में आशुलिपिक की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन परीक्षाएं होंगी, एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिए और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिए जो उम्मीदवारों को क्रमशः 60 तथा 65 मिनटों में लिप्यन्तर करनी होंगी।

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 10th July 1995

No. 108-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Andhra Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officers

Shri K. Venkat Swamy Goud (*Posthumous*)
Assault Commander, S.S.F. Unit,
Hyderabad.
Shri M. Madan Mohan,
Junior Commando, S.S.F. Unit,
Hyderabad.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 30th May, 1991, Special Security Force Unit headed by Shri K. Venkat Swamy Goud, Assault Commmander, consisting of S/Shri M. Madan Mohan, Junior Commando and N. V. Ramana, Driver together with the local police party proceeded to Lagarai village for some investigations. Having known the presence of Police force, the extremists armed with automatic weapons; planted explosives on the village outskirts and hid themselves. While returning from Lagarai village at 12.30 P.M., when the jeep of Shri Goud, Assault Commander, reached near the turning of Nelimetta hillock, the extremists exploded the land mines and opened fire at the police party. Due to blast effect, Shri N. V. Ramana, Driver died on the spot and both the legs of Shri Goud, Assault Commander were cut off and the remaining five other police personnel were seriously injured. Inspite of fatal injuries, Shri Goud, kept motivating his party to return the fire till he breathed his last. Shri M. Madan Mohan, Junior Commando, though seriously injured kept the extremists engaged till the reinforcement arrived by firing ten rounds with TSMC and 50 rounds from AK-47 Rifles, and thus saved the lives of other members and prevented the extremists from taking away their weapons.

In this encounter S/Shri (Late) K. V. Swamy Goud, Assault Commander and M. Madan Mohan, Junior Commando, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 30-5-1991.

G. B. PRADHAN
Director

No. 109-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Gujarat Police :—

Shri H. G. Jhala,
Sub Inspector of Police,
Local Crime Branch,
Mehsana, Gujarat.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 14-6-1992, some hardened criminals involved in a number of murder cases fired at one Shri Raghunath Yadav killing him on the spot. Thereafter, they fled away in their Maruti Cars. PSI H. G. Jhala who was holding an additional charge of Traffic Sub Inspector was going towards Visnagar and on his way he received this message to stop all Maruti cars to check them. On seeing the suspected cars coming towards him, Shri Jhala tried to stop them by obstructing with his own jeep, but could not succeed. Failing in the attempt, he chased these Maruti cars. The criminals fired four round at him and sped away. The criminals on identification of their maruti cars left one of them on the roadside and boarded a private public carrier. Shri Jhala in spite of the fact that he was without arms, continued his chase and overtook the public carrier carrying criminals and managed to stop the public carrier and tried to apprehend them. The criminals again fired at him causing injuries on the arm and neck region and managed to escape. The bullet injuries damaged Shri Jhala's spinal cord resulting in permanent loss of the use of lower part of the body (below waist).

In this encounter Shri H. G. Jhala, Sub Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 14-6-1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 110-Pres/95.—The President is pleased to award of Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Gujarat Police.

Name and Rank of the Officer

Shri A. A. Chauhan,
Sub-Inspector of Police,
Surat.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

After attending the Court on 22nd October, 1991 at Surat, Sub-Inspector Chauhan, was going in a bus to Ahmedabad in connection with the investigation of some other criminal case. At about 2.30 hrs. when the bus was on Bharuch Highway near Haldarwa, four of the co-travellers stood up and one of them approached the driver with a pistol and asked him to

stop the bus. The remaining three miscreants also had knives and pistols in their hands. After stopping the bus on the road side, they started forcibly looting the passengers. Thereafter, two of them tried to get down from the front door of the bus when Shri Chauhan sitting near the front door plunged into action and caught hold of one of the robbers and in the process both of them fell down from the steps of the front door of bus on the ground. The robbers immediately fired at Shri Chauhan but the bullet missed him. At this one, co-passenger came to the rescue of Shri Chauhan. The robbers again attacked Shri Chauhan with knives, due to which he received multiple injuries on his left thigh and forehead and started bleeding. The other co-passenger Shri Gajjar also received knife injuries on his left leg. As S/Shri Chauhan and Gajjar, were lying on the ground injured the robbers managed to escape.

In this encounter Shri A. A. Chauhan, Sub-Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 22-10-1991.

G. B. PRADHAN
Director

No. 111-Pres/95.— The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Haryana Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Pale Ram, (*Posthumous*)
A. S. I. of Police,
P. S. Guhla,
District Kaithal.

Shri Gulzar Singh, (*Posthumous*)
Constable,
P. S. Guhla,
District Kaithal.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 23-10-92 Shri Pale Ram, ASI, I/C Post Mehmudpur, PS Guhla, Distt. Kaithal alongwith party of six Constables including Gulzar Singh was on mobile patrolling duty in terrorist infested area in a jeep. Shri Pale Ram armed with AK-47 rifle, while the Constables were armed with SLR rifles were returning in a jeep from patrolling. It was about 7.15 PM and darkness had set in, the police party had crossed village Mehmudpur and as they were approaching the Police Post, they came under heavy automatic fire from the terrorists who had taken cover in the rice fields on the right side. Shri Pale Ram who was seated in the front with the driver, received bullet injuries in his abdomen. Even though injured, Shri Pale Ram, did not loose his courage and with presence of mind, informed PS Guhla about the incident and asked for reinforcement. In the sudden burst of firing the jeep was damaged and could not move further. Shri Pale Ram ordered the police party to jump of the jeep, take cover on the other side and return the fire. In the firing Const. Gulzar Singh sustained serious bullet injuries and succumed on the spot. Shri Pale Ram unmoved by the sudden attack, despite profuse bleeding from his abdomen (subsequently died in hospital) fired from his AK-47 rifle and inspired his men to return the fire. The exchange of fire continued for about half an hour and the terrorists fled away under cover of darkness.

In this encounter S/Shri (Late) Pale Ram, A. S. I. of Police and (Late) Gulzar Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23-10-1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 112-Pres/95.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Jammu & Kashmir Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Mohammad Ali, (*Posthumous*)
Constable,
IIIrd Bn., JKAP.

Statement of Services for which the decoration has been awarded :—

On 13th May, 1992, Constable Mohd. Ali alongwith other personnel was deputed to escort the treasury from Anantnag to Kokernag. The cash amounting to Rupees five lacks was to be carried in a bank vehicle accompanied by some bank officials and four security guards (including Constable Ali) followed by taxi carrying the three remaining guards. Near Bona-Dialgam village, some unidentified gunmen came out of a mini bus, stopped and encircled the bank vehicles. The criminals asked the security guards to surrender the money, instead of surrendering and with a view to protect the Govt. money, the security guards opened fire in return of indiscriminate firing from the criminals, resulting in the death of criminal's leader. Constable Mohd. Ali continued firing and injured two more criminals to prevent him from further firing, one of the criminals fired a burst upon the Constable, which resulted serious injurious but without caring for his personal safety, he continued firing till he breathed his last. The remaining criminals got panicky and fled away. They however, took away the dead body of their leader.

In this encounter Shri Mohammad Ali, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 13-5-1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 113-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police :—

Name and Rank of the Officers

Shri Amarjeet Singh, (*Posthumous*)
Constable,
VIII BN., JKAP.

Shri Bashir Ahmed, (*Posthumous*)
Constable,
VIII BN., JKAP.

Shri Raj Kumar,
Constable,
VI BN., JKAP.

Statement of Services for which the decoration has been awarded :—

On 21-9-1991 about 1350 hrs., information was received in Police Control Room Jammu about suspicious objects lying at Talab Khatikan and another near a mosque at Ustad Mohalla. The Bomb Disposal Squad was rushed from the Control Room to these sites. *At Ustad Mohalla,* after examination, the squad found that the suspicious looking object was a *live bomb* and the explosion of which could cause loss of human lives and damage to the mosque resulting in communal disturbance.

Sensing that the bomb could go off at any time, Constables *Amarjeet Singh, Bashir Ahmed and Rajkumar* who were part of the Bomb Squad *went into action* for defusing the bomb. *In the process* the bomb exploded *killing Constable* Amarjeet Singh and seriously injured

Constables *Bashir Ahmed and Raj Kumar. Constable Bashir Ahmed* later *succumbed* to his injuries in the hospital. The prompt action of these officers at the grave risk of their lives not only saved life and property but also contributed tremendously in maintaining communal harmony.

In this encounter S/Shri Amarjeet Singh, Constable, Bashir Ahmed, Constable and Raj Kumar, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21-9-1991.

G. B. PRADHAN
Director

No. 114-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Jammu & Kashmir Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Mohd. Amin Anjum,
Supdt. of Police,
Baramulla.

Shri A. R. Khan (Posthumous)
Dy. Supdt. of Police,
Baramulla.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 19-7-1992, Shri M. A. Anjum, S. P., Baramulla alongwith Shri Mushtaq Ahmad Ganai, DC, Baramulla and party (consisting of late Shri A. R. Khan, Dy. S. P.) were returning from Chattipadshahi. Gurdawara in old Baramulla town, after attending the cremation ceremony of late Shri Shetal Singh, Dy. S. P. About 60/70 meters from Gurdwara, they were stopped by 15/20 youths with hidden weapons. They had the intention of kidnapping both SP and the DC, so that they could put pressure on the Government to yield to their demands. One of the militants opened the door of the car on SP's side and jumped inside the car. Pointing his pistol on SP's chest, he commanded both SP and DC to accompany him. The SP, showing great presence of mind and coolness, pretended to oblige the militant acted swiftly and courageously and caught hold the miltant's gun with one hand and caught his waist by the other hand and ordered his driver to drive away the car. The militants lobbed hand grenades and directed heavy fire on the motor cade. Shri Anjum continued grappling with the militant in the running vehicle. The DC and the PSO to SP who were also in the same vehicle also joined the fight. The militant, who was strongly built made tremendous efforts to break out from the grip of SP. The SP ultimately succeeded in snatching the pistol from him and also hit him on his head a few times to bring him under control. Shri Anjum, finally captured and brought him out of the ambush area. On the other hand, another militant later identified as Nazir Ahmed took out his AK-47 rifle and gave a few blows with the butt of the rifle and broke the rectangled window glass of the car in which A. R. Khan, Dy. SP and Shri Noor-U-Din Asstt. Commissioner, Baramulla were travelling. Shri Khan without caring for his life and with great courage and quickness caught hold of the barrel of the rifle and pushed him back. At the same time, he twisted his body so that the bullet went through the back rest of the seat. Shri Khan, grappled with the militant and succeeded in getting he entire magazine empty in the air. Finding that his magazine has been emptied, the militant got himself freed from the grip of Shri Khan and started running away. At this time, another militant opened fire on Shri Khan from the first floor window of a building. Shri Khan fell down and died on the spot. Thus Shri Khan sacrificed his precious life in the maintenance of the best traditions of the service.

In this encounter S/Shri M. A. Anjum, Supdt. of Police and A. R. Khan, Dy. Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19-7-1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 115-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Karnataka Police :—

Name of Rank of the Officer

Shri N. Hanumanthappa,
Sub-Inspector of Police,
Bangalore.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 14-10-1993, information was received about the presence of notorious rowdy Balli in Kaval—By—rasandra, Sub-Inspector Hanumanthappa along with the police party consisting of one A. S. I. and three Head Constables set out to nab the criminal. At about 4.30 AM. the police party reached the house where Balli was taking shelter and after veryfying his presence made a call, which was responded in negative. But the informer identified the voice of Balli. S. I. Hanumanthappa instructed his party to encircle the house and asked Balli to open the door. It was found that 5-6 gangsters were also present inside the house alongwith Balli. To prevent their escape, S. I. Hanumanthappa asked for more police force from nearby Police Station which immediately joined him. After effective condoning, Balli was asked time and again to surrender but in vain. Sub-Inspector Hanmanthappa tried to break open the door. Balli and his gangmen cameout with deadly weapons and started attacking the police party. Balli attacked S. I. Hanumanthappa and hit him over the head, damaging the helmet, S. I. Hanumanthappa, shot at Balli who was injured in the chest, and later on succumbed to his injuries in hospital. The police personnel also arrested one of the criminals while the other managed to escape.

In this encounter Shri Hanumanthappa, Sub-Inspector, disrules governing the award of Police Medal for gallantry and of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 14-10-1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 116-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Madhya Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officers

Shri M. S. Arora,
Deputy Supdt. of Police,
SDPO, Shivpuri.

Shri S. S. Sikarwar,
Sub Inspector of Police,
District Shivpuri.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the intervening night of 16/17 July, 1991, a search was organised as a part of 'Operation Vishwas'. After completing checking on Karera Road, Shri M. S. Arora, SDPO Shivpuri and Shri S. S. Sikarwar, Sub Inspector alongwith others reached A. B. Road at 9 PM and started checking of vehicles. At about 12.00 in the night a truck driver informed that some dacoits are looting the trucks and buses by blocking the road.

On this Shri Arora and Shri Sikarwar alongwith the available force, immediately rushed to the place of occurrence on the same truck. As they reached there, the dacoits shouted to put off the light. Shri Arora who was sitting in the front seat asked the driver not to put off the light and directed the force to get down and encircle the decoits from three sides. On seeing the police, the dacoits started firing. The police personnel returned the fire in self defence. While firing the dacoits started running away but suddenly they fired from behind a tree. Shri Arora and SI Sikarwar escaped. Thereafter the exchange of fire continued for about 20 minutes In the exchange of fire three dacoits were killed on the spot and one was injured, whose dead body was recovered the next day. The dead dacoits were later identified as Brikhbhan Singh, Govind Dass, Suresh and Sobran Singh. They were involved in large number of heinous crimes in the Districts of Jhansi, Tikamgarh, Datia, Gwalior and Bhander. During search one .12 bore SBBL Gun, one .315 bore revolver with ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri M. S. Arora, Dy. Supdt. of Police and S. S. Sikarwar, Sub Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16-7-1991.

G. B. PRADHAN
Director

No. 117-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Madhya Pradesh Police.

Name of Rank of the Officer

Shri Vijay Yadav,
Supdt. of Police,
Bhind.

Shri K. D. Sonakiya,
Inspector of Police,
SHO, Lahar,
District Bhind.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the night of 7/8/1993, Shri Vijay Yadav, Supdt. of Police, Bhind received information about the presence of gang of dacoit Meharban Singh in the ravines of Kunwari River near village Peoli. Immediately, he planned the combing operation with the available force. The police force was divided into four groups, led by S/Shri Vijay Yadav, SP, K. D. Sonakiya, SI, SO Umari, Rajendra Prasad, SDPO Bhind and Inspector S. S. Chahal.

The police parties reached their assigned locations and began combing operations. In the early hours of next morning SI K. D. Sonakiya noticed some dacoits lurking ahead along the boundary of a dried out paddy field. He immediately asked them to surrender. The dacoits, who were 3-4 in number opened fire and took safe position behind a clump of Babul trees. Shri Sonakiya and party chased the dacoits and fired on the dacoits in self defence. In the meantime, Shri Vijay Yadav on hearing the sound of fire immediately charged ahead in a bid to encircle the dacoits and to ease pressure on the group led by Sonakiya. The dacoits opened fire on them and pinned down the police party. Both the police parties were cought in the open, whereas the dacoits had taken safe position on the ridge. On this SI Sonakiya alongwith others moved ahead in order to encircle the dacoits. Shri Yadav with some members of his party braving heavy fire and without caring for personal safety moved ahead and fired upon the dacoits from close range. SI Sonakiya and party also fired on the dacoits from close quarters. Both the parties encircled the dacoits from left and right flanks and simultaneous shots fired by Shri Yadav and SI Sonakiya killed dacoit Pappu Mishra. However, the other dacoits managed to escape taking advantage of deep ravines. During search one .12 bore SBBL Gun with ammunition were recovered from the dead dacoit. The dead dacoit was wanted in many cases of murder, attempt to murder, loot and kidnepping in the Districts of Bhind, Etawah and Jalaun.

In this encounter S/Shri Vijay Yadav, Supdt. of Police, and K. D. Sonakiya, Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 7-8-1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 118-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Madhya Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Sudarshan Kumar,
Supdt. of Police,
Bastar,
District Jagdalpur.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 24-11-1992, information was received at P. S. Narainpura that a gang of Naxalites belonging to "Keshkal Dalam" was to visit the Edka Weekly market for kidnapping a businessman of Narainpur. This gang had already created terror in the area by killing one Chandanmal Jain, a businessman of Narainpur on 17-8-1992 in the same market. Shri Sudarshan Kumar immediately chalked out a plan of action. Accordingly, an ambush was laid in the jungle of Edka-Buchadi at about 1500 hours to cover thee route leading to the market.

At about 1730 hours, two naxalites were seen in olivegreen uniform and armed with guns, approaching the ambush site from the direction of Huchadi village. As the naxalites came near, Shri Sudershan Kumar challenged them to surrender. But the naxalites opened fire on the police personnel. On this, Sudershan Kumar at once fired in self defence and as a result one naxalite, hit by a bullet and fell down. Inspite of injuries, the naxalitie crawled forward, took position to fire. Shri Kumar noticed the movements of the naxalite managed to reach near him and fired at the naxalite and killed him on the spot. In the mean-time, other naxalite, who took position behind a thick tree, started firing. Shri Khare noticed this and fired at him. But because of his safe position, he could not be hit by the bullets fired by Shri Khare. This naxalite took advantage of trees and darkness and escaped.

During search one .12 bore Rifle with 13 live cartridges were recovered from the dead naxalite. The dead naxalite was identified as Kusanna alias Ajit alias Shriniwas, Deputy Commandant of 'Keshkal Dalam', involved in large number of killings of prominent persons/businessmen and bomb blasts (on 20-5-1991 bomb-blast in which 5 police personnel and three civilian were killed).

In this encounter Shri Sudarshan Kumar, Supdt. of Police desplayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 24-11-1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 119-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Madhya Pradesh Police.

Name and Rank of the Officer

Shri R. K. Dubey,
Deputy Supdt. of Police,
SDOP, Ghatigaon,
District Gwalior.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 10-6-1993, Shri R. K. Dubey, SDPO Ghatigaon received information that Dacoit Jagan Kachhi with his associates was staying in the jungle of Kanher Jhir in the area of P. S. Ghatigaon and negotiating for setting the ransom money for the release of one kidnapped person from Gudawal. Shri Dubey immediately passed-on the information to SP and Addl. SP (Rural), Gwalior. Thereafter, a plan was chalked out and Shri Dubey alongwith SHO P. S. Mohna of Ghatigaon Sub-Division left for the place of hide-out. In the meantime, Addl. SP (Rural), Gwalior also reached the spot with force. Two groups of policemen were formed, one under Addl. SP and the other under Shri Dubey to lay ambush at two strategic points.

At about mid-night, Shri Dubey noticed some persons approaching towards him. He challenged them to disclose their identity. On this one of them shouted and opened fire on the police party but they escaped. Exchenge of fire continued for about 15 minutes. Thereafter, Shri Dubey, without caring for his personal safety, moved ahead towards the dacoits and fired from his SLR on the dacoits killing one of them. The remaining dacoits slipped away taking cover of darkness and uneven ground. However, they had skirmish with the party headed by Addl. SP (Rural) and in the exchange of fire another dacoit was killed. During search two dead bodies of dacoits were recovered. They were identified as Jagna Kachhi wearing the uniform of a Dy. SP and Janved Sehria wearing a Khaki unifrm.. One .315 bore rifle with 8 live rounds and one DBML Gun and one bag containing gun powder, ammunition caps, one bottle containing 30 bullets were also recovered.

In this encounter Shri R. K. Dubey, Deputy Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 10-6-1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 120-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Madhya Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Sushovan Banerjee,
Addl. Supdt. of Police,
Bhind.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

Information was received by Shri Sushovan Banerjee, Addl. S. P., Bhind on the 7th April, 1994 that dacoit Jabar Singh alias Jabra alongwith his associates were moving towards Nadigaon, District Jalaun, U. P. from Seondha (Datia) via Chorai. On this information, Shri Banerji reached Lahar P. S. and chalked out a plan to arrest the dacoits in consultation with Inspector K. D. Sonakiya SHO Lahar. All possible routes leading towards Nadigaon were studied and on the basis of the information ambush spots were selected near village Akhdeva.

2. Available force was divided into three parties. Party No. 1 led by Shri Banerjee himself took position on the South of Kandai Nala in the outskirts of village Akhdeva while party No. 2 under Inspector K. D. Sonakiya was given the task to guard the eastern side of the Nallah and party No. 3 under D. S. Yadav, S. O. Raun was to block the area north of the Nallah about 400 metres away.

3. The parties took position at round 1.30 A. M. on the 8th April and after a night long ambush, some movement was seen by party No. 2 in the early hours of the morning. Inspector Sonakiya immediately challenged the people who were 3 or 4 in number to disclose their identity. However, they replied by firing a volley of bullets at the police party. Police party under K. D. Sonakiya fired back at the dacoits in self-defence, which forced the dacoits to run away towards the south.

4. The party under Shri Banerji who was positioned by the side of the Nallah saw a few men running towards them. Shri Banerji challenged them to stop firing and surrender. But paying no need to the call of surrender the dacoits started running towards east, taking advantage of the darkness and low visibility Shri Banerji chased them. As he was closing in on the dacoits, he was fired upon from the northern direction. Seeing Shri Banerji caught in fire, constable Atul Singh and Devendra Mishra came out of their positions and advanced towards Shri Banerji firing back at the direction from which fire was coming. Shri Banerji took position on the ground and again challenged the fleeing dacoits to stop and lay down arms. The dacoits taking advantage of the uneven topography and deep ravines, continued firing at Shri Banerji while they were running away. Shri Banerji alongwith Constable Atul Singh and Devendra Mishra moved toward them and reached dangerously close to them and shot down one of the dacoits. The other managed to escape in the darkness.

5. The dacoit was later identified as Raghubar Dhobi, district Datia. A .315 bore rifle was recovered from him alongwith live rounds. The dacoit was carrying a reward of Rs. 1000/-. In the fierce exchange of fire with party No. 2 dacoit Jabar Singh Yadav alias Jabra carrying a reward of Rs. 5000/- was killed. One SBBL gun and 10 live rounds were recovered from him.

In this encounter Shri Sushovan Banerjee, Addl. Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7-4-1994.

G. B. PRADHAN
Director

No. 121-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Madhya Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Arvind Kumar Khare,
Inspector of Police,
P. S. Jhansi Road,
Gwalior.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the intervening night of 22/23rd May, 1993, Inspector Incharge of P. S. Jhansi Road, Gwalior received information that Dr. S. M. Shrivastava, Superintendent, Cancer Hospital, Gwalior has been kidnapped by some criminals at the point of revolver and was whisked away in a Maruti Van. The Supdt. of Police, Gwalior immediately chalked out a plan of action one party was sent in pursuit of the kidnappers—the remaining force was divided into three groups. Two parties were pressed into operation from different directions. Noticing one police party, the Maruti Van carrying the kidnapped person stopped at Vicky Factory Complex and turned back towards the city side. The police party chased the Maruti Van. The SP, Gwalior contrived a trap in such a manner as to corner the dacoits and compell them to surrender. The police party accosted the dacoits to surrender but they retaliated with heavy fire. The City Supdt. of Police and party took position and fired at the dacoits as a result one dacoit

was killed. The supdt. of Police, Gwalior directed the police parties to continue firing at the suspected spot from different directions as the exact location of the hidden dacoits could not be made out due to darkness. He went near the hiding place and got hold of Dr. Shrivastava and took him to safe position behind the trees. While the battle of guns was on Inspector A. K. Khare noticed that his SP and Dr. Shrivastava were being fired upon. He immediately moved ahead for close-quarter battle with the dacoits in the face of barrage of bullets. In the close quarter battle, Shri Khare and his party killed one dacoit. The firece encounter resulted in shooting down of two dacoits, who were later identified as Ghanshyam Singh and his Chief Lieutenant Surender Singh. During search one .315 bore rifle and one .12 bore gun with ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri A. K. Khare, Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22-5-1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 122-Pres/95.—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Nagaland Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Ved Prakash, IPS (Posthumous)
Supdt. of Police,
Mokokchung,
Nagaland.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

(Late) Shri Ved Prakash, IPS (NG : 89), SP, Mokokchung was under constant threat from NSCN (K) for his action against insurgents in Nagaland. Undeterred by these threats. Shri Prakash continued his fight against the unhealthy designs of the insurgents. On 9th June, 19 he was threatened on the telephone by the insurgents that he would face dire consequences if he pursued his plans against insurgents. Ignoring the threat with his characteristic fearlessness he started raiding the hideouts of th armed militants in Mokokchung. He also organised and conducted operations against the undergrounds by personally leading the force and inspiring his subordinates.

On 4th August, 1994, one Yindin Chang of Tuensang District was abducted by insurgents of the Chang Reg of NSCN (K) faction from the Tuensang-Dimapur Bus on Mokokchung-Mariani road near Yimyu compound. Shri Prakash on receipt of this information raided hide-outs and not only rescued the Yindin Chang but also captured SS Capt Takaluba of NSCN (K) who was guarding Yindin Chang. On 7-8-94 he received secret information that armed militants were indulging in unauthorised checking of vehicles going to Tuensang District. He received further information that the insurgents had abducted one Chang from a Tuensang bound night bus. He thereupon decided to personally lead a high way patrol on the night of 7-8-94. The highway patrol under his personal leadership was confronted by a gang of the insurgents at a thickly populated place at the outskrit of Yimyu town which is 5 Kms away from the Mokokchung town on Mokokchung-Mariani road. To avoid any harm to the public, he ordered the apprehension of the armed insurgents by over-powering them without opening fire. The insurgents managed to escape under the cover of darkness. Shri Prakash personally captured SS Pvt. Yangernungsang by pouncing on him and one .32 Pistol was seized from his possession. Later SS Pvt. Yangernungsang was identified as a person of the outlawed NSCN (K) faction. Consequent to this action, he received a threat letter on 8-8-94 directing him to return the captured .32 pistol or face dire consequences in a fault. Shri Prakash continued his operations against th insurgents regardless of the risk and danger to his lif kept receiving threats from them on telephone.

On 26-8-94, Shri Prakash received information about presence of some top insurgents in a hide-out in the town. After briefing his officers and men for the night operation, he left his office for his residence at 1500 hrs to prepare himself for the said operation. After covering about 200 meters from his office, he was ambushed by insurgents of the NSCN (K). In that ambush he alongwith his driver and two bodyguards were killed almost instantaneously.

Shri Prakash was very much conscious of the fact that he would eliminated but he displaced unparalleled courage beyond the call of his duty, continued his fight against the insurgency unabated and in this process made his supreme sacrifice in the maintenance of the highest tradition of the service.

In this encounter (Late) Shri Ved Prakash, IPS, Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4-8-1994.

G. B. PRADHAN
Director

No. 123-Pres/95.—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Manipur Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Hom Bahadur,
Rifleman No. 7411,
7th Battalion,
Manipur Rifles,

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 7th September, 1993, a Police Party consisting of 17 personnal in three Jeeps under the command of Cdt. P. Doungel was on duty for checking of Unit Posts. When the party reached Chairenthong, on Imphal Ukurul road, they were attacked by a group of persons already positioned on the eastern side of the road. The escort party in the 1st vehicle reacted immediately. Rifleman Hom Bahadur sitting in the vehicle returned the fire hitting *two assailants*. One of the assailants died on the spot while the other got injured seriously. Another assailant was fired and injured by the Commandant.

The police party also stopped their vehicles and took position to return the fire more effectively. After five minutes of exchange of fire, the assailants ultimately fled away from the scene. Rifleman Bahadur again risked his life and shot down *another injured person who kept on firing from his carbine covering other escaping assailants*.

Three persons killed in the encounter were later identified as Naosekpam Pange Singh, Yambem Muhindro Singh and Laishram Imomcha Singh, *hard core members of UNLF*. The Police party also *recovered* one .38 *Revolver, one carbine, one scooter* and empty cartridges from the place of encounter.

In this encounter Shri Hom Bahadur, Rifleman, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7-9-1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 124-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Manipur Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Akoijam Byron Angomcha,

Sub Inspector of Police,

District Imphal.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 28th October, 1993, 8 unknown PLA extremists overpowered 6 police personnel led by Head Constable S. Brajabidhu Singh and after looting 2 Sten Guns with 2 Magazines, 4 Nos. of .303 rifle with ammunition and one WT set, escaped in a Maruti Gypsy. The Police party was on duty for escorting Sale proceeds of Petrol pump Imphal town. S. I. Angomcha alongwith 5 Constables was detailed to apprehend the PLA extremists. At about 4.00 P.M., S. I. Angomcha and his party noticed a Maruti Gypsy coming towards them. Finding themselves face face with the Police, the PLA extremists starter running in different directions. Immediately, S. I. Angomcha jumped down from his running jeep and advanced towards the fleeing extremists by continuously firing towards them. Other Police Constables also followed him to capture the extremists. The PLA extremists started heavy firing towards Shri Angomcha. Shri Angomcha immediately took position and returned the fire. This pinned down the fleeing extremists and they were stunned and unnerved.

2. In the encounter *three PLA extremists arrested.* In addition to the *entire looted arms and ammunition and WIT Set* except one Sten Gun, the Police party also recovered following arms and ammunition from the arrested extremists :—

(i) Two 132 Pistols

(ii) One 138 Revolver

(iii) One 9 MM Pistol and other live ammunition.

In this encounter Shri Akoijam Byron Angomcha, Sub Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 28-10-1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 125-Pres/95.—The President is pleased to award of Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Manipur Police :—

Name and Rank of Officer

Mohd. Kutub,
Rifleman,
7th Bn.,
Manipur Rifles,
Khabeisoi, Imphal.

Statement of Services for which the decoration has been awarded :—

On 30-12-1993, Rifleman Mohd. Kutub alongwith L/Naik Jang Bahadur, Rifleman Sangai Kalui and Rifleman Nasimuddin accompanied Shri M. Deben Singh, MLA to Lukera High School. Hon'ble MLA and the escort party arrived at the venue of meeting around 7.45 A.M. In the meeting, some youths numbering about 15 attacked the VIP and the escort party. Alert Rifleman Mohd. Kutub in utter disregard of his own safety promptly retaliated and fired from his SLR and killed one of the extremist on the spot. Other escort party members also opened fire on the extremists and compelled them to flee away.

The killed extremist was later identified as Yumnam Khedasana Singh, a hardcore member of PLA. One M 21 Rifle 104 rounds of M 21 Rifle and some other material was also recovered from the killed extremist.

Lance Naik Jang Bahadur who got injured in the exchange of fire with the extremists has already been awarded cash reward.

In this encounter Mohd. Kutub, Rifleman, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 30-12-1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 126-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Maharashtra Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Dharamsingh Jema Chavan,
Sub Inspector of Police,
District Nanded.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 18-5-1992 information was received that criminal Vijay Kumar alongwith his group was present in jungles of Navatal. The village had a sizeable number of Vijay Kumar's followers. On this information, a plan was worked out to arrest him. Three of his old associates viz. Mohan Baddu Rathod, Jai Singh Somla Rathod and Chhagan Dharma Jadhav were taken into confidence by the police and they were directed to join Vijay Kumar.

2. It was decided that police personnel would go as a party supplying food to Vijay Kumar. A team consisting of S.I. Chavan and 3 Constables was selected for the operation. They were good marksmen and knew Banjara, Gond and Telugu languages and looked like local residents. Alongwith the police party, another team of locals was also sent. On reaching village Palaiguda, the members of the police party dressed themselves as local advasis. They stayed in Junapani village in the house of R. H. Pawar.

3. S.I. Chavan had a revolver and carried a pitcher of water on his head. The Constable carried small bags of 'Rotis' in which they concealed loaded carbines, another Constable carried a carbine in a bag in which a container of mutton was kept. The party was guided by Chhagan Dharma Jadhav to the place where Vijay Kumar was staying. On reaching the spot at about 1940 hrs, a pre-planned signal was given. Vijay Kumar did not come forward but his lieutenants Hussain and Ramesh surfaced and directed the party to keep the food down and leave the place. On this, the party insisted to have their dinner together.

4. Seeing that Vijay Kumar was not coming down to take the food, Chhagan Jadhav jeered him for not coming down to take dinner. Other 5 persons, who were atop with Vijay Kumar also persuaded him to have dinner together. The informers pleaded that such a big number of people at the top of hillock would be noticed by everybody and it may prove suicidal. They also pleaded for formulation of some plans for committing dacoities, burning of tendu patta godown and extortion of money from Contractors, Vijay Kumar was ultimately convinced to come down. Two of his associates covered him from both the sides, both were armed with axes while Vijay Kumar had a gun. On coming down, after establishing the identity of Chhagan Jadhav, Vijay Kumar came foward to to verify the identity of SI Chavan and asked him in Banjari language his name. SI Chavan replied in the same language. However, on seeing new faces Vijay Kumar got suspicious and pointed his gun at SI Chavan. Shri

Chavan showed exemplary courage and presence of mind, pushed the gun aside. Then a scuffle took place. Vijay Kumar tried to overpower Shri Chavan but he acted swiftly and sensing the danger pulled out his revolver and fired six rounds. The bullets hit Vijay Kumar and he collapsed on the spot. His associates Hussain and Ramesh took to their heels. They were chased by Constables. They opened fire on them but they ran away in the jungle and the police party could not trace them.

In this encounter Shri D. J. Chavan, Sub Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule (i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 18-5-1992.

G. B. PRADHAN
Director

New Delhi, the 10th July 1995

No. 127-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Maharashtra Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri P. M. Patil,
Police Naik,
Pydhonie P.S.,
Bombay.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 8th June, 1994 information was received that a wanted criminal Munna Dadhi would be visiting Nagdevi and Sarang Street areas in the jurisdiction of P.S. Pydhonie for commiting some crime. Naik P. M. Patil alongwith another Police Naik was deputed in the area to keep a watch on the wanted criminal. After a watch of about 4 hours, they spotted the criminal near Hotel Sadanand on Sarang Street. Both the policemen rushed forward to capture the criminal. The criminal realising the presence of police, started running. Both policemen chased the criminal. After sometime, while running, the criminal took out a revolver and shouted that he would kill them. Taking advantage of crowd an traffic on the road, he slipped away. Shri Patil spotted the accused, who was emerging out of a narrow lane leading to Mohammedali Road. Shri Patil kept on chasing him but the accused crossed Mohammedali Road by jumping over the central wall of about 3 feet height. The criminal stopped a Taxi at the point of revolver in order to escape. Meanwhile Shri Patil rushed towards the Taxi. Seeing the policeman approaching, the accused fired one shot at Shri Patil, he ducked and saved himself. He immediately fired at the accused and the bullet hit his left shoulder. Though injured, the accused fired another round but Shri Patil escaped unhurt. He then fired two rounds at the accused, one of the bullets hit at the back and he collapsed on the road. Shri Patil pounced on the criminal and disarmed him. At this juncture, the other policemen reached the spot and both took the accused into custody. On search of the criminal, one country-made revolver with 4 live cartridges and one Rampuri knife was recovered.

In this encounter Shri P. M. Patil, Police Naik, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 8-6-1994.

G. B. PRADHAN
Director

No. 128/Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Punjab Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Ranbir Singh Khatra,
Suplt. of Police,
Detective, Batala.

Shri Joginder Pal Singh,
Supdt. of Police,
Operations, Batala.

Shri Jasbir Singh,
A. S. I. of Police,
Batala.

Shri Naresh Kumar, *(Posthumous)*
A. S. I. of Police,
Batala.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 7-1-1993, information was received by SSP, Batala that top terrorists of four organisations have assembled in village Nike Chhicherewal. He directed Shri Ranbir Singh Khatra, SP (Detective) to take coordinated action. Shri Khatra alongwith Shri Jagoinder Pal Singh, SP (Operations), Batala, Commandant 3rd Commando Battalion and others studied the situation. They alongwith their force encircled the village Chhicherewal and after cordoning, a house to house search was launched. At about 3.00 PM, a heavy volume of fire came from the houses of Basant Singh and Jaswant Singh. Initial firing from both the houses caused serious injuries to some of the members of police party. They were immediately evacuated for medical aid. Shri Khatra and his party took position and encircled the house of Basant Singh whereas Shri J. P. Singh and his party encircled the house of Jaswant Singh. Escape routes from both the houses were plugged and police personnel kept on firing at the terrorists to check their escape. Firing continued from both sides throughout the night.

In the early morning Shri Khatra alongwith other members of his party planned to overpower the terrorists hiding in the house of Basant Singh with the help of bullet-proof tractors. The terrorists directed heavy volume of fire on the bullet-proof tractors. In the firing the Driver of the Tractor and two others were injured. Seeing this, Shri Khatra alongwith others went near the tractor and rescued the injured and other members of the police party from the tractor in the face of heavy firing from the terrorists. Thereafter, Shri Khatra alongwith his party climbed on the roof of the adjacent house to pull out other party members from the house while firing at the terrorists. Shri Khatra also threw handgrenades in the house of Basant Singh. Shri J. P. Singh and other members of police party (including S/Shri Jasbir Singh and Naresh Kumar) were fired upon heavily by the terrorists. Shri J. P. Singh and his party took position and immediately returned the fire. They attacked the house of Jaswant Singh and attempted to enter it but they were heavily fired upon by the terrorists. In the process, SI Rattan Singh and HC Naresh Kumar sustained bullet injuries and fell on the ground in front of the house. In this exchange of fire dreaded terrorist Jaswinder Singh alias Gandasa was killed. Thereafter, Shri J. P. Singh alongwith Jasbir Singh and others went forward and succeeded in exacuating injured to hospital. SI Rattan Singh died on way to hospital and Shri Naresh Kumar died on 19-1-93. Firing continued till 7.00 PM.

In the encounter in all 10 hard-core terrorists were killed (five were killed by party led by Shri Ranbir Singh Khatra and other five were killed by the party headed by Shri J. P. Singh), who were having affiliation with Deshmesh Ragiment, Babbar Khalsa and KLF. This was one of the major encounters in Punjab which lasted for about 28 hours. In this encounter Shri Khatra fired 217 rounds from his SLR, Shri J. P. Singh fired 147 rounds from AK-47 Assault Rifle, (Late) Shri Naresh Kumar fired 40 rounds from his 9 mm Carbine and Shri Jasbir Singh fired 440 rounds from AK-47, LMG, 7.62 and .38 bore Revolver. During search 1 Sniper Rifle, 2 GPMGs, 4 AK-47 Rifles, 3 AK-74 Rifles and huge quantity of ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Ranbir Singh Khatra, Supdt. of Police, Joginder Pal Singh, Supdt. of Police, Jasbir Singh, A. S. I. of Police and Shri Narseh Kumar, A. S. I. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7-1-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 129-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Punjab Police :—

Name of Rank of the Officer

Shri S. Elango,
Supdt. of Police,
(Operations),
Hoshiarpur.

Shri Narinder Pal Singh (*Posthumous*)
Sub Inspector of Police,
Hoshiarpur.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 21-6-1992, information was received that a group of terrorists headed by Davinder Singh, Self Styled Lt. Genl. of BTKF alongwith his associates was trying to infiltrate in Ludhiana. A Naka was laid on Teipur Road, Ludhiana on the intervening night of 20-21/6/92 under the command of Shri Elango, Supdt. of Police, Operations, Hoshiarpur. At about 2.35 AM, the naka party noticed a truck coming from Teipur side. As the vehicle came near the naka party, it was signalled to stop. The terrorists stopped the truck but some persons sitting on top of the truck fired on the police party, jumped out of the truck and ran away towards the right side. One of the terrorists siting in driver's cabin fired a Shri Narinder Pal Singh. S/Shri Elango and Singh fired at the front tyres of the truck and immobilised it. One of the terrorists, jumped out of the truck and fired wih his automatic weapon at Shri Singh. He was fired back by Shri Singh.

In the meantime two persons from the left side of the truck fired at the police party. The police party returned the fire. Shri Elango immediately took the SLR of one of his gunmen and quickly moved towards the rear side of the truck. He managed to position himself near one of the bushes, led his party and fired at the terrorists and liquidated two of them. The firing continued for about 30 minutes. On search, 4 dead bodies of terrorists were recovered, who were identified as Davinder Singh alias Jathedar Baldev Singh Khalsa, Sarmukh Singh and Balwinder Singh alias Kaka. During search 7 AK-47 Rifles, 2 SLRs, 1 Dragnov Rifle fitted with telescope, 2 Mousers 30 bore, 3 Revolvers, 4 Stick Bombs, 1 SBBL Gun, 3 Shoulder fire rocket launchers, 2 Remote control devices, 40 Kgs. Explosive material, Rupees 5 lakhs in cash and Huge quantity of detonators, fuze wire and ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri S. Elango, Supdt. of Police and Shri Late Narinder Pal Singh, Sub Inspector of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 21-6-1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 130-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Manmohan Singh,
Deputy Supdt. of Police,
District Khanna.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 24-8-1992, SSP, Khanna received information that the extremists of Babbar Khalsa International are present in the area of village Dhilwan, P. S. Samrala and were planning to commit heinous crimes in the areas of Khanna and Samrala. The SSP, Khanna immediately directed Shri Manmohan Singh, Deputy Supdt. of Police, Khanna to conduct search of the possible hide-outs. Shri Singh alongwith his gunmen and the personnel of CIA Staff immediately proceeded in search of terrorists. When the Police party reached near the tubewell of one Ajmer Singh, two youths were seen sitting on the cot. On seeing the police party they immediately entered the tubewell room and started firing through the Pigeon-holes in the wall. Some bullets fired by the terrorists hit the front glass of the Gypsy in which Shri Singh was sitting. Inspite of heavy fire from the extremists, Shri Singh along with others cordoned the tubewell room. The extremists were warned to surrender but they continued firing on the police party. The police party returned the fire, Finding that the firing by the police party was not effective, Shri Singh directed ASI Gurmit Singh and H C Randip Singh to climb on the roof of the tubewell, dug holes and fire in the room. Shri Singh immediately mounted on the tractor alongwith other personnel and broke open the door with the help of bullet-proof tractor. Then he fired heavily inside the room. On search of the room after the firing from it had stopped, two dead bodies of extremists were recovered, who were later identified as Jarnail Singh and Harmail Singh. Both were dreaded hard-core terrorists and were wanted in large number of heinous crimes of murders, looting and snatching etc. During further search one AK-47 Assault Rifle, one S.L.R., two magazines of AK-47 and two magazines of SLR and 2 hand-grenades were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Manmohan Singh, Dy. SP, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 24 8-1992.

G. B. PRADHAN
Director

No. 131-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Punjab Police :—

Name and Rank of the Officer

Shr Bhupinderjit Singh,
Deputy Supdt. of Police,
Goindwal Sahib,

Shri Gursharan Singh,
Inspector of Police,
SHO P. S. Goindwal Sahib.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 19-3-1993, SSP, Tarn Taran received information that a group of terrorists was present in Village Bhoian in the jurisdiction of P. S. Goindwal. He immediately directed Shri Bhupinderjit Singh, Dy. S. P., Goindwal Sahib, Inspector Gursharan SHO P. S. Goindwal and Deputy Supdt. of Police (Detective), Tarn Taran to reach the place of extremists hiding. On 20-3-1993 at about 5.00 AM all the police parties reached village Bhoian and on preliminary enquiries, they came to know that the extremists were present in a garden

of one Karam Singh. The police parties cordoned the garden from three flanks. On seeing the police, the extremists tried to escape from the flanks where Shri Bhupinderjit Singh and Inspector Gursharan Singh were taking position. The extremists, one seeing the police personnel started firing on the police parties in a bid to escape, when the extremists reached near the outer wall of the garden, Shri Bhupinderjit Singh and Inspector Gursharan Singh challenged them to surrender but the extremists immediately took lying positions and fired heavily on the police personnel. The police personnel returned the fire in self defence. S/Shri Bhupinderjit Singh and Gursharan Singh managed to reach near the extremist's position, and fired on the extremists, but due to lying positions, the extremists could not be made effective targets. After some time when the extremists were canging the magazines of their weapons, Shri Bhupinderjit Singh and Gursharan Singh, without caring for their personal saftey, took kneeling position and fired on the extremists and the bullets hit the extremists. Though injured, the extremists fired on the officers. Both the officers immediately took lying position and again fired on the extremists, as a result of which one of the extremists was killed on the spot and the other was seriously injured. AK-47 Rifle of the injured extremist fell down from his hand due to sub-concicusness. Both the officers immediately caught hold of the weapon of the extremist and fired at him from some distance and killed him. The dead extremist was later identified as Jagbir Singh alias Jagga and Sarmukh Singh alias samma. Jagga was responsible for killing of more than thousand innocent persons and for extortion/looting of huge money.

During search the following arms/ammunition were recovered :—

(1) AK-47 Rifle	1
(2) .303 Rifle	1
(3) Magazine AK-47	9
(4) Cartridges AK-46	3730
(5) Cartridges .303	25
(6) Electric Detonators	40
(7) Detonators No. 27	

In this encounter S/Shri Bhupinderjit Singh, Dy. Supdt. of Police and Gursharan Singh, Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 19-3-1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 132-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Paramraj Singh,
Supdt. of Police,
Detective,
Ropar.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 9th March, 1994, Senior Supdt. of Police, Ropar received information that a group of terrorists was moving in the area of P. S. Chamkaur Sahib. He immediately briefed Shri Paramraj Singh, SP, Detective, Ropar, who further directed DSP (Rural), Ropar, Camp at Morinda to lay Nakas in the areas of P. S. Chamkaur Sahib at 8.00 PM. Thereafter, Shri Paramraj Singh, alongwith DSP, Morinda, SHO P. S. Chamkaur Sahib and available force left for checking and supervision of Nakas and on their way to village Bassi Gujjran, they were fired on by the terrorists from top of a small hillock. The intensity of fire was very heavy and many bullets pierced through the car of Shri Paramraj Singh. He immediately planned to raid the terrorists from the right side of the hillock of Mand. Simultaneously he flashed wireless message to District Headquarters for re-enforcement. After taking stock of situation, he challenged the terrirosts. The terrorists started heavy firing on them and bullets went virtually grazing the bodies of police perconnel. The terrorists lobbed hand grenades on the police parties. The police party led by DSP, Morinda engaged the terrorists from the front side whereas SHO P. S. Chamkaur Sahib covered them from the left side. The terrorists finds themselves cornered from three sides, tried to escape. On seeing the terrorists escaping, Shri Pramaraj Singh pounced on one of the terrorists and had a physical scuffle with him, during which the AK-47 Rifle of Shri Paramraj Singh fell down. However, he snatched the AK-47 Rifle from the terrorist and fired on the escaping terrorist. The bullets hit the terrorist on his head and chest and he died on the spot. After this, Shri Paramraj Singh alongwith his party chased the other terrorists but they managed to escape under the cover of darkness. The dead terrorist was later identified as Gurmit Singh Alias Meeta, who was involved in large number killings including Director, AIR, Patiala Excise & Taxation Commissioner, Patiala and other promonient leaders of political parties. During search one AK-47 Rifle with two magazines and large number of live/empty cartridges were recovered from the dead terrorist.

In this encounter Shri Paramraj Singh, Supdt. of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 9-3-1994.

G. B. PRADHAN
Director

No. 133-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of Punjab Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Nachhattar Singh,
Head Constable,
Tarn Taran.

Statement of services for whwich the decoration has been awarded :—

On 23-4-1992, Shri Ajit Singh, Senior Supdt. of Police, Tarn Taran received information that a group of terrorists is present in the farm-houses in Village Bakipur and Gill Waraich. He immediately directed Shri Ashok Kumar SHO P. S. Jhabal to collect the force and reach the spot. The SHO P. S. Jhabal formed different parties and started search of the farm-houses in villages Gill Waraich, Bakipur and Kot Dharam Chand Kalan. During the search, a group of three terrorists hiding in the wheat fileld's, assaulted the police party and ran towards the farm-house of one Kuldip Singh and took position in the wheat fields. On this, Shri Kumar immediately informed Shri Ajit Singh about the situation and requested for re-enforcement and cordoned the farm-house. Immediately, Shri Ajit Singh, SSP and Kultar Singh, SP, Tarn Taran alongwith force reached the spot. Four bullet proof tractors also reached at the spot. Shri Ajit Singh directed Shri Kultar Singh and SHO P. S. Jhabal to cover the right and left flank and fire on the terrorists. Both the parties took positions and opened fire on the terrorists. The terrorists finding themselves in the cordon of police presonnel, opened fire on the police parties with the intention to break the cordon and run away. In the meantime Shri Ajit Singh took Head Constable Nachhattar Singh with him and opened fire on the terrorists. Due to mounted pressure of the police parties, the terrorists entered the fam-house. The exchange of fire continued for half an hour. Thereafter, Shri Ajit Singh alongwith HC Nachhattar Singh, Shri Kultar Singh and Ashok Kumar alongwith their gunmen mounted the bullet-proof tractors and advanced towards the farm-house. On seeing the police parties cordoning the farm-house, the terrorists opened heavy fire on the bullet-proof tractors. On the direction of Shri Ajit Singh, Shri Kultar Singh and Shri Ashok Kumar managed to

reach near the windows of the room of farm house and lob bed hand-grenades. Meanwhile Shri Ajit alongwith HC Nachhattar Singh took position behind the fodder place in the farm-house. After some-time, due to heavy smoke and suffocation, the terrorists tried to come out from the room but due to heavy firing by S/Shri Ajit Singh, Kultar Singh, Nachhattar Singh and Ashok Kumar all the three terrorists were killed on the spot. The dead terrorists were later identified as Surinder Singh alias Shahid, Harjinder Singh alias Kala and Gurdev Singh alias Deba. During search one Dargon Shapper Rifle with telescope, one AK-47 Rifle, one AK-74 Rifle, 6 Bombs and large number of cartrridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Nachhattar Singh, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 23-4-1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 134-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officer

Shtri Hartej Singh,
Deputy Supdt. of Police,
Working as SP (OPS), Jagraon

Statement of services for which the decoration has been Awarded :

On 13-4-1993, information was received that some terrorists were planning to indulge into large scale violence in and around Jagraon. A Police party under the command of SSP, Jagraon (including Shri Hartej Singh, Deputy Supdt. of Police looking after the work of SP (OPS), Jagraon went in search of the terrorists. When the party was proceeding towards Gurdwara Mehtiana, they spotted one person coming on foot. He was signalled to stop but he abruptly jumped aside and started firing on the police party. The Police party returned the fire in self defence. The terrorist while firing managed to enter village Kanuka. The police party continued to chase. The area was cardoned off and the terrorist was challenged to surrender but he continued firing and managed to climb on the roof-top of a house and took position behind the heap of dry cotton reeds. Finding the terrorist entrenched at a vantage point, SSP, Jagraon, Shri Harjit Singh and their security personnel climbed the roof-tops of nearby houses through improvised ladders, while the remaining police personnel kept on firing on the terrorist's position and blocked all possible escape routes. All police personnel took position behind one feet high cover of parapets of nearby roof-tops. Shri Hartej Singh being in straight front of the terrorist, became easy target for the hiding terrorist. One of the bullets fired by the terrorist hit the parapet in front of Shri Hartej Singh. Shri Hartej Singh immediately took the AK-47 Rifle from one of his gunmen and returned the fire. Before the terrorist could again fire at Shri Hartej Singh, the bullets fired by him pierced through the shoulder of the terrorist and thereafter firing from his side stopped. On search the terrorist was found dead, he was identified as Manjit Singh alias Bhola, who was wanted in 500 cases of murder, violence and ransom. One .38 bore Mauzer was recovered from the dead terrorist.

In this encounter Shri Hartej Singh, Dy. Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 13-4-1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 135-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Jaspal Singh,
Deputy Supdt. of Police,
Ropar

Statement of services for which the decoration has been Awarded :

On 29-7-1994, SSP, Ropar received information that some terrorists were moving in the areas of Police Stations, Morinda, Chamkaur Sahib and Kurali and were planning some major action on some VIPs. On this the SSP, Ropar called SP (Delective) Ropar and Shri Jaspal Singh, DSP and ordered them to carry out patrolling in the areas. Both immediately with their gunmen proceeded for night patrolling and raids in the area of P. S. Chamkaur Sahib and Morinda.

At about 3.15 AM, while going from Morinda to village Dulachi Majra, Shri Jaspal Singh saw two youths armed with weapons coming from Gurdwara side. On seeing the vehicles they hid themselves behind the bushes. Shri Jaspal Singh ordered the vehicles to stop for checking but they came under heavy fire from automatic weapons of terrorists. The SP, (Delective) and his party immediately jumped from the vehicles and took position. He flashed wireless message to Morinda and Ropar for re-inforcement. Althought the vehicle of Shri Jaspal Singh was directly under the fire of militants, he jumped out from the moving vehicle and took position just opposite the position of terrorists and engaged them. The SP (Detective) and his party took position behind a small mound. Both the parties jumped on the terrorists. When the terrorists noticed that they were trapped they took position behind the small boundary wall of the Gurdwara and started firing on the police parties. Shri Jaspal Singh, fired back from his AK-47 Rifle. He then ran forward and took position towards the right-hand corner of the boundary wall of the Gurdwara. Terrorists fired at him and a bullet hit has right leg in the Calf. Without caring for the pain and bleeding, Shri Jaspal Singh fired on the terrorists. Sensing danger, the terrorists tried to escape. Shri Singh chased them and simultaneously fired on them, as a result, one of the terrorist got injured and fell down. However the other managed to escape under the cover of darkness and bushes. The injured terrorist was identified as Gurnam Singh Bendola a Member of Panthic Committee. He was responsible for large number of heinous crimes of killings and snatching. During search one AK-47 Rifle, Two magazines of AK-sericsle and huge quantity of live/empty cartridges were recovered from the dead terrorist.

In this encounter Shri Jaspal Singh, Dy. Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 29-7-1994.

G. B. PRADHAN
Director

No. 136-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Punjab Police :—

Shri Samant Kumar Goel,
Senior Supdt. of Police,
Gurdaspur.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 17-4-1993, Shri S. K. Goel, Senior Supdt. of Police, Gurdaspur received information that hard-core terrorist Baldev Singh Dorangla alongwith his two accomplices armed with

deadly weapons are staying in the tubewell in the area of village Miani Jhabela and were planning to commit some heinous crime. Shri Goel immediately directed SHO P. S. City Gurdaspur to reach the place of hide-out alongwith available force. When the police party reached there, the terrorists fired on them. The police party returned the fire in self defence. Thereafater, SHO City Gurdaspur informed Shri Goel about this on wireless.

In the meantime Deputy Supdt. of Police, Commando, SHO Dinanagar and CRPF personnel reached the spot. Shri Goel examined the situation and ordered the police parties to cordon the area from village Raipur and village Miani side Shri Goel alongwith force joined the party of SHO City Gurdaspur. After cordoning the area, Shri Goel challenged the terrorists to surrender but they started firing on the police parties. Police parties returned the fire in self defence. Firing continued for about five hours but due to darkness the police parties could not succeed in capturing/killing these terrorists. In the next morning at about 5.30 AM, Shri Goel again examined the situation and ordered the police personnel to move forward and he himself alongwith other personnel took a bold and risky move towards the terrorists hid-out. They were fully exposed to the terrorists and were within the firing range. When the police party reached near Idgah, the terrorists fired on them. The police personnel took position in the fields and fired in self defence. As a result of heavy firing by the police personnel, one of the terrorists came out of a tubewell and started running. He was subsequently killed in an encounter with police party of P. S. Dinanagar.

Thereafter, Shri Goel and party cordoned the tubewell with the help of bullet-proof tractor, while other party personnel gave covering fire. When they reached near the tubewell, Shri Goel and SHO P. S. City Gurdaspur came out of the bullet-proof tractor and started moving towards the hide-out through wheat crops. Shri Goel reached near the tubewell, one terrorist seeing the police personnel, tried to escape and fired a burst with his AK-47 Rifle, one bullet passed near the ear of Shri Goel but he escaped unhurt. Shri Goel immediately took kneeling position and fired with his AK-47 Rifle on the fleeing terrorist, the bullets hit the terrorist and he fell down on the ground. Thereafter, another terrorist fired a burst on Shri Goel and one Sub-Inspector from inside the tubewell. They immediately took position in a water channel and continuously fired on the terrorists with their weapons. After some-time firing from the terrorists side stopped. In the search, one dead body of terrorist was found lying in the door of tubewell. In the encounter in all three terrorists were killed, who were later identified as Baldev Singh, Manohar Singh alias Manohari Saini and Mukhtiar Singh alias Ladda. During search three AK-47 Assault Rifles, 10 magazines of AK-47 series and large quantity of live/empty cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter, Shri S. K. Goel, Senior Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 17-4-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 137-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Punjab Police :—

Name and Rank of the Officer

(*Posthumous*)

Shri G. S. Sahi,
Commandant,
3rd Commando Battalion,
Mohali.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 21-1-1994 DGP, Punjab called SSP, Ropar, (Late) Shri Gurdeep Singh Sahi (killed in a mine blast on 26-11-1994 while on Anti-Naxalite duties in Andhra Pradesh), Commandant, 3rd Commando Bn., and Shri S. P. S. Basra, SP, Operations, Ropar and informed that two hardcore terrorists of Babbar Khalsa International were taking shelter in the house of one Gurmukh Singh Jat of village Dharamgarh, Distt. Ropar and directed them to raid the house. On receipt of this information, personnel from Punjab Police, Police Commando and CRPF rushed to the spot. On reaching the area, the CRPF party under Shri Randeep Datta, Dy. Commandant was deployed to cordon the village and assault parties under the command of S/Shri S. P. S. Basra, Param Raj Singh, SP (Detective) and G.S. Sahi, were formed. After thorough briefing and laying of cordon, at about 1.15 P.M. S/Shri Basra, G. S. Sahi Paramraj Singh and Randeep Datta moved into the village, climbed on the roof of the house and took position. After taking stock of the situation, S/Shri Basra, Sahi and Singh went down the stairs and asked the inmates to open the door and come out but instead a hail of bullets were fired from automatic weapons which pierced through the doors and windows. The Commandos positioned outside the house gave effective covering fire under which Shri Basra and Shri Sahi crawled to the side of the room. Seeing the firing of the commandos was proving ineffective, it was decided to attack through the roof. S/Shri Basra, Sahi, Paramraj Singh climbed on the roof and joined Shri Datta and started digging holes on the roof. On this the terrorists directed their fire towards the roof which came piercing through, endangering the lives of the officers. The officers undeterred by the heavy firing directed towards the roof, fired inside the room with LMG and AK-47 rifles through the holes. One of the terrorists from inside the room tried to open the door and rush out but the commandos positioned outside opened heavy fire which forced the terrorists to rush back into the room. In the meantime one Constable who fired at the rushing terrorist was fired upon by the other terrorist, as a result of which he sustained injuries on his chest and shoulders and was immediately evacuated to hospital. Thereafter it was decided to lob grenades inside the room. These officers once again crawled to the holes in the roof and lobbed HE-36 grenades through the holes, while Shri Datta alongwith his men kept on firing from LMG/AK-47 rifles giving covering fire, but the terrorists all the time raised bullets from inside. Subsequently, tear smoke shells were also dropped and in the heaviny firing one of the terrorists got badly injured. The accurate fire of S/Shri Basra, Paramraj Singh, G. S. Sahi and Randeep Datta resulted in the elimination of the terrorists. The services of the fire brigade was requisitioned to extinguish the fire. The search of the rooms was conducted when dead bodies of two terrorists were found inside the room. Two AK-47 rifles, one pistol and large quantity of ammunition were recovered. The terrorists were identified as Sajjan Singh @ Happy and Sardul Singh @ Dula, Lt. Genl. of B. K. I., both listed hardcore terrorists, they were involved in large number of killings, kidnappings and extortions etc.

In this encounter Shri G. S. Sahi, Commandant, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admsisible under Rule 5, with effect from 21-1-1994.

G. B. PRADHAN, Director

No. 138-Pres/95.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Punjab Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Ajit Singh,
Senior Supdt. of Police,
Tarn Taran.

Shri Kultar Singh,
Supdt. of Police,
Tarn Taran

Statement of service for which the decoration has been awarded :—

On 23-4-1992, Shri Ajit Singh, Senior Supdt. of Police, Tarn Taran received information that a group of terrorists is present in the farm-houses in Village Bakipur and Gill waraich. He immediately directed Shri Ashok Kumar SHO P. S. Jhabal to collect the force and reach the spot. The SHO, P. S. Jhabal formed different parties and started search of the farm-houses in villages Gill Waraich, Bakipur and Kot Dharam Chand Kalan. During the search, a group of three terrorists hiding in the wheat fields, assaulted the police party and ran towards the farm-house of one kuldip Singh and took position in the wheat fields. On this, Shri Kumar immediately informed Shri Ajit Singh about the situation and requested for-enforcement and cordoned the farm-house. Immediately, Shri Ajit Singh, SSP and Kultar Singh, SP, Tarn Taran alongwith force reached the spot. Four bullet proof tractors also reached at the spot. Shri Ajit Singh directed Shri Kultar Singh and SHO P. S. Jhabal to cover the right and left flank and fire on the terrorists. Both the parties took positions and opened fire on the terrorists. The terrorists finding themselves in the cordon of police personnel, opened fire on the police parties wtih the intention to break the cordon and run away. In the meantime Shri Ajit Singh took Head Constable Nachhattar Singh with him and opened fire on the terrorists. Due to mounted pressure of the police parties, the terrorists entered the farm-house. The exchange of the continued for half an hour. Thereafter, Shri Ajit Singh alongwith HC Nachhattar Singh, Shri Kultar Singh and Ashok Kumar alongwith their gunmen mounted the bullet-proof tractors and advanced towards the farm-house. On seeing police parties cordoning the farm-house, the terrorists opened heavy fire on the bullet-proof tractors. On the directions of Shri Ajit Singh, Shri Kultar Singh and Shri Ashok Kumar Managed to reach near the windows of the room of farm-house and lobbed hand-grenades. Meanwhile Shri Ajit alongwith HC Nachhattar Singh took position behind the podder place in the farm-house. After some-time, due to heavy smoke and suffocation, the terrorists tried to come out from the room but due to heavy firing by S/Shri Ajit Singh, Kultar Singh, Nachhattar Singh and Ashok Kumar all the three terrorists were killed on the spot. The dead terrorists were later identified as Surinder Singh alias Shahid, Harjinder Singh Kala and Gurdev Singh alias Deba. During search one Dragon Shapper Rifle with telescops, one AK-47 Rifle, one AK-74 Rifle, one AK-74 Rifle, 6 Bombs and large number of cartridges were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri Ajit Singh, Sr. Supdt. of Police, and Kultar Singh Supdt. of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governnig the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 23-4-1992.

G. B. PRADHAN, Director

No. 139-Pres/95.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Punjab Police :—

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri S. P. S. Basra,
Supdt. of Police,
Operations,
Ropar.

Shri Paramraj Singh,
Supdt. of Police,
Detective,
Ropar.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 21-1-1994 DGP, Punjab called SSP, Ropar, (Late) Shri Gurdeep Singh Sahi (killed in a mine blast on 26-11-1994 while on Anti-Naxalite duties in Andhra Pradesh), Commandant, 3rd Commando Bn., and Shri S. P. S. Basra, SP, Operations, Ropar and informed that two narcotic terrorists of Babbar Khalsa International were taking shelter in the house of one Gurmukh Singh Jat of village Dharamgarh, Distt. Ropar and directed them to raid the house. On receipt of this information, personnel from Punjab Police, Police Commando and CRPF rushed to the spot. On reaching the area, the CRPF party under Shri Randeep Datta, Dy. Commandant was deployed to cordon the village and assault parties under the command of S/Shri S. P. S. Basra, Paramraj Singh, SP (Detective) and G. S. Sahi, were formed. After thorough briefing and laying of cordon, at about 1.15 P. M. S/Shri Basra, G. S. Sahi, Paramraj Singh and Randeep Datta moved into the village, climbed on the roof of the house and took position. After taking stock of the situation, S/Shri Basra, Sahi and Singh went down the stairs and asked the inmates to open the door and come out but instead a hail of bullets were fired from automatic weapons which pierced through the doors and windows. The Commandos positioned outside the house gave effective covering fire under which Shri Basra and Shri crawled to the side of the room. Seeing the firing of the commandos was proving ineffecuve, it was decided to attack through the roof. S/Shri Basra, Sahi, Paramraj Singh climbed on the roof and joined Shri Datta and started digging holes on the roof. On this the terrorists directed their fire towards the roof which came piercing through, endangering the lives of the officers. The officers undeterred by the heavy firing directed towards the roof, fired inside the room with LMG and AK-47 rifles through the holes. One of the terrorists from inside the room tried to open the door and rush out but the commandos positioned outside opened heavy fire which forced the terrorsits to rush back into the room. In the meantime one Constable who fired at the rushing terrorist was fired upon by the other terrorist, as a result of which he sustained injuries on his chest and shoulders and was immediately evacuated to hospital. Thereafter it was decided to lob grenades inside the room. These officers once again crawled to the holes in the roof and lobbed HE-36 grenades through the holes, while Shri Datta alongwith his men kept on firing from LMG/AK-47 rifles giving covering fire, but the terrorists all the time rained bullets from inside. Subsequently, tear smoke shells were also dropped and in the heavy firing one of the terrorists got badly injured. The accurate fire of S/Shri Basra, Parmraj Singh, G. S. Sahi and Randeep Datta resulted in the elimination of the terrorists. The services of fire brigade was requistioned to extinguish the fire. The search of the rooms was conducted when dead bodies of two terrorists were found inside the room. Two AK-47 rifles, one pistol and large quantity of ammunition were recovered. The terrorists were identified as Sajjan Singh @ Happy and Sardul Singh @ Dula, Lt., Genl. of B. K. I., both listed hardcore terrorists, they were involved in large number of killings, kidnappings and extortions etc.

In this encounter S/Shri S. P. S. Basra, Supdt. of Police and Paramraj Singh, Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Role 5, with effect from 21-1-1994.

G. B. PRADHAN, Director

No. 140-Pres/95.—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Dhruv Lal Yadav
Inspector of Police,
SHO Sahibabad.

(*Posthumous*)

Shri Rajesh Kumar Yadav
Constable,
District Ghaziabad.

(*Posthumous*)

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

In the evening of 31-10-1994, when SO, Mussoorie went to a suspected house to recover one stolen electric motor, they noticed one person fleeing from the adjacent house. They They knocked at the door but there was no response. Then they broke open the door and found person lying in the room bound down with iron chains. On interrogation, he identified himself as an American national and disclosed that he was brought there by the terrorists. Then SO, Mussoorie took the American national to SSP, Ghaziabad and left two Constables at the site to locate the other miscreants. Meanwhile three militants approached in a Maruti van, out of them two came towards the house and the third person who was later identified as Afghan national went to nearby Dhabha. As both the militants reached near the house they attacked the Constables and snatched the rifle of one Constable. The other Constable fired and one bullet hit the miscreant on the shoulder and fell down while the other managed to escape. The driver and other person who had gone to the Dhabha were taken into custody. The driver informed that the American national was only one of the four foreign nationals who had been kidnapped by the gang of terrorists from Delhi. He further informed that the three foreign nationals had been transferred to a house in Saharanpur City.

2. As the case involved terrorists having international ramifications, the services of Inspector D.L. Yadav, SHO, Sahibabad, who had in the past participated in a large number of encounters with the most desparate gangs of dacoits and received two Gallantry Medals, were sought. At about 10.30 PM on 31-10-1994 Inspector Yadav with a small posse of police personnel alongwith the arrested driver Shahid Ahmed proceeded to Saharanpur. At about 3.00 AM (1-11-1994), he alongwith SSP, Saharanpur reached the area where the three British nationals were kept as hostages. The force was divided into three groups and cordoned the area. Thereafter, Inspector Yadav was shown the house where the terrorists had kept their captives. Inspector Yadav with his Pistol in his hand decided to break open the door himself. Constable R. K. Yadav decided at his own to be right behind his leader in the operation. Inspector Yadav pushed the door with his body, as the door was very strong it resulted in twisting of one of the door panels and there was gap between the door panels. Shri Yadav then came back a couple of steps to try again, then suddenly through the opening, the terrorists shot a burst of fire from inside the room and in a flash. Shri Yadav jumped aside and simultaneously fired a burst of bullets. However, in the process one of the bullets struck Shri Yadav in the chest. In the meawhile Constable Yadav also received two fatal bullet injuries, who was just behind Inspector Yadav and died on the spot. The sudden offensive by Inspector Yadav caused panic among the terrorists and they ran for their lives, while their hostages were left in the house safe and unhurt. In the meanwhile other police parties succeeded in breaking the door, entered the house and found three foreign nationals (later identified as British nationals) lying chained and bound down. They were immediately freed from their bondage. Thereafter the injured Inspector Yadav was rushed to hospital but he succumbed to his injuries on way to hospital.

In this encounter S/Shri D. L. Yadav, Inspector and R. K. Yadav, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 31-10-1994.

G. B. PRADHAN
Director

No. 141-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Satya Pal Singh,
Sub Inspector of Police,
P. S. Garhmukteshwar,
District Ghaziabad.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On the night of 13/14-3-93, some petrol pumps under P. S. Hapur, Distt. Ghaziabad were looted by five notorious car borne criminals. On receipt of information, alert messages were flashed and police patrolling intensified. Shri Satya Pal Singh, S. I. who was on patrol duty, received the information and instructions from SP, Ghaziabad through wireless set, started picketing and checking of vehicles. At that moment a message was received from check-post Palawada reporting that some miscreants in a Maruti car had proceeded towards Siyana Chapaula after firing on the police picket. Shri Singh, rushed to follow the car. The car was seen approaching at high speed and tried to overtake the jeep of Shri Singh but Shri Singh directed the driver of the jeep to place it across the road to stop the speeding car. The dacoits seeing police vehicle in the way, climbed the pavement and tried to escape. The driver of the jeep in a split second decision, turned left and blocked their escape by positioning the jeep right in front. In the meantime, S.I., O. P. Brij Ghat reached the spot on his motorcycle chasing the dacoits. The dacoits finding themselves surrounded left the car and opened indiscriminate firing on the police parties in an attempt to escape with the looted cash. The opening of fire was so sudden that Shri Singh had not the slightest chance of taking cover and received bullet injuries on his left arm. Shri Singh, despite being injured, did not lose confidence, showed courage, directed his men to take position. Shri Singh also took position with the police party and opened fire from his service revolver. The encounter which lasted for about 20 minutes, resulted in liquidation of four dacoits. One SBBL gun, two .315 bore CMP, one .38 bore CMP with large quantity of cartridges and Maruti car were recovered from the spot. One dacoit who managed to escape was later arrested from nearby. A sum of Rs. 63,049/- looted cash was recovered from him. The arrested dacoit was identified as Nawab and the dead were identified as Aslam, Sayeed, Arshad and Shahid Ali all of Delhi.

In this encounter Shri Satya Pal Singh, Sub Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 13-3-1993.

G. B. PRADHAN
Director

No. 142-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officers

Shri Rajveer Singh (*Posthumous*)
Head Constable,
15 Battalion, P.A.C.,
Agra.

Shri Moti Lal Tewari (*Posthumous*)
Constable,
15 Battalion, P.A.C.,
Agra.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 6-3-91 on receipt of information about presence of terrirists in and about village Hansingpur, Bhimapur and Khandepur of District Pilibhit, police party led by Dy. SP including S/Shri Rajveer Singh, HC, Moti Lal Tewari, Const., Subhash Chandra Gautam, Const., of PAC, Agra and Const. Jitendra Kumar of PS. Puranpur rushed to the spot for combing and search operations and flush out the extremists. The police parties after carrying out search of jhalas in villages Hansinpur and Bhimapur, reached the Jhala of one 'Major Singh' at about 3.30 PM, where the extremists were suspected to be hiding.

The available force was divided into two parties the firs headed by Inspector including S/Shri Rajveer Singh and Moti Lal Tewari among others entered the jhala to carry out search, while the second party headed by Dy. SP including S/Shri S. C. Gautam, Const., and Jitendra Kumar, Const., took position outside the jhala to give covering fire. As the first party entered the jhala for search, extremists who were hiding inside the jhala shouted 'Khalistan Zindabad', 'Chhina Group Zindabad' and opened indiscriminate fire with AK-47 rifles on the police party. The search party immediately took position and returned the fire. S/Shri Rajveer Singh, and Moti Lal Tewari, who were in the fore-front, returned the fire but in the process sustained serious injuries and succumbed to their injuries. In the return of fire, one extremist who was firing with AK-47 rifle was killed. The other extremists seeing one of their accomplice killed, took away the AK-47 rifle and a pouch containing loaded magazines of AK-47 rifle and started running towards the north. As the extremists tried to make their escape, the police party including S/Shri S. C. Gautam and Jitendra Kumar, Constables who were positioned in the route of escape of the extremists confronted them and opened fire. The fleeing extremists were taken by surprise and in the firing one more extremist was killed who was said to be the leader of the group Satnam Singh Chhina. The remaining extremists, on seeing their leader killed in the encounter and as the police party was advancing towards them, became nervous and started running into the fields and made their escape. On search one .38 bore Mouser with magazine, a bag with inscription, BTF Lt. Genl. Bhai Satnam Singh Chhina, 'Chhina Group', three deteonators, cyanide, a pouch containing 120 cartridges of AK-47 rifle were recovered.

In this encounter S/Shri Rajveer Singh, Head Constable and Moti Lal Tewari, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry unde rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 6-3-1991.

G. B. PRADHAN
Director

Na and Rank ohetfme 123456 123456 12345 1234 Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh Police ::—

Name and Rank of the Officers

Shri Bhanu Pratap Singh,
Supdt. of Police,
Allahabad City.

Shri A. K. Rai,
Dy. Supdt. of Police,
Allahabad.

Shri Subhash Chandra Tripathi,
Dy. Supdt. of Police,
Allahabad.

Shri Badri Narain Singh,
Sub Inspector of Police,
C. P. Allahabad.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

Information was received by Shri Badri Narain Singh, Sub-Inspector on 4-4-91 at about 1345 hours that a notorious outlaw, Pramod Pasi along wwith his gang was present in a grave-yard at Akbari Road and was planning to loot an Excise Contractor. Immediately on receipt of information, Shri B. N. Singh, did not waste time, passed on the message to PS Colonelganj for onward communication to Senior Officers and alongwith his staff rushed to the spot, deployed his men and entered the grave-yard by scaling over the Western Wall. The dacoits having got scent of the arrival of Police party, commenced firing and throwing of bombs and made their escape by scaling the Eastern wall and entered Mohalla Pasiyana and took shelter in a house. On arrival of some public in the area, Shri Badri Narain Singh effectively sealed the area and prevented the escape of the dacoits.

In the meantime, on receipt of information Shri Bhanu Pratap Singh, S. P., Allahabad alongwith force reached the spot, where he was joined by Shri A. K. Rai, Dy. S. P. and Shri Subhash Chandra Tripathi, Dy. S. P. Thereafter Shri B. P. Singh, redeployed the force to cover the routes leading out of the densely populated area where the dacoits had taken refuge and challenged them to surrender to which they replied by throwing country made bombs. However, Shri A. K. Rai, Dy.. S.P. being alert, pulled Shri B. P. Singh. Undeterred by the firing and barrage of country made bombs, Shri B. P. Singh and Shri A. K. Rai position in the verandah of a nearby house, where another bomb was thrown at them causing injuries to Shri B. P. Singh and Shri Rai, who then opened fire in self defence. Sensing the determination of the gang, Shri B. P. Singh, S. P. City, directed one police party to take position on the roof of a nearby house, while the other was directed to tighten the cordon to prevent the escape of the dacoits The attempts by the police party on roof top to pin down the dacoits by judicious firing continued but the dacoits continued to throw bombs with unabated vigour. Due to mounting pressure from the police the dacoits attempted to escape through the roof and enter the neighbouring houses, but the alert security forces prevented their escape. The dacoits completely encircled attempted to fire through the ventilators located on the western side of the house where Shri S. C. Tripathi, Dy. S.P. and his men had taken position. Shri Tripathi showed great courage and presence of mind by effectively returning the fire. At this juncture Shri Bhanu Pratap Singh, S. P. showed imagination and presence of mind by summoning a tear gas squad and pressed it into action which had the desired effect. This forced the dacoits to come out on the roof from where firing and throwing of bombs became more intensive. The dacoits having come in the open, the police party replied with equal vigour and shot dead six dacoits, which included their leader Pramod Pasi. One hand-grenade, one .38 bore revolver, one .12 bore country made pistol alongwith live/fired cartridges and a large number of country made bombs were recovered from the dead.

In this encounter S/Shri B. P. Singh, Supdt. of Police, A. K. Rai, Dy. SP, S. C. Tripathi, Dy. S.P. and B. N. Singh, Sub Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4-4-1991.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 144-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Uttar Pradseh Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Lakhan Lal,
Sub Inspector of Police,
District Etawah.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 27-1-92 Shri Lakhan Lal, Sub-Inspr., C. P. received information at about 12 noon that Tulsi Mallah gang with his hard-core members was present at the house of Pappu Mallah at village Bhadnaiya. Immediately Shri Lakhan Lal contacted SSP, Etawah, apprised him and requested for additional police force. Shri Lakhan Lal collected hand-picked men, briefed them and reached O. P. Aheripur where contingents of PAC and Civil Police also arrived. Shri Lakhan Lal took stock of the situation, divided the force into three parties. The first party headed by Shri Lakhan Lal was to raid the village from northern side, the second was directed to raid the village from western side and the third party was kept in

ambush in Sengur ravines, the probable route of escape. The police parties left their vehicles and marched under cover of grove, concealing their presence. The first party headed by Shri Lakhan Lal and the second party surrounded the village as per plan and started tightening the cordon. The dacoits smelt the presence of police and tried to escape from southern side but Shri Lakhan Lal chased the gang and challenged them to surrender. The dacoits opened fire on Shri Lakhan Lal who did not lose courage, advanced with his force and reached a strategically safer place and directed the police parties to open fire. The dacoits finding themselves surrounded, retreated towards the eastern side and reached the ravines, where the third party was positioned. The terrorists surrounded from all sides, opened indiscriminate fire on Shri Lal but he escaped unhurt. As the firing was ineffective, Shri Lal directed fire of grenade with his GF rifle. After waiting for some time, Shri Lal, unmindful of the risk to his life, jumped into the Nala and found the dead bodies of five dacoits including a female. The dead dacoits were identified as Tulsi Ram Mallah, Guddi @ Sarala, Pappu, Bhura and Hiraman all hard-core members of the gang. One .303 rifle, one .315 rifle, one SBBL gun, two .315 bore pistol, one .12 bore pistol, hand grenades and large quantity of ammunition were recovered from the spot.

In this encounter Shri Lakhan Lal, Sub Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 27-1-1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 145-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officers

Shri R. K Chaturvedi,
Dy. Supdt. of Police,
District Lakhimpur-Kheri.

Shri Mukesh Kumar,
Sub Inspector of Police,
District Lakhimpur-Kheri.

Shri Purshottam Saran,
Sub Inspector of Police,
District Lakhimpur-Kheri.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 6-7-92 Shri R. K. Chaturvedi, Dy. SP received information that an armed gang of terrorists was likely to pass through Motiaghat, Distt. Lakhimpur-Kheri, bordering Nepal after midnight. Immediately Shri Chaturvedi passed instruction to S.Os of Palia, Bhira, Chandan Chowki and Sompurna Nagar assemble to chalk out a plan for anti-terrorist operation. The police force, after deciding the course of action rushed to Motiaghat and divided itself into three parties. The first party headed by Shri Chaturvedi and consisting of Shri Purshottam Saran, S.O. Bhira among others, the second by Shri Mukesh Kumar, S.O., Palia and the third by trekked for about 5 kms in total disregard of risk to their lives and took tactical position in three different routes of escape. The first party took position on the southern side of the route coming from the Ghat, the second party took position on the northern side of the route and the third party took position on the eastern side on uneven ground under the cover of thick jungle. After sometime movements were noticed near Nepal border and as they approached, it was realised that it was a gang of 6 armed terrorists. Having confirmed that they were terrorists, Shri Chaturvedi, challenged them to surrender but instead the terrorists shouted 'Khalistan Zindabad' 'Raj Karega Khalsa' and opened indiscriminate fire on the police party. Shri Chaturvedi immediately directed his men to take position and return the fire and also instructed the other two parties headed by S/Shri Mukesh Kumar and D. N. Mishra to open fire. Seeing the determination of the police personnel, the terrorists fanned out and took up position and kept on firing. Shri Chaturvedi then directed firing of VLP shots to locate the exact position of the terrorists and to demoralise them. S/Shri Chaturvedi, Purshottam Saran, Mukesh Kumar and D. N. Mishra led their respective parties, kept on firing from their weapons and advanced towards the terrorists position. The exchange of fire which took place for more than one and half hours after which there was no firing from the terrorists side. The police party waited for some more time and cautiously moved forward and found that four terrorists were lying dead, while two other had managed to escape in the cover of jungle and darknesss. One of the killed terrorists was identified as Sukhvinder Singh @ Pola an Army deserter and wanted in several cases of killings and kidnappings and also carried a cash reward on his head. One AK-47 rifle, one AK-56 rifle, one SLR rifle, one .315 rifle and one .22 bore pistol alongwith large quantity of live cartridges and ammunition bags were recovered from the spot.

In this encounter S/Shri R. K. Chaturvedi, Dy. Supdt. of Police, Mukesh Kumar, Sub Inspector of Police and Purshottam Saran, Sub Inspector of Police, displayed conspicuous gallantryy, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowances admissible under Rule 5, with effect from 6-7-1992.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 146-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of the Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of Officers

Shri Shiv Narain Singh,
Supdt. of Police,
Lucknow.

Shri Rajveer Singh Tyagi,
Inspector of Police,
Lucknow.

Shri Ajai Kumar Upadhyay,
Sub-Inspector of Police,
Lucknow.

Shri Nand Kumar Singh,
Sub-Inspector of Police,
Lucknow.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On receipt of information on the night of 9-1-88, Shri Shiv Narain Singh, Supdt. of Police, Lucknow alongwith above 3 officers and other police personnel and the informer proceeded to Allahabad to intercept Raju Bhatnagar and his associates on way to Faizabad. On reaching Allahabad Shri Shiv Narain Singh directed the informer to locate the desperadoes. After some time when the informer came, he intimated that the criminals were to visit a garage to repair their car before proceeding to Faizabad. Shri Shiv Narain Singh at once formed three parties, the first headed by Shri Shiv Narain Singh consisted of S/Shri Rajveer Singh, N. K. Singh, S.I., A. K. Upadhyay and the informer. The second party consisted of S/Shri L. R. Singh, Dy. S.P., J. K. Singh, SI and C. B. Pandey and the third party was headed by S/Shri R. K. Pandey, H.C., and Akhilesh Singh, Constable. As soon as the car stopped, Shri Shiv Narain Singh challenged the desperadoes to surrender but they opened fire on the police party. Shri Shiv Narain Singh moved forward at the risk of his own life to arrest them. Sensing danger Shri Rajveer Singh, Inspector, Shri N. K. Singh, S.I. and Shri A. K. Upadhyay, S.I., moved forward through the volley of bullets risking their own lives and opened fire in self defence.

In the above encounter Raju Bhatnagar fell dead while his accomplices Om Prakash @ Babloo with bullet injuries

and Braj Mohan were both arrested. One Webly Scot .32 revolver, one 9 mm pistol, one .455 bore revolver together with large number of live/empty cartridges were recovered from their possession.

In this encounter S/Shri S. N. Singh, Supdt. of Police, R. S. Tyagi, Inspector, A. K. Upadhyaya, Sub-Inspector and N. K. Singh, Sub-Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from 9-1-1988.

G. B. PRADHAN, Director

No. 147-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Dina Nath Singh,
Sub Inspector of Police,
Civil Police,
District Kheri.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 1-8-1993 Shri Ramasray Singh, Dy. SP, CO Nighasan alongwith police party including Shri Dina Nath Singh SO Nighasan, two SIs, and 17 HC/Constables was engaged in collecting information and combing operation for terrorists at Suherli Barrage in Village Beudhia-Kalan. An informer intimated him about the plan of the terrorists that they were likely to move towards Chaukhada-Farm through the Forest Lane. On this information, Shri Singh alerted teh police party, divided the available force into 4 groups. The first party headed by Shri Ramasray Singh, consisted of one HC and 3 Constables, took position on northern side of the path on the bank of canal where the terrorists were expected to arrive, the second party headed by Shri Dina Nath Singh, SI, with 5 Constables took position on Western side, the third party headed by one SI with 4 Constables took position on Eastern side and the fourth party headed by an SI with 4 Constables was instructed to stop the terrorists on Forest lane. All the police parties moved to their respective positions at about 8.15 AM and waited for about half an hour when the gang of terrorists were seen coming from the southern forest road towards the canal. As they were about 50-60 steps away from the police party, one of the Constables sneezed, which alerted the terrorists who sensed the presence of police party and started firing at them and challenged them to come out. Shri Ramasray Singh announced that they were surrounded by police and they should surrender, but the terrorists started heavy fire at Sh. Singh and his party. Shri Singh signalled the police party to open fire and started advancing in crawling position. Shri Singh without caring for his life engaged the terrorists and showed exemplary courage and bravery, in the process had a narrow escape from terrorists bullets, while Shri Dina Nath Singh positioned on the Western side also engaged the terrorists simultaneously. Heavy firing from both sides continued for quite sometime. Shri Ramasray Singh directed his men and maintained sustained pressure against the terrorists which ultimately resulted in silencing them. Shri Ramasray Singh alongwith Shri Dina Nath Singh started search of the area and found three terrorists lying dead. One .375 bore English rifle with cartridges one SBBL 12 bore gun and one .315 bore rifle with live cartridges and copies of KCF pad and other articles were recovered from the dead terrorist who were identified as Sukhdeo Singh @ Sukha, Ranjeet Singh and Amreek Singh.

In this encounter Shri Dina Nath Singh, Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with them the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 1-8-1993.

G. B. PRADHAN, Director

No. 148/Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of Officers

Shri Rajendra Singh,
Deputy Supdt. of Police,
Dehradun.

Shri Brahm Pal Singh,
Inspector of Police,
Dehradun.

Shri Jagvir Singh Atri,
Sub Inspector of Police,
Dehradun.

Shri Veer Pal Singh,
Sub Inspector of Police,
Dehradun.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 15-9-90 at about 11.00 A.M., an information was received by Shri Rajendra Singh, Dy. S.P. that six Sikh extremists armed with automatic weapons entered the State Bank of Patiala, Haridwar Road, Dehradun to commit dacoity. The bank guard opened fire and injured one of the extremists, while the other criminals opened indiscriminate fire seriously injuring 11 persons, 4 of whom succumbed to their injuries. On sounding of the alarm, the criminal made their escape in a Maruti Van No. UMU-8008. Immediately on receipt of this information, Shri Rajendra Singh Dy. S.P. alongwith Shri Brahm Pal Singh, Inspector, Shri Sudhir Kumar Tyagi, Sub-Inspector, Veer Pal Singh, Sub-Inspector, Jagvir Singh Atri, S.I. and Constable Gajendra Singh rushed to chase these criminals. After covering some distence they found the escape vehicle lying abondoned near Kuwan-wla-Temple facing the jungle. Shri Rajendra Singh, divided the available force into two parties, the first headed by himself, including Shri Brahm Pal Singh, Inspector, Sudhir Kumar Tyagi, S.I., Veer Pal Singh, S. I. and Constable Gajendra Singh, while the second party was led to by Shri Jagvir Singh Atri, Sub-Inspector.

At about 12.30 p.m. Shri Rajendra and his party noticed some criminals hiding in the bushes. They challanged the criminals to surrender. One of the criminals shouted aloud to his associates and directed them to open fire on the police party. Immediately the criminals opened heavy fire on the police party. The firing by the criminals seriously injured Shri S. K. Tyagi, S.I. and Shri Gajendra Singh, Constable. In the meantime Shri Rajendra Singh, Dy. S.P. Inspector Brahm Pal Singh and S.I. Veer Pal Singh, took up position and opened heavy fire on the criminals as a result the criminals started fleeing. Shri Jagvir Singh Atri, who was cordoning the area succeeded in apprehending one of the fleeing criminal who identified himself a Gurdip Singh of Amritsar, a member of KLF. The interrogation of Gurdip Singh later led to the arrest of the gang leader Ravindra Singh, @ Bhola, a self-styled Ltd. Genl. of KLF.

In this encounter S/Shri Rajendra Singh, Dy. S.P., Brahm Pal Singh, Inspector of Police Jagvir Singh Atri, Sub-Inspector of Police and Veer Pal Singh, Sub-Inspector of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with the mthe special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15-9-1990.

G. B. PRADHAN, Director

No. 149-Pres/95.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Ramasray Singh,
Dy. Supdt. of Police,
District Kheri.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 1-8-1993 Shri Ramasray Singh, Dy. SP, CO Nighasan alongwith police party including Shri Dina Nath Singh, SO Nighasan, two SIs, and 17HC/Constables was engaged in collecting information and combing operation for terrorists at Suberli Barrage in Village Beudhia-Kalan. An Informer intimated him about the plan of the terrorists that they were likely to move towards Chaukhada-Farm through the Forest Lane. On this information, Shri Singh alerted the police party, divided the available force into 4 groups. The first party headed by Shri Ramasray Singh, consisted of one HC and 3 Constables, took position on northern side of the path on the bank of canal where the terrorists were expected to arrive, the second party headed by Shri Dina Nath Singh, SI, with 5 Constables took position on Western side, the third party headed by one SI with 4 Constables took position on Eastern side and the fourth party headed by an SI with 4 Constables was instructed to stop the terrorists on Forest lane. All the police parties moved to their respective positions at about 8.15 A.M. and waited for about half an hour when the gang of terrorists were seen coming from the southern forest road towards the canal. As they were about 50-60 steps away from the police party, one of the Constables sneezed, which alerted the terrorists who sensed the presence of police party and started firing at them and challenged them to come out. Shri Ramasray Singh announced that they were surrounded by police and they should surrender, but the terrorists started heavy fire at Shri Singh and his party. Shri Singh signalled the police party to open fire and started advancing in crawling position. Shri Singh without caring for his life engaged the terrorists and showed exemplary courage and bravery, in the process had a narrow escape from terrorists bullets, while Shri Dina Nath Singh positioned on the Western side also engaged the terrorists simultaneously. Heavy firing from both sides continued for quite sometime. Shri Ramasray Singh directed his men and maintained pressure against the terrorists which ultimately resulted in silencing them. Shri Ramasray Singh alongwith Shri Dina Nath Singh started search of the area and found three terrorists lying dead. One .375 bore English rifle with cartridges, one SBBL 12 bore gun and one .315 bore rifle with live cartridges and copies of KCF pad and other articles were recovered from the dead terrorist who were identified as Sukhdeo Singh alias Sukha, Ranjeet Singh and Amreek Singh.

In this encounter Shri Ramasray Singh, Dy. Supdt. of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with them the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 1-8-1993.

G. B. PRADHAN, Director

No. 150-Pres/95.—The President is pleased to award the Bar to Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Uttar Pradesh Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Daya Nath Mishra,
Sub Inspector of Police,
District Lakhimpur-Kheri.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 6-7-92 Shri R. K. Chaturvedi, Dy. SP received information that an armed gang of terrorists was likely to pass through Motiaghat, District Lakhimpur-Kheri, bordering Nepal after midnight. Immediately Shri Chaturvedi passed instruction to S.Os of Palia, Bhira, Chandan Chowki and Sampurna Nagar to assemble to chalk out a plan for anti-terrorist operation. The police force, after deciding the course of action rushed to Motiaghat and divided itself into three parties. The first party headed by Shri Chaturvedi and consisting of Shri Purshottam Saran, S.O., Bhira among others, the second by Shri Mukesh Kumar, S.O., Palia and the third by Shri D. N. Mishra, S.O., Sampurna Nagar. All the parties trekked for about 5 kms in total disregard of risk to their lives and took tactical position in three different routes of escape. The first party took position on the southern side of the route coming from the Ghat, the second party took position on the northern side of the route and the third party took position on the eastern side on uneven ground under the cover of thick jungle. After sometime movements were noticed near Nepal border and as they approached, it was realised that it was a gang of 6 armed terrorists. Having confirmed that they were terrorists, Shri Chaturvedi, challenged them to surrender but instead the terrorists shouted 'Khalistan Zindabad' 'Raj Karega Khalsa' and opened indiscriminate fire on the police party. Shri Chaturvedi immediately directed his men to take position and return the fire and also instructed the other two parties headed by S/Shri Mukesh Kumar and D. N. Mishra to open fire. Seeing the determination of the police personnel, the terrorists fanned out and took up position and kept on firing. Shri Chaturvedi then directed firing of VLP shots to locate the exact position of the terrorists and to demoralise them. S/Shri Chaturvedi, Purshottam Saran, Mukesh Kumar and D. N. Mishra led their respective parties, kept on firing from their weapons and advanced towards the terrorists position. The exchange of fire which took place for more than one and half hours after which there was no firing from the terrorists side. The police party waited for some more time and cautiously moved forward and found that four terrorists were lying dead, while two others had managed to escape in the cover of jungle and darkness. One of the killed terrorists was identified as Sukhvinder Singh alias Pola an Army deserter and wanted in several cases of killings and kidnappings and also carried a cash reward on his head. One AK-47 rifle, one AK-56 rifle, one SLR rifle, one .315 rifle and one .22 bore pistol alongwith large quantity of live cartridges and ammunition bags were recovered from the spot.

In this encounter Shri Daya Nath Mishra, Sub Inpscetor of Police, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 6-7-1992.

G. B. PRADHAN, Director

No. 151-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentinoed officers of Central Reserve Police Force :—

Name and Rank of Officers

Shri R. K. Sharma,
IGP, CRPF.

Shri P. S. Chaudhary,
Second - in - Command,
7th Bn., CRPF.

Shri K. S. Nair,
Dy. Supdt. of Police,
7th Bn. CRPF.

Shri Gian Singh,
Head Constable,
36 Bn., CRPF.

Shri Ram Naresh,
Lance Naik,
14 Bn., CRPF.

Shri Ram Lal Chaudhary, (Posthumous)
Constable,
7th Bn., CRPF.

Statement of services for which the decoration has been Awarded :—

On 24-12-90, 3 platoons of 7 Bn CRPF while carrying out search operations in village Talwandi Rai Dadu and Fatehwal under Shri K. S. Nair, Dy. S. P. came under heavy firing from the terrorists from the sugarcane fields at about 1030 hours. Shri Ram Lal Chaudhary, Constable without a second thought and with utter disregard to his personal safety rushed through the fields to engage the terrorists and fired 20 rounds from his SLR. In the process he got severely injured and

succumbed to his injuries. This act delayed the escape of the terrorists who ran to village Fatehwal about 600 yards from the sugarcane field. Shri K. S. Nair, Dy. S. P. with 2 platoons cordoned that village to prevent escape of the terrorists. Shri P. S. Chaudhary 2 I/C on receipt of information of the encounter rushed to the spot, took charge of the situation and unmindful of his personal safety recceed the area for possible escape routes of the terrorists while reinforcements arrived.

At about 1 P. M. Shri R. K. Sharma, IGP (Ops) reached the spot alongwith reinforcements and was apprised of the situation. Based on information, Shri Sharma identified the terrorists as the dreaded Satnam Singh Chinghaira and his gang, Satnam Singh was responsible for more than 250 killings and carried a reward of Rs. 10 lacs on his head who had become a legend amongst the police and population as he had broken with great daring and impunity through well laid cordons. With this in mind and that the sun set was near Shri Sharma realised that there was no time to loose else the whole action would go futile. Shri Sharma without a second thought got into a vehicle and went through the sugarcane field followed by Shri P. S. Chaudhary and another Dy. S. P. but no terrorist was found. This daring move saved what would have been a futile exercise of cordoning the field while the terrorists had escaped from it. It was later learnt that the terrorists were hiding in village and after a through reccee the house where the terrorists were hinding was singled out As darkness was falling Shri Sharma started house to house search from one end while Shri Chaudhary and Shri Nair from the other. As the two search parties were closing in on the house of hiding of terrorists surrounded by high buildings, the parties were fired upon from roof tops of two houses. In spite of the heavy firing, Shri Sharma kept himself in the fore-front and kept closing in on the target. In the meantime Shri Chaudhary acting commandant climbed from one roof top to another and brought down effective fire on the terrorists and shot dead one of the terrorists. Shri Gian Singh, Head Constable located a terrorist firing on Shri Sharma from a room on the roof. Shri Gian Singh immediately threw hand grenades at the position of the terrorist and neutralised him. Shri Nair who provided an effective cordon of the village despite coming under heavy fire provided effective covering fire on the terrorist and kept them pinned down to enable other groups to make their move. Shri Ram Naresh, Lance naik of IGP's escort part at utter disregard to his personal safety and under the guidance of Shri P. S. Chaudhary brought heavy firing on a terrorist who was firing from the roof top of the highest building and shot him dead before he could make any harm to the force personnel. The firing from the terrorists at last stopped at about 1730 hours. In this encounter 3 hardcore terrorists were killed one of them was identified as Satnam Singh @ Satta @ Chinghara, Self-styled Lt. Genl. of KLF.

In this encounter S/Shri R. K. Sharma, IGP, P. S. Chaudhary 2-I/C, K. S. Nair, Dy. S. P, Gian Singh, HC, Ram Naresh, L/NK and R. L. Chaudhary, Constable, displayed conspicuous gallantry courage and devotion to duty of a high order.

These award are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with them special allowance admissible under rule 5, with effect from 24-12-1990.

G. B. PRADHAN, Director

No. 152-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Central Reserve Polise Force.

NAME AND RANK OF THE OFFICER

Shri Randeep Datta,
Deputy Commandant,
CRPF

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 21-1-1994 DGP, Punjab called SSP, Ropar, (Late) Shri Gurdeep Singh Sahi (killed in a mine blast on 26-11-1994 while on Anti-Naxalite duties in Andhra Pradesh), Commandant, 3rd Commando Bn., and Shri S. P. S. Basra, SP, Operations Ropar and informed that two hardcore terrorists of Babbar Khalsa International were taking shelter in the house of one Gurmukh Singh Jat of village Dharamgarh, Distt. Ropar and directed them to raid the house. On receipt of this information, personnel from Punjab Police, Police Commando and CRPF rushed to the spot. On reaching the area, the CRPF party under Shri Randeep Datta, Dy. Commandant was deployed to cordon the village and assault parties under the command of S/Shri S. P. S. Basra, Parmraj Singh, SP (Detective) and G. S. Sahi, were formed. After thorough briefing and laying of cordon, at about 1.15 P.M. S/Shri Basra, G. S. Sahil Paramraj Singh and Randeep Datta moved into the village, climbed on the roof of the house and took position. After taking stock of the situation, S/Shri Basra, Sahi and Singh went down the stairs and asked the inmates to open the door and come out but instead a hail of bullets were fired from automatic weapons which pierced through the doors and widows. The Commandos positioned outside the house gave effective covering fire under which Shri Basra and Shri Sahi crawled to the side of the room. Seeing the firing of the commandos was proving ineffective, it was decided to attack through the roof. S/Shri Basra, Sahi, Paramraj Singh climbed on the roof and joined Shri Datta and started digging holes on the roof. On this the terrorists dirtcted their fire towards the roof which came piercing through, endangering the lives of the officers. The officers undeterred by the heavy firing directed towards the roof, fired inside the room with LMG and AK-47 rifles through the holes. One of the terrorists from inside the room tried to open the door and rush out but the commandos positioned outside opened heavy fire which forced the terrorists to rush back into the room. In the meantime one Constable who fired at the rushing terrorist was fired upon by the other terrorist, as a result of which he sustained injuries on his chest and shoulders and was immediately evacuated to hospital. Thereafter it was decided to lob grenades inside the room. These officers once again crawled to the holes in the roof and loobed HE-36 grenades through the holes while Shri Datta alongwith his men kept on firing from LMG/AK-47 rifles giving covering fire, but the terrorists all the time rained bullets from inside. Subsequently, tear smoke shells were also dropped and in the heavy firing one of the terrorists got badly injured. The accurate fire of S/Shri Basra, Parmraj Singh, G. S. Sahi and Randeep Datta resulted in the elimination of the terrorists. The services of fire brigade was requisitioned to extinguish the fire. The search of the rooms was conducted when dead bodies of two terrorists were found inside the room. Two AK-47 rifles, one pistol and large quantity of ammunition were recovered. The terrorists were identified as Sajan Singh @ Happy and Sardul Singh @ Dula, Lt. Genl. of B. K. I., both listed hardcore terrorists, they were involved in large number of killings, kidnappings and extortions etc.

In this encounter Shri Randeep Datta, Deputy Commandant, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5 with effect from 21-1-1994.

G. B. PRADHAN, Director

No. 153-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of Indo Tibetan Border Police :—

Name and Rank of the Officer

Shri Garib Singh,
Constable/Driver.
24 Battalion, ITBP,
Srinagar.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 11-3-1994, an ITBP convoy consisting of one Bus, one 7 Tonner and one 5 Tonner vehicles left Jammu for Srinagar. The ITBP Bus carrying about 50 passengers was driven by Constable/Driver Garib Singh. When the Bus was negotiating a curve near Upper Munda the militants suddenly opened

fire with AK-47 Rifles from right and Uphill side of the road causing bullet injuries to five passengers. While the armed escorts returned the fire on the militants, Driver Garib Singh, kept the bus close to the uphill side and increased the speed of the bus in the hilly terrain, thus avoiding the direct attack, of the Militants and saved the lives of all the passengers in the bus accept one who was injured and died later on. Foreseeing a subsequent attack, Constable Garib Singh with his Army background, cautiously continued to drive at the same speed, even while negotiating curves and allowing vehicles coming from opposite directions, though he was on the wrong side of the road. As apprehended, the militants made two more attacks which were more vigorous and hard hitting. Regardless of his personal safety, Driver Garib Singh drove the vehicle through the hail of bullets and thus saved the lives of passengers and Government property.

In this encounter Shri Garib Singh, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5 with effect from 11-3-1994.

G. B. PRADHAN, Director

No. 154-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the West Bengal Police :—

Name and Rank of Officer

Shri Rajat Kumar Majumder,
Dy. I.G. of Police,
CID (Operation),
West Bengal.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 19-1-1991, CID's quick Response Team headed by Shri R. K. Majumder the then SSP (CID) under the supervision of Shri S. J. Philip, Addl. DGP, was deputed to Purulia to track down terrorist, involved in large scale murders (including four police personnel) robberies etc. The team reached Purulia on 10-1-91 around 6.30 hrs.

At about 7.10 hrs., the team received information about the movement of one terrorist near Ranibandh. Alongwith the local S.I. as guide, the police party reached the spot at about 7.30 hrs. Taking the assistance of local villagers, the police identified the terrorist. The police party moved closer to the terrorist to disclose its identity, and repeatedly warned the terrorist to surrender but in vain. Instead, the terrorist opened fire at the police party and took cover behind a protective mud embankment. The firing from the terrorist was promptly returned by Shri S. J. Philip who fired three rounds from his pistol.

At this stage Shri Majumder decided to move forward himself crawling across the open field to engage the terrorist single handed. He directed his men to provide him covering fire. Shri Majumder manoeuvred himself into a position and launched a surprise attack from his sten Machine Carbine killing the terrorist.

A .38 bore service revolver snatched from slain police personnel along with some fired and live cartridges and a .303 magazine were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri R. K. Majumder, Dy. I.G. of Police displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 19-1-1991.

G. B. PRADHAN, Director

No. 155-Pres/95.—The President is pleased to award the President's Police Medal for Gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of Officer

Shri Mohd. Akram, *(Posthumous)*
Constable,
97 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

No. 155-Pres/95.—The President is pleased to award the insurgents have been seen in Village Chundana. The Commandant, 97 Battalion, BSF with the available force left for checking in two parties. One led by an Assistant Commandant, approached the village from the North East through village Gogjigund. The main party led by the Commandant approached the village from the North-West through Village Hatbura. At about 11.30 hours as the main column reached the outskirts of Village Chundana, the leading vehicle had to slow down as a truck was coming from the village side. The moment the truck crossed the vehicle, it came under heavy fire from both sides of the road. Immediately the Commondant got down from the Gypsy to organise counter attack. Constable Mohd Akram on seeing his Commandant outside the Gypsy, jumped out and stood in front of his Commandant and fired at the insurgents. While standing in front of the Commandant, Shri Akram was hit by a bullet on his hight chest region but he did not flinch and continued to return the fire. Meanwhile the Commandant re-organised his patrol party and succeeded in encircling the insurgents. In the exchange of fire three militants (foreign nationals) were killed. In the meantime, Constable Mohd. Akram had collapsed and was evacuated but died before being brought to the Hospital.

During search one snipper rifle with 3 magazines, one AK-47, Rifle with grenade firing attachment, 1 Chinese made pistol, 1 Hand Grenade and large quantity of ammunition were recovered from the dead militants.

In this encounter Shri Mohd. Akram, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of President's Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 27-7-1994.

G. B. PRADHAN, Director

No. 156-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force :—

Name and Rank of the Officers

Shri Hira Bahadur Chetri,
Head Constable,
19 Battalion, BSF.

Shri Anil Kumar,
Constable/Driver
19 Battalion, BSF.

Shri Gurjit Singh,
Constable,
19 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

Commandant of 90 Battalion BSF received information that militants of HM outfit under the leadership of Mohd. Akbar Qureshi alias Akbar Bhai, a dreaded 'Afghan' mercenary, were planning to attack SBI and J&K Bank posts of BSF on 7-8-1993. A cordon around suspected hide out was laid around Muslim Pir, K. Ral Rang, Shalpore and Arampura locations. One party started clearing the lane opposite fruit market near J&K Bank. At about 0915 hours when the BSF party reached the Forked Lane Junction, it came under

heavy volume of fire from both the adjoining lanes. The BSF party retaliated the fire in self defence. Head Constable Tira Bahadur Chetri alongwith others took position on the right side of the lane while one Sub-Inspector and others took position on the left side of the lane. Then the parties opened fire on the militants. In the exchange of fire one Constable was hit by the bullets fired by the militants in the lower abdominal region. Immediately Shri Chetri with the help of one Naik removed the injured Constable behind the compound wall. There-after they engaged the militants. The Machine Carbine of Shri Chetri developed some mechanical defect. He immediately took the rifle of the injured Constable and continued to spray bullets on the militants.

In the meantime, Constable/Driver Anil Kumar moved towards the militant's location in his bullet-proof mobile bunker and actively participated inshifting the injured persons in his vehicle inspite of firing by the militants from all directions. As they were shifting the injured persons, one bullet hit just below the driver's door and hit Driver Anil on his ankle. Inspite of serious injury, Constable Anil Kumar did not lose his nerves and braved the heavy volume of militants fire and drove away the injured persons to safety.

Constable Gurjit Singh, who was in striking party also came under heavy fire of militants. Shri Singh took position alongwith one Sub-Inspector on the laft side of the lane and started firing on the militants. In the exchange of fire three Constables were seriously injured. The party commander requested the Commandant to arrange evacuation of the injured persons. A party in a bullet proof mobile bunker immediately reached the spot. The militants opened heavy volume of fire at the evacuation party and made their task difficult and dangerous. Seeing this, Constable Gurjit Singh at grave personal risk. without caring for the volley of fire from the militants, quickly moved and toook position on the first floor of the building. Thus he was able to dominate the militants with heavy volume of fire which facilitated the evacuation of the injured personnel. Thereafter in the exchange of heavy firing three militants were killed (including dreaded militant Akbar Bhai), who was taken away by their collegues. In the face of stiff resistance militants in desperation lobbed a couple of hand-grenades, as a result Shri Chetri received number of splinter injuries but he did not lose his nerve and held the ground.

In this encounter S/Shri H. B. Chetri, Head Constable, Anil Kumar, Constable and Gurjit Singh Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 7-8-1993.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 157-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Govind Lal Sharma,
Deputy Commandant,
73 Battalion, BSF.

Shri Rajendra Singh Parmar,
Constable,
73 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 25-2-94 on a specific information about the movement of militants in south Sopore, Shri G. L. Sharma, Dy. Commandant with one Coy plus Commando Platoon proceeded for patrolling in south Sopore. While on the way, the militants lobbed hand grenades followed by heavy fire on the party. Shri Sharma positioned himself behind the adjoining walls and ordered his men to cordon the house from where fire was coming in. In the meantime Shri Raj Singh, DC Offg Comdt. reached on the spot with reinforcement and jonied the party in storming the building. Militants lobbed 3 hand grenades in the direction of the advancing BSF party, Shri Sharma and his companions sustained splinter injuries.

Having approached the house, Const. Rajender Singh Parmar and Const. Tarsem Singh in a split of second smashed the rear window of the house and stormed in to the room spraying bullets. In quick succession Shri G. L. Sharma, DC, SI Rajbir Singh and Const. P. T. Krishna Kumar also entered the house with lightening speed. Const. Tarsem and SI Rajbir Singh cleared the first room while Shri G. L. Sharma, DC, and Const. Rajender Singh Parmar proceeded to clear the adjoining room. There was heavy exchange of fire between the militants and this party. Shri G. L. Sharma, DC and Const. Rajender Singh Parmar had another providential escape from bullets of militants fired from very close range. In this exchange of fire one militant was hit fatally.

SI Rajbir Singh with Const. P. T. Krishna Kumar and Const. Tarsem Singh cleared the remaining two rooms of the ground floor by lobbying grenades and firing at the militants. SI Rajbir Singh and Const. Rajender Singh Parmar, thereafter climbed up the stairs with their backs to each other for clearing the first floor, Const. Rajender Singh Parmar spotted another militant hiding in a room behind a stack of quilts and aiming to fire at them. Rajender Singh seized the initiative and fired from his SLR and killed the militant on the spot. SI Rajbir Singh and Const. Rajender Singh Parmar, thereafter cleared the entire 1st floor of the house .

Killed militants were later identified as Parvez Ahmed Dar Code-Lippa s/o Abdul Rehman Dar r/o Baba Raza, Sopore, a self styled Coy Comdr and Manzoor Ahmed Nazar s/o Gular Rasool r/o Nasim Bagh, Sopore, a Section Cmdr. both of HM outfit. Two AK-56 Rifles with large quantity of ammunition were also recovered from near the dead bodies of militants.

In this encounter S/Shri G. L. Sharma, Deputy Commandant and R. S. Parmar, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4 (i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 25-2-1994.

G. B. PRADHAN,
Director

No. 158-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of Officer

Shri Jiwan Tamang,
Subedar,
39 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 11-6-1993 personnel of 39 Battalion BSF were undergoing "Job Training" under the supervision of Subedar Jiwan Tamang. At about 9.30 hours, a gang of armed militants ambushed an army convoy. On hearing the sound of fire, Subedar Tamang rushed towards the ambushed site. On reaching there, Shri Tamang ordered his men to take position. BSF personnel, while taking position came under heavy fire from three directions. A large number of civilians were working in the adjoining fields. To avoid loss of lives of innocent people, Subedar Tamang made the people to clear the area. In the meantime he assessed the situation and thereafter decided to block all possible escape routes. He alongwith a small detachment of troops quickly approached the area from the right flank and successfully blocked the main escape route of the militants. He further divided the main column into three groups, each carrying one LMG. Subedar Tamang after ensuing that his men had taken the positions, ordered them to open fire on the militants. Militants also retaliated with heavy volume of fire on BSF personnel with automatic weapons. Militants started running away under the cover of fire. Subedar Tamang made full use of the cover provided by the apple orchard, kept closing in at the

ambush site. When Shri Tamang came closer, he charged upon the militants, who were firing on BSF personnel. Seeing Shri Tamang charging forward in a determind manner, one of the militants *lobbed a hand-grenade at Shri Tamang.* Unmindful of intense firing, Shri Tamang maintained his cool and fired on the militants from a close range. This silenced the fire from the militant's side. As a result of this three militants (all foreign nationals) were killed.

During search one UMG, one AK-56 Rifle, one UMG Drum Type Magazine (filed with 88 live rounds) and 1 Magazine of AK-56 Rifle (filled with 9 live rounds) were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Jiwan Tamang, Subedar, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 11-6-93.

G. B. PRADHAN
Director

No. 159-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri S. K. Tyagi,
Inspector of Police,
153 Battalion, BSF

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 21-11-1993, a BSF team left Sector Headquarter to conduct raid/search in village Pet Seer, Baramulla. At about 1230 hours, while search of a house was in progress, Inspector Tyagi alongwith one Lance Naik and Safai Karamchari climbed on the roof top and found an enterance to a hideout made between two walls of adjoining rooms. The militants hiding inside suddenly opened fire and critically injured the Safai karamchari. Inspector, Tyagi, who was standing nearby, without caring for his life, immediately moved ahead pulled Shri Khan and evacuated him to a safe place but being seriously injured, he succumbed to his injuries. In the meantime, the militants continued firing on the BSF party. Inspector Tyagi, took position and returned the fire with his rifle. The exchange of fire continued for some time. Thereafter, Shri Tyagi lobbed a grenade inside the hide-out. But the militants continued firing through the entrance of the hide-out. In the process some bullets pierced through the coat and shirt of Inspector Tyagi. Undeterred by this, he again lobbed two more hand-grenades inside the hide-out & silenced the militants. The hide-out/cavity was then demolished and they recovered three dead bodies of militants, who were identified as Mohd. Khalid, Mohd. Ramjan and Khasar Mohd. Lone. During search 2 AK-47/56 Rifles with 4 magazines, one Chinese Pistol with 2 magazines and about 40 rounds of ammunition were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri S. K. Tyagi, Inspector, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5 with effect from 21-11-1993.

G. B. PRADHAN, Director

No. 160-Pres/95.—The President is pleased to award of the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force :—

Name and Rank of the Officers

Shri Jagtar Singh,
Sub-Inspector,
73 Bn., BSF.

Shri Balwan Singh, (*Posthumous*)
Head Constable,
73 Bn., BSF.

Shri A. Gunashekharan (*Posthumous*)
Constable,
73 Bn., BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 2-12-1993 when a patrol party under command of Shri R. K. Birdi, DC was crossing Amargarh village, they observed abnormal movement of suspects running into a house. This house was immediately cordoned off and the inmates were directed to surrender. The suspects opened fire on the BSF party. This was responded by the BSF party. Taking advantage of reduced visibility one of the militants ran out of the house and attempted to escape by firing with his automatic weapon. Shri Balwan Singh chased the militant continuing firing on him and causing serious injuries. Another militant hiding inside the house fired at Shri Balwan Singh and seriously injured him. Despite his wounds Shri Balwan Singh directed his men not to allow the militants to escape. However, Shri Balwan Singh him self could not last long and breathed his last.

In the meantime Constable A. Gunashekhran in a gallant action immediately leapt forward with a view to annihilate the escaping militant, blocked his way while firing at him. He fired at the militant from a very close range killing him on the spot. However, in the exchange of close range fire, Constable Gunashekharan was also hit by the bullets of militants and laid down his life.

SI Jagtar Singh who was in the cordon party on the western flank, on observing the militants escaping, stood up to prevent the militants from escaping and fired at them. In the exchange of firing, SI Jagtar Singh sustained bullet injuries on his left eye. Undeterred by the bullet injury, he exhorted his Jawans to chase and kill the escaping militants by giving personal example.

The dead body of militant, who was subsequently identified to be Bashir Ahmed Mir, Platoon Commander of HM Outfit was recovered lying within the embracing distance from Constable Gunashekharan. During search one AK-47 Rifle, 4 magazines, 37 rounds of AK-47 series and Rs. 2,600/- were recovered from the dead militants.

In this encounter S/Shri Jagtar Singh, Sub-Inspector, Balwan Singh, Head Constable and A. Gunashekharan, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 2-12-1993.

G. B. PRADHAN, Director

No. 161-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force :—

Name and Rank of the Officers

Shri Vijay Kumar,
Sub Inspector,
73 Battalion, BSF.

Shri Sri Babu Yadav,
Head Constable,
73 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 16-6-1994, information was received that some militants were assembling in Khanka Mohalla of South Sopore and are planning to attack the BSF Posts. At about 10.20 hours a patrol party left for patrolling in Khanka Mohalla. When the party reached there one suspect was spotted running

in by-lanes on seeing the patrol party. The party personnel immediately chased and cordoned the suspected area. During search of the suspected houses one suspect viz. Fiaz Ahmed Pir was apprehended. On interrogation, the apprehended militant disclosed that some militants were hiding in the hideout located in the house of one Gulam Rasul in South Sopore. A search party under the command of SI Vijay Kumar alongwith a selected band of commandos was detailed to search the suspected house. When the party reached near the house, the militants hiding on the roof of a adjoining cow-shed started lobbing hand grenades and fired with automatic weapons on the search party. The search party immediately took position and retaliated the fire in self defence.

On hearing the sound of fire, the Commandant of 73 Battalion, BSF alongwith available force rushed to the spot. The exchange of fire continued for about 20 minutes. The militants were also directed to surrender but in vain. Thereafter, SI Vijay Kumar alongwith three commandos (including Head Constable Sri Babu Yadav) stormed the house under the covering fire. SI Vijay Kumar and HC Yadav climbed the wooden ladder and spotted one militant. The militant suspecting some movement behind him, fired a burst in the direction of storming commandos, S/Shri Vijay Kumar and HC Yadav escaped unhurt. Without caring for their personal safety SI Vijay Kumar and HC Yadav killed the militant from close range. The dead militant was later identified a Mohd. Abbas Zaroo, a self styled District Commander of Harkat-Ul-Ansar militant outfit. During search 3 AK-56 Rifles with 12 Magazines, one Anti-Personal Plastic Mine, one Plastic Hand-Grenade and large number of live/empty cartridges were recovered from dead/apprehended militants and from the cow-shed.

In this encounter /Shri Vijay Kumar, Sub-Inspector and Sri Babu Yadav, Head Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 16-6-1994.

G. B. PRADHAN, Director

No. 162-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force :—

Name and Rank of the Officers

Shri Rajbir Singh
Sub-Inspector,
73 Battalion, BSF.

Shri Y. Yona,
Constable,
73 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 3-7-1994, it was learnt that the militants had planned to attack BSF Post of 73 Battalion at Shaikh Colony. A special cordon and search was planned in Mingli Mohalla of South Sopore. The search party under the command of SI Rajbir Singh while proceeding to search the house of one Mohd. Hazzam, was fired on with automatic weapons. Constable Yona of the search party was injured on his left shoulder. Inspite of injuries he kept on engaging the militants with fire from his rifle Thereafter it was decided to storm the house. Constable Yona without caring for his injury volunteered to join the storming party. SI Rajbir Singh with his commando section (including Constable Yona) taking cover of the walls entered the rooms at ground floor and cleared the area. Thereafter, SI Rajbir Singh and Constable Yona climbed the stairs to clear the first floor. While SI Rajbir Singh just reached the first floor, one of the militants hiding there, fired a burst at Shri Singh hitting number of bullets on his Bullet Proof Jacket (with one bullets on his right upper arm through the muscle). On seeing this, Constable Yona, who was just behind Shri Singh fired on the militant and killed him on the spot. Then, SI Rajbir and Constable Yona immediately rushed up the stairs and killed two more militants who were firing on cordon party while taking cover of hay stock. On search of the area two AK 47/56 Rifles with 10 Magazines, 3 Electric Detonators, 2 Plastic Hand-grenades and large number of cartridges were recovered. The dead militants were later identified as Mohd. Shofi Bhat, Nissar Ahmed Kema and Mohd. Anzer Pir, all Pak trained militants of HM Outfit.

In this encounter S/Shri Rajbir Singh, Sub-Inspector and Y. Yona, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from 3-7-1994.

G. B. PRADHAN, Director

No. 163-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force :—

Name and Rank of the Officers

Shri Sunil Kumar Nair,
Constable,
39 Battalion, BSF.

Shri Balwan Singh,
Constable,
39 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 4-1-1994 a party led by Assistant Commandant, of 39 Battalion, BSF (including Constables S. K. Nair and Balwan Singh) left BSF Post at Magam for patrolling in the areas of villages Wocher, Wougheable and Nagri. At about 10.30 hours when the party reached near village Nagri Malpora, it came under heavy fire from the militants with their automatic weapons from the nearby Hills. On this Constable Nair and Constable Balwan Singh, immediately took position and opened fire on the militants. The exchange of fire continued for about 30 minutes. Due to accurate firing by S/Shri Nair and Balwan Singh from close range, four hard-core militants belonging to Hizbul Mujahideen outfit were killed. During search 4 AK-47 Rifles, 12 AK-56 Magazines 1 Wireless Set and 304 Rounds of AK series were recovered from the place of encounter.

In this encounter S/Shri S. K. Nair and Balwan Singh, Constables, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 4-1-1994.

G. B. PRADHAN, Director

No. 164-Pres/95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Sukhcharan Singh,
Subedar,
62 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 12-12-1993, one BSF party led by Subedar Sukhcharan Singh left Kuligam Post at about 10.30 hours for patrolling. At about 14.30 hours when the party reached near Village Khurana, it was heavily fired upon by the militants from a house. Shri Singh immediately directed his troops to take position and retaliate fire. Due to accurate firing by BSF personnel, four militants sneaked out of the house towards a nearby Nallab. While fleeing, the militants adopted hit and run tactics. Without losing time, Shri Singh chased the fleeing militants. Other BSF personnel also followed him.

After a chase of about three kilometres through difficult terrain, they closed on the militants. Shri Singh and party fought a pitched battle and firing continued for about 45 minutes. During the exchange of fire three Pak trained militants belonging to Hizbul Mujahideen outfit were killed. During search 2 AK-56 Rifles with 4 Magazines, one VHF Set, two Grenades and some rounds of ammunition were recovered from the place of encounter. The dead militants were later identified as (1) Abdul Rashid, (2) Mohd. Shaffi Khatana and (3) Gulam Mohd. Lone.

In this encounter Shri Sukhcharan Singh, Subedar, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 12-12-1993.

G. B. PRADHAN, Director

No. 165-Pres./95.—The President is pleased to award the Police Medal for Gallantry to the undermentioned officers of Border Security Force :—

Name and Rank of the Officers
Shri Ashok Kumar,
Constable,
73 Battalion, BSF.

Shri Kundan Singh,
Constable,
73 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 22-7-1994 at about 11.00 hours it was learnt that some militants of HM outfit and assembled in Orchards situated in the east of Villages Amargarh and Lalad. Immediately a special cordon and search operation was planned. As the search parties were advancing, militants hiding in the Archards started indiscriminate firing on the BSF personnel. They also lobbed hand-grenades on the troops. When the BSF personnel retaliated, the militants started running towards Waqub village through paddy fields in a bid to escape. In the meantime one BSF party saw three militants firing and fleeing through paddy fields. The militants on seeing this party, brought heavy fire on them. The BSF personnel gave a hot chase to the fleeing militants. The party ran through watered paddy field and suddenly appeared in front of militants from behind the grove of trees. On this the militants lobbed hand-grenades and fired on this party. *Constable Ashok Kumar without caring for his personal safety, took kneeling position and fired on one of the militants and killed him on the spot.*

2. Another militant, who had taken laying position in the paddy field, felt that he had been fully cornered and there was no way to escape and expressed his willingness to surrender, he raised his hand in a gesture of surrendering. Instead of surrendering he tried to throw one hand grenade but before he could do so, *Constable Kundan Singh* in a rear display of *courage brought heavy fire on the militant and killed him on the spot.* However the third militant disappeared in the thick plantation groves and the paddy field. The dead militants were later identified as Gulam Nabi Teli and Shabir Ahmed Bhat (a self-styled Platoon Commander of HM outfit). During search two AK-56 Rifles with 6 Magazines were recovered from the dead militants.

In this encounter S/Shri Ashok Kumar and Kundan Singh, Constables, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

These award are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for Gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22-7-1994.

G. B. PRADHAN, Director

No. 166-Pres/95.—The President is pleased to award of Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri Rattan Lal,
Lance Naik,
15 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

Based on a specific information about the activities of Chief of Jehad Force, the Commandant of 15 Bn BSF laid a special Naka at 0200 hours on 15-6-1994 around the Haj Committee Building (under construction). At about 5.30 hours, the party personnel observed suspicious movement of some persons. L/Naik Rattan Lal immediately alerted the party members and message was ashed to the Commandant for re-inforcements. Immediately the Commandant with other staff reached the spot. In the meanwhile BSF troops surrounded the hide-out. The militants opened heavy fire and lobbed hand-grenades on BSF troops. The naka-party also retaliated in self defence. In the meantime whole area was sealed by supporting groups. The militants were asked to surrender but they continued intensive fire on BSF personnel. One Subedar and Shri Rattan Lal moved forward under the covering fire of BSF party and moved close to the militants hide-out. Finally they came face to face with two militants. Shri Rattan Lal observed that they were aiming their weapons at him but he in a lightening move fired back and killed both the militants on the spot, who were later identified as Nasir Ahmed Shah, the Chief of Jahad Force and his bodyguard Zahur Gudda alias Sonu. On search of the hide-out, five militants were apprehended. During further search 3 AK-56 Rifles with 10 magazines, one Chinese Pistol with one magazine, 11 Russian made granades and two walkie-talkie sets were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri Rattan Lal, Lance Naik, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This ward is made for gallantry under Rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 15-6-1994.

G. B. PRADHAN, Director

No. 167-Pres/95.—The President is pleased to award of Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Border Security Force :—

Name and Rank of the Officer

Shri N. Ravi,
Constable,
83 Battalion, BSF.

Statement of services for which the decoration has been awarded :

On receipt of a reliable information, a special operation at Village Darosh in a difficult jungle was launched on the intervening night of 22/23rd September, 1994 by BSF troops. All the possible escape routes were plugged by 0300 hours (23-9-1994). At about 0615 hours, two militants arrived at the outer edge of the field with the intention to sneak into the dense forest. The troops were ofcourse alert but could not observe the movements of the militants due to heavy growth. Having advantage of Maize field, one militant appeared at the outer edge, lobbed a stick grenade and fired a long burst at the troops. The BSF personnel immediately fired long bursts from their Carbines/Rifles at the militant, who fell down on the ground. Thereafter the BSF party moved about 50 yards towards the place of incident to check the condition of the militant. The militant was in senses and on observing the movement of BSF troops, the militant tried to take out a grenade from pouch. Shri Ravi without caring for his personal safety quickly jumped on the militant and killed him with his Khukri. Seeing the fate of his accomplice, the other militant in the Maize Field did not open fire and returned to village Darosh but was engaged by other

BSF party on the southern side of the field. The bullets hit the militant but he managed to disappear in the heavy growth of bushes. But subsequently he succumbed to his injuries. Both the dead militants were later identified as Liaquat Ali and Gul Mohammed alias Khalid. During search one AK-56 Rifle with 4 Magazines, 105 rounds of AK-56 series, one hand-grenade and one Communication Set were recovered from the place of encounter.

In this encounter Shri N. Ravi, Constable, displayed conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a high order.

This award is made for gallantry under Rule 4(i) of the rules governing the award of Police Medal for gallantry and consequently carries with it the special allowance admissible under Rule 5, with effect from 22-9-1994.

G. B. PRADHAN, Director

PLANNING COMMISSION

New Delhi, dated 23rd June 1995

RESOLUTION

No. E-11015/1/95-Hindi (Part-II)—In continuation of the Ministry of Planning and Programme Implementaton's Resolution No. E-11015/1/91-Hindi dated 1st June, 1992, the Govt. of India have decided to extend the tenure of Hindi Salahkar Samiti of the Ministry of Planning and Programme Implementation upto 30th November, 1995.

ORDER

Ordered that a Copy of this resolution be communicated to all the members of the Samiti, All State Governments, Union Territory Administrations, President's Secretariat, Prime Minister's Office Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretarat, Rajya Sabha Secretariat, Committee of Parliament on Official Language, Department of Official Language, Library of Parliament, Comptroller & Auditor General of India, Pay and Accounts Office of Planning Commission, All the Departments of the Ministry of Planning and Programme Implementation, All Officers/Divisions/Sections of the Planning Commission, All Regional/Project Evaluation Offices of P.E.O. Kendriya Sachivalaya Hindi Parisad.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

GURJOT KAUR,
Dy. Secy.

Dated 27th June 1995

RESOLUTION

No. E-11015/1/95-Hindi (Part-II).—In continuation of this Ministry of Planning and Programme Implementation's resolution No. E-11015/1/95-Hindi dated 1st June, 1992, the Government of India have decided to nominate the following persons as members of the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Planning and Programme Implementation upto 30th November, 1995.

1. Dr. Mangal Tripathi,
   10-B, Doctor Kartik Bose Street,
   Calcutta-700009.

2. Prof. S. A. Suryanarayana Verma,
   Plot No. 39, Sector-3, MIG-1,
   Dharmashakti Nagar, M.V.P. Colony,
   Vishakhapatnam-530017
   (Andhra Pradesh)

Ordered that a Copy to this resolution be communicated to all the members of the Samiti, All state Governments, Union Territory Administrations, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Committee of Parliament, on Official Language, Department of Official Language, Library of Parliament, Comptroller and Auditor General of India, All the Ministries/Departments of Government of India, Pay and Accounts Office, Planning Commission, All the Departments of the Ministry of Planning and Programme Implementatio, All Officers/Divisions/Sections of the Planning Commission, All Regional/Project Evaluation Offices of P.E.O., Kendriya Sachivalya Hindi Parisad.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for General information.

GURJOT KAUR,
Dy. Secy.

MINISTRY OF LOW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi-110 001, dated 16th June 1995

No. 27/5/95-CL.II.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of (1 of 1956) the Central Government hereby authorise Shri Rakesh Chandra, Joint Director (Inspection) in the Department of Company Affairs for the purpose of the said Section 209-A.

R. N. VASWANI,
Under Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND CONSUMER INDUSTRY DESK)

New Delhi, dated the 29th June 1995

RESOLUTION

No. 9/2/95-C.I.—Government of India have decided to reconstitute the Development Panel for Horology Industry (earlier known as Devlopment Panel for Wrist Watches) with the following composition and for a period of two years from the date of issue of this Resolution :—

Chairman

1. Shri K. K. Taneja,
   G-238, Sarita Vihar,
   New Delhi-110 044.

Members

2. Director/Dy. Secretary,
   Consumer Industry Desk,
   Dept. of Industrial Policy and Promotion,
   Udyog Bhavan,
   New Delhi-110 011.

3. Director (Horology),
   Office of the DC(SSI),
   Nirman Bhavan,
   New Delhi-110 011.

4. Dy. Director General (Advance Licence)
   Office of the DGFT,
   Udyog Bhavan,
   New Delhi-110 011.

5. Dy. Adviser (Engg.),
   I & M Division,
   Planning Commission,
   Yojana Bhavan,
   New Delhi.

6. Director (Light Mech. Engg.),
   Bureau of Indian Standard,
   Manak Bhavan,
   9, Bahadur Shah Zafar Marg,
   New Delhi-110 002.

7. Shri I. M. Amitha,
   Sr. Vice President (Tech.),
   M/s. Titan Industries Limited,
   Golden Enclave (Tower 'A'),
   Airport Road,
   Bangalore-560 017.

Members

8. The Managing Director,
M/s. HMT Limited,
36, Cunningham Road,
Bangalore.

9. The Managing Director,
M/s Hyderabad Allwyn Limited,
Sanat Nagar,
Hyderabad.

10. Shri K. C. Jain,
Managing Director,
M/s. Jayna Time Industries Limited,
7/25, Darya Ganj,
New Delhi-110 002.

11. Shri G. S. Purewal,
Managing Director,
M/s. Purewal & Associates Limited,
K-20, Jangpura Extension,
New Delhi.

12. The Managing Director,
M/s. Karnataka Crystals Limited,
59, Nandidurg Road,
Bangalore-560 046.

13. The Managing Director,
M/s. Karnataka Horologicals Limited,
Bangalore.

14. The General Manager,
Semi Conductor Complex Limited,
phase VIII, SAS Nagar,
(Near Chandigarh),
Punjab.

15. The Managing Director,
M/s. Growel Times Limited,
410/1, 411/2, Bombay-Pune Road,
Dapodi,
Pune-411 012.

16. Shri Ashok Khanna,
M/s. Khanna Watches Limited,
Plot Nos. 2, Sector III,
Parwanoo,
Dist. Solan-173 220.
Himachal Pradesh.

17. Shri Prem Gupta,
Chairman,
M/s. Indo-Swiss Time Limited,
A/23, New Office Complex,
Defence Colony,
(Opp. Mool Chand Hospital),
New Delhi.

18. Shri A. M. Parekh,
President,
Industrial and Watch Jewels
Manufacturers Association,
32, Ranjbhai Kamani Marg,
Bombay-400 038.

19. Shri Ashok Sawhney,
President,
All India Watch Dials
Manufacturers Association,
W-37, Okhla Industrial Area, Phase II,
New Delhi.

20. The Managing Director,
M/s. Timex Watches Limited,
B-190, Phase-II,
NOIDA-201 305,
Ghaziabad,
Uttar Pradesh.

21. Shri Y. Suboo,
Managing Director,
M/s. Kamla Dials & Devices Limited,
Plot No. 3, Sector III,
Parwanoo-173 220,
Dist. Solan,
Himachal Pradesh.

Members

22. Shri Bharat C. Patodia,
M/s Copwud Orient Watches Limited,
5/3, Chandan Mahal,
Road No. 11, TPS III,
Santa Cruz (E),
Bombay-400 055.

23. Shri S. G. Tashi,
Managing Director,
M/s. Sikkim Jewels Limited,
Gangtok.

24. Prof. Bhuwneshwar Prasad Singh,
AT. Karyanand Nagar,
Chittranjan Road,
P. O. Lakhisarai,
Distt. Lakhisarai,
Bihar.

Member Secretary

25. Shri B. B. Sharma,
Asst. Development Officer,
Deptt. of Industrial Policy and
Promotion,
Udyog Bhavan,
New Delhi-110 011.

2 The terms of reference of the Panel would be as under :—

(i) To review the present status of the industry and perspectives for its future growth.

(ii) To evaluate the status of technology and suggest measures for upgrading the same to bring it up to the desired level and to suggest measures for modernisation.

(iii) To advise on norms for material and energy consumption, steps for reduction in the same and to recommend measures for improvement of efficiency and productivity.

(iv) To suggest measures for import substitution of the product, raw material and components.

(v) To advise on steps for generating export potential.

(vi) Any other aspects which the panel deem important in the interest of the growth and development of the industry including any fiscal measures required for its growth.

(vii) It should also decide steps for the industry for orderly growth for achieving globalisation and international competitiveness.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

PROMILLA BHARDWAJ,
Director

Dated 30th June 1995

RESOLUTION

No. Granite/3(51)/94-CGT—In continuation of the Resolutions of even number dated 20-12-94, 6-2-95 and 28-3-95 regarding the constitution of the Development Panel for Granite Industry, Government of India has decided to include Shri J. K. Batra, Director (Customs), Ministry of Finance, Department of Revenue as a Member in place of Shri Y. S. Shahrawat, Deputy Secretary, Department of Revenue (TRU) shown at Sl. No. 5 of the aforesaid Resolution.

There is no other change in respect of the composition of the Panel and the terms of reference.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

PROMILA BHARDWAJ,
Director

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDL. RESEARCH

New Delhi-11016, the May 1995

RESOLUTION

No. E-11024/1/94-Hindi.—Government of India in the Department of Scientific and Industrial Research have decided to implement a scheme of awarding Cash Prizes to the authors of original works in Hindi in the various scientific subjects. The salient features of the scheme is as under :—

1. Name of Scheme

This scheme will be called "Original writing in Hindi in Science award Scheme".

2. Objectives :

The scheme aims at encouraging writing of original works in Hindi in the five branches of Scientific and Industrial Research, viz. In-house R & D in Industry, Programmes aimed at Technological Self Reliance (Patser), Industrial Technology and Transfer & Trading in Technology, Consultancy Development Services and Nissat.

3. Value of the award :

The following prizes will be awarded for original works in Hindi.

First Prize	Rs. 20,000
Second Prize	Rs. 15,000
Third Prize	Rs. 10,000

These prizes will be awarded in any of the five branches of Scientific & Industrial Research viz, In-house R & D in Industry, Programmes aimed at Technolgical Self Reliance (Patser), Industrial Technology and Transfer & Trading in Technology, Consultancy Development Services and Nissat.

4. This scheme will be run by the Department of Scientific & Industrial Research.

5. The prizes will commence from 1st January, 1996 and will be awarded during every Calender Year. The Department of Scientific and Industrial Research will invite applications for award of prizes from the authors through the publication of advertisements in leading English and Hindi Newpapers.

6. The authors will submit their application on the prescribed format duly filled in and send them to the Joint Secretary (Admn.), Department of Scientific and Industrial Research, (Ministry of Science & Technology), Anusandhan Bhavan, Rafi Marg, New Delhi-110001. They will also submit requisite number of their manuscripts/published work alongwith their applications.

7. Eligibility for participation in the prize scheme :

(i) This scheme is open to Indian citizens alongwith those employed in the Scientific Departments viz. DOE, DOD, DOEn., DAV, DOS, DNES, DST and DBT including DSIR.

(ii) Both the published works and the manuscripts will be considered under this scheme.

(iii) Text books, i.e. books prepared specifically for classroom instructions, and books intended for children will not be eligible for competitions under this scheme.

(iv) The authors of boks entered for the competition will be entitled to copy-right of their books.

(v) Entries submitted on earlier occasions for this competition will not be admissible. The authors will be submitting copies of their published works or legibly typed manuscripts thereof. Illegibly typed copies of the manuscripts are likely to be rejected.

(vi) This Department will have the sole right of selection of books for the award and formulation of rules governing such selection.

(vii) The original works will be required to have been published within the preceding three years, including the year of the award.

(viii) Manuscripts will be awarded under the competition scheme only if these are accompanied by a written undertaking from the author that in case his manuscript is selected for a prize, it will be published within six months of the declaration of the result. The amount of prize in such cases will be given to the author after the publication of the manuscripts.

(9) Books once awarded a prize under any other scheme run by the Government of India or a State Government of Administration of the Union Territory shall be ineligible for entry under this scheme.

(10) Any author may submit not more than one entry in a year in each category under the scheme. However, he will not be entitled to award of prizes in the different subjects in the same year.

8. General terms and conditions :

(i) If there are more than one author of any prize winning entry, the amount of award shall be distributed equally amongst the authors.

(ii) If during any year, the evalution committee does not find any published work/manuscript suitable for the award, they can withhold the award at their discretion.

(iii) No correspondence will be entertained regarding the selection of books for awarding of prizes or the procedure regarding the selection of books for the award.

(iv) The prizes will be awarded every calender year and if suitable books are not available for any calender year, no prizes will be awarded during that year.

9. Evalution Committee :

(i) There will be an inter-ministrial committee to select the books/manuscripts for the award of prizes.

(ii) The Inter-ministrial committee shall consist of eight members including the Chairman, Additional memebers may be coopted, if considered necessary.

(iii) The Chairman and the members of the Committee will be appointed by Secretary, Department of Scientific and Industrial Research. The Chairman of the Evaluation Committee, where necessary may associate with the Committee, experts in the respective disciplines. The Capacity of the experts so associated will only be advisory.

(iv) If any member of the Inter-ministrial Committee wishes to participate in the prize scheme, he will cease to be a member of the Committee for that particular year. The decision taken by the Evaluation Committee shall be final and binding in all respects and no appeal thereof shall lie to any authority.

(v) The term of the Committee, will be for a period of three years from the date of its constitution. Honorarium as may be fixed shall be paid to each member including the Chairman of the Evaluation Committee for work of evaluation undertaken by him.

(vi) Non official members of the inter-ministrial committee will be entitled to TA/DA, as admissible under the rules.

10. Other Conditions :

Original Hindi books will mean the following :—

(i) Which have been written originally in Hindi by the competitor/author.

(ii) Which should not be a Hindi translation done by the competitor of any books or author written in some other language;

(iii) Which should not be a Hindi version of any books written in any other language by the competitor himself or by some professional translator;

(iv) Which should have not been written by the competitor in Hindi or in any other language in his official capacity or as a part of his official work ;

(v) Which should not be a Hindi translation of any book translated either by the competitor himself or by some professional translator, which has been written by the author either in English or in any other Indian language in his official capacity or as a part of his official work;

(vi) Which should not be an exhaustive/abridged version or summary prepared by the author or by any other person which the author has got written/published in English or in any other language in his offlcial capacity or as part of his official duties; and

(vii) Which should not be any book written under either any governmental contract or under any other governmental scheme.

11. The department of Scientific & Industrial Research will have the right to modify this scheme.

ORDER

ORDERED that a copy each of this resolution be sent to all the state Governments, all the ministries and departments of the Government of India, all the Universities of India and News agencies.

ORGERED that this resolution should be published in the Gazette of India for general information.

DILIP KUMAR
Jt. Secy. (Admn.)

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, 23rd June 1995

RESOLUTION

No. Q-18011/14/90-CPA.—Whereas the Hon'ble Supreme Court has directed the Union of India to set up a Committee on Vehicular Pollution under the Chairmanship of Justice K. N. Saikia (Retired Judge of the Supreme Court with Shri N. S. Tiwana, former Chairman, Central Pollution Control Board, Shri M. C. Mehta, Advocate, Supreme Court and Shri S. G. Shah as Members and the Joint Secretary in the Ministry of Environment & Forests as the Convenor-Secretary, vide its judgement dated 14-3-1991 in Writ Petition (Civil) No. 13029 of 1985—M. C. Mehta Vs. Union of India and Others.

The Central Government constituted the Committee vide resolution of even number dated 27-3-1991 with effect from 18-3-1991 as under :—

Chairman

1. Shri Justice K. N. Saikia
(Retired Judge of Supreme (Court).

Members

2. Shri N. S. Tiwana,
Chairman,
Central Pollution Control Board, Delhi.

Member's

3. Shri M. C. Mehta,
Advocate,
Supreme Court of India.

4. Shri S. G. Shah,
Representative of Association of Indian Automobile Manufacturers.

Convenor Secretary

5. Shri Mukul Sanwal,
Joint Secretary,
Ministry of Environment & Forests, New Delhi.

3. Subsequently, when Shri Mukul Sanwal, Joint Secretary, relinquished charge of his post in this Ministry Sh T. George Joseph, Joint Secretry, Ministry of Environment & Forests was made Convenor Secretary of the Committee on Vehicular Pollution, vide resolution number Q. 18011/1 90-CPA, dated 26-8-93, in place of Shri Mukul Sanwal. As Shri T. George Joseph has since been repatriated to his parent cadre, Shri Vijai Sharma, who has joined the Ministry of Environment and Forests as Joint Secretary with effect from 29-05-1995, is made Convenor-Secretary of the Committee on Vehicular Pollution with immediate effect in place of Shri *T. George Joseph, Joint Secretary.*

4. The other Terms and Conditions of the earlier resolution dated 27-3-1991 will remain unchanged.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. K. BAKSHI
Addl. Secy.

MINISTRY OF URBAN AFFAIRS & EMPLOYMENT

New Delhi-11, 9th May 1995

RESOLUTION

No. E-11017/1/95-Hindi.—In pursuance of decision of Government of India, Ministry of Home Affairs (Department of Official Languages) dated 28th May, 1979, a Scheme named 'Nirman Aur Awas Sahitya Puraskar Yojana' for granting awards for writing original books/translating standard books into Hindi on the subject relating to the Ministry of Urban Development (Now Ministry of Urban Affairs and Employment) was circulated vide this Ministry's Resolution No. E-11017/11/83-Hindi dated 17-1-84. Due to non-receipt of books, the scheme has periodically been reviewed and modified from time to time and the last such amendment was made vide this Ministry's Resolution No. E-11017/3/91-Hindi dated 13th December, 1991. Now, with the addition of a new Department in the Ministry and its name being Ministry of Urban Affairs & Employment, the title of the original Hindi writing scheme would be "Shahari Karya Aur Rojgar Sahitya Puraskar Yojna".

1. Objective :

1.1 The objective of the scheme is to encourage the writers/translators for writing original books in Hindi and standard Hindi Translation of books written in other languages. The book or a literature means a written treatise which may be easily available to the interested readers. The subjects relating to the Ministry are :—

1. Housing Development
2. Urban Development Affairs
3. Problems of Urban Slums and their eradication
4. Urban Employment : Problems and Solutions
5. Urban Poverty Alleviation
6. Urban Water Supply & Sanitation
7. Development of Urban Estates

8. Population Growth and Social Housing

9. Co-operative Housing Institutions, Organisation and Management

10. Construction work and Factors

11. Land use, Lease-hold system

12. Govt. Estates : Management and Maintenance

13. Ecological Improvement, Tree-Plantation & Horticulture

14. Printing, Publication & Distribution of official literature

15. Local Self Government

16. Building Technologies & Material Production

17. Urban Rental : Problems & Solutions

18. Participation of Private Sector in Urbanisation

19. *Any other subject relating to the Ministry.*

2. Amount of Awards, Award Year and last date for submission of books

First Award : Rs. 10,000/- (Rupees ten thousand only)
Second Award : Rs. 7,000/- (Rupees Seven thousand only)

Third Award : Rs. 5,000/- (Rupees Five thousand only)

2.2 A calender year will be treated as the "Year of Award". In a particular year of the Award, the books written, printed and published within a period of preceding three years will only be considered. In case, any manuscript is submitted with the assurance that it would be published in book form and made available to the readers within a year, such manuscript would be accepted for consideration under the scheme, however, final decision regarding award shall be linked with the year of publication provided five copies of the book are submitted for consideration. If the presented book(s) already been awarded under any government scheme the same will not be considered eligible for an award under the scheme.

2.3 The copies of the book so published would be accepted within three months after the expiry of the year of the award (1st January to 31st December) i.e. upto 31st March of the next year. The last date for submission of the book(s) may be extended keeping inview the then prevailing circumstances.

2.4 The competing authors shall have to send five published copies of the book alongwith the prescribed application form. The entries vis-a-vis application form duly filled in will have to be sent to the Director/Deputy Director (O.L.), Ministry of Urban Affairs & Employment, Nirman Bhavan, New Delhi-110011.

3. Eligibility for participation in the award scheme

3.1 The award is open to all Indian citizens. The officers/employees of the Ministry of Urban Affairs & Employment and of attached/subordinate offices and Public Sector Undertakings and Autonomous Bodies under it vis-a-vis officers/employees of the Central Government and State Governments will also be eligible to participate in the scheme.

3.2 An author/translator may submit more than one entry under the scheme. However, only one prize will be awarded to an author or Translator.

3.3 Generally, A book shall normally be not less than of 100 printed pages. However, the decision taking body may, at its discretion, consider the book containing less pages. The books of stories, songs, poems or dramas, etc. purely of literary taste are not accepted.

4. Evaluation Committee :

4.1 Selection of the books for awards shall be done by an expert Evaluation Committee. Additional Secretary/Joint Secretary, incharge of official language in Ministry shall be the Chairperson of the Committee. One representative not below the rank of Director/Deputy Secretary Incharge of Administration, Finance, Hindi as also of the subject concerned in the Ministry and one external expert/non-official member nominated by the Ministry will be the members of the Committee.

4.2 The Deputy Director (Official Language) of Ministry of Urban Affairs & Employment shall be the Member-Secretary of the Committee.

4.3 If any members of the Evaluation Committee submits his/her book for consideration in the scheme, he/she shall cease to be member of the Evaluation Committee for the particulars year.

4.4 The Chairman and each member of the Evaluation Committee may be paid honorarium as decided by the competent authority.

4.5 If any members of the Evaluation Committee is invited from outside the place of meeting of the Committee, he/she will be granted TA/DA as per rules.

4.6 Selection of the books for the award shall be done in the meeting of the Evaluation Committee.

4.7 A book recommended by the majority decision of the Evaluation Committee shall be given award. In case, there are more than one author/translator of a book selected for the prize, the amount of award shall be distributed equally among them.

4.8 The recommendations of the Evaluation Committee shall be subject to approval by the Government following which the announcement of the award shall be made. The decision of the Government in this respect shall be final.

4.9 The decision of the Ministry of Urban Affairs & Employment in all matters concerning the scheme shall be final.

4.10 All correspondence about the scheme will be handled by the Deputy Director (O.L) & Member-Secretary of the Committee, Ministry of Urban Affairs & Employment, New Delhi-110011.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all the Ministries/Departments/Offices of Government of India and all State Govts., Union Territories, Prime Minister's Sectt., Cabinet Sectt., Lok Sabha & Rajya Sabha Sectt., and University Grants Commission and all the Universities.

ORDERED further that the Resolution for general information be published in the next issue of Government of India Gaette.

JAIVIR SINGH CHAUHAN
Director (O.L.)

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

RULES

New Delhi, the 29th July 1995

No. 10/1/95-CS-II.—The rules for a limited departmental competitive examination for inclusion in the Select List for Grade 'C' of the Central Secretariat Stenographers' Service, Grade 'C' of teh Central Vigilance Commission Stenographers Service, Grade II of the Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B), Grade C of the Armed Forces Headquarters Stenographers Service, Gr. 'C' of the Railway Board Secretariat Stenographers Service and Grade 'C' of the Research Designs & Standards Organisation (Ministry of Railways) stenographers Service to be held by the Staff Selection Commission in 1995 are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the select list will be determined later as given in para 2 of the Notice issued by the Commission. Reservations shall be made for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes after taking into account the vacancy position reported to the Commission by the indenting cadres/offices.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution Orders amended from time to time, namely :

1. The Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950.
2. The Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950.
3. The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories) Order, 1951.
4. The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories) Order, 1951.
5. The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956.
6. The Constitution (Andaman an Nicobar Islands Scheduled Tribes Order, 1959.
7. The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962.
8. The Constitutiton (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962.
9. The Constitution (Pondicherry) Scheduled Caste Order, 1964.
10. The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967.
11. The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968.
12. The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.
13. The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.
14. The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.
15. The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978.
16. The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989.

As amended from time to time.

3. The examination will be conducted by the Staff Selection Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held, shall be fixed by the Commission.

4. *Conditions of eligibility.*—Any permanent or temporary regularly appointed officer, belonging to Grade D or Grade-III of the Central Secretariat Stenographers' Service Central Vigilance Commission Stenographers' Service/Stenographers Cadre of the Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service/Research Designs Standards Organisation (Ministry of Railways) Stenographers' Strvice who satisfies the following conditions shall be eligible to appear at the examination and compete for vacancies in his service only that is Grade 'D' Stenographers' of the Central Secretariat Stenographer's Service will be eligible for the vacancies in Grade 'C' of the Central Secretariat Stenographers' Service, Grade 'D' Stenographers of Central Vigilance Commission Service will be eligible for the vacancies in Grade 'C' of the Central Vigilance Commission, Grade III Stenographers of the Stenographers Cadre of the Indian Foreign Service (B) will be eligible for the vacancies in Grade II of the Stenographers of the Cadre of the Indian Foreign Service (B), the Grade 'D' Stenographers of Armed Forces Headquarters Stenographers' Service will be eligible for vacancies in Grade 'C' of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service, the Grade 'D' Stenographers of the Railway Board Secretariat Stenographers' service will be eligible for vacancies in Grade 'C' of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service and the Grade 'D' Stenographers of the RDSO Stenographers Service will be eligible for vacancies in Grade 'C' of the RDSO Stenographers' Service.

(a) *Length of Service*—He should have, on the crucial date that is on 1-8-1995 rendered not less than 3 years approved and continuous service in Grade D or Grade III of the Service.

NOTE.—Grade D officers who are on deputation to ex-cadre post with the approval of the Competent authority and those having a lien in Grade D or Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Central Vigilance Commission Stenographers' Service/Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service (B)/Armed Forces headquarters Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service/Research Designs & Standards Organisation Stenographers' Service will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

Provided that if he had been appointed to Grade 'D' of the Central Secretariat Stenographers' Service, Grade 'D' of the Central Vigilance Commission Stenographers' Service/Grade 'D' of the Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/Grade III of the Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service (B)/Grade 'D' of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service/Grade 'D' of the RDSO Stenographers' Service on the results of the competitive examination, including a limited departmental competitive examination result of such examination should have been announced not less than three years before the crucial date and he should have rendered not less than two years approved and continuous service in the Grade.

(b) *Age*—He should not be more than 50 years of age on 1-8-1995 i.e. he must not have been born earlier than 2-8-1944/45.

(c) The upper age limit prescribed above will be further relaxable —

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of three years (eight years for SC/ST) in case of Defence Service personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(iii) upto a maximum of three years (eight years for SC/ST) in case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED SHALL IN NO CASE BE RELAXED.

(d) *Stenography Test.*—Unless exempted from passing the Commissions Stenography Test for the purpose of confirmation or continuance in Grade D/Grade III of the Central Secretariat Stenographers' Service/Central Vigilance Commission Stenographers' Service/Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service/Research Designs & Standards Organisation Stenographers' Service the candidate should have passed the Test on or before the date of notification of the examination.

NOTE.—Grade 'D' or Grade III Stenographers who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority and those having a lien-in Grade D/Grade III of the Service will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

This, however, does not apply to a Grade D/Grade III Stenographer who has been appointed to an ex-cadre post or to another service on 'transfer' and does not have a lien in Grade D/Grade III of the Central Secretariat Stenographers Service/Central Vigilance Commission Stenographers' Service/Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service Research Design & Standards Organisation Stenographers' Service.

5. The decision the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a candidate of admission from the Commission.

7. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty —

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(viii) using unfair means in the examination hall, or

(ix) misbehaving in the examination hall, or

(x) writing irrelevant matter, including, obscene language or pornographic matter in the script(s), or

(xi) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination,

(xii) violating any of the instruction issued to the candidates alongwith their Admission Certificates permitting them to take the examination.,

(xiii) taking away answer book/shorthand notes/typing script with him/her from the examination hall,

(xiv) attempting to commit or, as the case may be abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period :—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

8. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission, in six separate lists, in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified in the examination shall be recommended for inclusion in the Select Lists of Grade C of the Central Secretariat Stenographers' Service, Central Vigilance Commission Stenographers' Service, Stenographers Cadre of Indian Foreign Service (B), Armed Forces Headquarters Stenographers' Service, Railway Board Secretariat Stenographers' Service and Research Designs & Standards Organisation Stenographers' Service upto the required number.

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may to the extent the number of vacancies in the Central Secretariat Stenographers Service/Central Vigilance Commission Stenographers' Service/ Stenographers Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces headquarters Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service and Research Designs & Standards Organisation Stenographers' Service reserved for the Scheduled Castes and Sheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standards to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for inclusion in Select Lists of Grade 'C' of the Central Secretariat Stenographers' Service/Central Vigilance Commission Stenographers' Service/Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B)/Armed Forces Headquarters Stenographers' Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service and Research Design & Standards Organisation Stenographers' Service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

NOTE.—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for Grade C/Grade II of the Central Secretariat Stenographers' Service/Central Vigilance Commission Stenographers' Service/Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B) Grade C of the Armed Forces headquarters Stenographers Service/Railway Board Secretariat Stenographers' Service and Research Designs & Standards organisation Stenographers' Service on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore have any claim for inclusion in the Select List on the basis of performance in this examination as a matter of right.

9. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in its discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

10. Success in the examining confers no right to selection unless the cadre authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that the candidate, having regard to his conduct in service, is suitable in all respect for selection.

11. A candidate, who after applying for admission to the examination or after appearing at it resigns his appointment in the Central Secretariat Stenographers' Service or Central Vigilance Commission Stenographers' Service or Stenographers' Cadre of Indian Foreign Service (B), or Armed Forces Headquarters Stenographers' Service, Railway Board Secretariat Stenographers' Service and Research Designs & Standards Organisation Stenographers' Service otherwise quits the Service or severs his connection with it, or whose services are terminated by his Department or who is appointed to an ex-cadre post or to another service on "transfer" and does not have a lien in Grade D of the Central Secretariat Stenographers' Service or Central Vigilance Commission Stenographers' Service Grade III of Stenographers' Cadre of the Indian Foreign Service (B) or Grade D of Armed Forces Headquarters Stenographers' Service, Railway Board Secretariat Stenographers' Service and Research Designs & Standards Organisation Stenographers' Service will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This however, does not apply to a Grade D/Grade III Stenographer who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the Competent authority.

KARTAR SINGH
Under Secretary

APPENDIX

The subjects of the written examination and the maximum marks for each subject will be as follows :—

PART A—WRITTEN TEST

Subject	Maximum Marks	Time
PAPER : (Objective type)		
(a) General Awareness 100 Questions (b) Comprehension and writing ability of English language 100 Questions	200	2 hours

Note :—Questions relating to General Awareness will be set both in Hindi and English.

PART B—SHORTHAND TEST IN HINDI OR IN ENGLISH (FOR THOSE WHO QUALIFY AT THE WRITTEN TEST) 200 MARKS.

Note :—Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters and for this purpose they will be required to bring their own type-writers with them.

PART C—EVALUATION OF RECORD OF SERVICE OF SUCH OF THE CANDIDATES AS MAY BE DECIDED BY THE COMMISSION IN THEIR DISCRETION CARRYING A MAXIMUM OF 100 MARKS.

2. The Syllabus for the written test and the scheme of the Shorthand Test will be as shown in the Schedule to this Appendix.

3. Candidates qualified in the written Examination are required to appear in Shorthand Test either in English or in Hindi which will be of 200 marks.

Note 1—Candiates must indicate their medium for taking Stenography Test in column 6 of the application form. The option once exercised shall be treated as final and no requests for alteration in the said column shall ordinarily be entertained. If the requisite column of option is left blank by any candidate, his/her medium of Stenography test shall be deemed to 'English'.

Note 2—Candidates who opt to take the Shorthand Test in Hindi will be required to learn English Stenography and vice versa after their appointment.

Note 3—No credit will be given for Shorthand Test taken in a language other than the one opted by the candidate.

4. Candidates who satisfy the minimum qualifying standard in the dictation at 120 words per minute will rank above the candidates who obtain the same standard in the dirtation at 100 words per minute, person in each group being arranged *inter se* in order of their merit as disclosed by the aggregate marks awarded to each candidate (c.f. Part B of the Schedule below).

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

7. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test as may be fixed by the Commission in their discretion will be called for Shorthand Test.

SCHEDULE

PART—A

Standards and Syllabus of the Written Test

NOTE.—The standard of the question papers in Part-A will be approximately that of the Matriculation examination of an Indian University.

(a) General Awareness : Question will be aimed at testing the candidates' general awareness of the environment around him and its application to society. Questions will also be designed to test knowledge of current events and of such matters of every day observations and experience in their scientific aspect as may be expected of an educated person. The test will also include questions relating to India and its neighbouring countries especilaly pertaining to History, Culture, Geography, Economic Scene, General polity and scientific research.

(b) Comprehension and Writing Ability of English Language :

Question will be designed to test the candidates' understanding and knowledge of English Language, vocabulary, spellings, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms, sentence completion, phrases and idomatic use of words etc. There will be question on comprehension of a passage also.

PART—B

Scheme of Shorthand Tests

The Shorthand test in English will comprise two dictation tests, one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for 10 minutes which the candidates will be required to transcribe in 45 and 50 minutes respecively.

The Shorthand test in Hindi, will comprise two dictation tests one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for 10 minutes which the candidates will be required to transcribe in 60 and 65 minutes respectively.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1995
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delhi, 1995